



अतिराष्ट्रीय संबंधा



Drishti IAS, 641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi Drishti IAS, 21
Pusa Road, Karol Bagh
New Delhi - 05

Drishti IAS, Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh Drishti IAS, Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

e-mail: englishsupport@groupdrishti.com, **Website:** www.drishtiias.com **Contact:** 011430665089, 7669806814, 8010440440

अनुक्रम

>	भारत-बांग्लादेश संबंध		4	>	इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष	55
>	मुक्त आवाजाही व्यवस्था		5	>	भारत-थाईलैंड संबंध	59
>	म्याँमार के वर्तमान मुद्दे		7	>	भारत-सिंगापुर संबंध	60
>	म्याँमार में गृहयुद्ध		8	>	जापान की एशिया ऊर्जा संक्रमण पहल	61
>	भारत-नेपाल सहयोग को मज	ब्रूत करना	10	>	भारत-UAE खाद्य सुरक्षा साझेदारी	63
>	भारत-नेपाल विद्युत समझौता		11	>	भारत-अमेरिका संबंध	64
>	भारत-श्रीलंका संबंध		13	>	INDUS-X शिखर सम्मेलन 2024	65
>	श्रीलंका का ऋण संकट और	पेरिस क्लब	14	>	भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता	66
>	LAC पर चीन के 'ज़ियाओ	ोकांग' सीमा रक्षा <mark>गाँव</mark>	16	>	भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी	68
>	दक्षिण-चीन सागर		19	>	अमेरिका के साथ भारत का जेट इंजन समझौता	72
>	गैलियम और जर्मेनियम पर च	वीन का निर्यात नियंत्रण	20	>	महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका-भारत पहल	73
>	 वैश्विक एकता के लिये भारत 	त-चीन साझेदारी	22		कृषि में भारत-अमेरिका सहयोग	74
>	🕨 चीन-तिब्बत मुद्दा		22	>	व्यापार और निवेश पर छठी भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता	75
>	चीन का स्टेपल्ड वीजा		24	>	भारत-अफ्रीका साझेदारी: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और	रोडमैप
>	 चीन ने क्षेत्रीय दावा करते हुए 	ए जारी किया मानचित्र	25		2030	77
>	 चीन तिब्बत में बना रहा नया 	बाँध	27	>	19वाँ NAM शिखर सम्मेलन और भारत-युगांडा संबंध	79
>	 सीमा निर्धारण के लिये चीन 	और भूटान की बैठक	27	>	अफ्रीका की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत की रुचि	80
>	🕨 भारत-मालदीव संबंध		30	>	भारत-मिस्र संबंध	82
>	 अफगानिस्तान पर सुरक्षा परि 	षदों के सचिवों की क्षेत्रीय वार्ता	32	>	भारत-मिस्र संबंध	83
>	CPEC का अफगानिस्तान	तक विस्तार	33	>	भारत-इथियोपिया संयुक्त व्यापार सिमति का छठा सत्र	90
>	ईरान, पाकिस्तान और बलूच	उग्रवाद	34	>	गिनी की खाड़ी में दूसरा समुद्री डकैती रोधी गश्ती दल	91
>	भारत-पिकस्तान जलिवद्युत प	ारियोजना को लेकर मतभेद	37	>	सूडान संकट और ऑपरेशन कावेरी	93
>	भारत-भूटान संबंध		38	>	भारत और अर्जेंटीना के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौ	ाते पर
>	लाल सागर व्यवधान और भा	रत की तेल आयात गतिशीलता	41		हस्ताक्षर	95
>	 अरब सागर में अपहृत जहाज 	। की भारतीय नौसेना ने की मदद	43	>	सूरीनाम में भारतीय औषधकोश मान्यता	96
>	भारत-सऊदी अरब सामिरक	साझेदारी का सुदृढ़ीकरण	46	>	नई दिल्ली में 18वाँ G20 शिखर सम्मेलन	98
>	भारत-इज़रायल संबंध		49	>	G20 देशों की तुलना में भारत का सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शन	₹ 102
>	भारत-संयुक्त अरब अमीरात (CEPA का एक वर्ष	51	>	G20 देश एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण	104
>	भारत-ओमान द्विपक्षीय बैठक	5	53	>	10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की मीटिंग-प्लस	105

>	20वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वाँ पूर्वी	एशिया	>	भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद	154
	शिखर सम्मेलन	107	>	भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन	155
>	आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक	107	>	भारत-फ्राँस संबंध	156
>	SCO शिखर सम्मेलन 2023	109	>	भारत और ग्रीस संबंध	158
>	IBSA और डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म	110	>	शेंगेन जोन	160
>	IPEF मंत्रिस्तरीय बैठक	112	>	उत्तरी आयरलैंड संघर्ष	161
>	UNSC और ब्रेटन वुड्स में सुधार	112	>	भारत-इटली प्रवासन और आवाजाही समझौता	162
>	तीसरा FIPIC शिखर सम्मेलन	114	>	चीन के BRI से अलग हुआ इटली	163
>	G7 सम्मेलन: जलवायु लक्ष्य, गांधी प्रतिमा और		>	नवाचार पर भारत-जर्मनी सहयोग	163
	क्वाड जलवायु पहल	114	>	कोसोवो-सर्बिया संघर्ष	164
>	रश्त-अस्तारा रेलवे एवं INSTC	116	>	भारत डेनमार्क सहयोग	165
>	छठा हिंद महासागर सम्मेलन	117	>	दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक-बाल्टिक	
>	छठी भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता	119		बिजनेस कॉन्क्लेव 2023	166
>	मुख्य न्यायाधीश द्वारा SCO सदस्य देशों से		>	वैश्विक DPI शिखर सम्मेलन	167
	न्यायिक सहयोग के लिये प्रयास करने का आह्वान	120	>	बाह्य अंतरिक्ष हेतु एक नई संधि का आह्वान	169
>	G20 संस्कृति मंत्री स्तरीय बैठक और B20		>	भारत-रोमानिया रक्षा समझौता	170
	शिखर सम्मेलन 2023	121	>	<mark>नेट ज</mark> ़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर	170
>	नाटो ने CFE संधि निलंबित की	123	>	<mark>रोजगार</mark> कार्य समूह की तीसरी बैठक	171
>	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जलवायु परिवर्तन	127	>	अटलांटिक घोषणा	172
>	OPEC+ द्वारा अतिरिक्त उत्पादन कटौती की घोषणा	128	>	भारत-रूस द्विपक्षीय बैठक	173
>	15वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन	129	>	रूस में वैगनर विद्रोह	174
>	तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन	133	>	रूस-भारत द्विपक्षीय व्यापार	175
>	कार्बन मुक्त विद्युत उत्पादन के प्रति G7 की प्रतिबद्धता	135	>	रूस के साथ प्रमुख रक्षा समझौतों में चुनौतियाँ	175
>	भारत आर्टेमिस समझौते में शामिल	142	>	ब्लैक सी ग्रेन डील को पुन: शुरू करने पर वार्ता	177
>	भारत, अमेरिका, UAE और सऊदी अरब		>	भारत-लिथुआनिया संबंध	178
	बुनियादी ढाँचा पहल पर चर्चा	143	>	भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता	179
>	अरब लीग	144		भारत और न्यूजीलैंड के बीच विमानन सहयोग	181
>	अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023	145	>	भारत-न्यूजीलैंड गोलमेज बैठक	183
>	WTO को कृषि सब्सिडी पर पुन:		>	विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत	183
	विचार करने की आवश्यकता	146	>	भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी	184
>	संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना हेतु भारत की प्रतिबद्धता	147	>	रायसीना डायलॉग 2024	186
>	इजरायल से इरिट्रियावासियों के		>	गोवा समुद्री सम्मेलन 2023	187
	निर्वासन पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता	149	>	विदेश नीति को आकार देने में UPI की भूमिका	188
>	भारत और उत्तरी समुद्री मार्ग	151		ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो	191
>	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, 2023	152	>	सुरक्षा परिषद सुधार के लिये भारत का प्रयास: G4 मॉडल	193
>	पेरिस क्लब	153	>	बेल्जियम ने इकोसाइड को अपराध के	
				रूप में मान्यता प्रदान की	196

1. भारत और उसके पड़ोसी

भारत-बांग्लादेश संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने निरंतर चौथे ऐतिहासिक कार्यकाल के लिये बांग्लादेश की सत्ता पुन: ग्रहण की। अन्य देशों सहित भारत ने भी बांग्लादेश को बधाई दी जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है।

भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे विकसित हुए हैं ?

🔾 ऐतिहासिक संबंध:

- बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की नींव वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से स्थापित हुई थी। भारत ने पाकिस्तान से आजादी के युद्ध में बांग्लादेश की सहायता के लिये महत्त्वपूर्ण सैन्य तथा सामग्री सहायता प्रदान की।
- इसके बावजूद बांग्लादेश पर सैन्य शासन का नियंत्रण होने से कुछ ही वर्षों में दोनों देशों के संबंध प्रभावित हुए। 1970 के दशक के मध्य में सीमा विवाद एवं विद्रोह सहित जल बँटवारे के मुद्दों के परिणामस्वरूप बांग्लादेश की भारत विरोधी भावना में वृद्धि हुई।
- वर्ष 1996 में शेख हसीना के सत्ता में आने तथा गंगा जल बँटवारे पर एक संधि के साथ द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति में एक नई दिशा मिली।
- वर्तमान में भारत और बांग्लादेश ने व्यापार, ऊर्जा, आधारभूत अवसंरचना, कनेक्टिविटी तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग की दिशा में मिलकर प्रगति की है।

आर्थिक सहयोगः

- विगत दशक में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए द्विपक्षीय
 व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई है।
- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2020-21 में 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-2022 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया हालाँकि वर्ष 2022-23 में कोविड-19 महामारी एवं रूस-यूक्रेन युद्ध के व्यापार में गिरावट आई।
- भारत भी बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है जिसका भारतीय बाजारों में निर्यात 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- वर्ष 2022 में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन संपन्न किया। CEPA को अतिरिक्त महत्त्व मिलता है क्योंिक बांग्लादेश वर्ष 2026 के बाद अपना अल्प विकसित देश (LDC) का दर्जा खोने के लिये तैयार है, जिससे भारत में उसकी शुल्क-मुक्त और कोटा-मुक्त बाजार पहुँच खो जाएगी।
- बांग्लादेश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने और चीन समर्थित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) को आगे बढ़ाने हेतु उत्सुक होगा। यह दोहरा रवैया भारत के लिये चिंताएँ बढाता है।

🗅 अवसंरचनाः

- वर्ष 2010 के बाद से भारत ने बांग्लादेश को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऋण सहायता प्रदान की है।
- भारत और बांग्लादेश ने वर्ष 2015 में भूमि सीमा समझौते/लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट (LBA) तथा क्षेत्रीय जल पर समुद्री विवाद जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को सफलतापूर्वक हल किया है।
- भारत और बांग्लादेश ने वर्ष 2023 में अखौरा-अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया जो बांग्लादेश तथा पूर्वोत्तर को त्रिपुरा के माध्यम से जोडता है।
- इस लिंक ने भारत को माल की आवाजाही के लिये बांग्लादेश
 में चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों तक पहुँच प्रदान की है।
 - इससे असम और त्रिपुरा में लघु उद्योगों तथा विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- परिवहन कनेक्टिविटी के लिये बिम्सटेक (BIMSTEC) मास्टर प्लान भारत, बांग्लादेश, म्याँमार और थाईलैंड में प्रमुख परिवहन परियोजनाओं को जोड़ने पर केंद्रित है, जिससे एक शिपिंग नेटवर्क स्थापित किया जा सके।
 - भारत का ध्यान त्रिपुरा से 100 किमी. दूर बांग्लादेश द्वारा बनाए जा रहे मटरबारी बंदरगाह पर रहेगा। यह बंदरगाह ढाका और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक गलियारा बनाएगा।

🗅 ऊर्जाः

- ऊर्जा क्षेत्र में, बांग्लादेश भारत से लगभग 2,000 मेगावाट (मेगावाट) बिजली आयात करता है।
- वर्ष 2018 में रूस, बांग्लादेश और भारत ने बांग्लादेश के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

🔾 रक्षा सहयोग:

- भारत और बांग्लादेश 4096.7 किमी. लंबी सीमा साझा करते हैं, यह भारत द्वारा अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी भूमि सीमा है।
 - असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है।
- दोनों संयुक्त अभ्यास भी आयोजित करते हैं- सेना (अभ्यास संप्रीति) और नौसेना (अभ्यास बोंगो सागर)।

🗅 बहुपक्षीय सहयोग:

भारत और बांग्लादेश SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ), बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।



मुक्त आवाजाही व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

म्याँमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime - FMR) समझौते की समीक्षा करने और भारत-म्याँमार सीमा पर बाड़ लगाने की भारत की हालिया योजनाओं पर विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में चर्चा शुरू हुई है।

 इस निर्णय का उद्देश्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा विचारों के जटिल अंतर्संबंध को संबोधित करना है।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime) क्या है?

🗅 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः

- वर्ष 1826 में यंदाबू की संधि द्वारा वर्तमान भारत-म्याँमार सीमा स्थापित होने तक भारत का अधिकांश पूर्वोत्तर क्षेत्र बर्मा के कब्जे में था।
 - यंदाबू की संधि पर ब्रिटिश की ओर से जनरल सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल और बर्मा की ओर से लेगिंग के गवर्नर महा मिन हला क्याव हितन (Maha Min Hla Kyaw Htin) ने हस्ताक्षर किये।

- 💠 इससे प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध (1824-1826) समाप्त हुआ।
- हालाँकि सीमा ने साझा जातीयता और संस्कृति वाले समुदायों को उनकी सहमित के बिना अलग कर दिया, जिनमें नगालैंड तथा मणिपुर में नागा, साथ ही मणिपुर एवं मिजोरम में कुकी-चिन-मिजो समुदाय शामिल थे।
- वर्तमान में भारत और म्यॉँमार मिणपुर, मिज़ोरम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1,643 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से केवल 10 किमी. मिणपुर में बाड़ लगाई गई है।

मुक्त आवागमन व्यवस्थाः

- FMR की स्थापना वर्ष 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में की गई थी, जो बिना वीजा के 16 किमी. तक सीमा पार आवाजाही को बढ़ावा देता है।
 - सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों को पड़ोसी देश में दो सप्ताह तक रहने के लिये एक वर्ष के सीमा पास की आवश्यकता होती है।
- इसका उद्देश्य स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सीमावर्ती निवासियों के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करना तथा राजनियक संबंधों को मजबूत करना है।

FMR पर पुनर्विचार के संभावित कारणः

सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

- घुसपैठ में वृद्धिः अवैध अप्रवासियों, विशेष रूप से चिन, नागा समुदायों और म्याँमार से रोहिंग्याओं की आमद के बारे में चिंताएँ पैदा हुई हैं, जिससे संसाधनों पर संभावित दबाव पड़ रहा है तथा स्थानीय जनसांख्यिकी प्रभावित हो रही है।
- म नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी: छिद्रपूर्ण सीमा दवाओं और हथियारों की अवैध आवाजाही को सुविधाजनक बनाती है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है तथा अपराध को बढ़ावा मिलता है।
- मुख्यमंत्री कार्यालय के आँकड़ों के अनुसार, 2022 में, मणिपुर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत 500 मामले दर्ज किये गए और 625 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

- उग्रवादी गितिविधियाँ: पूर्वोत्तर भारत में सिक्रिय विद्रोही समूहों द्वारा FMR का दुरुपयोग किया गया है, जिससे उन्हें आसानी से सीमा पार करने और कब्जे से बचने की अनुमित मिलती है।
- जैसे मणिपुर में कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) और कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी-लाम्फेल (KCP-लाम्फेल)।
- 💠 सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय मुद्दे:
 - सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव: सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के बारे में चिंताएँ मौजूद हैं, संभावित रूप से बढ़ते प्रवासन से खतरा है।
 - पर्यावरणीय गिरावट: सीमा क्षेत्रों पर निर्वनीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध निष्कर्षण/दोहन को अनियंत्रित सीमा पार आवाजाही के लिये जिम्मेदार ठहराया जाता है।
 - प्रभेत्रीय आवाजाही (Regional Dynamics):

 म्याँमार में चीन का बढ़ता प्रभाव और सीमा सुरक्षा पर

 इसका संभावित प्रभाव स्थिति में जटिलता का एक और

 कारण बन गया है।

भारत-म्याँमार संबंधों के प्रमुख पहलू क्या हैं?

- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध: भारत और म्याँमार का सदियों पुराना एक लंबा इतिहास है, जिसमें बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक और धार्मिक गहन संबंध निहित हैं।
 - 💠 मैत्री संधि, 1951 उनके राजनयिक संबंधों का आधार है।
- आर्थिक सहयोगः भारत, म्याँमार का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और यहाँ निवेश का एक प्रमुख स्रोत है।
 - भारत म्यॉंमार में जिन परियोजनाओं में शामिल रहा है उनमें कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना और बागान में आनंद मंदिर का जीर्णोद्धार तथा संरक्षण (2018 में पूरा हुआ) सम्मिलत हैं।
- आपदा राहत: भारत ने म्याँमार में चक्रवात मोरा (वर्ष 2017), शान राज्य में भूकंप (वर्ष 2010) और वर्ष 2017 के जुलाई-अगस्त में यांगून में इन्फ्लूएंजा वायरस के प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद सहायता प्रदान करने में त्वरित तथा प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी है।



म्याँमार के वर्तमान मुद्दे

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ) ने हाल ही में म्याँमार के जुंटा की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें म्याँमार पर इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन (International Genocide Convention) उल्लंघन करने के आरोप के मामले में प्रतिवाद दायर करने हेतु 10 महीने की मोहलत की मांग की गई थी।

यह मामला रखाइन राज्य में वर्ष 2017 में 'क्लीयरिंग' अभियान के दौरान म्याँमार सेना द्वारा किये गए अत्याचारों से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप रोहिंग्या लोगों का विस्थापन हुआ।

म्याँमार में अस्थिरता का कारण:

- पृष्ठभूमि: म्यॉंमार को वर्ष 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह वर्ष 1962 से 2011 तक सशस्त्र बलों द्वारा शासित रहा, इसके बाद यहाँ एक नई सरकार ने नागरिक शासन की शुरुआत की।
 - 2010 के दशक में सैन्य शासन ने देश में लोकतंत्र की स्थापना का फैसला किया। हालाँकि सशस्त्र बल शक्तिशाली बने रहे एवं

राजनीतिक विरोधियों को मुक्त कर दिया गया, साथ ही चुनाव कराने की अनुमति दी गई।

देश का पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव वर्ष 2015 में हुआ जिसमें कई दलों ने भाग लिया, इस चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने जीत हासिल की और सरकार बनाई, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित हो।

सैन्य तख्तापलटः

- ♦ नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में NLD ने अधिकांश सीटें हासिल कीं।
- ♦ वर्ष 2008 के सैन्य-मसौदा संविधान के अनुसार म्याँमार की संसद में सेना के पास कुल सीटों का हिस्सा 25% है और कई प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिये आरक्षित हैं।
- जब नव निर्वाचित म्याँमार के सांसदों द्वारा वर्ष 2021 में संसद का पहला सत्र आयोजित किया जाना था, तब सेना ने संसदीय चुनावों में भारी मतदान धोखाधड़ी का हवाला देते हुए एक वर्ष के लिये आपातकाल लागू कर दिया था।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिह्नित मुद्देः

यद्यपि किसी भी प्रकार के संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा करना सेना के लिये कानूनी रूप से आवश्यक है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन किया गया।

- म्याँमार की अर्थव्यवस्था काफी बुरी स्थिति में है जिस कारण लगभग आधी आबादी अब गरीबी रेखा के नीचे रह रही है।
- तख्तापलट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से सेना ने देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों और 16,000 से अधिक अन्य लोगों को हिरासत में लिया है।

⇒ रोहिंग्या मुद्दाः

- 25 अगस्त, 2017 को म्याँमार के रखाइन राज्य में हुई हिंसा ने लाखों रोहिंग्या लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया।
- म्याँमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन से रोहिंग्या समुदाय में
 अब कोई संबंध नहीं रह गया है।
 - वर्षों से म्याँमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिसमें भाषण और सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियाँ और निरोध, सेंसरशिप और हिंसा शामिल हैं।
- जनवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत (ICJ) ने म्याँमार को अपने रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों को नरसंहार से बचाने के लिये उपाय करने का आदेश दिया।

म्याँमार मुद्दे पर भारत का रुख:

- हाल के वर्षों में भारत ने म्याँमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से रोहिंग्या संकट के संबंध में।
 - भारत ने इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही का आह्वान किया है।
- यद्यपि भारत ने म्यॉमार में हाल के घटनाक्रमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, लेकिन म्यॉमार की सेना से दूरी बनाना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है क्योंकि म्यॉमार और उसके पड़ोसियों से भारत के महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं रणनीतिक हित जुड़े हैं।
 - म्यॉमार के मुद्दे पर भारत का रुख उसकी उभरती स्थिति और क्षेत्र में भू-राजनीतिक गतिशीलता के आधार पर विकसित हो सकता है।

नोट:

ऐसी गतिविधियाँ जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से की जाती हैं, नरसंहार/जेनोसाइड कहलाती हैं और विश्व स्तर पर इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन:

- इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन, जिसे जेनोसाइड के अपराध की रोकथाम और सजा पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है, 9 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक संधि है।
 - जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार, जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध तथा शांति दोनों समय हो सकता है।
 - कन्वेंशन के लिये राज्यों को घरेलू कानून बनाकर नरसंहार को रोकने और इसके लिये दंडित करने की आवश्यकता है।
- कन्वेंशन में निर्धारित जेनोसाइड के अपराध की परिभाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिसमें वर्ष 1998 में अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की रोम संविधि भी शामिल है।
- ⊃ भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।

म्याँमार में गृहयुब्द

चर्चा में क्यों?

हाल ही में म्याँमार में चल रहे गृहयुद्ध के कारण म्याँमार की सेना और मिज़ोरम से लगे पश्चिमी चिन राज्य में लोकतंत्र समर्थक मिलिशिया के बीच तीव्र गोलीबारी के बाद म्याँमार के 1,500 नागरिकों ने मिज़ोरम के चम्फाई जिले में शरण ली।

गृहयुद्ध क्या है?

- गृहयुद्ध एक ही देश या राष्ट्र के भीतर संगठित समूहों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष है।
- इसमें अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक या वैचारिक मत वाले गुटों या समूहों के बीच सशस्त्र टकराव शामिल है, जो देश के शासन, क्षेत्र या संसाधनों पर नियंत्रण या प्रभुत्व के लिये प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।

म्याँमार में वर्तमान गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि क्या है?

- 🗅 🛮 2020 का चुनाव और सैन्य तख्तापलट:
 - → नवंबर 2020 के चुनाव में आंग सान सू की (Aung San Suu Kyi's) की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने चुनाव जीता। हालाँकि सैन्य जुंटा (Military Junta), जिसे टाटमाडाँ (Tatmadaw) के नाम से जाना जाता है, ने बिना पर्याप्त सबूत के चुनावी धोखाधड़ी का दावा करते हुए चुनाव परिणामों को खारिज कर दिया।

फरवरी 2021 में सेना ने तख्तापलट किया, आंग सान सू की और अन्य निर्वाचित नेताओं को हिरासत में ले लिया, आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई तथा सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।



🗅 विरोध तथा प्रतिरोध:

- तख्तापलट के बाद पूरे म्यॉंमार में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, नागरिकों ने लोकतंत्र की बहाली तथा हिरासत में लिये गए नेताओं की रिहाई की मांग की।
- सिविल सेवक, कार्यकर्त्ता तथा विभिन्न समूह हड़ताल एवं प्रदर्शन करते हुए सिवनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए।

⇒ प्रतिरोध हेतु बलों का गठनः

 टाटमाडॉ (Tatmadaw) द्वारा असहमित पर अपनी कार्रवाई तेज करते ही एथिनक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस (EAO) तथा सशस्त्र नागरिकों सिहत विपक्षी समूहों ने सैन्य जुंटा का

- विरोध करने के लिये पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज (PDF) का गठन किया।
- इन समूहों ने सेना के अधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से अपदस्थ सांसदों द्वारा स्थापित नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) का समर्थन किया।

वर्तमान परिदृश्यः

- देश के अन्य हिस्सों, जैसे- राखीन राज्य, कायिन राज्य, मणिपुर की सीमा से लगे सांगांग
- क्षेत्र तथा मिजोरम की सीमा से लगे चिन राज्य में भी विभिन्न स्थानीय प्रतिरोध बलों के नेतृत्व में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है।

म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध का भारत के लिये क्या अर्थ है ?

⊃ संतुलित रुख:

भारत ने म्यॉंमार में लोकतंत्र के "व्यवधान" पर चिंता व्यक्त करने तथा उसके "महत्त्वपूर्ण हितों" की रक्षा के लिये जुंटा का सहयोग करने के बीच अब तक संतुलन स्थापित कर रखा है।

भारत के लिये तात्कालिक चिंता:

- पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती राज्यों में म्याँमार के नागरिकों का प्रवेश।
- 💠 वह भी ऐसे समय में जब मणिपुर में स्थिति अस्थिर बनी हुई है।

🗅 विद्रोहियों द्वारा दो प्रमुख नगरों पर कब्ज़ा:

- जुंटा विरोधी ताकतों ने म्यॉंमार और भारत के बीच केवल दो सीमा पार बिंदुओं के करीब दो महत्त्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया है। ये हैं:
 - 🗷 रिखावदार, मिज़ोरम में ज़ोखावथर के करीब और
 - मिणपुर में मोरेह से लगभग 60 किमी. दूर सांगांग क्षेत्र में खम्पट।
- उत्तरार्द्ध (सांगांग क्षेत्र में खम्पट) में भी प्रस्तावित भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है।

शरणार्थियों से निपटने के लिये भारत में वर्तमान विधायी ढाँचा क्या है?

- भारत सभी विदेशियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, चाहे वे अवैध अप्रवासी हों, शरणार्थी या वीजा परिमट से अधिक समय तक रहने वाले हों।
 - 1946 का विदेशी अधिनियम: धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार है।
 - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920: धारा 5 के तहत अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत किसी अवैध विदेशी को बलपूर्वक हटा सकते हैं।
 - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939: इसके तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसके तहत दीर्घकालिक वीजा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों (भारत के विदेशी नागरिकों को छोड़कर) को भारत पहुँचने के 14 दिनों के भीतर खुद को जीकरण अधिकारी के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है।
 - नागरिकता अधिनियम, 1955: इसमें नागरिकता के त्याग,
 समाप्ति और वंचित करने के प्रावधान प्रदान किये गए।

- इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख तथा बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है।
- भारत ने शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी नागरिकों से निपटने के लिये सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पालन की जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

भारत-नेपाल सहयोग को मज़बूत करना

चर्चा में क्यों ?

भारत और नेपाल ने हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री की 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान ऊर्जा और परिवहन विकास के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये कई पहलों तथा समझौतों का अनावरण किया है जिसका उद्देश्य संबंधों को मज़बूत करना तथा क्षेत्रीय संपर्क को सुविधाजनक बनाना है।

<mark>हाल ही में हुए</mark> समझौते की प्रमुख विशेषताएँ:

- विद्युत क्षेत्र में सहयोगः
 - दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौता: भारत और नेपाल ने आने वाले वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली के आयात को लक्षित करते हुए एक दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्सः फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना और लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के विकास के लिये नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC), भारत तथा विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।
 - इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने पंचेश्वर बहुउद्देशीय पिरयोजना पर ठोस और समयबद्ध प्रगित की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की जिसका उद्देश्य महाकाली नदी के साझा जल संसाधनों के दोहन में सहयोग बढ़ाना है।

नोट:

फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना का लक्ष्य लगभग 2448 GWh के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ कर्णाली नदी के प्रवाह का उपयोग करके 480 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना है। इसमें एक उच्च प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (Reinforced Concrete Cement-RCC) बाँध और एक भूमिगत पावर हाउस शामिल है।

परिवहन विकास:

- ट्रांसिमशन लाइन और रेल लिंक: गोरखपुर-भुटवाल ट्रांसिमशन लाइन के लिये ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी और बथनाहा से नेपाल सीमा शुल्क विभाग तक भारतीय रेलवे कार्गो ट्रेन के उद्घाटन ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
- एकीकृत चेकपोस्ट (ICP): ICPs का उद्घाटन नेपालगंज (नेपाल) और रूपईडीहा (भारत) में किया गया, जिससे सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिला और माल और लोगों की आवाजाही सुविधाजनक हुई।

अन्य पहलें:

- दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन जो भारत में मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक और 69 किमी. लंबी है. नेपाल में चितवन तक विस्तारित करने की योजना है।
 - 🗷 साथ ही भारत में सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक दूसरी सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन।
- 1 जून, 2023 को संशोधित पारगमन सं<mark>धि पर हस्ताक्षर किये</mark> गए, जो नेपाल को भारत के अंतर्देशीय जलमार्गी तक पहुँच प्रदान करेगी।
 - इससे नेपाल तीसरे देशों के साथ अपने व्यापार के लिये हिल्दया, कोलकाता, पारादीप और विशाखापत्तनम जैसे भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करने में सक्षम होगा।
 - प्र यह नेपाली निर्यातकों और आयातकों के लिये परिवहन लागत एवं समय को भी कम करेगा।
- ♦ भारत कृषि क्षेत्र में सहयोग के महत्त्व पर जोर देते हुए एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये नेपाल के साथ भी सहयोग कर रहा है।

भारत-नेपाल विद्युत समझौता

चर्चा में क्यों?

भारत और नेपाल ने हाल ही में विद्युत निर्यात के लिये एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। नेपाल-भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच मज़बूत होते संबंधों पर प्रकाश डालते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

नेपाल-भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की मुख्य बातें क्या हैं?

विद्युत निर्यात समझौता: भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट विद्युत के निर्यात के लिये द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- सीमा पार ट्रांसिमशन लाइनों का उदघाटन: तीन क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसिमशन लाइनों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया, जिसमें 132 केवी रक्सौल-परवानीपुर, 132 केवी कुशहा-कटैया और न्यू नौतनवा-मैनहिया लाइनें शामिल हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा सहयोगः नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिये नेपाल विद्युत प्राधिकरण और भारत के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक (Memorandum of Understanding - MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।
- उपग्रह सेवा हेत समझौता: नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित मुनाल सैटेलाइट के लिये सेवा समझौता लॉन्च किया गया।
 - नेपाली छात्रों द्वारा विकसित यह उपग्रह भारतीय प्रक्षेपण रॉकेट पर नि:शुल्क प्रक्षेपित किया जाएगा।

भारत और नेपाल के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

⊃ परिचयः

- करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल मित्रता एवं सहयोग के अनूठे संबंधों को साझा करते हैं, जिसकी विशेषता एक खुली सीमा, दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्तेदारी तथा मज़बूत सांस्कृतिक संबंध है।
- नेपाल पाँच भारतीय राज्यों- सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किमी. से अधिक की सीमा साझा करता है।
 - वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की भारत-नेपाल संधि भारत एवं नेपाल के बीच मौजद विशेष संबंधों का आधार है। सीमा पार लोगों की मुक्त आवाजाही की लंबी परंपरा
- आर्थिक सहयोग: भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार तथा विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, इसके अतिरिक्त भारत नेपाल के तीसरे देश के साथ व्यापार के लिये पारगमन सुविधा प्रदान करता है।
 - नेपाल के व्यापारिक व्यापार में लगभग दो-तिहाई तथा सेवाओं के व्यापार में लगभग एक-तिहाई योगदान भारत का है।
 - घाल ही में भारत और नेपाल पारगमन संधि (Treaty of Transit) तथा व्यापार संधि की समीक्षा करने, मौजुदा समझौतों में प्रस्तावित संशोधन, निवेश बढाने की रणनीतियों, मानकों के सामंजस्य एवं व्यापार हेतु बुनियादी ढाँचे के समकालिक विकास पर सहमत हए।

- रक्षा सहयोगः भारत रक्षा संबंधी उपकरण आपूर्ति तथा प्रशिक्षण प्रावधानों के माध्यम से नेपाल सेना के आधुनिकीकरण प्रयासों में सहायता कर रहा है।
 - बटालियन स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास, 'सूर्य किरण', भारत तथा नेपाल दोनों देशों में क्रमिक आधार आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 में यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था।

सांस्कृतिक सहयोगः

- नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास ने लुंबिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट तथा लुंबिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के सहयोग से दिसंबर 2023 में लुंबिनी में प्रथम भारत-नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया।
 - इस महोत्सव में बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत तथा नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं का प्रदर्शन किया गया।

- जल बँटवारा: कोशी समझौता (1954, वर्ष 1966 में संशोधित) तथा गंडक समझौता (1959, वर्ष 1964 में संशोधित) जल संसाधन क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने वाले प्रारंभिक महत्त्वपूर्ण समझौते थे।
 - एक अन्य महत्त्वपूर्ण समझौता, महाकाली संधि (1996) था जिसके तहत दोनों देशों के लिये महाकाली नदी के जल का उचित उपयोग सुनिश्चित किया गया।
- कनेक्टिविटी: भारत तराई क्षेत्र में 10 सड़कों को उन्नत करके, जोगबनी-विराटनगर तथा जयनगर-बर्दीबास में सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करके एवं बीरगंज, विराटनगर, भैरहवा व नेपालगंज जैसे प्रमुख स्थानों पर एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करके नेपाल की मुख्य रूप से सहायता की।
 - इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2021 में नेपाल को लगभग 2200
 MU विद्युत का निर्यात किया।



भारत-श्रीलंका संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंका में तिमल पार्टियों के सबसे बड़े संसदीय समूह तिमल नेशनल एलायंस (TNA) ने पुलिस शक्तियों के बिना श्रीलंकाई संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने के श्रीलंकाई राष्ट्रपित के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

श्रीलंकाई राष्ट्रपित की निर्धारित भारत यात्रा से पहले TNA द्वारा यह अस्वीकृति महत्त्वपूर्ण है क्योंिक भारत ने निरंतर इस कानून के "पूर्ण कार्यान्वयन" पर बल दिया है जो आत्मिनर्णय हेतु श्रीलंकाई तिमलों की ऐतिहासिक मांग को संबोधित करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि:

⊃ परिचयः

- वर्ष 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के बाद 13वाँ संशोधन अधिनियमित किया गया था और यह प्रांतों को शक्ति हस्तांतरण की एकमात्र विधायी गारंटी है।
 - भारत-श्रीलंका समझौता 1987 पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे तािक श्रीलंका के जातीय संघर्ष को हल किया जा सके। यह संघर्ष सशस्त्र बलों तथा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तिमल ईलम के बीच गृह युद्ध में बदल गया था। इस संगठन ने तिमलों के आत्मिनर्णय के लिये संघर्ष का नेतृत्व किया और एक अलग राज्य की मांग की।
- 13वाँ संशोधन, जिसके परिणामस्वरूप प्रांतीय परिषदों का गठन हुआ, के माध्यम से देश के सभी नौ प्रांतों को स्व-शासन में सक्षम बनाने के लिये एक शक्ति-साझाकरण संरचना सुनिश्चित की गई जिसमें बहुसंख्यक सिंहली भाषी क्षेत्र भी शामिल थे।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, भूमि और पुलिस जैसे विषय प्रांतीय प्रशासनों को सौंप दिये गए, लेकिन वित्तीय शक्तियों पर प्रतिबंध तथा राष्ट्रपति को दी गई अधिभावी शक्तियों के कारण प्रांतीय प्रशासन अधिक प्रगति नहीं कर पाया।
- हालाँकि श्रीलंका में लगातार सरकारों ने प्रांतों को भूमि और पुलिस अधिकार प्रदान करने से इनकार किया है, जिससे 14 वर्ष पूर्व समाप्त हुए गृह युद्ध के बाद भी मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं।

⇒ राष्ट्रपति का प्रस्ताव तथा TNA की प्रतिक्रिया:

श्रीलंकाई राष्ट्रपित द्वारा सत्य की खोज, शांति स्थापित करने,
 जवाबदेही, विकास और तिमल राजनीतिक दलों के साथ सत्ता

साझा करने के अपने देश के लक्ष्यों का वर्णन करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव पेश किया गया है।

- इस प्रस्ताव में पुलिस शक्तियों को छोड़कर 13वें संशोधन को लागू करना तथा विभिन्न विधेयकों के माध्यम से प्रांतीय परिषदों को सशक्त बनाना शामिल था।
- हालाँकि TNA ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, इसे "खोखला वादा" कहा, इसमें सत्ता को वास्तविक रूप से हस्तांतिरत करने के लिये राजनीतिक इच्छाशिक्त की कमी का हवाला दिया गया, क्योंकि प्रांतीय परिषदें चुनाव न होने से पाँच वर्ष से निष्क्रिय हैं।
- तिमल नेशनल पीपुल्स फ्रंट और नागरिक समाज के नेताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की और एकात्मक संविधान के अंतर्गत 13वें संशोधन की सीमाओं को लेकर संघीय समाधान का आग्रह किया।

श्रीलंका के साथ भारत का संबंध:

⊃ परिचयः

- भारत और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित दो दक्षिण एशियाई देश हैं। भौगोलिक दृष्टि से श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो पाक जलडमरूमध्य द्वारा अलग किया गया है।
- इस निकटता ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- हिंद महासागर व्यापार और सैन्य अभियानों के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण जलमार्ग है तथा प्रमुख शिपिंग लेन के क्रॉस रोड पर श्रीलंका का स्थान इसे भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु बनाता है।

🔾 संबंध:

- ऐतिहासिक संबंध: भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंधों का एक वृहद् इतिहास रहा है।
 - दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं, श्रीलंका के कई निवासी अपनी विरासत भारत से जोड़ते हैं। बौद्ध धर्म, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, श्रीलंका में भी एक महत्त्वपूर्ण धर्म है।
- आर्थिक संबंध: अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका अपने 60% से अधिक के निर्यात हेतु भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उटाता है। भारत श्रीलंका में एक प्रमुख निवेशक भी है।

- चर्ष 2005 से 2019 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

 (FDI) लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- रक्षा: भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य (मित्र शक्ति) तथा नौसेना अभ्यास (SLINEX) आयोजित करते हैं।
- समूहों में भागीदारी: श्रीलंका बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) तथा SAARC जैसे समूहों का भी सदस्य है जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाता है।

भारत-श्रीलंका के बीच मुद्देः

- मछुआरों की हत्या: श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या दोनों देशों के बीच एक पुराना मुद्दा है।
 - प्र वर्ष 2019 और 2020 में कुल 284 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 53 भारतीय नौकाओं को श्रीलंकाई अधिकारियों ने जब्त कर लिया।
- चीन का प्रभाव: श्रीलंका में चीन की तेज़ी से बढ़ती आर्थिक उपस्थिति (परिणामस्वरूप राजनीतिक दबदबा) भारत-श्रीलंका संबंधों में तनाव पैदा कर रही है।
 - चीन पहले से ही श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है, वर्ष 2010-2019 के दौरान चीन का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 23.6% हिस्सा था, जबिक भारत का हिस्सा 10.4% था।

श्रीलंका का ऋण संकट और पेरिस

क्लब

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंका, भारत और पेरिस क्लब समूह के साथ प्रारंभिक ऋण पुनर्गठन समझौते पर पहुँचा है, जिससे रुके हुए IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) ऋण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

- इससे श्रीलंका को, जिसने वर्ष 2022 में अपने ऋणों पर चूक की थी, मार्च 2023 में सहमत 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आईएमएफ ऋण पैकेज की अगली किश्त सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।
- जब कोई देश अपने ऋण पर चूक करता है, तो इसका मतलब है कि सरकार अपने ऋणदाताओं के प्रति अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है। यह विफलता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है और इसके महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं।

श्रीलंका का ऋण परिदृश्य:

- श्रीलंका पर लगभग 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण है, जिसका सबसे बड़ा भाग चीनी ऋणदाताओं का है, जिसमें जापान, भारत और वाणिज्यिक बॉण्डधारक भी बड़े ऋणदाता हैं।
- श्रीलंका को अभी भी वाणिज्यिक बॉण्डधारकों के साथ एक समझौते पर पहुँचना शेष है, जिससे देश की आर्थिक सुधार की प्रगति धीमी हो सकती है।
- मई 2022 में श्रीलंका दो दशकों में अपने ऋणों पर डिफॉल्ट करने वाला एशिया-प्रशांत का पहला देश बन गया, जो घरेलू आर्थिक कुप्रबंधन और कोरोनोवायरस महामारी तथा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि का परिणाम है।
- विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट के कारण आयातित भोजन, ईंधन और दवा की कमी हो गई, द्वीप पर जीवन स्तर कम होने लगा है, जिससे वर्ष 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए।

पेरिस क्लबः

⊃ परिचयः


- पेरिस क्लब ज्यादातर पश्चिमी कर्जदाता देशों का एक समूह है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1956 में आयोजित बैठक से हुई है जिसमें अर्जेंटीना पेरिस में अपने सार्वजनिक कर्जदाताओं से मिलने हेतु सहमत हुआ था।
 - यह स्वयं को एक मंच के रूप में वर्णित करता है जहाँ लेनदार देशों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान कठिनाइयों को हल करने हेतु आधिकारिक कर्जदाता बैठक करते हैं।
- इसका उद्देश्य उन देशों हेतु स्थायी ऋण-राहत समाधान खोजना है जो देश अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।

⊃ सदस्यः

- सदस्यों में शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, आयरलैंड, इजरायल, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य।
- ये सभी 22 सदस्य आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) नामक समूह के सदस्य हैं।

ऋण समझौतों में शामिल:

- इसकी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पेरिस क्लब ने 102 अलग-अलग देनदार देशों के साथ 478 समझौते किये हैं।
- वर्ष 1956 के बाद से पेरिस क्लब समझौता ढाँचे के तहत 614
 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया गया है।



⇒ हालिया गतिविधिः

- पिछली सदी में पेरिस समूह के देशों का द्विपक्षीय ऋण पर प्रभुत्त्व था, लेकिन पिछले दो दशकों में चीन के दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरने के साथ उनका महत्त्व कम हो गया है।
- उदाहरण के लिये श्रीलंका के मामले में भारत, चीन और जापान सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार हैं।
 - श्रीलंका के द्विपक्षीय ऋणों में चीन का 52%, जापान का 19.5% तथा भारत का 12% हिस्सा है।

भारत श्रीलंका को ऋण प्रबंधन और आर्थिक विकास में कैसे सहायता प्रदान कर रहा है?

ऋण पुनर्गठन में भूमिकाः

- भारत ने श्रीलंका को उसके ऋण के पुनर्गठन में सहायता करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं ऋणदाताओं के साथ सहयोग करने में भूमिका निभाई है।
- भारत श्रीलंका के वित्तपोषण और ऋण पुनर्गठन के लिये अपना समर्थन पत्र सौंपने वाला पहला देश बन गया।

कनेक्टिविटी एवं नवीकरणीय ऊर्जाः

दोनों देश एक संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं जो लोगों से लोगों के बीच कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा सिहत व्यापक कनेक्टिविटी पर जोर देता है। भारतीय कंपिनयाँ श्रीलंका के उत्तर-पूर्व में नवीकरणीय ऊर्जा पिरयोजनाएँ विकसित कर रही हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का संकेत है।

⇒ आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ETCA):

दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिये ETCA की संभावना तलाश रहे हैं।

🔾 बहु-परियोजना पेट्रोलियम पाइपलाइन पर समझौता:

- भारत और श्रीलंका दोनों भारत के दक्षिणी भाग से श्रीलंका तक एक बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।
- इस पाइपलाइन का उद्देश्य श्रीलंका को ऊर्जा संसाधनों की सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास तथा प्रगति में ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए पेट्रोलियम पाइपलाइन की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भारत का UPI अपनानाः

- श्रीलंका ने अब भारत की UPI सेवा को अपनाया है, जो दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- व्यापार निपटान के लिये रुपए के उपयोग से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को और मदद मिल रही है। यह श्रीलंका की आर्थिक सुधार तथा वृद्धि में मदद के लिये ठोस कदम है।

LAC पर चीन के 'ज़ियाओकांग' सीमा रक्षा गाँव

चर्चा में क्यों?

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पर हाल के घटनाक्रम में, चीनी नागरिकों ने पहले से खाली पड़े "जियाओकांग" सीमा रक्षा गाँवों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है।

वर्ष 2019 में चीन द्वारा निर्मित इन गाँवों ने भारतीय सेना के लिये चिंताएँ बढ़ा दी हैं, विशेषकर चीन-निर्मित बस्तियों पर कब्ज़ा करने वालों की प्रकृति और रणनीतिक निहितार्थों को लेकर।

"ज़ियाओकांग" सीमा रक्षा गाँव क्या हैं?

मॉडल गाँवः

- ज़ियाओकांग या "समृद्ध गाँव" सीमा रक्षा गाँव चीन की सीमाओं, विशेषकर भारत के साथ LAC पर रणनीतिक बुनियादी ढाँचे के विकास की पहल का एक हिस्सा हैं।
 - कब्ज़े के उल्लेखनीय क्षेत्रों में लोहित घाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के गाँव शामिल हैं।
- इनका निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ क्षेत्रीय दावों का विरोध किया जाता है या संप्रभुता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है।

दोहरे उपयोग वाला बुनियादी ढाँचाः

- "इन गाँवों को नागरिक उपनिवेश/व्यवस्था और सैन्य उपस्थिति सिंहत कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिये डिजाइन किया गया है, इसलिये इन्हें "दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढाँचे" के रूप में जाना जाता है।
- इनका निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ क्षेत्रीय दावों का विरोध किया जाता है या जहाँ संप्रभुता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है।

🔾 भारत के लिये संबद्ध चिंताएँ:

- क्षेत्रीय दावे: तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ भारत की सीमाओं पर चीन द्वारा 628 ऐसे गाँवों का निर्माण LAC के साथ क्षेत्रीय दावों पर बल देने के लिये एक ठोस प्रयास का प्रतीक है। यह भारतीय सैन्य रणनीतिकारों के लिये चिंताएँ बढ़ाता है, जो सीमा पर सतर्कता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- सैन्य निहितार्थ: गाँवों की दोहरे उपयोग की क्षमता पहले से ही तनावपूर्ण LAC पर बढ़ते सैन्यीकरण के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।

अनिश्चित प्रयोजन: इन गाँवों में नागरिक आबादी के विशिष्ट उद्देश्य और पैमाने के संबंध में पारदर्शिता की कमी संदेह तथा विश्वास-निर्माण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करती है।

LAC से संबंधित भारत की क्या पहल हैं?

चीन द्वारा किये गए बुनियादी ढाँचा विकास के प्रत्युत्तर में भारत ने वर्ष 2019 से अपने सीमा बुनियादी ढाँचे की क्षमता में वृद्धि करने के प्रयास तीव्र कर दिये हैं।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्रामः

- वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लक्ष्य 663 सीमावर्ती गाँवों का आधुनिकीकरण करना है जिनमें से 17 को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में चीन-भारत सीमा पर विकास के लिये चुना गया है।
- लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में चीन-भारत सीमा पर विकास करने के लिये चयनित 17 गाँवों के साथ, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लक्ष्य 663 सीमावर्ती गाँवों का आधुनिकीकरण करना है।

⊃ सीमा सड़क संगठन (BRO):

- BRO ने भारत-चीन सीमा पर 2,941 करोड़ रुपए पिरव्यय की
 90 बुनियादी ढाँचा पिरयोजनाएँ पूरी की हैं।
 - इनमें से 36 परियोजनाएँ अरुणाचल प्रदेश से, 26 लद्दाख से और 11 जम्मू-कश्मीर से संबंधित हैं।
- BRO ट्रांस-अरुणाचल हाईवे, फ्रंटियर हाईवे और ईस्ट-वेस्ट इंडिस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे सिहत प्रमुख राजमार्गों के विकास में शामिल है जो विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से तथा तवांग क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिये निर्माणाधीन हैं।

्र सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP):

- BADP एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- इस कार्यक्रम का उपयोग बुनियादी ढाँचे, आजीविका, शिक्षा,
 स्वास्थ्य, कृषि, संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं के लिये
 किया जा सकता है।


🗅 भारतीय रेल:

भारतीय रेल भारतीय सेना की त्वरित लामबंदी की सुविधा के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक रेल लाइनों का निर्माण कर रहा है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) क्या है ?

परिचय:

- ♦ LAC का आशय भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करने वाली सीमा से है।
 - प भारत का दावा है कि LAC की लंबाई 3,488 किमी. है, जबिक चीन का तर्क है कि यह लगभग 2,000 किमी. है।
- 💠 इस सीमांकन को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:
 - 🗷 पूर्वी क्षेत्र जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं।
 - 🗷 मध्य क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक फैला हआ है।
 - 🗷 पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख में स्थित है।



LAC को लेकर असहमति:

- ♦ LAC के संबंध में प्राथमिक विवाद विभिन्न क्षेत्रों में इसके संरेखण से उत्पन्न होता है। पूर्वी क्षेत्र में LAC वर्ष 1914 मैकमोहन रेखा का अनुसरण करती है, जिसमें जमीनी स्थित को लेकर मामूली विवाद हैं।
- ♦ पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख असहमितयाँ मौजूद हैं, जो वर्ष 1959 में चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे गए पत्रों से शुरू हुई हैं।
 - किया गया था. न कि चीनी भाषा में।
 - 🛘 वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नवंबर 1959 में चीनियों ने LAC से 20 किमी. पीछे हटने का दावा किया।
 - 🗷 वर्ष 2017 में डोकलाम संकट के दौरान, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत से "1959 LAC" का पालन करने का आग्रह किया था।


♦ बाद के स्पष्टीकरणों के बावजूद, अस्पष्टता बनी रही, जिससे दोनों देशों द्वारा विपरीत व्याख्याएँ की गईं।

चीन के LAC पदनाम पर भारत की प्रतिक्रिया:

- ♦ भारत ने शुरू में वर्ष 1959 और 1962 में LAC की अवधारणा को खारिज कर दिया था, इसकी अस्पष्ट परिभाषा तथा सैन्य बल के माध्यम से जमीनी वास्तविकताओं को बदलने के लिये चीन द्वारा संभावित शोषण पर चिंताओं का हवाला देते हुए।
 - दशक के मध्य में सीमा पर बढ़ती मुठभेड़ों के कारण शुरू हुआ, जिससे सीमाओं पर गश्त की समीक्षा शुरू हुई।
- ♦ भारत ने वर्ष 1993 में औपचारिक रूप से LAC की अवधारणा को स्वीकार कर लिया और दोनों पक्षों ने LAC पर शांति बनाए रखने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- मारत तथा चीन ने केवल LAC के मध्य क्षेत्र के लिये मानचित्रों का आदान-प्रदान किया है। पश्चिमी क्षेत्र के लिये मानचित्र "साझा" किये गए लेकिन औपचारिक रूप से कभी आदान-प्रदान नहीं और साथ ही LAC को स्पष्ट करने की प्रक्रिया वर्ष 2002 से प्रभावी रूप से स्थिगत रही है।
- संघर्ष के सबसे गंभीर हालिया प्रकरण वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी एवं वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में थे।
 - LAC के दोनों ओर के पर्यवेक्षक इस बात से सहमत हैं कि वर्ष 2013 के बाद से गंभीर सैन्य टकरावों में वृद्धि हुई है।

- LAC बनाम पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा(LoC):
 - नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना वर्ष 1972 में कश्मीर युद्ध के बाद की गई थी, जो वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वार्ता की गई युद्धविराम रेखा पर आधारित थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी वैधता है और इसे दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्रित किया गया है।
 - दूसरी ओर, LAC पर दोनों देश सहमत नहीं हैं और इसे मानचित्रित नहीं किया गया है अथवा जमीन पर सीमांकित नहीं किया गया है।



दक्षिण-चीन सागर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फिलीपींस के तट रक्षकों ने स्कारबोरो शोल(Shoal) के लैगून के प्रवेश द्वार पर चीनी जहाजों द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटा दिया।

 यह घटना तब हुई जब चीनी तटरक्षक जहाजों ने फिलीपींस की नौकाओं को प्रवेश करने से रोकने के लिये 300 मीटर लंबा अवरोध लगाया, जिससे दक्षिण-चीन सागर में लंबे समय से चल रहा तनाव बढ़ गया।

दक्षिण-चीन सागर का महत्त्व:

सामिरक स्थिति: दक्षिण-चीन सागर की सीमा उत्तर में चीन एवं ताइवान से पश्चिम में भारत-चीनी प्रायद्वीप (वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया एवं सिंगापुर सिंहत), दिक्षण में इंडोनेशिया और ब्रुनेई तथा पूर्व में फिलीपींस से लगती है (पश्चिम फिलीपीन सागर के रूप में जाना जाता है)।



- यह ताइवान जलडमरूमध्य द्वारा पूर्वी-चीन सागर से और लूजॉन जलडमरूमध्य द्वारा फिलीपीन सागर (प्रशांत महासागर के दोनों सीमांत समुद्र) से जुड़ा हुआ है।
- व्यापारिक महत्त्वः वर्ष 2016 में लगभग 3.37 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का व्यापार दक्षिण चीन सागर के माध्यम से किया गया, जिससे यह एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक व्यापारिक मार्ग बन गया।
 - सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के अनुसार, मात्रा के हिसाब से वैश्विक व्यापार का 80% और मूल्य के हिसाब से 70% हिस्सा समुद्री मार्ग से परिवहन किया जाता है, जिसमें 60% एशिया से होकर गुजरता है तथा वैश्विक नौ-परिवहन का एक तिहाई हिस्सा दक्षिण-चीन सागर से होकर गुजरता है।
 - विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, दक्षिण-चीन सागर पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसका अनुमानित 64% व्यापार इस क्षेत्र से होता है। इसके विपरीत अमेरिकी व्यापार का केवल 14% इन जलमार्गों से परिवहन होता है।
 - भारत अपने लगभग 55% व्यापार के लिये इस क्षेत्र पर निर्भर है।
- मत्स्यन क्षेत्रः दक्षिण-चीन सागर एक समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र भी है, जो इस क्षेत्र के लाखों लोगों को आजीविका और खाद्य सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है।

दक्षिण-चीन सागर में प्रमुख विवाद:

⊃ विवाद:

- दक्षिण-चीन सागर विवाद का केंद्र भूमि सुविधाओं (द्वीपों और चट्टानों) और उनसे संबंधित क्षेत्रीय जल पर क्षेत्रीय दावों के इर्द-गिर्द घूमता है।
 - दक्षिण-चीन सागर में प्रमुख द्वीप और चट्टान संरचनाएँ स्प्रैटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह, प्रैटस, नटुना द्वीप तथा स्कारबोरो शोल हैं।
- इस क्षेत्र में लगभग 70 प्रवाल द्वीप और टापू विवाद के अधीन हैं, चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया एवं ताइवान सभी इन विवादित क्षेत्रों पर 90 से अधिक चौकियाँ बना रहे हैं।
- चीन अपने "नाइन-डैश लाइन" मानचित्र के साथ समुद्र के 90% हिस्से पर दावा करता है और नियंत्रण स्थापित करने के लिये इसने द्वीपों का भौतिक रूप से विस्तार किया है तथा वहाँ सैन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण किया है।
 - चीन पारासेल और स्प्रैटली द्वीप समूह में विशेष रूप से सिक्रय है, वह वर्ष 2013 से व्यापक ड्रेजिंग एवं कृत्रिम द्वीप-निर्माण में संलग्न होकर 3,200 एकड़ नई भूमि का निर्माण कर रहा है।

चीन निरंतर तटरक्षक उपस्थिति के माध्यम से स्कारबोरो शोल को भी नियंत्रित करता है।

🔾 विवाद सुलझाने के प्रयास:

- कोड ऑफ कंडक्ट (CoC): चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के बीच चर्चा का उद्देश्य स्थिति को प्रबंधित करने के लिये एक COC स्थापित करना है, लेकिन आंतरिक आसियान विवादों एवं चीन के दावों की भयावहता के कारण इसकी प्रगति धीमी रही है।
- पार्टियों के आचरण पर घोषणा (DoC): वर्ष 2002 में आसियान और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिये अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए DOC को अपनाया।
 - DoC का उद्देश्य CoC के लिये मार्ग प्रशस्त करना था, जो अभी भी अस्पष्ट है।
- मध्यस्थता कार्यवाही: वर्ष 2013 में फिलीपींस ने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के तहत चीन के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की।
 - वर्ष 2016 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) ने चीन के "नाइन-डैश लाइन" दावे के खिलाफ निर्णय सुनाया और कहा कि यह UNCLOS के साथ संगत नहीं था।
 - चीन ने मध्यस्थता के निर्णय को खारिज कर दिया और PCA के अधिकार को चुनौती देते हुए अपनी संप्रभुता एवं ऐतिहासिक अधिकारों का दावा किया।

नोट:

UNCLOS के तहत प्रत्येक देश 12 समुद्री मील तक का एक क्षेत्रीय समुद्र और क्षेत्रीय समुद्री आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) स्थापित कर सकता है।

गैलियम और जर्मेनियम पर चीन का निर्यात नियंत्रण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने 1 अगस्त, 2023 से सेमीकंडक्टर निर्माण के लिये आवश्यक गैलियम और जर्मेनियम पर निर्यात नियंत्रण की घोषणा की है।

इस कार्रवाई को संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और नीदरलैंड द्वारा लागू निर्यात नियंत्रणों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त करते हैं और चीन पर सैन्य उपयोग और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। चीन इन आरोपों को यह कहते हुए अस्वीकार करता है कि उसके निर्यात नियंत्रण का उद्देश्य किसी भी देश को बाहर किये बिना वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति शृंखला स्थिरता की रक्षा करना है।

गैलियम और जर्मेनियम:

⊃ गैलियम:

- यह एक नरम, चाँदी जैसी सफेद धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहती है।
- यह एक स्वतंत्र तत्त्व के रूप में नहीं पाया जाता है और केवल कुछ खनिजों, जैसे- जस्ता अयस्कों और बॉक्साइट में कम मात्रा में मौजूद होता है।
- गैलियम का उपयोग गैलियम आर्सेनाइड बनाने के लिये किया
 जाता है, जो अर्द्धचालकों के लिये एक मुख्य सब्सट्टेट है।
- इसका उपयोग सेमीकंडक्टर वेफर्स, एकीकृत सिर्कट, मोबाइल और उपग्रह संचार (चिपसेट में) तथा LED (डिस्प्ले में) के उत्पादन में किया जाता है।
- गैलियम का अनुप्रयोग ऑटोमोबाइल तथा लाइटिंग उद्योग के साथ-साथ विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा प्रणालियों के सेंसर में भी पाया जाता है।

जर्मेनियमः

- यह एक चमकदार, कठोर, चाँदी जैसी सफेद अर्द्ध-धातु है
 जिसकी क्रिस्टल संरचना हीरे के समान होती है।
- जर्मेनियम का उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑप्टिकल अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- इसका उपयोग सामान्य रूप से फाइबर-ऑप्टिक केबल तथा इन्फ्रारेड इमेजिंग उपकरणों में किया जाता है।
- जर्मेनियम कठिन परिस्थितियों में हथियार प्रणालियों को संचालित करने की क्षमता बढाता है।
- इसकी ऊष्मा प्रतिरोध के साथ उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता के कारण इसका उपयोग सौर सेलों में भी किया जाता है।

नोट:

- खान मंत्रालय द्वारा इसे भारत की हाल ही में जारी महत्त्वपूर्ण खिनज सूची में सूचीबद्ध किया है, साथ ही गैलियम और जमेंनियम, दोनों को यूरोपीय संघ के कच्चे माल की सूची में भी शामिल किया गया है, जिन्हें यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिये भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
 - इसके अतिरिक्त इन तत्त्वों को संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा रणनीतिक संसाधन माना जाता है।

कच्चे माल की वैश्विक आपूर्ति में चीन का प्रभुत्वः

- चीन, गैलियम एवं जर्मेनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
- वर्ष 2020 में चीन ने वैश्विक गैलियम उत्पादन का 80% तथा
 वैश्विक जर्मेनियम उत्पादन का 60% उत्पादन किया था।
- चीन में गैलियम एवं जर्मेनियम के प्रचुर भंडार, बाजार में इसकी
 प्रमुख स्थिति में योगदान करते हैं।
- चीन अपनी घरेलू आपूर्ति को पूरा करने के लिये कजाखस्तान, रूस और कनाडा जैसे देशों से गैलियम एवं जर्मेनियम का आयात करता है।
- गैलियम एवं जर्मेनियम को उच्च शुद्धता वाले उत्पादों में प्रसंस्कृत और परिष्कृत करने के लिये चीन के पास एक मजबूत औद्योगिक आधार है।
- कम श्रम लागत, अनुकूल नीतियाँ और बड़े घरेलू बाजार की उपलब्धता से चीन को काफी लाभ होता है, जिससे इसे वैश्विक आपूर्ति शृंखला में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ भी मिलता है। चीन की निर्यात रणनीतियों का बाजार पर प्रभाव:

⊃ भारतः

- गैलियम और जर्मेनियम पर चीनी निर्यात नियंत्रण का भारत एवं इसके उद्योगों पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- भारत वर्तमान में सभी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का आयात करता है और अनुमान है कि यह बाजार वर्ष 2025 तक 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। आपूर्ति शृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधान के परिणामस्वरूप कीमतों में इजाफा और भारत में इन कच्चे माल की उपलब्धता सीमित होने की संभावना है।
- गैलियम और जर्मेनियम के आयात पर निर्भरता के कारण भारत की चिप बनाने की योजना पर प्रभाव पड़ सकता है।
- भारत के सेमीकंडक्टर/अर्द्धचालक उद्योग के दीर्घकालिक परिणाम वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों और घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर निर्भर हैं।
- भारत-अमेरिका क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) जैसी रणनीतिक साझेदारी एक विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला के निर्माण को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
- डेलॉइट इंडिया ने गैलियम और जर्मेनियम के संभावित स्रोत के रूप में जस्ता तथा एल्यूमिना उत्पादन से निकले अपिशष्ट की पुनर्प्राप्ति का सुझाव दिया है।

भारत के पास घरेलू क्षमताओं को विकसित करने और इंडियम तथा सिलिकॉन जैसे विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी आपूर्ति शृंखला में विविधता लाने का अवसर है।

🔾 वैश्विक:

- विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप सीमित आपूर्ति के कारण वैश्विक बाजार में गैलियम और जर्मेनियम की कीमतें बढ सकती हैं।
- अनेक देश और कंपिनयाँ चीनी आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर हैं, इस निर्भरता को कम करने के लिये इन्हें गैलियम और जर्मेनियम के अन्य स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता है।
- चीन द्वारा निर्यात नियंत्रण अन्य देशों या क्षेत्रों के लिये गैलियम और जर्मेनियम के उत्पादन तथा आपूर्ति को बढ़ाने के अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे संभावित रूप से अधिक विविध बाजार तैयार हो सकता है।

वैश्विक एकता के लिये भारत-चीन साझेदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने 21वीं सदी में मानवता के सामने आने वाली आम चुनौतियों एवं अवसरों को संबोधित करने के लिये एक व्हाइट पेपर/श्वेत पत्र "अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर: चाइनाज प्रपोजल्स एंड एक्शन्स" जारी किया।

- रूस-यूक्रेन संकट तथा पश्चिम एशिया के मुद्दों सिहत वैश्विक समस्याओं के बीच विश्व का ध्यान चीन व भारत की ऐतिहासिक रूप से जुड़ी सभ्यताओं पर केंद्रित हो गया है। भविष्य के लिये उनके साझा दृष्टिकोण वैश्विक एकता की आशा प्रदान कर सकते हैं। साझा भविष्य के वैश्विक समुदाय हेतु मुख्य दृष्टिकोण बिंदु क्या हैं?
- आर्थिक वैश्वीकरण और समावेशिताः आर्थिक वैश्वीकरण का सही मार्ग निर्धारित करने तथा संयुक्त रूप से एक खुली विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की आवश्यकता है जो एकपक्षीयता, संरक्षणवाद और जीरो-सम गेम्स(जिसमें एक व्यक्ति का लाभ दूसरे के नुकसान के बराबर होता है, इसलिये धन या लाभ में शुद्ध परिवर्तन शून्य होता है) के आयोजन को खारिज करते हुए विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।
- शांति, सहयोग एवं विकासः शांति, विकास, सहयोग तथा विन-विन रिजल्ट्स को अपनाएँ, उपनिवेशवाद एवं आधिपत्य से दूर रहें, वैश्विक शांति और योगदान के लिये संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा दें।

- साझा नियित का वैश्विक समुदाय: उभरती एवं स्थापित शक्तियों के बीच संघर्ष से बचने के लिये साझा नियित के एक वैश्विक समुदाय का निर्माण करें, जिसमें गहन वैश्विक साझेदारी के लिये आपसी सम्मान, समानता और लाभकारी सहयोग पर जोर दिया जाए।
- वास्तिवक बहुपक्षवाद और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली: गुट की राजनीति तथा एकपक्षीय सोच को खारिज करते हुए, एक निष्पक्ष, संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का समर्थन करें। वैश्विक मानदंडों एवं व्यवस्था के आधार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखें और सच्चे बहुपक्षवाद को बढ़ावा दें।
- सामान्य मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना: लोकतंत्र का एकल मॉडल लागू किये बिना समानता, न्याय, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा दें।
 - विविधता के बीच एकता को अपनाएँ, प्रत्येक राष्ट्र द्वारा उसकी सामाजिक प्रणालियों और विकास के पथों को चुनने के अधिकार का सम्मान करें।

चीन-तिब्बत मुद्दा


चर्चा में क्यों?

हाल ही में धर्मशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दलाई लामा ने तिब्बती लोगों द्वारा चीन के भीतर अधिक स्वायत्तता की मांग के संबंध में अपना रुख स्पष्ट किया, साथ ही उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा रहते हुए तिब्बती लोगों के स्वशासन की इच्छा पर बल दिया।

चीन-तिब्बत मुद्दाः

तिब्बत की स्वतंत्रताः

- यह एशिया में तिब्बती पठार पर लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किमी. में विस्तृत क्षेत्र है जो चीन के क्षेत्रफल का लगभग एक-चौथाई है।
- यह तिब्बती लोगों के साथ-साथ कुछ अन्य जातीय समूहों की पारंपरिक मातृभूमि है।
- तिब्बत पृथ्वी पर सबसे ऊँचा क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊँचाई 4,900 मीटर है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट (पृथ्वी का सबसे ऊँचा पर्वत) समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- 13वें दलाई लामा, थुबटेन ग्यात्सो ने वर्ष 1913 की शुरुआत में तिब्बती स्वतंत्रता की घोषणा की।
 - चीन ने तिब्बत की स्वतंत्रता को मान्यता न देते हुए इस क्षेत्र पर संप्रभुता के दावे को कायम रखा।



⊃ चीनी आक्रमण और सत्रह सूत्रीय समझौता:

- वर्ष 1912 से लेकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना (वर्ष 1949) तक किसी भी चीनी सरकार ने वर्तमान में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (Tibet Autonomous Region- TAR) पर नियंत्रण नहीं रखा।
- इस क्षेत्र पर दलाई लामा की सरकार ने वर्ष 1951 तक शासन किया था। माओत्से तुंग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के तिब्बत में प्रवेश करने और उस पर आक्रमण करने के पहले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र था।
- वर्ष 1951 में तिब्बती नेताओं को चीन द्वारा निर्धारित एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये विवश किया गया था। यह संधि 'सत्रह सूत्री समझौते' के नाम से जानी जाती है जो तिब्बती स्वायत्तता की गारंटी/सुनिश्चितता सहित बौद्ध धर्म का सम्मान करने का दावा करती है, किंतु साथ ही ल्हासा (तिब्बत की राजधानी) में चीनी सिविल तथा मिलिट्री (सैन्य) मुख्यालय की स्थापना की भी अनुमति देती है।

- हालाँकि दलाई लामा सिहत तिब्बती लोग इसे अमान्य करार देते हैं।
- प्रिक्वती तथा अन्य लोगों द्वारा इस संधि को 'सांस्कृतिक नरसंहार' (Cultural Genocide) के रूप में वर्णित किया जाता है।

1959 का तिब्बती विद्रोहः

- तिब्बत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण वर्ष 1959 में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आया जब दलाई लामा को अपने अनुयायियों के एक समूह के साथ शरण की तलाश में भारत भागना पड़ा।
- दलाई लामा का अनुसरण करने वाले तिब्बितयों ने भारत के धर्मशाला स्थित क्षेत्र में एक निर्वासित सरकार बनाई, जिसे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) के नाम से जाना जाता है।

🔾 🗆 1959 में हुए तिब्बती विद्रोह के परिणाम:

1959 के विद्रोह के बाद से चीन की केंद्र सरकार लगातार तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है।

- वर्तमान में तिब्बत में भाषण, धर्म अथवा प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है एवं चीन द्वारा तिब्बती लोगों की विधि विरुद्ध गिरफ्तारी जारी है।
- जबरन गर्भपात, तिब्बती महिलाओं का बंध्यकरण तथा निम्न आय वाले चीनी नागरिकों के तिब्बत में स्थानांतरण से तिब्बती संस्कृति के अस्तित्व को खतरा पहुँचा है।
- हालाँकि चीन ने संबद्ध क्षेत्र, विशेषकर ल्हासा में आधारभूत अवसंरचना में सुधार हेतु निवेश किया है, जिससे हजारों हान समुदाय के चीनी लोगों को तिब्बत में बसने को प्रोत्साहित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप तिब्बत में जनसांख्यिकीय बदलाव आया है।

दलाई लामाः

⊃ परिचयः

- दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित हैं,
 जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है।
- तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हुए हैं और पहले तथा दूसरे दलाई लामा को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई थी।
 - 😕 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो हैं।
- माना जाता है कि दलाई लामा करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत, अवलोकितेश्वर या चेनरेजिंग की अभिव्यक्ति हैं।
 - बोधिसत्व ऐसे साकार प्राणी हैं जिन्होंने मानवता की सहायता के लिये पृथ्वी पर लौटने का प्रण किया है और सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिये बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हैं।

🔾 दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया:

- दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया में पारंपिरक रूप से पूर्व दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान करना शामिल है, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक मार्ग दर्शक माना जाता है।
- दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज सामान्यत: पूर्व दलाई लामा
 के निधन के बाद शुरू होती है।
 - बौद्ध विद्वानों के अनुसार, वर्तमान दलाई लामा की मृत्यु के बाद अगले दलाई लामा की खोज करना गेलुग्पा परंपरा के उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार की जिम्मेदारी है।
- यदि एक से अधिक उम्मीदवारों की पहचान की जाती है, तो उचित उत्तराधिकारी का चुनाव अधिकारियों और भिक्षुओं द्वारा एक सार्वजनिक समारोह में चिट्ठी डालकर किया जाता है।

- चयनित उम्मीदवार, जो आमतौर पर बहुत कम उम्र का होता है, को दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना जाता है और उसे कठोर आध्यात्मिक एवं शैक्षिक प्रशिक्षण से गुज़रना पड़ता है।
- दलाई लामा की भूमिका में तिब्बती बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक और राजनीतिक नेतृत्व दोनों शामिल हैं तथा इनकी चयन प्रक्रिया तिब्बती सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- इस प्रक्रिया में कई वर्ष लग सकते हैं: 14वें (वर्तमान) दलाई लामा को खोजने में चार वर्ष लग गए थे।
 - यह खोज आमतौर पर तिब्बत तक ही सीमित है, हालाँकि वर्तमान दलाई लामा ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा और यदि उनका पुनर्जन्म होगा, तो वह चीनी शासन के तहत किसी देश में नहीं होगा।

चीन का स्टेपल्ड वीज़ा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने चीन के चेंगदू में ग्रीष्मकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स से अपने आठ-एथलीट ('वुशु' मार्शल आर्ट एथलीट्स का दल) को वापस बुला लिया है। चीन द्वारा भारतीय टीम के तीन एथलीट्स (अरुणाचल प्रदेश के निवासी) को स्टेपल्ड वीजा जारी करने की प्रतिक्रिया में भारत ने यह कदम उठाया है।

स्टेपल्ड वीजा जारी करने की प्रथा वर्ष 2005 के आसपास शुरू हुई और तब से चीन ने लगातार अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर के निवासियों को ऐसे वीजा जारी किये हैं।

स्टेपल्ड वीज़ाः

- स्टेपल्ड वीजा में पासपोर्ट पर मुहर नहीं लगाई जाती है, इसकी जगह एक अन्य कागज पर मुहर लगाकर पासपोर्ट के साथ स्टेपल (नत्थी) किया जाता है।
- नियमित वीजा मुहर के साथ पासपोर्ट में लगा होता है, लेकिन स्टेपल्ड वीजा को पासपोर्ट के साथ पिन द्वारा नत्थी किया जाता है जिस कारण इस वीजा को अलग भी किया जा सकता है।
- स्टेपल्ड वीजा जारी करना अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के साथ चीन के चल रहे क्षेत्रीय विवादों का हिस्सा है।
- चीन स्टेपल्ड वीजा को वैध मानता है, जबिक भारत उसे वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है।

नोट:

 सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना पासपोर्ट और वीजा द्वारा ही संभव है, जो देश और राज्य की संप्रभुता तथा उसके शासन को दर्शाता है।

- पासपोर्ट पहचान और नागरिकता का संकेत देता है, जबिक वीजा विशिष्ट गंतव्यों में प्रवेश की अनुमित देता है।
- पासपोर्ट मूल देश या वर्तमान निवास वाला देश द्वारा जारी करता है, जबिक वीजा किसी बाह्य देश का प्रतिनिधित्व करने वाले दूतावास/वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किया जाता है।

चीन द्वारा जारी स्टेपल्ड वीजाः

संप्रभुता पर विवादः

- चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को विवादित मानता है और तिब्बत एवं ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा की वैधता को चुनौती देता है, जिस पर वर्ष 1914 के शिमला समझौते से सहमति बनी थी।
- विवादित क्षेत्र पर चीन द्वारा िकया जाने वाले दावा वास्तिवक नियंत्रण रेखा (LAC) पर असहमित को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ जैसी समस्या देखने को मिलती है।

🗅 भारतीय क्षेत्र पर एकतरफा दावा:

- चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किमी. के क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है और चीनी मानचित्रों में इसे "जंगनान" या "दक्षिणी तिब्बत" के रूप में संदर्भित करता है।
- यह अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों के लिये चीनी नामों की सूची जारी करता है और समय-समय पर भारतीय क्षेत्र पर अपने एकतरफा दावे को रेखांकित करता है।

भारत की संप्रभुता को कमज़ोर करना:

- अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से भारतीय नागरिकों को स्टेपल्ड वीजा जारी करना इन क्षेत्रों पर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने के चीन के प्रयासों का ही हिस्सा है।
- चीन की हरकतों को भारत अपने क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण और अधिकार को चुनौती देने के प्रयासों के रूप में देखता है।

स्टेपल्ड वीज़ा का प्रभाव और संबंधित चिंताएँ:

- स्टेपल्ड वीजा यात्रियों के लिये भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि उसकी वैधता तथा स्वीकृति अलग-अलग होती है।
- भारत लगातार स्टेपल्ड वीजा की वैधता को अस्वीकार करता है और उन्हें जारी करने का विरोध करता है।
- चीन की इस प्रकार की कार्रवाइयाँ दोनों देशों के बीच राजनियक तनाव बढाती हैं और द्विपक्षीय संबंधों को जिटल बनाती हैं।

चीन ने क्षेत्रीय दावा करते हुए जारी किया मानचित्र

चर्चा में क्यों?

चीन की सरकार ने हाल ही में विवादित क्षेत्रों पर अपने क्षेत्रीय दावों की पुष्टि करते हुए "स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना' का 2023 संस्करण जारी किया।

 यह मानचित्र चीन के "राष्ट्रीय मानचित्रण जागरूकता प्रचार सप्ताह"
 के अनुरूप है, जो सटीक और सुसंगत मानचित्रण के महत्त्व पर जोर देता है।

नए मानचित्र में क्या हैं चीनी दावे?

⊃ क्षेत्रीय दावेः

- मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को चीन के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।
 - प्रे दावे लंबे समय से चीन और भारत के बीच विवाद का मुद्दा रहे हैं।
- मानचित्र में "नाइन-डैश लाइन" भी शामिल है, जो एक विवादास्पद सीमांकन है, यह पूरे दक्षिण चीन सागर को कवर करती है और इस रणनीतिक समुद्री क्षेत्र पर बीजिंग के दावों को रेखांकित करती है।
- मानचित्र में दसवीं-डैश लाइन को भी दर्शाया गया है जो ताइवान द्वीप पर बीजिंग के दावों को रेखांकित करती है।

स्थानों का नाम बदलनाः

चीन का नया मानचित्र जारी करना उसकी पिछली कार्रवाइयों के अनुरूप है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नामों को मानकीकृत करना, जिसमें राज्य की राजधानी के करीब के क्षेत्र भी शामिल हैं।

🗅 डिजिटल मैपिंग:

भौतिक मानचित्र के अलावा चीन स्थान-आधारित सेवाओं, सटीक कृषि, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल सहित विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु डिजिटल मानचित्र जारी करने के लिये तैयार है।


भारत-चीन के बीच सीमा विवाद का मुद्दा

⊃ पृष्ठभूमि:

भारत-चीन सीमा विवाद 3,488 किलोमीटर की साझा सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे और जटिल क्षेत्रीय विवादों को संदर्भित करता है।

- विवाद के मुख्य क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अक्साई चिन और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश हैं।
 - अक्साई चिन: चीन, अक्साई चिन को अपने शिनजियांग क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है, जबिक भारत इसे अपने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा मानता है। यह क्षेत्र चीन-पाकिस्तान आर्थिक गिलयारे (CPEC) के निकट होने और सैन्य मार्ग के रूप में इसकी क्षमता के कारण रणनीतिक महत्त्व रखता है।
 - अरुणाचल प्रदेश: चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य पर दावा करता है और इसे "दक्षिण तिब्बत" कहता है। भारत इस

- क्षेत्र को पूर्वोत्तर राज्य के रूप में प्रशासित करता है तथा अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है।
- कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं: भारत और चीन के बीच सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है और कुछ हिस्सों पर कोई पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) नहीं है।
 - 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद LAC अस्तित्व में आई।
 - भारत-चीन सीमा को तीन सेक्टरों में बाँटा गया है।
 - पश्चिमी क्षेत्र: लद्दाख
 - 茸 मध्य क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
 - 💢 पूर्वी क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम



सैन्य गतिरोधः

- 1962 का भारत-चीन युद्धः सीमा विवाद के कारण कई सैन्य गितरोध और झड़पें हुईं, जिनमें 1962 का भारत-चीन युद्ध भी शामिल है। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न समझौतों और प्रोटोकॉल के साथ तनाव को प्रबंधित करने के प्रयास किये हैं।
- हालिया झड़पें: संघर्ष की सबसे गंभीर हालिया घटनाएँ वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी और वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई थीं।
 - पर्यवेक्षक इस बात से सहमत हैं िक सीमा के दोनों ओर वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पर वर्ष 2013 के बाद से गंभीर सैन्य टकराव की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

चीन तिब्बत में बना रहा नया बाँध

चर्चा में क्यों ?

भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई-जंक्शन (Tri-Junction) के करीब चीन द्वारा तिब्बत में माब्जा जांगबो नदी पर नए बाँध का निर्माण, साथ ही LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में सैन्य तैनाती तथा दोहरे उपयोग वाले अवसंरचना के निर्माण में वृद्धि चिंता का विषय बना हुआ है।

पृष्ठभृमि:

- चीन द्वारा यह कदम वर्ष 2021 में यारलुंग जांगबो के निचले क्षेत्र में 70 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिये एक बड़े बाँध के निर्माण की योजना की घोषणा के बाद उठाया गया है। यह देश के थ्री गोर्जेज़ बाँध (Three Gorges Dam) द्वारा उत्पादित विद्युत क्षमता से तीन गुना ज्यादा है, साथ ही स्थापित क्षमता के मामले में सबसे बड़ा जलविद्युत संयंत्र है।
 - 💠 ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन में यारलुंग त्संग्पो के नाम से जाना जाता है, मानसरोवर झील से निकलने वाली इस नदी की कुल लंबाई 2,880 किमी. है और इसका वितरण तिब्बत में 1,700 किमी., अरुणाचल प्रदेश और असम में 920 किमी. तथा बांग्लादेश में 260 किमी. है। यह मीठे जल के स्रोत का लगभग 30% और भारत की जलविद्युत क्षमता का 40% हिस्सा है।

बाँध की अवस्थिति:

यह नया बाँध ट्राई-जंक्शन(Tri-Junction) से लगभग 16 किमी, उत्तर में स्थित है और उत्तराखंड के कालापानी क्षेत्र के नजदीक है।

- यह बाँध गंगा की एक सहायक नदी मुब्जा जांगबो पर बना है।
- तिब्बत के बुरांग काउंटी में नदी के उत्तरी किनारे पर बाँध निर्माण की गतिविधि मई 2021 से देखी गई है।
- मब्ज़ा जांगबो नदी भारत में गंगा नदी में मिलने से पहले नेपाल के घाघरा या करनाली नदी में मिलती है।

सीमा निर्धारण के लिये चीन और भूटान की बैठक

चर्चा में क्यों?


हाल ही में चीन और भूटान ने सीमा निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बीजिंग में 13वीं विशेषज्ञ समूह बैठक (Expert Group Meeting-EGM) आयोजित की। इस बैठक में चीन-भूटान सीमा के निर्धारण पर एक संयुक्त तकनीकी टीम की स्थापना को एक महत्त्वपूर्ण परिणाम के रूप में चिह्नित किया गया।

चॅंकि दोनों देशों का लक्ष्य सीमा के समाधान में तेज़ी लाना है, इसलिये यह कदम भारत सहित व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ पर प्रभाव डालता है।

13वीं विशेषज्ञ समूह बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

दोनों देशों ने विवादित सीमा का समाधान प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों में तेज़ी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- उत्साहजनक गति बनाए रखने के लिये आगामी 14वें दौर की सीमा वार्ता के लिये योजनाएँ बनाई गईं।
- बैठक में तीन-चरणीय रोडमैप के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई. जो सीमा समझौता वार्ता में तेज़ी लाने के लिये उल्लिखित रणनीति का पालन करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



चीन-भूटान संबंधों में हालिया घटनाक्रम भारत के लिये चिंता का विषय:

- चीन और भूटान संबंधों पर हालिया घटनाक्रम भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर डोकलाम ट्राई-जंक्शन वह बिंदु है, जहाँ भारत, भूटान और चीन की सीमाएँ मिलती हैं।
- चीन ने भूटान के पूर्वी क्षेत्र, जिसे साकटेंग (वन्यजीव अभयारण्य) के नाम से जाना जाता है, पर भी अपना दावा किया है, जो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगता है।
 - अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना अधिकार मानता है और इसे "दक्षिण तिब्बत" कहता है। साकटेंग पर चीन के दावे को सीमा मुद्दे

- पर भूटान को अपनी शर्तों को स्वीकार करने के लिये मजबूर करने के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के लिये दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है।
- इस क्षेत्र में भूटान भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है और भारत ने लंबे समय से भूटान को आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्रदान की है। हालाँकि हाल के कुछ वर्षों में चीन ने भूटान के साथ अपने आर्थिक तथा राजनियक संबंधों में वृद्धि की है, जो संभावित रूप से भूटान में भारत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है।

Dividing line

A brief overview of the boundary dispute between China and Bhutan

- Bhutan and China have no formal diplomatic relations but have held 24 rounds of boundary talks between 1984 and 2016
- Talks concentrated on north and west Bhutan regions
- Eastern Bhutan not part of the talks

so far, say officials

- Sakteng sanctuary is situated close to the border with Arunachal Pradesh
- In June 2020, China attempted to stop UNDP-GEF funding for Sakteng by claiming it was disputed, but was overruled



भूटान के साथ भारत के संबंध:

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधः

- भारत और भूटान बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य परंपराओं में
 निहित समान सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं।
- कई भूटानी तीर्थयात्री बोधगया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम, उदयगिरि और भारत के अन्य बौद्ध स्थलों की यात्रा करते रहे हैं।
- भूटान वर्ष 1947 में भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और तब से इसके विकास तथा आधुनिकीकरण का समर्थन करता रहा है।

🔾 सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग:

- भारत और भूटान ने शांति स्थापित करने तथा एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिये वर्ष 1949 में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किये, जिसे वर्ष 2007 में संशोधित किया गया।
- भारत ने भूटान को रक्षा, बुनियादी ढाँचे और संचार जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है तािक भूटान अपनी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में सक्षम हो।
 - वर्ष 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम गितरोध के दौरान भूटान ने चीनी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिये भारतीय सैनिकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमित देकर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

आर्थिक एवं विकास साझेदारी:

- 💠 व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता (1972 में हस्ताक्षरित और 2016 में संशोधित) दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करता है।
- 💠 भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास, विशेष रूप से कृषि, सिंचाई, बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- भुटान के लिये भारत पेट्रोल-डीजल, यात्री कारें, चावल, लकड़ी का कोयला, सेलफोन, सोयाबीन तेल, उत्खनन उपकरण, विद्युत जनरेटर और मोटर, टर्बाइन के हिस्से तथा परिवहन वाहन आदि का शीर्ष निर्यातक है।
- भारत भूटान से बिजली, सुपारी, संतरे, लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के अर्द्ध-निर्मित उत्पाद, बोल्डर आदि का शीर्ष आयातक है।
- भारत भूटान में प्रमुख निवेशक भी है, जिसमें देश के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का 50% शामिल है।

जलविद्युत सहयोगः

- 💠 वर्ष 2006 के जल विद्युत सहयोग समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच जलविद्युत क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया जाता है।
 - 💢 इस समझौते के एक प्रोटोकॉल के तहत भारत वर्ष 2020 तक न्यूनतम 10,000 मेगावाट जलविद्युत के विकास तथा अधिशेष विद्युत के आयात में भूटान की सहायता करने हेतु सहमत हुआ है।
- भूटान में कुल 2136 मेगावाट की चार जलविद्युत परियोजनाएँ (HEPs)- चूखा, कुरिछु, ताला और मंगदेछू पहले से ही संचालित हैं तथा भारत को विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं।
 - घं अंतर-सरकारी मोड में दो HEPs नामत: पुनात्सांगछू-Ⅰ, पुनात्सांगछू-II कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

बहुपक्षीय भागीदारी:

💠 दोनों बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं जैसे- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), 'बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल' (BBIN) तथा बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) आदि।

जन-जन के मध्य संपर्कः

- भूटान में लगभग 50,000 भारतीय नागरिक मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र, शिक्षा और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में शामिल तकनीकी सलाहकारों के तौर पर कार्य कर रहे हैं।
- 💠 भूटानी छात्रों के लिये भारत सबसे लोकप्रिय शैक्षिक गंतव्य है।
- भारत और भूटान दोनों देश सांस्कृतिक समझ और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों, कलाकारों, विद्वानों के आदान-प्रदान के साथ-साथ सामृहिक रूप से प्रदर्शनियों, त्योहारों आदि का भी आयोजन करते हैं।

भारत-भूटान संबंधों को लेकर चुनौतियाँ:

- भूटान में विशेषकर विवादित सीमा पर चीन की बढ़ती उपस्थिति, भारत के रणनीतिक निहितार्थों को देखते हुए चिंता का विषय है।
- भारत और भूटान 699 किमी. लंबी सीमा साझा करते हैं, जो अधिकतर शांतिपूर्ण है लेकिन वर्ष 2017 में डोकलाम गतिरोध जैसी चीनी सीमा घुसपैठ ने भारत, चीन और भूटान के बीच तनाव पैदा कर दिया है जो संभावित रूप से भारत-भूटान संबंधों को प्रभावित कर रहा है।
- भूटान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक जलविद्युत पर निर्भर करती है, जिसके विकास में भारत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ परियोजनाओं की शर्तें भारत के पक्ष में होने की वजह से भूटान में चिंता देखी गई है और उनका सार्वजनिक विरोध हुआ है।
- भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होने के साथ ही 0 पर्यटकों का स्रोत भी है। हालाँकि दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन नीतियों को लेकर कुछ मतभेद रहे हैं।
 - उदाहरण के लिये भूटान ने अपनी संवेदनशील पारिस्थितिकी और संस्कृति पर व्यापार एवं पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है तथा भारतीय पर्यटकों पर प्रवेश शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है।
 - अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (All India Surveys of Higher Education- AISHE) के अनुसार, भारत में तृतीयक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूटानी छात्रों की संख्या एक दशक पहले के 7% से घटकर सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की तुलना में केवल 3.8% रह गई है।



भारत-मालदीव संबंध

चर्चा में क्यों ?

भारत के दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मालदीव में देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में एक चीनी समर्थक उम्मीदवार का चयन भारत के लिये चिंता का विषय है।

ऐतिहासिक रूप से मालदीव में वर्ष 1968 से एक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली थी, जो वर्ष 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र में परिवर्तित हो गई। तब से कोई भी राष्ट्रपति, जो वर्तमान में पद पर है, दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ है। इस बार यह स्थिति भारत के लिये चिंतनीय हो गई है।

नोट:

मालदीव की चुनावी प्रणाली फ्राँस के समान है, जहाँ विजेता को 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं। यदि पहले राउंड में कोई भी इस आँकड़े को पार नहीं कर पाता है, तो चुनाव का फैसला दूसरे राउंड में शीर्ष दो उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये गए वोटों के आधार पर किया जाता है।

भारत और मालदीव के संबंधों का इतिहास:

रक्षा क्षेत्र में साझेदारी:

दोनों देशों के बीच "एकुवेरिन," "दोस्ती," "एकथा," और "ऑपरेशन शील्ड" (जो वर्ष 2021 में शुरू हुआ) जैसे रक्षा सहयोग अभ्यास शामिल हैं। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के लिये सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है।

पुनर्वास केंद्रः

- भारत तथा मालदीव ने अङ्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।
- अड्डू में भारत की सहायता से एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और पनर्वास केंद्र तैयार किया गया है।
- यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है।

🔾 आर्थिक सहयोग:

- पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह देश अनेकों भारतीयों के लिये एक प्रमुख पर्यटन स्थल और अन्य के लिये रोजगार का गंतव्य बन गया है।
- अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी, एफकॉन्स (Afcons) ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) है।

- भारत 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापरिक भागीदार बनकर उभरा है।
- 22 जुलाई, 2019 को RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय USD मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- भारत-मालदीव संबंधों को तब क्षित पहुँची जब मालदीव ने वर्ष 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया।

🗅 मूलढाँचा परियोजनाएँ:

- भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना के तहत एक वर्ष में 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिये एक नया टर्मिनल जोड़ा जाएगा।
- वर्ष 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (NCPLE) का उद्घाटन किया गया।
 - NCPLE मालदीव में भारत द्वारा क्रियान्वित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है।



ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजनाः

- इसमें 6.74 किमी लंबा पुल और माले एवं इसके आसपास के विलिंगली, गुलिहफाल्हू व थिलाफुशी द्वीपों के बीच कॉजवे लिंक शामिल होगा। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।
 - इस परियोजना को भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन (LOC) द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
- यह न केवल भारत द्वारा मालदीव में कार्यान्वित की जा रही सबसे बड़ी परियोजना है, बिल्क कुल मिलाकर मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना भी है।

मालदीव में विभिन्न ऑपरेशनः

- ऑपरेशन कैक्टस 1988: ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की है।
- ऑपरेशन नीर 2014: ऑपरेशन नीर (Operation Neer) के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिये मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की।
- ऑपरेशन संजीवनीः भारत ने मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत COVID-19 से निपटने के लिये सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की। मालदीव की अवस्थितिः

- मालदीव, हिंद महासागर में स्थित एक टोल गेट: इस द्वीप शृंखला के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में संचार के दो महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग (SLOCs) स्थित हैं।
- ये SLOCs पश्चिम एशिया में अदन की खाड़ी तथा होर्मुज़ की खाड़ी एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में मलक्का जलसंधि के बीच समुद्री व्यापार के लिये प्रमुख हैं।
- ⇒ इसकी भौतिक अवस्थिति में मुख्य रूप से प्रवाल भित्ति और एटोल शामिल हैं तथा अधिकांश क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zones- EEZs) के अंतर्गत आते हैं।
- मालदीव मुख्य रूप से निचले द्वीपों का एक द्वीपसमूह है, जो बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण खतरे में पड़ गया है।
- आठ डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय (लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा) को मालदीव से अलग करता है।

अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिवों की क्षेत्रीय वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद के <mark>सचिवों/</mark>राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की छठी क्षेत्रीय वार्ता बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित की गई।

भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प में उल्लिखित समाधान जो की आतंकवाद की रोकथाम के लिये संयुक्त प्रयासों का आह्वान करता है, को दोहराया।

अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता क्या है?

- अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आशय उच्च स्तरीय बैठकों की एक शृंखला से है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, भारत और अन्य मध्य एशियाई राज्यों सहित संबद्ध क्षेत्र के देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अथवा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी शामिल होते हैं।
- ये वार्ता सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और अफगानिस्तान तथा अन्य संबद्ध क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्रीय दृष्टिकोणों पर चर्चा तथा समन्वय स्थापित करने के लिये मंच प्रदान करते हैं।
- अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में UNSCR 2593 के उद्देश्य का अनुसरण किया जाता है।
 - 15-सदस्यीय देशों (UNSC) द्वारा पारित यह प्रस्ताव, अफगान क्षेत्र का किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध खतरे उत्पन्न करने अथवा हमला शुरू करने के लिये इस्तेमाल होने से रोकने का आह्वान करता है।

- सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रस्ताव का अंगीकरण करना अफगानिस्तान के संबंध में दृढ़ संकल्पों को प्रदर्शित करता है।
- यह अफगानिस्तान के भीतर आतंकवाद की रोकथाम की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अफगानिस्तान के निवासियों के लिये भारत द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं?

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) ने अगस्त 2021 से 600 अफगान लड़िकयों सिहत 3,000 से अधिक छात्रों को प्रवेश देकर शिक्षा को बढ़ावा देने में सराहनीय प्रयास किया है।
- आवाजाही में सुगमता के लिये दिल्ली और काबुल के बीच एक ह्यमेनिटेरियन एयर कॉरिडोर निर्मित किया गया है।
 - यह गिलयारा आवगमन और सहायता वितरण की सुविधा प्रदान करता है जो मानवीय आवश्यकताओं के प्रति भारत की सिक्रय
 प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है।
- भारत ने मानवीय सहायता की कई खेप की आपूर्ति की है जिसमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूँ, 250 टन चिकित्सा सहायता तथा 28 टन भूकंप राहत सहायता शामिल है।
- भारत ने अफगान ड्रग उपयोगकर्त्ता आबादी, विशेषकर महिलाओं के कल्याण हेतु सहायता प्रदान करने के लिये अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC) के साथ साझेदारी की है।
 - इस साझेदारी के तहत, भारत ने वर्ष 2022 से UNODC, काबुल को 11,000 यूनिट स्वच्छता किट, शिशु आहार, कंबल, कपड़े, चिकित्सा सहायता और अन्य विविध वस्तुओं की आपूर्ति की है।
- भारत और अफगानिस्तान विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार तथा संचालन जारी रखते हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद क्या है?

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध पिरषद (ICCR) विदेश मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना विदेशों में भारतीय संस्कृति और इसके मूल्यों को बढ़ावा देने तथा भारत एवं अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसकी स्थापना वर्ष 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी।

ICCR को वर्ष 2015 से विदेशों में भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में विदेश मंत्री-स्तरीय पाकिस्तान-चीन सामरिक वार्ता के चौथे दौर का आयोजन किया, जिसमें दोनों चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमत हुए।

- साथ ही 5वीं चीन-पािकस्तान-अफगािनस्तान त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की वार्ता भी आयोजित की गई जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।
- वर्ष 2021 में चीन ने अफगानिस्तान में CPEC के विस्तार हेतु पेशावर-काबुल मोटरमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

- CPEC चीन के उत्तर-पश्चिम झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग है।
- यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय पिरयोजना है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक एवं अन्य बुनियादी ढाँचा विकास पिरयोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे तथा पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- यह चीन के लिये ग्वादर बंदरगाह से मध्य-पूर्व और अफ्रीका तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे चीन को हिंद महासागर तक पहुँचने में मदद मिलेगी तथा बदले में चीन पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को दूर करने और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिये पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा।
- CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है।
 - वर्ष 2013 में लॉन्च किये गए BRI का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।

पाकिस्तान और चीन दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण है अफगानिस्तान:

- दुर्लभ खिनजों तक पहुँच: अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में दुर्लभ पृथ्वी खिनज (1.4 मिलियन टन) हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सैन्य उपकरण बनाने हेतु महत्त्वपूर्ण हैं। हालाँकि जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है, देश आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है क्योंकि विदेशी सहायता वापस ले ली गई है।
- ऊर्जा और अन्य संसाधनः CPEC में अफगान भागीदारी इस्लामाबाद और बीजिंग को ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों का दोहन करने की अनुमित देगी, साथ ही ताँबा, सोना, यूरेनियम तथा लिथियम से लेकर अफगानिस्तान के अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों की विशाल संपत्ति तक पहुँच प्राप्त होगी, जो विभिन्न उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों व उच्च तकनीक मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों हेतु महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

CPEC का अफगानिस्तान में विस्तार से भारत पर प्रभाव:

मध्य एशिया में भारत के प्रभाव को सीमित करना:

- CPEC में अफगानिस्तान की भागीदारी ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश को सीमित कर सकती है। भारत की योजना ईरान और अफगानिस्तान एवं मध्य एशियाई देशों के बीच महत्त्वपूर्ण व्यापार अवसरों के प्रवेश द्वार के रूप में बंदरगाह को बढ़ावा देना है।
- पाकिस्तान भी मध्य एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने की उम्मीद कर रहा है और CPEC इसके लिये सही मंच प्रदान कर सकता है।

विकास सहायता में भारत की तुलना में चीन अग्रणी:

- विकास सहायता के संदर्भ में भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय ऋणदाता रहा है, जिसने परियोजनाओं हेतु 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है जैसे-
- सड़क निर्माण, विद्युत संयंत्र निर्माण, बाँध निर्माण, संसद भवन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा आदि।
- CPEC के विस्तार के साथ चीन द्वारा भारत को विस्थापित करने और अफगानिस्तान के विकास क्षेत्र में नेतृत्व करने का अनुमान है।

🔾 सुरक्षा चिंताएँ:

- अफगानिस्तान के बगराम एयरफोर्स बेस पर चीन का नियंत्रण हो सकता है।
- बगराम हवाई अड्डा सबसे बड़ा और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत हवाई अड्डा है क्योंकि अमेरिकी सेना ने काबुल हवाई अड्डे के बजाय इसका इस्तेमाल वहाँ से वापस लौटने तक किया।

भारत की संप्रभुता पर प्रभावः

- CPEC पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता को कमजोर करता है। भारत ने इस मुद्दे पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन को लेकर बार-बार चिंता जताई है।
- CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तारित करके चीन और पाकिस्तान अपने आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं जिसे भारत अपनी सुरक्षा तथा क्षेत्रीय हितों के लिये एक खतरे के रूप में देखता है।

आतंकवाद और सामिरक चिंताएँ:

- अगर अफगानिस्तान CPEC का हिस्सा बन जाता है, तो इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान को इस क्षेत्र में रणनीतिक लाभ भी मिल सकता है, जो भारत के हितों के लिये खतरा हो सकता है।
- ऐसे स्थिति में पाकिस्तान, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।

दुर्लभ पृथ्वी खिनजों का दोहन:

 दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों और उच्च तकनीक मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिये प्रमुख घटक हैं।

ईरान, पाकिस्तान और बलूच उग्रवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान-रोधी बलूच आतंकवादी समूह जैश अल-अदल (Jaish al-Adl-JAA) के दो कथित ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों तथा ड्रोनों द्वारा हमला किये जाने से ईरान एवं पाकिस्तान के संबंध प्रभावित हुए हैं।

- पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता के "घोर उल्लंघन" पर कड़ी प्रतिक्रिया
 व्यक्त की तथा ईरान में संदिग्ध आतंकवादी पनाहगाहों पर सीमा पार
 मिसाइल हमले किये।
- भारतीय कुलभूषण जाधव के अपहरण के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने JAA की जाँच शुरू कर दी। कथित तौर पर समूह द्वारा जाधव को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) को बेच दिया गया था।



जैश अल-अदल कौन है ?

- जैश अल-अदल अथवा न्याय की सेना, एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो वर्ष 2012 में अस्तित्व में आया। यह मुख्य रूप से ईरान-पाकिस्तान सीमा के दोनों तरफ रहने वाले जातीय बलूच समुदाय के सदस्यों से बना है।
- इस समूह को जुंदुल्लाह संगठन की एक शाखा माना जाता है, जिसके कई सदस्यों को ईरान द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद इसका प्रभाव कम हो गया था।
- जैश अल-अदल के मुख्य उद्देश्यों में ईरान के पूर्वी सिस्तान प्रांत तथा
 पािकस्तान के दिक्षण-पिश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के लिये स्वतंत्रता

- की मांग करना शामिल है। बलूच लोगों के अधिकारों का समर्थन करने वाले ये लक्ष्य, समृह को ईरानी तथा पाकिस्तानी दोनों सरकारों के लिये एक साझा लक्ष्य बनाते हैं।
- जातीय बलूच समुदाय को ईरान तथा पाकिस्तान दोनों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनके संबंधित प्रांतों में संसाधनों एवं धन के उचित वितरण के अभाव से संबंधित चिंताएँ हैं। बलूच अलगाववादी एवं राष्ट्रवादी अधिक न्यायसंगत हिस्सेदारी की मांग करते हैं व अमूमन अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिये विद्रोह का सहारा लेते हैं।
- बलुचिस्तान में, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जैश अल-अदल की उपस्थिति, ईरान तथा पाकिस्तान के बीच तनाव का एक स्रोत रही है।
 - दोनों देशों में आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन में एक-दूसरे की संलिप्तता को लेकर संदेह और आरोप-प्रत्यारोप का इतिहास रहा है।

पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंध कैसे रहे हैं?

1979 पूर्व गठबंधन:

- ♦ ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले, दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मज़बूती से जुड़े हुए थे तथा वर्ष 1955 में बगदाद पैक्ट/संधि में शामिल हुए जिसे बाद में केंद्रीय संधि संगठन (Central Treaty Organization-CENTO) के रूप में जाना गया, जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Organization- NATO) पर आधारित एक सैन्य गठबंधन था।
- ईरान ने वर्ष 1965 तथा वर्ष 1971 में भारत के विरुद्ध युद्ध के दौरान पाकिस्तान को सामग्री व हथियार सहायता प्रदान की।
- ईरान के शाह ने बांग्लादेश की मुक्ति के बाद पाकिस्तान के "विघटन" पर चिंता व्यक्त की।

वर्ष 1979 के बाद की स्थिति:

- ईरान में इस्लामी क्रांति के कारण अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में अति-रूढ़िवादी शिया शासन का उदय हुआ। यह सैन्य तानाशाह जनरल जिया-उल-हक के तहत पाकिस्तान के स्वयं के इस्लामीकरण के साथ समवर्ती था।
- दोनों देशों ने खुद को सांप्रदायिक विभाजन के विपरीत छोर पर पाया।

भू-राजनीतिक मतभेदः

💠 लगभग रातोंरात, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी से घोषित प्रतिद्वंद्वी में बदल गया, जबिक अमेरिकियों ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध कड़े कर दिये।

- 💠 वर्ष 1979 से पाकिस्तान के प्रति ईरान के अविश्वास का एक प्रमुख कारण रहा है, जो 09/11 के बाद और अधिक बढ़ गया क्योंकि इस्लामाबाद ने अमेरिका को "आतंकवाद के खिलाफ युद्ध" में समर्थन दिया।
- ♦ ईरान की वर्ष 1979 के बाद की विदेश नीति, जो क्रांति के विस्तार पर केंद्रित थी, ने अरब दुनिया में उसके पड़ोसियों को हतोत्साहित कर दिया।
 - 🗷 इनमें से प्रत्येक तेल-समृद्ध राज्य को परिवारों के एक छोटे समूह द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था, जो कि क्रांति-पूर्व ईरान में शाह के शासन के विपरीत नहीं थी। इन अरब साम्राज्यों के साथ पाकिस्तान के निरंतर रणनीतिक संबंधों ने ईरान के साथ उसके संबंधों में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दीं।

अफगानिस्तान संघर्षः

- सोवियत सेना की वापसी के बाद ईरान और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्वयं को विपरीत दिशा में पाया।
- <mark>ईरान ने ता</mark>लिबान के खिलाफ उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया, यह समूह शुरु में पाकिस्तान द्वारा समर्थित था।
- वर्ष 1998 में मजार-ए-शरीफ में तालिबान द्वारा फारसी भाषी शिया हजारा और ईरानी राजनियकों की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया।

सलह के प्रयासः

- ऐतिहासिक तनावों के बावजूद, दोनों देशों ने संबंधों में सुधार के प्रयास किये। प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने वर्ष 1995 में ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को कड़ा करने और साथ ही उनकी सरकार के दौरान पाकिस्तान ने ईरान से गैस आयात करने पर खेद व्यक्त किया।
- हालाँकि वर्ष 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के सत्ता संभालने के बाद संबंधों में खटास आ गई थी।

ईरान और पाकिस्तान के बीच बलूचिस्तान की गतिशीलता क्या है?

भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय संदर्भ:

- 💠 ईरान-पाकिस्तान सीमा जिसे गोल्डस्मिथ लाइन के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान से उत्तरी अरब सागर तक लगभग 909 किलोमीटर तक फैली हुई है।
- 💠 सीमा के दोनों ओर लगभग 9 मिलियन जातीय बलूच लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान, ईरानी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान के पड़ोसी क्षेत्रों में रहते हैं।

साझा बलूच पहचानः

- बलूच लोग एक सामूहिक सांस्कृतिक, जातीय, भाषाई एवं धार्मिक पहचान साझा करते हैं जो इस क्षेत्र पर लगाई गई आधुनिक सीमाओं से परे है।

🗅 हाशियाकरण एवं शिकायतें:

- ईरान और पाकिस्तान दोनों में बलूचों ने हाशिए पर जाने का अनुभव किया है तथा साथ ही प्रत्येक देश में प्रमुख शासनों से राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से भी दूर महसूस कर रहे हैं।
 - पािकस्तान में, बलूच को पंजाबी-प्रभुत्व वाली राजनीतिक संरचना के भीतर एक जातीय अल्पसंख्यक के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
 - ईरान में वे न केवल एक जातीय अल्पसंख्यक हैं, बिल्क एक धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं, जिनमें से अधिकांश शिया प्रधान देश में सुन्नी हैं।

🗅 आर्थिक विषमताएँ:

- बलूच मातृभूमि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन आर्थिक विषमताएँ बनी हुई हैं। ईरान में बलूच आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है।
- पाकिस्तान में, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल जैसी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश के बावजूद, उनके जीवन में सुधार सीमित हैं।

🗅 राष्ट्रवादी आंदोलन:

- बलूच राष्ट्रवाद की ऐतिहासिक जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत से ही व्याप्त हैं जब इस क्षेत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ खींची गई थीं।
- ईरान और पाकिस्तान दोनों में बलूच लोगों को हाशिए पर धकेलने से "ग्रेटर बलूचिस्तान" राष्ट्र-राज्य की मांग करने वाले अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा मिला है।

🔾 उग्रवाद तथा सीमा-पारगतिविधिः

- बलूच विद्रोही ईरान-पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर सैन्य और कभी-कभी नागरिक ठिकानों पर हमले करते हैं।
- बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) तथा बलूच लिबरेशन फ्रंट (BLF) जैसे समूहों से संबद्ध विद्रोही, संबंधित राज्यों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल रहे हैं।

पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के क्या निहितार्थ हैं?

क्षेत्रीय अस्थिरताः

- पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ता तनाव क्षेत्रीय अस्थिरता में योगदान दे सकता है, खासकर मध्य पूर्व तथा दक्षिण एशिया के जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए।
- पाकिस्तान तथा ईरान के बीच संबंधों में और तनाव आ सकता है, जिसका असर राजनियक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर पड़ सकता है।

🔾 प्रॉक्सी डायनेमिक्स:

पाकिस्तान और ईरान दोनों पर क्षेत्रीय संघर्षों में प्रतिनिधि रूप में वोट करने का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। तनाव छद्म गतिशीलता को बढ़ा सकता है, प्रत्येक देश दूसरे के आंतरिक मामलों में प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है या चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों में कुछ गुटों का समर्थन कर रहा है।

बलूचिस्तान पर प्रभावः

- बलूचिस्तान में अशांति बढ़ सकती है। बलूच राष्ट्रवादी आंदोलनों को गित मिल सकती है और स्थानीय आबादी पर इसका असर पड़ सकता है।
- यह स्थिति भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब या इज्ञराइल जैसे अन्य क्षेत्रीय अभिकर्त्ताओं को आकर्षित कर सकती है, जिससे भू-राजनीतिक परिदृश्य और जटिल हो सकता है तथा संभावित रूप से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है।

सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

बढ़ते तनाव से पड़ोसी देशों, विशेषकर अफगानिस्तान के लिये सुरक्षा चिंताएँ बढ़ सकती हैं। यह क्षेत्र पहले से ही सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है तथा बढ़ा हुआ तनाव स्थिति को और खराब कर सकता है।

भारत के लिये निहितार्थः

चाबहार बंदरगाह जैसी पिरयोजनाओं में भारत की भागीदारी को देखते हुए, तनाव का असर ईरान के साथ भारत के संबंधों पर पड़ सकता है। भारत, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करते हुए स्वयं को एक कमजोर राजनियक स्थिति में पा सकता है।

पाकिस्तान और ईरान के बीच टकराव पर भारत का रुख क्या है?

आतंकवाद के प्रति शून्य सिहण्णुताः

भारत ने "आतंकवाद के प्रति शून्य सिहण्णुता की अपनी अिडग स्थिति" पर बल दिया। यह बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के सतत् रुख को रेखांकित करता है, जो पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले सीमा पार आतंकवाद के संबंध में उसकी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के अनुरूप है।

🗅 आत्मरक्षा में कार्यों को समझना:

भारत ने "देशों द्वारा अपनी आत्मरक्षा में की जाने वाली कार्रवाइयों" को स्वीकार किया और समझ व्यक्त की। यह क्षेत्र में जटिल सुरक्षा गतिशीलता की पहचान और देशों द्वारा उनकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिये की जाने वाली कार्रवाइयों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण का सुझाव देता है।

भारत-पिकस्तान जलिवद्युत परियोजना को लेकर मतभेद

चर्चा में क्यों ?

भारत जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, हाल ही में हेग(Hague) स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration-PCA) ने फैसला किया है कि उसके पास इस परियोजना से संबंधित पाकिस्तान की आपत्तियों/शिकायतें सुनने का अधिकार है।

हालाँकि, "मध्यस्थता न्यायालय" के संविधान को सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty- IWT) के प्रावधानों के खिलाफ मानते हुए भारत इसे अस्वीकार करता है।

मुख्य प्रावधानः

परियोजना निर्माणः

इस संधि के तहत कुछ शर्तों के साथ भारत को पश्चिमी निदयों पर रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमित है।

विवाद निपटानः

- स्थायी सिंधु आयोग के माध्यम से संवाद (Permanent Indus Commission- PIC):
 - 🗷 इस आयोग में प्रत्येक देश का एक आयुक्त होता है।
 - इसके सदस्य देश एक-दूसरे को सिंधु नदी पर नियोजित परियोजनाओं के बारे में सुचित करते हैं।
 - PIC आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
 - इसका उद्देश्य मतभेदों को दूर करना और तनाव को बढ़ने से रोकना है।

तटस्थता कार्य विशेषज्ञ:

- 🗷 विश्व बैंक एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है।
- प्र यह विशेषज्ञ मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करता है।

→ मध्यस्थता न्यायालय (CoA):

- यदि उस मामले का निपटान तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा भी नहीं हो पाता है फिर मामले को मध्यस्थता न्यायालय में भेज दिया जाता है।
- सिंधु जल संधि में स्पष्ट है कि किसी दिये गए विवाद के लिये तटस्थ विशेषज्ञ और CoA में से एक समय में केवल एक का ही उपयोग किया जा सकता है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का निर्णयः

🔾 निर्णय:

- PCA ने निर्णय दिया कि मध्यस्थता न्यायालय (CoA) के पास जम्मू-कश्मीर में भारत की जल-विद्युत परियोजनाओं के संबंध में पाकिस्तान की आपत्तियों पर विचार करने की क्षमता है।
- यह सर्वसम्मत निर्णय पर आधारित था, जो दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी था साथ ही इसमें अपील की कोई संभावना भी नहीं थी।
- PCA ने CoA की क्षमता पर भारत की आपित्तयों को अस्वीकृत कर दिया, जैसा कि विश्व बैंक के साथ उसके संचार माध्यम से उठाया गया था।

भारत की प्रतिक्रियाः

भारत ने स्पष्ट किया कि वह PCA में पाकिस्तान द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही में शामिल नहीं होगा क्योंकि IWT के ढाँचे के अंर्तगत विवाद की जाँच पहले से ही एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।

🗅 निहितार्थ:

- PCA का निर्णय जल-विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद में जटिलता तथा अनिश्चितता में वृद्धि करता है।
- यह फैसला भारत की स्थिति को चुनौती देता है और IWT की प्रभावशीलता और विवेचना पर सवाल उठाता है।

- निर्णय के निहितार्थ विशिष्ट विवाद से परे हैं, जो संभावित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों विशेष रूप से जल-बँटवारे और सहयोग से संबंधितको प्रभावित कर रहे हैं।
- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय
- इसकी स्थापना वर्ष 1899 में हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है।
- उद्देश्य: यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो विवाद समाधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा करने और राज्यों के बीच मध्यस्थता तथा विवाद समाधान के अन्य रूपों को सुविधाजनक बनाने के लिये समर्पित है।
- इसकी तीन-भागीय संगठनात्मक संरचना है जिसमें शामिल हैं:
 - प्रशासिनक परिषद अपनी नीतियों और बजट की देखरेख के लिये,
 - न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र संभावित मध्यस्थों का एक पैनल, और

- अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो इसका सचिवालय, जिसका नेतृत्व महासचिव करता है
- निधिः इसका एक वित्तीय सहायता कोष है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या PCA द्वारा प्रस्तावित विवाद निपटान के अन्य तरीकों में शामिल लागतों का हिस्सा पूर्ण करने में सहायता करना है।

भारत-भूटान संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और भूटान ने भूटान के राजा की भारत यात्रा के दौरान व्यापार एवं साझेदारी बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए मार्गों पर चर्चा करने तथा सीमा व इिमग्रेशन पोस्ट को आधुनिक बनाने पर सहमित व्यक्त की।



चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी:
 - भारत और भूटान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए मार्गों पर चर्चा करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें भूटान में गेलेफू तथा असम में
- कोकराझार के बीच 58 कि.मी. तक सीमा पार रेल लिंक का विकास शामिल है।
- इसके अतिरिक्त भूटान के समत्से और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के क्षेत्र में बनारहाट (Banarhat) के बीच लगभग 18 कि.मी. लंबे दूसरे रेल लिंक की खोज करने की योजना है।

दोनों पक्षों ने इस परियोजना का समर्थन करने के लिये सीमा और इमिग्रेशन पोस्ट को आधुनिक बनाने पर चर्चा की, यह सीमा क्षेत्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण विकास हो सकता है।

🔾 व्यापार और कनेक्टिविटी:

दोनों देश व्यापार के बाद वस्तुओं को पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश के चिल्हाटी तक ले जाने की अनुमित देकर व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर सहमत हुए, जिसका उद्देश्य व्यापार के अवसरों को बढ़ाना तथा भारतीय क्षेत्र के माध्यम से भूटान एवं बांग्लादेश के बीच माल की आवाजाही को आसान बनाना है।

इिमग्रेशन चेक पोस्टः

- असम और भूटान के दक्षिणपूर्वी जिले के बीच दरंगा-समद्रुप जोंगखार सीमा को एक इिमग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया जाएगा।
- इससे न केवल भारतीय और भूटानी नागिरकों को बिल्क तीसरे देश के नागिरकों को भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने तथा बाहर जाने की अनुमित मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी।

भूटानी SEZ पिरयोजना के लिये समर्थनः

दोनों पक्ष दादिगरी (असम) में मौजूदा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन को आधुनिक "एकीकृत चेक पोस्ट" (ICP) में अपग्रेड करने के साथ-साथ "गेलेफू में भूटानी पक्ष पर सुविधाओं के विकास" के साथ व्यापार बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने पर सहमत हुए, जो भारत के भूटानी विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones- SEZ) परियोजना के लिये समर्थन को दर्शाता है।

⊃ विकासीय सहायताः

- भारत ने 13वीं पंचवर्षीय योजना पर विशेष ध्यान देने के साथ भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अपना समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। यह उनके मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
 - 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिये भारत का 4,500 करोड़ रुपए का योगदान भूटान के कुल बाह्य अनुदान घटक का 73% था।

ग्लोबल साउथ के लिये भारत के समर्थन की सराहना:

भूटान ने हाल के G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन करने तथा दिल्ली घोषणा में उल्लिखित आम सहमित और रचनात्मक निर्णयों को बढ़ावा देने के लिये भारत की प्रशंसा की। भूटान ने G20 विचार-विमर्श में ग्लोबल साउथ देशों के हितों और प्राथमिकताओं को एकीकृत करने के लिये भारत के समर्पण की सराहना की।

भारत-भूटान ऊर्जा साझेदारी:

- 1020 मेगावाट पुनात्सांगळू-II जलविद्युत परियोजना (Punatsangchhu-II hydropower project) के निर्माण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया, इसके वर्ष 2024 में शीघ्र प्रारंभ होने की उम्मीद है।
- मौजूदा भारत-भूटान ऊर्जा साझेदारी को हाइड्रो से गैर-हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा तक विस्तारित करने के लिये एक समझौता हुआ, जिसमें सौर ऊर्जा तथा हाइड्रोजन और ई-मोबिलिटी से संबंधित हरित पहल भी शामिल है।
- भारत ने इन क्षेत्रों में पिरयोजनाओं के लिये आवश्यक तकनीकी
 और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया।

ऑपरेशन ऑल क्लियर को याद करना:

भूटान के राजा ने ऑपरेशन ऑल क्लियर को याद किया जो वर्ष 2003 में भूटान के दक्षिणी क्षेत्रों में असम अलगाववादी विद्रोही सम्हों के खिलाफ रॉयल भूटान सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था।

भूटान से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

) परिचयः

- भूटान, भारत एवं चीन के मध्य स्थित है तथा चारों ओर पहाड़ और घाटियाँ एवं भूमि से घिरा हुआ देश है।
- थिम्पू, भूटान की राजधानी है।
- देश में पहले लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद वर्ष 2008 में भूटान
 एक लोकतंत्र बन गया। भूटान के राजा राज्य के प्रमुख हैं।
- इसे 'िकंगडम ऑफ भूटान' नाम दिया गया है। भूटानी भाषा में इसका पारंपिरक नाम ड्रुक ग्याल खाप है, जिसका अर्थ 'थंडर ड्रैगन की भूमि' है।

⊃ नदीः

- भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है जिसकी लंबाई 376
 किमी से अधिक है।
 - मानस नदी, दक्षिणी भूटान तथा भारत के मध्य हिमालय की तलहटी में स्थित एक सीमा पार नदी है।

असरकार:

भूटान में संसदीय राजतंत्र मौजूद है।

⊃ सीमाः

- भूटान की सीमाएँ केवल दो देशों से मिलती हैं: भारत और तिब्बत, जो चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है।
- थिम्पू देश के पूर्वी भाग में स्थित है।

लेफ़ स्मार्ट सिटी परियोजना

हाल ही में भूटान के राजा ने असम के साथ अपनी सीमा पर 1,000 वर्ग किमी से अधिक के क्षेत्र में एक विशाल "अंतर्राष्ट्रीय शहर" बनाने की योजना की घोषणा की है। इस परियोजना को गेलेफू परियोजना के रूप में जाना जाता है।



गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

यह "भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला आर्थिक गलियारा" होगा।

शहर से पर्यावरण मानकों एवं सतत विकास को एक लक्ष्य के रूप में पालन करने की उम्मीद की जाती है और इसका लक्ष्य "विशेष

रूप से जाँची गई" अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से "गुणवत्तापूर्ण निवेश" आकर्षित करना होगा।

इस परियोजना में "शून्य उत्सर्जन" उद्योग तथा एक "माइंडफुलनेस शहर" जो पर्यटन एवं कल्याण में भूटान की शक्ति के रूप में स्थापित होगा और बुनियादी ढाँचा कंपनियों को शामिल करेगा। इस परियोजना के "विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र" से संबंधित होने का अनुमान है जिसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय निवेश की सुविधा के लिये विभिन्न कानूनों के तहत किर्यावित किया जाएगा।

यह परियोजना भूटान तथा दक्षिण एशिया के लिये "परिवर्तन के बिंदु" एवं "परिवर्तन" के रूप में कार्य करेगी।

भारत सरकार ने गेलेफू तक पहली भारत-भूटान रेलवे लाइन के निर्माण के लिये सहमति व्यक्त की है।

यह रेलवे लाइन असम तथा पश्चिम बंगाल में सड़क मार्गों एवं सीमा व्यापार बिंदुओं से भी जुड़ेगी, जो अंततः भूटान को म्याँमार, थाईलैंड, कंबोडिया व सिंगापुर तक पहुँच प्रदान करेगी।

भूटान से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

⊃ परिचय:

- भूटान भारत और चीन के स्वायत्त क्षेत्र 'तिब्बत' के मध्य
 स्थित है।
- 💠 यह भूमि से घिरा हुआ देश है।
- 💠 इसकी राजधानी थिम्पू है।
- वर्ष 2008 में पहले लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद भूटान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। भूटान के राजा इसके राज्य प्रमुख हैं।

🗅 नदीः

- पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्य निदयाँ
- (एमो), वोंग (रैदक), संकोश (मो) और मानस हैं। सभी निदयाँ हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं।
- भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है।
 - मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में एक सीमा पार नदी है।

⊃ सरकार:

संवैधानिक राजतंत्र।

2. भारत-एशिया संबंध

लाल सागर व्यवधान और भारत की तेल आयात गतिशीलता

चर्चा में क्यों?

लाल सागर में हाल की अशांति से भारत के तेल आयात की गतिशीलता प्रभावित हुई है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्त्ताओं पर इसकी निर्भरता में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है।

भारत अपने तेल आयात को अमेरिका से कम क्यों कर रहा है?

- लाल सागर की समस्याओं के कारण माल ढुलाई दरें बढ़ गईं, जिससे भारतीय रिफाइनरों के लिये अमेरिकी कच्चा तेल आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गया। परिणामस्वरूप, भारतीय रिफाइनर फारस की खाड़ी (पश्चिम एशिया) में पारंपरिक आपूर्तिकर्त्ताओं से अपनी जरूरतें पूरी करने लगे।
 - हाल ही में गुजरात के तट से लगभग 200 समुद्री मील दूर, रासायनिक टैंकर MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमला किया गया था।
 - MV केम प्लूटो एक लाइबेरिया-ध्वजांकित, जापानी स्वामित्व वाला और नीदरलैंड द्वारा संचालित रासायिनक टैंकर है।
 - इसने सऊदी अरब के अल जुबैल से कच्चा तेल लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी और इसके भारत के न्यू मैंगलोर पहुँचने की आशा थी।
 - माना जा रहा है कि गाजा में इजरायल की कार्रवाई के विरोध का हवाला देते हुए यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने इस हमले को अंजाम दिया है।

भारत के लिये शीर्ष कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता कौन हैं?

- तेल आयात की स्थिति: भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह अपनी तेल ज़रूरतों का 85% आयात करता है तथा घरेलू उत्पादन कम होने के साथ यह निर्भरता बढ़ने की संभावना है।
 - भारत वर्ष 2027 में वैश्विक तेल मांग के सबसे बड़े चालक के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा। डीजल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होगा, जो देश की मांग (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी) में लगभग आधी वृद्धि के लिये जिम्मेदार होगा।

प्रमुख तेल आपूर्तिकर्त्ताः

- रूस: रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता है। जनवरी 2024 में भारत में रूसी तेल आयात बढ़कर 1.53 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) हो गया।
 - रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों (रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण) के बाद भारत ने पारंपिरक आपूर्तिकर्त्ताओं को विस्थापित करते हुए रियायती रूसी प्रस्तावों का लाभ उठाया।
 - रूस का यूराल कच्चा तेल ग्रेड भारत के ऊर्जा विविधीकरण प्रयासों की आधारशिला बन गया है।



- इराक: यह भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जनवरी 2024 में आयात 1.19 मिलियन bpd तक पहुँच गया, जो अप्रैल 2022 के बाद सबसे अधिक है।
 - तेल खरीद चैनलों में विविधता लाने के भारत के प्रयासों का उद्देश्य भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करना और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- सऊदी अरब: सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है और उसने जनवरी, 2024 में भारत को लगभग 690,172 bpd कच्चे तेल का निर्यात किया तथा भारत के ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी।
- संयुक्त अरब अमीरात: जनवरी, 2024 में UAE से तेल आयात
 81% बढ़कर लगभग 326,500 bpd तक पहुँच गया।
 - अबू धाबी भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्त्ता है।

बढ़ती तेल माँगों को नियंत्रित करने के लिये सरकार की हालिया पहल क्या हैं?

🔾 मांग का प्रबंधन:

- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना: प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार (PAT) जैसी योजनाएँ उद्योगों को ऊर्जा खपत कम करने के लिये प्रोत्साहित करती हैं।
 - उपकरणों के लिये स्टार लेबिलंग से उपभोक्ताओं को कुशल विकल्प चुनने में मदद मिलती है।
- ईंधन विविधीकरण: इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) जैसी पहल का लक्ष्य 2025 तक गैसोलीन के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण करना है, जिससे गैसोलीन पर निर्भरता कम हो जाएगी।
 - इसी तरह वाहनों के लिये संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) को बढावा दिया जाता है।
- विद्युत गतिशीलता: FAME योजना एक सिंब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सार्वजिनक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करना है।

💢 वर्ष 2030 तक, सरकार का इरादा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की बिक्री को निजी कारों के लिये 30%. वाणिज्यिक वाहनों हेत् 70% और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों के लिये 80% तक पहुँचाने का है।

घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना:

- 💠 आकर्षक अन्वेषण नीतियाँ: उत्पादन साझाकारण अनुबंध (PSC) व्यवस्था, खोजे गए लघु क्षेत्र नीति तथा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP) का उद्देश्य तेल व गैस संबंधी अन्वेषण में निवेश को आकर्षित करना है।
- ♦ तकनीकी प्रगति: ONGC मौजूदा क्षेत्रों से अधिक तेल निष्कर्षण के उद्देश्य से संवर्द्धित तेल पुनर्प्राप्ति (Enhanced Oil Recovery- EOR) तकनीकों में निवेश कर रही है।

अरब सागर में अपहृत जहाज़ की भारतीय नौसेना ने की मदद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक समुद्री घटना में, माल्टाध्वज वाला जहाज एमवी रुएन अरब सागर में समुद्री लुटेरों का शिकार हो गया। रणनीतिक रूप से समुद्री डकैती की आशंका वाली अदन की खाड़ी में स्थित भारतीय नौसेना ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए अपहृत

जहाज़ को रोक लिया और सोमाली तट की ओर उसके प्रक्षेप पथ की बारीकी से निगरानी की।

यूरोपीय संघ नौसेना बल (EUNAVFOR) ऑपरेशन अटलंटा, पश्चिमी हिंद महासागर में एक समुद्री सुरक्षा अभियान, समुद्री डकैती विरोधी प्रयास में शामिल हो गया।

समुद्री डकैती क्या है?

⊃ परिचय:

- ♦ वर्ष 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के अनुच्छेद 101 में समुद्री डकैती के कृत्यों की रूपरेखा दी गई है।
 - 🗷 इन कृत्यों में खुले समुद्र में या किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर निजी उद्देश्यों के लिये की गई हिंसा, हिरासत या लूटपाट शामिल है।
- ये कृत्य व्यक्तिगत लाभ के इरादे से किये जाते हैं और इसमें किसी अन्य जहाज, उसके माल को ज़ब्त करना या उसके यात्रियों या चालक दल का अपहरण शामिल हो सकता है।
- यह एक गंभीर समुद्रीय अपराध माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा सम्मेलनों के अधीन आता है।

अत्यधिक समुद्री डकैती वाले क्षेत्र:

उत्तर पश्चिम अफ्रीका, गिनी की खाडी, लाल सागर, सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अदन की खाडी, हिंद महासागर, भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया।



समुद्री डकैती की रोकथाम से संबंधित वैश्विक पहलः

- ♦ समुद्रीय कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS):
 - यह समुद्री डकैती से निपटने के लिये विधिक ढाँचा स्थापित करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा महासभा ने समुद्री खतरों से निपटने में UNCLOS की प्रयोज्यता पर जोर देते हुए समुद्र में समुद्री डकैती एवं सशस्त्र डकैती का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्त्व पर निरंतर जोर दिया है।

ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन:

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू की है।
- समुद्री मार्गनिर्देशन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि-विरुद्ध कृत्यों के दमन के लिये अभिसमय (1988):
 - यह एक बहुपक्षीय संधि है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य जहाजों के विरुद्ध विधि-विरुद्ध कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना है।
 - इसे वर्ष 1988 में रोम में आयोजित विधि-विरुद्ध कृत्यों के दमन (Suppression of Unlawful Acts-SUA) अभिसमय में अपनाया गया था।

♦ संयुक्त समुद्री बल (CMF):

- CMF एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को हराना, समुद्री डकैती को रोकना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढावा देना है।

समुद्री डकैती से संबंधित भारत की पहलः

- ♦ SAGAR नीति
- भारत ने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के लिये अपना समर्थन दोहराया।
- ♦ इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर (IFC)
- ♦ हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)
- ♦ तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की उन्नत तकनीकी निगरानी:
 - तटीय निगरानी नेटवर्क
 - नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क
 - 🗷 राष्ट्रीय स्वचालित पहचान प्रणाली
 - 👱 राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना
 - समुद्री और तटीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये राष्ट्रीय समिति



ऐडन की खाड़ी के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- हिंद महासागर की एक शाखा- ऐडन की खाड़ी, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर यमन और अफ्रीका में सोमालिया के बीच स्थित है।
 - यह दक्षिण में सोमालिया और सोकोट्रा द्वीप समूह से, उत्तर में यमन से, पूर्व में अरब सागर से तथा पश्चिम में जिब्रती से घिरा है।
- खाड़ी लगभग 900 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी,
 फारस की खाड़ी के तेल के पिरवहन के लिये एक महत्त्वपूर्ण जलमार्ग है।
 - यह खाड़ी बाब अल मांडेब जलडमरूमध्य के माध्यम से लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। यह यूरोप और सुदूर पूर्व के बीच एक आवश्यक तेल परिवहन मार्ग बनाता है।

- इसका समुद्री जीवन मात्रा और विविधता से समृद्ध है। इसकी तटरेखा में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने की सुविधाओं का अभाव है, लेकिन यह कई मछली पकड़ने वाले शहरों के साथ-साथ प्रमुख बंदरगाहों अदन और जिब्रुती को भी सहारा देती है।
- हाल के वर्षों में समुद्री डकैती, आतंकवाद और शरणार्थी तस्करी के कारण खाडी ने बहत अधिक ध्यान आकर्षित किया है।

बेन गुरियन नहर परियोजना

हाल ही में बेन गुरियन नहर परियोजना (Ben Gurion Canal Project) में फिर से रुचि देखी गई है, यह प्रस्तावित समुद्र- स्तरीय नहर 160 मील लंबी है जो स्वेज नहर को दरिकनार करते हुए भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ेगी।



बेन गुरियन नहर परियोजना क्या है?

🔾 ऐतिहासिक महत्त्वः

- 1960 के दशक में बेन गुरियन नहर परियोजना की अवधारणा एक परिवर्तनकारी बुनियादी ढाँचा पहल के रूप में की गई थी।
- इसका नाम इज़रायल के संस्थापक (जनक) डेविड बेन-गुरियन (1886-1973) के नाम पर रखा गया, जो इसके ऐतिहासिक महत्त्व को दर्शाता है।

🔾 रणनीतिक उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य स्वेज नहर को दरिकनार करते हुए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग बनाना है।
- इसके तहत सबसे छोटे यूरोप-एशिया मार्ग पर मिस्र के एकाधिकार को चुनौती देकर वैश्विक समुद्री गतिशीलता को नया आकार देने की कल्पना की गई है।

अकाबा की खाड़ी से भूमध्यसागरीय तट तक:

- अकाबा की खाड़ी (लाल सागर की पूर्वी शाखा) से शुरू होकर नेगेव रेगिस्तान (इजरायल) के माध्यम से एक नहर के निर्माण का प्रस्ताव है।
 - यह पूर्वी भूमध्यसागरीय तट तक विस्तृत है, जो एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है।
 - अकाबा की खाड़ी की तटरेखा चार देशों- मिस्र, इजरायल, जॉर्डन और सऊदी अरब द्वारा साझा की जाती है।

अार्थिक निहितार्थः

- अनुमानत: गाजा पट्टी को नियंत्रित करने और हमास को खत्म करने की इजरायल की इच्छा नहर से जुड़े आर्थिक अवसरों का लाभ प्राप्त करने से जुड़ी है।
- यदि बेन गुरियन नहर परियोजना पूरी हो गई तो वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह स्वेज नहर को दरिकनार करते हुए यूरोप और एशिया के बीच एक नए शिपिंग मार्ग के निर्माण के साथ वैश्विक शिपिंग पर मिस्र के नियंत्रण को कम करेगा।

चुनौतियाँ और व्यवहार्यताः

- बहुत अधिक लॉजिस्टिक, राजनीतिक और फंडिंग चुनौतियाँ इसमें बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।
 - अत्यधिक जटिलता और निषेधक लागत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है।
- राजनीतिक स्थिरता की अनिवार्यता और निरंतर सैन्य खतरा दो महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चिंताएँ हैं।
 - एक अन्य चुनौती क्षेत्र में सुरक्षा स्थित है। गाजा पट्टी इसके लिये एक संभावित सुरक्षा खतरा है और नहर को किसी भी हमले से बचाने की आवश्यकता होगी।

स्वेज़ नहर (Suez Canal):

- स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्र-स्तरीय जलमार्ग (Waterway) है जो वर्ष 1869 में मिस्र में स्वेज के इस्तमुस के पार उत्तर से दक्षिण की ओर खुलता है तथा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इससे यूरोप और एशिया के बीच शिपिंग के लिये एक छोटा मार्ग उपलब्ध हो जाता है।
 - 💠 यह नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है।
- 150 वर्ष पुरानी इस नहर को शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश और फ्राँसीसियों द्वारा नियंत्रित किया गया था, लेकिन वर्ष 1956 में मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

- स्वेज नहर अब मिस्र द्वारा नियंत्रित है, जो इसका उपयोग करने वाले जहाजों से टोल के रूप में राजस्व एकत्र करता है।
- वर्ष 2021 में नहर ने मिस्र के लिये 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% था।
- स्वेज नहर एक महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, वैश्विक व्यापार का लगभग 12% स्वेज नहर से होकर गुजरता है, जो सभी वैश्विक कंटेनर यातायात का 30% और प्रतिवर्ष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मृल्य की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह नहर भारत को यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बाजारों तक अधिक आसानी से एवं उचित आर्थिक लागत के साथ वस्तुओं को पहुँचाने में सक्षम बनाती है।
 - भारत अपना अधिकांश तेल और गैस खाड़ी देशों से आयात करता है तथा नहर भारत को ऊर्जा आपूर्ति के सुचारु प्रवाह की सुविधा प्रदान करती है।
 - यह नहर भारत को अपने उत्पादों, जैसे- कपड़ा, रसायन और कृषि वस्तुओं को वैश्विक बाजारों में निर्यात करने में भी सहायता करती है।

भारत-सऊदी अरब सामरिक साझेदारी का सुदृढ़ीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के शुभारंभ के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने राजकीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का स्वागत किया।

इस महत्त्वपूर्ण यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी सामिरक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाने के लिये एक संयुक्त कार्य बल स्थापित करने पर सहमित व्यक्त की।

यात्रा के परिणाम और समझौते:

सामिरक साझेदारी की स्वीकृतिः

- प्रधानमंत्री ने "भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण सामिरक साझेदारों में से एक" के रूप में सऊदी अरब की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
- दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी, विशेष रूप से दोनों राष्ट्रों के तेज़ी से विकास के लिये क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर बल दिया।



⇒ भारत-सऊदी सामिरक साझेदारी परिषद (SPC):

- भारत के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भारत-सऊदी सामिरक साझेदारी पिरषद (SPC) की उद्घाटन बैठक की सह-अध्यक्षता की।
- इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, संस्कृति, अंतिरक्ष और अर्द्धचालक सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा हई।
- यह भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक सहयोग की
 व्यापक प्रकृति को दर्शाता है।

⇒ वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेज़ी:

- ARAMCO (सऊदी अरब की तेल कंपनी), ADNOC (संयुक्त अरब अमीरात की तेल कंपनी) और भारतीय कंपनियों को शामिल करने वाली इस त्रिपक्षीय परियोजना में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त होने के संभावना है।
- वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेज़ी लाने के लिये एक संयुक्त टास्क फोर्स की स्थापना की गई।

- यह टास्क फोर्स इस पिरयोजना के लिये सऊदी अरब से किये गए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के वादे को पूरा करने पर कार्य करेगी।
- वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी पिरयोजना भारत की पहली और सबसे
 बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है।
 - महाराष्ट्र के रत्नागिरि स्थित इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 60 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने की उम्मीद है। योजना पूरी होने पर यह विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक होगी।
 - इस परियोजना में समुद्री भंडारण और बंदरगाह बुनियादी ढाँचे, कच्चे तेल टर्मिनल, भंडारण एवं सम्मिश्रण संयंत्र, अलवणीकरण संयंत्र आदि सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ शामिल हैं।

द्विपक्षीय समझौते और सहयोगः

 यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करने के लिये आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

- उल्लेखनीय समझौतों में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग और सऊदी निरीक्षण एवं भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण के बीच सहयोग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा कृषि में सहयोग शामिल है।
- भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और सऊदी अरब के खारा जल रूपांतरण निगम के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

🗅 🏻 कच्चे तेल की आपूर्ति का आश्वासन:

सऊदी अरब ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत को "विश्वसनीय भागीदार और कच्चे तेल की आपूर्ति का निर्यातक" होने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग:

- दोनों देशों ने रक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग बढाने का वादा किया।
 - आतंकवादी गतिविधियों के लिये "मिसाइलों और ड्रोन" तक पहुँच को रोकने पर विशेष जोर दिया गया।

सऊदी अरब में चल रहे सुधारों के अनुरूप द्विपक्षीय संबं<mark>धों के लिये</mark> पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने हेतु योजनाओं पर चर्चा <mark>की</mark> गई।

भू-राजनीतिक महत्त्वः

यह यात्रा भू-राजनीतिक महत्त्व रखती है क्योंकि यह यात्रा सऊदी अरब द्वारा चीन के सहयोग से ईरान के साथ शत्रुता समाप्त करने के बाद हुई।

 ब्रिक्स (BRICS) (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में सऊदी अरब की हालिया सदस्यता उसकी वैश्विक भागीदारी को रेखांकित करती है।

भारत-सऊदी सामिरक साझेदारी परिषद (Strategic Partnership Council-SPC):

⊃ परिचय:

- SPC भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन और उन्हें बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2019 में स्थापित एक उच्च स्तरीय तंत्र है।
- इसमें दो उप-सिमितियाँ शामिल हैं, जो सहयोग के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती हैं:
 - राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति।
 - 🙎 अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति।
- ब्रिटेन, फ्राँस और चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने ऐसी सामरिक साझेदारी की है।

) संचालनः

- SPC चार कार्यात्मक स्तरों पर कार्य करती है:
 - शिखर सम्मेलन स्तर, जिसमें प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस शामिल हैं।
 - 🗷 मंत्री-स्तरीय व्यस्तताएँ।
 - वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें।
 - विस्तृत चर्चाओं और कार्य योजनाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु संयुक्त कार्य समृह (JWG)।

🗅 महत्त्वपूर्ण कार्यः

- SPC विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह संयुक्त पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये विभिन्न स्तरों पर गहन चर्चा, नीति निर्माण और समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।
- प्रत्येक सिमिति के तहत JWG सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों के लिये एक संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

भारत और सऊदी अरब का संबंध:

⊃ तेल और गैस:

- भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 18% से अधिक आयात करता है और अधिकांश LPG आयात सऊदी अरब से करता है।
- सऊदी अरब वर्तमान में भारत में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा
 आपूर्तिकर्ता है (आपूर्ति के संदर्भ में इराक शीर्ष पर है)।

द्विपक्षीय व्यापारः

- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- विभिन्न आयात और निर्यात के साथ वित्त वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 29.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ।

सांस्कृतिक संबंधः

- हज यात्रा और इस यात्रा संबंधी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है।
- वर्ष 2018 में आयोजित सऊदी राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति महोत्सव में भारत ने 'सम्मानित अतिथि' के रूप में भाग लिया।

⊃ नौसेना अभ्यास:

 वर्ष 2021 में भारत और सऊदी अरब ने अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास अल-मोहद अल-हिंदी अभ्यास शुरू किया।

सऊदी अरब में भारतीय समुदाय:

 सऊदी अरब में 2.6 मिलियन भारतीय के साथ राज्य में सबसे बडा प्रवासी समुदाय है और सऊदी अरब के विकास में इनका अहम योगदान है।

भारत-इज़रायल संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) तथा इजरायल के रक्षा अनुसंधान और विकास (DDR&D) ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएँ:

- इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम और सेमीकंडक्टर, सिंथेटिक बायोलॉजी, सतत् ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर एक साथ कार्य करना है। वे पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- सहयोग में एयरोस्पेस, रसायन और बुनियादी ढाँचे जैसे महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र शामिल होंगे।
- पारस्परिक रूप से लाभकारी औद्योगिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिये CSIR एवं DDR&D के प्रमुखों के नेतृत्व वाली एक संयुक्त संचालन समिति द्वारा समझौता ज्ञापन की निगरानी की जाएगी।



भारत-इज़रायल संबंध:

⊃ कूटनीतिकः

- हालाँकि भारत ने वर्ष 1950 में इज़रायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनियक संबंध 29 जनवरी, 1992 को स्थापित हुए।
- दिसंबर 2020 तक भारत संयुक्त राष्ट्र (UN) के 164 सदस्य देशों में से एक था, उसके इजरायल के साथ राजनियक संबंध थे।

आर्थिक और वाणिज्यिक:

- भारत और इज़राइल के बीच व्यापार कोविड-19 महामारी से पहले के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023 जनवरी तक लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
 प्र हीरे का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है।
- भारत एशिया में इज्ञरायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर सातवाँ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
 - इजरायली कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है और भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने के लिये इजराइल के साथ भी बातचीत कर रहा है।

⊃ रक्षाः

- भारत, इजराइल से हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जो इसके वार्षिक हथियारों के निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है।
- भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इजरायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल किया है, जिसमें फाल्कन AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स), हेरॉन, सर्चर- II, हारोप ड्रोन से लेकर बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली और स्पाइडर क्विक-रिएक्शन विमान भेदी मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
 - द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर 15वें संयुक्त कार्य समूह (JWG 2021) की बैठक में देशों ने सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक व्यापक दस-वर्षीय रोडमैप तैयार करने के लिये टास्क फोर्स बनाने पर सहमित व्यक्त की।

🗅 कृषिः

मई 2021 में कृषि सहयोग में विकास के लिये "तीन वर्ष के कार्य कार्यक्रम समझौते" पर हस्ताक्षर किये गए। कार्यक्रम का उद्देश्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, CoE की मूल्य शृंखला में वृद्धि करना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मिनर्भर बनाना और निजी क्षेत्र की कंपिनयों तथा उनके सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

- हाल के वर्षों में इज़रायल के स्टार्ट-अप नेशनल सेंट्रल तथा iCreate और TiE (टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स) जैसे भारतीय उद्यमिता केंद्रों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- वर्ष 2022 में दोनों देशों ने भारत-इज्ञरायल औद्योगिक R&D और नवाचार निवेश (I4F) के दायरे को बढ़ाया, जिसमें अक्षय ऊर्जा तथा ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) जैसे क्षेत्रों के शिक्षा तथा व्यावसायिक संस्थाओं की भागीदारी में वृद्धि शामिल है।
 - म I4F नामित "लक्षित क्षेत्र (Focus Sectors)" में समस्याओं का समाधान करने के लिये इजरायल एवं भारतीय उद्यमों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास पहल को प्रोत्साहित करने, सुविधा प्रदान करने व समर्थन करने हेतु दोनों देशों के बीच साझेदारी है।

⊃ अन्य:

इज्ञरायल भी भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) में शामिल हो रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा में अपने सहयोग को बढ़ाने एवं स्वच्छ ऊर्जा में भागीदार बनाने के दोनों देशों के उद्देश्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है।

जेनिन शरणार्थी शिविर में इज़रायली सैन्य अभियान

हाल ही में इजरायल ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में जेनिन शरणार्थी शिविर में एक सैन्य अभियान शुरू किया, जो दूसरे फिलिस्तीनी विद्रोह (2000-2005) के दौरान किये गए व्यापक पैमाने के अभियानों जैसा था।

- इस ऑपरेशन का उद्देश्य हथियारों को नष्ट करना और जब्त करना तथा विशिष्ट आतंकवादी समूहों को लक्षित करना था। इसमें लगभग 2,000 सैनिक शामिल थे और हमलों के लिये सैन्य ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था।
- जेनिन शिविर ऐतिहासिक रूप से इजरायल के कब्जे के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का गढ़ और हिंसा का केंद्र बिंदु रहा है। जेनिन शरणार्थी शिविर से संबंधित मुख्य बिंदु:
- जेनिन शरणार्थी शिविर एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर है जो उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन क्षेत्र में स्थित है।

- वर्ष 1953 में स्थापित यह शिविर वर्ष 1948 के अरब-इजरायल युद्ध के दौरान विस्थापित हुए फिलिस्तीनी शरणार्थियों को समायोजित करने हेतु बनाया गया था जिसे नकबा (अरबी में "तबाही") के रूप में भी जाना जाता है।
- यह शिविर वर्षों से फिलिस्तीनी आतंकवादियों और इजरायली सेना के बीच निरंतर संगर्ष का स्थल भी रहा है।
 - दूसरे फिलिस्तीनी विद्रोह, जिसे अल-अक्सा इंतिफादा (वर्ष 2000-2005) के नाम से भी जाना जाता है, के दौरान इस शिविर ने तब विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया था जब यह इजरायली कब्जे के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का गढ़ बन गया था।
- जेनिन शरणार्थी शिविर फिलिस्तीनी शरणार्थी मुद्दे तथा मौजूदा इज्ञरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है।
 इज्ञरायल-फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान:

अल-अक्सा मस्जिदः

- यह इस्लाम में आस्था रखने वालों के लिये सबसे पवित्र संरचनाओं में से एक है जिसे मुस्लिमों द्वारा हरम अल-शरीफ या पवित्र पूजा स्थल (Noble Sanctuary) तथा यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट (Temple Mount) के रूप में जाना जाता है।
- यह स्थल प्राचीन शहर यरुशलम का हिस्सा है जिसे ईसाइयों,
 यहूदियों और मुसलमानों के लिये पिवत्र माना जाता है।

शेख जर्राहः

- शेख जर्राह पूर्वी येरुशलम में पुराने शहर के उत्तर में स्थित एक पड़ोसी क्षेत्र है।
 - वर्ष 1948 में जब इजरायल की स्थापना हुई, तब लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया।
- उन फिलिस्तीनी परिवारों में से अट्ठाईस परिवार पूर्वी येरुशलम
 में शेख जर्राह में जाकर बस गए।

वेस्ट बैंकः

- वेस्ट बैंक पश्चिम एशिया में स्थलों से घिरा क्षेत्र है। इसमें
 पश्चिमी मृत सागर का एक बड़ा भाग भी शामिल है।
- अरब-इजरायल युद्ध (1948) के बाद इस पर जॉर्डन ने कब्ज़ा कर लिया था लेकिन वर्ष 1967 के छह दिवसीय युद्ध के दौरान इजरायल ने इसे वापस लिया और तब से इस पर इज़राईल का नियंत्रण है।
 - वेस्ट बैंक इज़राईल और जॉर्डन के बीच स्थित है।

गाजा पट्टीः

- गाजा पट्टी इजरायल और मिस्र के बीच स्थित है। इजरायल ने वर्ष 1967 के बाद गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान अधिकांश क्षेत्र में गाजा शहर और दैनंदिन प्रशासन पर नियंत्रण हटा लिया गया।
- वर्ष 2005 में इजरायल ने एकतरफा तरीके से यहूदी बस्तियों को क्षेत्र से हटा दिया, हालाँकि इसने अंतर्राष्ट्रीय पहुँच को नियंत्रित करना जारी रखा है।

🔾 गोलान हाइट्स:

- गोलान हाइट्स एक रणनीतिक पठार है जिसे इजरायल ने वर्ष 1967 के युद्ध में सीरिया से छीनकर अपने अधीन कर लिया था। इजरायल ने वर्ष 1981 में इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से अपने अधीन कर लिया।
- वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर जेरुसलम और गोलान हाइट्स को इजरायल का हिस्सा माना।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात CEPA का एक वर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के कार्यान्वयन का एक वर्ष पूरा हो गया है।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):

- यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है।
- यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार करता है।
- साझेदारी या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं।
- CEPA व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात CEPA:

⊃ परिचय:

भारत-संयुक्त अरब अमीरात CEPA दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में व्यापार शामिल है।

- CEPA 1 मई, 2022 को लागू हुआ और उम्मीद है कि पाँच वर्षों के भीतर वस्तुओं के मामले में द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक और सेवाओं में व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा।
- CEPA पिछले एक दशक में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला सुदृढ़ और पूर्ण FTA है।

🗅 मुख्य विशेषताएँ:

व्यापार में सिम्मिलित वस्तुः

- CEPA भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किये जाने वाले व्यापार से 80 प्रतिशत अधिक उत्पादों के लिये अधिमान्य बाजार पहुँच प्रदान करता है।
- भारत को विशेष रूप से रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, खेल का सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि तथा लकड़ी के उत्पादों, इंजीनियरिंग उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों तथा ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात को अपने निर्यात पर टैरिफ में कमी करने या उन्मलन से लाभ होगा।

व्यापार में सिम्मिलित सेवाएँ:

- CEPA में 11 व्यापक सेवा क्षेत्र और 100 से अधिक उप-क्षेत्र शामिल हैं, जैसे- व्यवसाय सेवाएँ, संचार सेवाएँ, निर्माण और इंजीनियरिंग संबंधित सेवाएँ, वितरण सेवाएँ, शैक्षिक सेवाएँ, पर्यावरण सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक सेवाएँ, पर्यटन एवं यात्रा संबंधित सेवाएँ, मनोरंजक सांस्कृतिक तथा खेल सेवाएँ और परिवहन सेवाएँ।
- दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में एक-दूसरे के सेवा प्रदाताओं के लिये बाजार तक बेहतर पहुँच की पेशकश की है।

निवंशः

- CEPA भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार निवेश के लिये एक उदार और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवस्था प्रदान करता है।
- इसमें विवाद निपटान और निवेश सुविधा पर सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं।

💠 सहयोग के कुछ अन्य क्षेत्र:

- निवेश का संरक्षण और संवर्द्धन
- 🗷 व्यापार तकनीकी बाधाएँ (TBT)
- 🗷 स्वच्छता और फाइटोसैनेटिक (SPS) उपाय
- विवाद निपटान
- पर्यावरणीय आंदोलन

- 💢 दवा उत्पाद
- चौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
- 🙎 डिजिटल व्यापार

भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापार संबंध:

🗅 व्यापार :

संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (अमेरिका, चीन के बाद) है। वर्ष 2021 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कारोबार 68.4 अरब अमेरिकी डॉलर का था।

⇒ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):

संयुक्त अरब अमीरात अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक 15,179 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी FDI प्रवाह के साथ भारत में 7वाँ सबसे बडा निवेशक है।

🗅 निर्यात:

संयुक्त अरब अमीरात को होने वाले प्रमुख भारतीय निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, मशीनरी एवं उपकरण, रसायन, लोहा तथा इस्पात, कपड़ा व वस्त्र, अनाज, मांस और मांस उत्पाद आदि शामिल हैं।

⊃ आयात:

संयुक्त अरब अमीरात से होने वाले प्रमुख भारतीय आयात में कच्चा तेल, सोना, मोती और कीमती पत्थर, धातु अयस्क एवं धातु स्क्रैप, रसायन, विद्युत मशीनरी आदि शामिल हैं।

व्यापार संबंधों पर भारत-संयुक्त अरब अमीरात CEPA का प्रभावः

द्विपक्षीय व्यापारः

वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वाणिज्य में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल की गई है, यह वित्त वर्ष 2022 के 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि 16% की वृद्धि है।

💠 संयुक्त अरब अमीरात को भारत से निर्यात:

- भारतीय निर्यात 28 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया (उपर्युक्त समान अवधि में); प्रतिशत के संदर्भ में 11.8%की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि।
- इसी अवधि के दौरान भारत के वैश्विक निर्यात में 5.3% की वृद्धि हुई थी, यदि संयुक्त अरब अमीरात को छोड़ दिया जाए तो भारत का वैश्विक निर्यात 4.8% की दर से बढा है।

वे क्षेत्र जिनमें निर्यात में काफी वृद्धि हुई, इस प्रकार हैं:

- 🗷 खनिज ईंधन
- विद्युत मशीनरी (विशेष रूप से टेलीफोन उपकरण)
- 🗷 रत्न और आभूषण
- 🗷 ऑटोमोबाइल (परिवहन वाहन)
- आवश्यक तेल/इत्र/प्रसाधन सामग्री (सौंदर्य/त्वचा देखभाल उत्पाद)
- 🗷 अन्य मशीनरी
- ⊭ अनाज (चावल)
- कॉफी/चाय/मसाले
- रासायनिक उत्पाद

भारत-ओमान द्विपक्षीय बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और ओमान द्वारा 'भारत-ओमान संयुक्त दृष्टिकोण-भविष्य के लिये साझेदारी' को अपनाया गया, जो द्विपक्षीय सहयोग के लिये मंच तैयार कर रहा है एवं दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग के लिये मार्ग तैयार कर रहा है।

यह विज्ञन विशेष तौर पर 8 से 10 क्षेत्रों में साझेदारी स्थापित करने पर केंद्रित है जिनमें समुद्री सहयोग तथा कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, पर्यटन, आतिथ्य, कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

द्विपक्षीय बैठक के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

इिपक्षीय समझौते:

दोनों देशों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, वित्तीय अपराधों से निपटने तथा ओमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की हिंदी पीठ की स्थापना करने जैसे क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

⊃ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):

दोनों देशों के बीच CEPA को अंतिम रूप देने को लेकर वार्ता चल रही है। दोनों पक्षों के नेताओं ने आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिये इस समझौते को जल्द-से-जल्द संपन्न करने पर जोर दिया।

ओमान-भारत निवेश फंड:

दोनों पक्षों ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ओमान-भारत निवेश फंड के तीसरे चरण की घोषणा की, जिसका उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिये किया जाएगा। इस निधि को SBI तथा ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच समान हिस्सेदारी वाले संयुक्त सहयोग के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा उसके बाद 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन हुआ।

🗅 डिजिटल भुगतान तथा व्यापार:

- ओमानी प्लेटफॉर्म के सहयोग से भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करने की संभावना पर चर्चा हुई।
- इसके अतिरिक्त, रुपए में व्यापार करने की संभावना पर भी विचार किया गया, हालाँकि यह अभी भी चर्चा के चरण में है।

🗅 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्देः

- दोनों देशों के नेताओं ने हमास तथा इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों पर दृष्टिकोण का आदान-प्रदान किया।
- उन्होंने आतंकवाद की चुनौती पर चर्चा की और फिलिस्तीन मुद्दे
 के समाधान के लिए दो-राज्य समाधान की वकालत की।

भारत-ओमान रिश्ते कैसे रहे हैं?

🔾 पृष्ठभूमि:

- अरब सागर के पार के दोनों देश भूगोल, इतिहास तथा संस्कृति से जुड़े हुए हैं तथा उनके बीच मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिसका श्रेय ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंधों को दिया जाता है।
- ओमान सल्तनत, खाड़ी में भारत का एक सामिरक साझेदार है तथा खाड़ी सहयोग पिरषद (GCC), अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) मंच पर एक महत्त्वपूर्ण वार्ताकार रहा है।
- गांधी शांति पुरस्कार 2019 स्वर्गीय एच.एम. सुल्तान कबूस को भारत और ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके नेतृत्व और खाड़ी क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिये मान्यता प्रदान की गयी है।

🔾 रक्षा संबंध:

♦ संयुक्त सैन्य सहयोग सिमति (JMCC):

- JMCC रक्षा के क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच जुड़ाव का सर्वोच्च मंच है।
- इसकी वार्षिक बैठक होने की संभावना है, वर्ष 2018 में जब 9वीं JMCC की बैठक ओमान में आयोजित की गई थी तब से इसका आयोजन नहीं किया जा सका है।

सैन्य अभ्यासः

- सैन्य अभ्यास: अल नजाह
- 🙎 वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज
- नौसैनिक अभ्यास: नसीम अल बह

आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध:

- संयुक्त आयोग बैठक (JCM) और संयुक्त व्यापार परिषद (JBC) जैसे संस्थागत तंत्र भारत और ओमान के बीच आर्थिक सहयोग की देखरेख करते हैं।
- भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
 - वर्ष 2022 के लिये ओमान के कच्चे तेल निर्यात के लिये चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
 - भारत वर्ष 2022 के लिये ओमान के गैर-तेल निर्यात के लिये संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार है और संयुक्त अरब अमीरात के बाद इसके आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
- भारतीय कंपनियों ने ओमान में लोहा और इस्पात, सीमेंट,
 उर्वरक, कपड़ा आदि क्षेत्रों में निवेश किया है।
- भारत-ओमान संयुक्त निवेश कोष (OIJIF) भारतीय स्टेट बैंक और ओमान के राज्य जनरल रिजर्व फंड (SGRF) के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो भारत में निवेश करने के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन है।

🗅 ओमान में भारतीय समुदाय:

ओमान में लगभग 6.2 लाख भारतीय हैं, जिनमें से लगभग 4.8 लाख श्रमिक और पेशेवर हैं। ओमान में 150-200 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय परिवार रह रहे हैं।

भारत के लिये ओमान का सामरिक महत्त्व क्या है?

- ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर है जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का पाँचवाँ हिस्सा आयात करता है।
- रक्षा सहयोग मजबूत भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी के लिये एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। रक्षा आदान-प्रदान एक फ्रेमवर्क एमओयू द्वारा निर्देशित होते हैं जिसे हाल ही में 2021 में नवीनीकृत किया गया था।
- खाड़ी क्षेत्र में ओमान एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाएँ नियमित द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता आयोजित करती हैं, जिससे पेशेवर स्तर पर घनिष्ठ सहयोग तथा विश्वास संभव होता है।

- ओमान हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) में भी सिक्रय रूप से भाग लेता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पदिचह्न का विस्तार करने के लिये एक रणनीतिक कदम में भारत ने सैन्य उपयोग और रसद सहायता के लिये ओमान में डुक्म (Duqm) के प्रमुख बंदरगाह तक पहुँच हासिल कर ली है। यह क्षेत्र चीनी प्रभाव और गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये भारत की समुद्री रणनीति का हिस्सा है।
 - डुक्म बंदरगाह ओमान के दक्षिणपूर्वी समुद्री तट पर अरब सागर और हिंद महासागर की ओर स्थित है।
 - यह रणनीतिक रूप से ईरान में चाबहार बंदरगाह के नजदीक स्थित है। सेशेल्स में विकसित किये जा रहे असेम्प्शन द्वीप और मॉरीशस में अगालेगा के साथ डुक्म भारत के सिक्रय समुद्री सुरक्षा रोडमैप के अनुरूप है।

<mark>ओमान के बारे में मुख्य तथ्य</mark>:

सीमावर्ती देश:

- 💠 उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- 💠 पश्चिम और दक्षिणपश्चिम में सऊदी अरब
- दक्षिण पश्चिम में यमन

⊃ मरुस्थलः

ओमान में सबसे बड़ा मरुस्थल रब अल खली या "एम्प्टी क्वार्टर" है, जो विश्व के सबसे बड़े अविरल रेतीले मरुस्थलों में से एक है।

⊃ नदी:


- ओमान में बारहमासी निदयाँ नहीं हैं; हालाँिक, मौसमी बारिश के दौरान, वादियाँ (मौसमी नदी तल) जल के साथ प्रवाहित होती हैं।
- सबसे उल्लेखनीय वादी बानी खालिद है, जो अपने प्राकृतिक तालाबों और आश्चर्यजनक दृश्यों के लिये प्रसिद्ध है।

🔾 सबसे ऊँचा पर्वत:

 अल हजर पर्वत शृंखलाओं में स्थित जेबेल शम्स, ओमान का सबसे ऊँचा पर्वत है।

🗅 भूगोल:

 ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिणपूर्वी तट पर स्थित है, जो अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है।



इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गाजा पट्टी पर शासन करने वाले उग्रवादी समूह हमास ने जल, थल और वायु मार्ग से इजरायल पर विनाशकारी हमला किया, जिसमें कई लोगों की जान गई है। इससे इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के बीच सदियों से चला आ रहा विवाद पुनर्जीवित हो गया है, जिसमें वैश्विक एवं क्षेत्रीय शक्तियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

हालिया कुछ समय पहले इजराइल ने यूएई, सऊदी अरब आदि पड़ोसी देशों के साथ कई शांति समझौते किये हैं, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष से इन समझौतों पर प्रभाव पडना निश्चित है।

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्षः

🗅 बॅल्फोर घोषणा:

इज़रायल-फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की नींव वर्ष 1917 में रखी
 गई थी जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स

बॅल्फोर ने बॅल्फोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में यहूदियों के लिये "नेशनल होम" हेतु ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया था।

) फिलिस्तीन का निर्माण:

- अरब और यहूदी हिंसा को रोकने में असमर्थ ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सेनाएँ वापस बुला लीं और प्रतिस्पर्द्धी दावों का निपटान करने की जिम्मेदारी नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र पर छोड दी।
 - संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य के निर्माण के लिये एक विभाजन योजना प्रस्तुत की जिसे अधिकांश अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया।

🗅 अरब इज़रायल युद्ध (1948):

वर्ष 1948 में इजरायल की स्वतंत्रता की यहूदी घोषणा के बाद से पड़ोसी अरब राज्यों ने इजरायल पर आक्रमण शुरू कर दिया। इन युद्धों के अंत में इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना की अपेक्षा लगभग 50% अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया।

संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजनाः

इस योजना के अनुसार, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और यरूशलम के पिवत्र स्थलों तथा मिस्र ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया किंतु यह फिलिस्तीनी संकट को हल करने में विफल रहा जिसके कारण वर्ष 1964 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का गठन हुआ।

⊃ फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO):

- फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की स्थापना फिलिस्तीन को इजरायल और यहूदी प्रभुत्व से मुक्त कराने तथा अरब राज्यों पर मुस्लिम राज्यों का प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी।
 - संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1975 में PLO को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया तथा फिलिस्तीनियों के आत्मिनर्णय के अधिकार को मान्यता दी।
- छह दिवसीय युद्ध: वर्ष 1967 के युद्ध में इजरायली सेना ने सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम तथा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप व गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया।

⊃ कैंप डेविड एकॉर्ड्स (1978):

अमेरिका की मध्यस्थता में "मध्य-पूर्व क्षेत्र में शांति के लिये रूपरेखा" ने इजरायल और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच शांति वार्ता तथा "फिलिस्तीनी समस्या" के समाधान के लिये मंच प्रदान किया किंतु इसकी उपयोगिता न के बराबर रही।

हमास का उदय:

- वर्ष 1987: हमास मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक हिंसक शाखा थी, जो हिंसक जिहाद के माध्यम से अपने एजेंडे को पूरा करना चाहती थी।
 - हमास: अमेरिका इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। वर्ष 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के विधायी चुनाव में जीत दर्ज की और वर्ष 2007 में फतह को गाजा से अलग कर दिया, साथ ही फिलिस्तीनी आंदोलन को भौगोलिक रूप से भी विभाजित कर दिया।
- वर्ष 1987: वेस्ट बैंक और गाजा के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में तनाव चरम पर पहुँच गया जिसके परिणामस्वरूप पहला इंतिफादा (फिलिस्तीनी विद्रोह) हुआ। यह फिलिस्तीनी उग्रवादियों तथा इजरायली सेना के बीच एक छोटे युद्ध में परिवर्तित हो गया।

अोस्लो समझौताः

वर्ष 1993: ओस्लो समझौते के तहत इजरायल और PLO आधिकारिक तौर पर एक-दूसरे को मान्यता देने एवं हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगाने पर सहमत हुए। ओस्लो समझौते

- द्वारा फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भी स्थापना की गई, जिसे गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित स्वायत्तता स्थापित हुई।
- वर्ष 2005: इजरायल ने गाजा क्षेत्र से यहूदियों को वापस लाना शुरू कर दिया।। हालाँकि इजरायल ने सभी सीमा पारगमन पर कड़ी निगरानी बनाए रखी।
- वर्ष 2012: संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का दर्जा अब "गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य" का है।

⊃ पड़ोसी देशों के साथ इज़रायल का क्षेत्रीय विवाद:


- वेस्ट बैंक: वेस्ट बैंक इजरायल और जॉर्डन के बीच स्थित है। रामल्लाह वेस्ट बैंक के प्रमुख शहरों में से एक है, जो फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजरायल ने इस पर कब्जा कर लिया तथा पिछले कुछ वर्षों में वहाँ बस्तियाँ भी बसा लीं हैं।
- गाजा: गाजा पट्टी इजरायल और मिस्र के बीच स्थित है। इजरायल ने वर्ष 1967 के बाद इस पर नियंत्रण कर लिया, किंतु ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान अधिकांश क्षेत्र में गाजा शहर व दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से नियंत्रण हटा लिया। वर्ष 2005 में इजरायल ने एकतरफा यहूदी बस्तियों को गाजा क्षेत्र से हटा दिया, लेकिन इसने यहाँ पर अन्य राज्यों की पहुँच को नियंत्रित करना जारी रखा है।
- गोलान हाइट्स: वर्ष 1967 के युद्ध के दौरान इजरायल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा कर लिया और वर्ष 1981 में इस पर पूर्ण रूप से कब्ज़ा कर लिया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरुशलम और गोलान हाइट्स को इजरायल के हिस्से के रूप में मान्यता दी है।

पिछले कुछ वर्षों में इज़रायल और भारत के संबंध:

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख:

- भारत वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना का विरोध करने वाले कुछ देशों में से एक था।
- भारत ने वर्ष 1950 में इजरायल को मान्यता दी थी लेकिन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइज्रेशन (PLO) को फिलिस्तीन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला यह पहला गैर-अरब देश भी है। भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले पहले देशों में से एक है।

हाल के दिनों में भारत का रुख डी-हाईफेनेशन नीति की ओर देखा जा रहा है।



डी-हाईफेनेशन नीतिः

- 🗷 विश्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाले इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति पहले चार दशकों के लिये स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन समर्थक होने से लेकर बाद के तीन दशक में इजरायल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ संतुलन बनाने वाली रही।
- 🗷 हाल के वर्षों में भारत की स्थित को भी इज़रायल समर्थक के रूप में देखा जा रहा है।

💠 इसके अतिरिक्त भारत इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में दो-राज्य समाधान (Two-State Solution) में विश्वास करता है तथा शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों के लिये आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रस्ताव करता है।

गाज़ा पट्टी

इज़राइल और हमास आतंकवादियों के बीच हाल ही में बढ़े संघर्ष के कारण गाजा पट्टी वैश्विक सुर्खियों में आ गया है।

 इस उथल-पुथल के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने क्षेत्र के आवश्यक संसाधनों को बंद करते हुए, गाजा पट्टी की "पूर्ण घेराबंदी" की घोषणा की। इस कदम ने वर्ष 2007 से जारी गाजा नाकाबंदी के लंबे समय से चले आ रहे विवादास्पद मुद्दे को उजागर किया है।



गाज़ा पट्टी के संबंध में महत्त्वपूर्ण पहलू?

- परिचयः गाजा पट्टी पूर्वी भू-मध्यसागरीय बेसिन में स्थित है, जो दक्षिण पश्चिम में मिस्र और उत्तर व पूर्व में इजराइल के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम में यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है।
 - यह विश्व स्तर पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है,
 जहाँ एक छोटे से क्षेत्र में 2 मिलियन से अधिक निवासी रहते हैं।
 - गाजा की स्थितियों को दर्शाने के लिये शिक्षाविदों, कार्यकर्त्ताओं और पत्रकारों द्वारा "ओपन एयर प्रिजन" शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।


🔾 ऐतिहासिक महत्त्व:

- वर्ष 1967 के छह-दिवसीय युद्ध के परिणामस्वरूप इजराइल ने गाजा पर अधिकार कर लिया और क्षेत्र पर अपना सैन्य कब्जा शुरू कर दिया।
 - इजराइल ने वर्ष 2005 में गाजा से अपनी बस्तियाँ हटा लीं, लेकिन इस अवधि में व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही पर कभी-कभी नाकाबंदी भी हई।
- वर्ष 2007 में हमास के गाजा में सत्ता संभालने के बाद, इजराइल और मिस्र ने इसे सुरक्षा हेतु आवश्यक बताते हुए स्थायी नाकाबंदी लागू कर दी।

मानवीय मामलों के समन्वय के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs- UN-OCHA) ने बताया कि नाकाबंदी ने गाजा की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में उच्च बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा और सहायता निर्भरता बढ़ गई है।

> संबंधित सीमा क्षेत्र:

- गाजा तीनों ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है, हालाँकि जमीन के सिर्फ दो तरफ इजराइल है लेकिन पश्चिम की दिशा में भूमध्यसागर में इसकी जलीय सीमा इजराइल द्वारा नियन्त्रित होती है। जिससे समुद्र के रास्ते प्रवेश पर रोक लग जाती है।
 - इसमें तीन कार्यात्मक सीमा क्रॉसिंग मौजूद हैं- करीम अब्
 सलेम क्रॉसिंग एवं इजराइल द्वारा नियंत्रित इरेज क्रॉसिंग
 और मिस्र द्वारा नियंत्रित राफा क्रॉसिंग ।
 - वर्तमान शत्रुता के प्रतिउत्तर में इन क्रॉसिंगों को सील कर दिया गया है।
- सुर्खियों में संबद्ध स्थान:



भारत-थाईलैंड संबंध

चर्चा में क्यों?

8वीं भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ जिसके दौरान दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।

वार्ता के प्रमुख बिंदुः

- इसमें विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
- रक्षा, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में समन्वय को बढावा देने पर बल दिया गया।
 - थाईलैंड ने भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता में विश्वास व्यक्त
- इस दौरान सहयोग के उभरते क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों के समाधान की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को भी स्पष्ट किया गया। थाईलैंड के साथ भारत के संबंध:

राजनियक संबंध:

- थाईलैंड और भारत के बीच राजनियक संबंध 1947 से है।
- 💠 ये संबंध आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव पर निर्मित हैं जो 2000 से अधिक वर्षों से मौजूद हैं।

💠 भारत की 'लुक ईस्ट' नीति (वर्ष 1993 से) और थाईलैंड की 'लुक वेस्ट' नीति (वर्ष 1996 से), जो अब भारत की 'एक्ट ईस्ट' और थाईलैंड की 'एक्ट वेस्ट' में बदल गई है, आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों सिहत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में दृढ़ता से योगदान दे रही हैं।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:

- वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 12.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और महामारी की स्थिति के बावजूद वर्ष 2020 में यह 9.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
 - म वर्ष 2018 में भारत को थाईलैंड द्वारा लगभग 7.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया था. जबिक थाईलैंड को भारत द्वारा लगभग 4.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया था।
- भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहँच गया।
- ♦ आसियान क्षेत्र में सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का 5वाँ सबसे बडा व्यापारिक भागीदार है।

प्र वर्तमान में थाई सामानों को आसियान-भारत FTA के तहत कर कटौती से लाभ हुआ है, जो जनवरी 2010 में लागू हुआ था।

🗅 रक्षा सहयोग:

समय के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ है और इसमें रक्षा संवाद बैठकें, सेनाओं के बीच आदान-प्रदान, उच्च-स्तरीय दौरे, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।

💠 रक्षा अभ्यास:

- д अभ्यास मैत्री (सेना)।
- 🗷 सियाम भारत अभ्यास (वायु सेना)।
- भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती (नौसेना)।

कनेक्टिविटी:

- वर्ष 2019 में लगभग 1.9 मिलियन भारतीय पर्यटकों ने थाईलैंड का दौरा किया, जबिक लगभग 160,000 थाई पर्यटकों ने मुख्य रूप से बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिये भारत का दौरा किया।
- भारत और थाईलैंड बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) ढाँचे के लिये बंगाल की खाड़ी पहल के तहत भी क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के लिये मिलकर काम कर रहे हैं।
- बहुप्रतीक्षित भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग से पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के माध्यम से भूमि संपर्क का विस्तार होने की उम्मीद है, जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच पहला सीमा पार सुविधा समझौता बन गया है।

⇒ सांस्कृतिक सहयोगः

- भारत और थाईलैंड में भारतीय सांस्कृतिक मंडलों, त्योहारों और कार्यक्रमों के लिये नियमित यात्राओं के साथ एक मज़बूत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम है।
- एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, जिसे अब स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र के रूप में जाना जाता है, बैंकॉक में वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था।
- श्री गुरुनानक देव जी की 550वीं जयंती थाईलैंड में भी विभिन्न कार्यक्रमों और बैंकॉक में एक भव्य नगर कीर्तन जुलूस के साथ मनाई गई।
- भारत के संविधान का थाई भाषा में अनुवाद थाईलैंड में शुरू किया गया था।

भारत-सिंगापुर संबंध

चर्चा में क्यों?

भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और शिक्षा एवं कौशल विकास में द्विपक्षीय जुड़ाव को व्यापक बनाने के अवसरों की तलाश के उद्देश्य से सिंगापुर की तीन दिवसीय यात्रा शुरू की।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सिंगापुर सरकार के विभिन्न प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात की और स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया।
 - इसमें सहयोग को मज़बूत करने और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर डीपीएम एवं वित्त मंत्री, सिंगापुर के साथ एक रचनात्मक बैठक शामिल है।
 - बैठक में जीवनपर्यंत शिक्षण के अवसर पैदा करने, भिवष्य के लिये तैयार कार्यबल के निर्माण और ज्ञान एवं कौशल विकास को रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बनाने पर जोर दिया गया।
- केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 पर प्रकाश डाला और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण की बाजार प्रासंगिकता और उच्च शिक्षा योग्यता ढाँचे के साथ कौशल योग्यता ढाँचे के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया।
- मंत्री ने सिंगापुर की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने, सहयोग करने और भारतीय जरूरतों को पूरा करने के लिये इसे अनुकूलित करने पर जोर दिया।

सिंगापुर के साथ भारत के संबंध:

🔾 पृष्ठभूमि:

- भारत और सिंगापुर के बीच घनिष्ठ संबंधों का इतिहास है जो एक सहस्राब्दी के मजबूत वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों में निहित है।
- आधुनिक संबंधों का श्रेय सर स्टैमफोर्ड रैफल्स को दिया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1819 में मलक्का जलडमरूमध्य के मार्ग पर सिंगापुर में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की, जो बाद में एक क्राउन कॉलोनी बन गई और वर्ष 1867 तक कोलकाता से शासित हुआ।
 - स्वतंत्रता के बाद भारत, वर्ष 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।

🗅 व्यापार और आर्थिक सहयोग:

सिंगापुर, आसियान में भारत के सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदारों में से एक है तथा वर्ष 2021-22 में यह आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार का 27.3% था।

- संगापुर, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी प्रमुख स्रोत है। पिछले 20 वर्षों में सिंगापुर से भारत में किया गया कुल निवेश लगभग 136.653 बिलियन डॉलर है और यह कुल FDI प्रवाह का लगभग 23% है।
- भारत और सिंगापुर के मध्य वर्ष 2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
 - भारत और सिंगापुर ने व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिये भारत-सिंगापुर बिज्ञनेस फोरम तथा भारत-सिंगापुर सीईओ फोरम जैसी कई पहलों पर भी सहयोग किया है।
- हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और सिंगापुर के PayNow को फरवरी 2023 में दोनों देशों के बीच तेज़ी से प्रेषण को सक्षम करने के लिये एकीकृत किया गया है।

🗅 रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:

- दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा
 को लेकर चिंताएँ साझा करते हैं।
 - वर्ष 2015 में राजनियक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ के अवसर पर उन्होंने अपने संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया।
- उन्होंने रक्षा सहयोग समझौता- 2003 और नौसेना सहयोग समझौता- 2017, जैसे अपने रक्षा संबंधों को मज़बूत करने के लिये कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
 - सैन्य अभ्यास:
- ♦ नौसेना: SIMBEX
- ♦ वायु सेना: SINDEX
- थल सेना: बोल्ड कुरुक्षेत्र

शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोगः

- DST-CII भारत-सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का
 28वाँ संस्करण फरवरी 2022 में आयोजित किया गया था।
 - इसमें AI, IoT, फिनटेक, हेल्थकेयर, बायोटेक, स्मार्ट विनिर्माण, ग्रीन मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और रसद आपूर्ति समाधान, स्मार्ट विनिर्माण तथा सतत् शहरी विकास में भारत एवं सिंगापुर के सहयोग को भी दर्शाया गया है।
- ISRO ने वर्ष 2011 में सिंगापुर का पहला स्वदेश निर्मित माइक्रो-सैटेलाइट भी प्रमोचित किया था।
- सिंगापुर 'आधार' जैसी राष्ट्रीय पहचान प्रणाली की तर्ज पर डिजिटल सार्वजिनक बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा है।

- एक और संभावित अवसर यह है कि सिंगापुर के 'प्रॉक्सटेरा' (MSME पारिस्थितिकी तंत्र का वैश्विक डिजिटल केंद्र) का भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ एकीकरण हो सकता है
- सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध: दोनों देश सांस्कृतिक विविधता, भाषायी संबंध और धार्मिक सद्भाव की समृद्ध विरासत साझा करते हैं।
 - सिंगापुर में 3.9 मिलियन की निवासी आबादी में भारतीय लगभग 9.1% या लगभग 3.5 लाख हैं। उन्होंने सिंगापुर के आर्थिक विकास, सामाजिक ताने-बाने और सांस्कृतिक विविधता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
 - आसियान-भारत प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सिंगापुर में 6-7 जनवरी, 2018 को आसियान-भारत साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में "प्राचीन मार्ग, नई यात्रा" विषय के साथ आयोजित किया गया था।

🔾 अवसंरचना विकास में सहयोग:

- अवसंरचना विकास, स्मार्ट शहरों और शहरी नियोजन में सिंगापुर की विशेषज्ञता भारत के सतत् विकास एवं स्मार्ट शहरों के निर्माण के लक्ष्यों के अनुरूप है।
 - संगापुर की कंपनियाँ भारत में औद्योगिक पार्कों, हवाई अड्डों और शहरी अवसंरचना के विकास सिहत बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सिक्रय रूप से शामिल रही हैं।

जापान की एशिया ऊर्जा संक्रमण पहल

चर्चा में क्यों?

एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव (Asia Energy Transition Initiative- AETI) में भारत को शामिल कर जापान द्वारा भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन किये जाने की उम्मीद है।

वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया जापान का AETI, नवीकरणीय ऊर्जा हेतु 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता सिहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) देशों का शुरू में समर्थन करता है।

एशिया ऊर्जा संक्रमण पहल (AETI):

जापान सरकार ने "एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव (AETI)" की घोषणा की है, जिसमें एशिया में ऊर्जा परिवर्तन को साकार करने के लिये विभिन्न प्रकार के समर्थन शामिल हैं।

- 💠 ऊर्जा संक्रमण हेतु रोडमैप तैयार करने में सहायता।
- संक्रमण के एशियाई संस्करण का वित्तीयन।
- 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता।
 - म नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, LNG आदि के लिये।
- एशियाई देशों में 1,000 लोगों के लिये डीकार्बोनाइजेशन तकनीकों में क्षमता निर्माण।
 - अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन, ईंधन-अमोनिया, हाइड्रोजन आदि के लिये।
- डीकार्बोनाइज्रेशन प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण और एशिया
 CCUS नेटवर्क के माध्यम से ज्ञान साझाकरण।
 - ऊर्जा संक्रमण पर कार्यशालाएँ और सेमिनार।
 - प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन, 2 ट्रिलियन येन फंड की उपलब्धता का उपयोग।

भारत-जापान स्वच्छ ऊर्जा सहयोग की प्रमुख विशेषताएँ:

- भारत और जापान के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मार्च 2022 में शुरू हुई थी।
 - यह भारत-जापान ऊर्जा संवाद 2007 में शामिल एजेंडे पर काम करेगा और बाद में पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों में विस्तार करेगा।
- भारत और जापान ने क्रमश: G20 और G7 की अध्यक्षता संभाली है।
 - पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में पर्यावरण के लिये जीवन शैली
 (LiFE) भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता में सर्वोच्च
 प्राथमिकताओं में से एक है।
 - साथ ही जापान सरकार द्वारा फीड-इन प्रीमियम (FiP) योजना को अप्रैल 2022 में लागू किया गया था और इससे देश के ऊर्जा परिवर्तन में सुधार की उम्मीद है।
- जापान ने वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और सरकार ने मई 2022 में स्वच्छ ऊर्जा रणनीति पर एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की है।
 - भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया है।
- भारतीय उपमहाद्वीप की विशाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) उत्पादन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है।
 - नेपाल एवं भूटान में भी अधिशेष जल विद्युत क्षमता है और भारत तथा बांग्लादेश जैसे देश ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा इसका दोहन कर सकते हैं।

भारत-जापान पर्यावरण सप्ताह जैसे कार्यक्रम तकनीकी, संस्थागत और कार्मिक सहयोग के माध्यम से प्रणाली में परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिये एक रोडमैप बनाने में मदद करेंगे।

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:

🔾 परिचयः

- स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पारंपिरक, जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों (जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस) ऊर्जा के स्वच्छ, अधिक टिकाऊ स्रोतों में बदलाव को संदर्भित करता है जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पडता है।
- यह परिवर्तन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जीवाश्म ईंधन के उपयोग से जुड़े अन्य पर्यावरणीय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता से प्रेरित है

🔾 स्वच्छ ऊर्जा स्रोत:

स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे- सौर, पवन, जल, भूतापीय और बायोमास ऊर्जा के साथ-साथ बैटरी एवं हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति:

- रक्षा संबंधः भारत-जापान रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी क्रमशः धर्म गार्जियन तथा मालाबार सहित द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभ्यासों और पहली बार मिलन अभ्यास (MILAN Exercise) में भाग लेने वाले जापान के सहयोग से विकसित हुई है।
- स्वास्थ्य-देखभाल: जापान के AHWIN और भारत के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के समान लक्ष्य और उद्देश्य हैं, इसलिये दोनों पक्ष उन परियोजनाओं की पहचान करने के लिये मिलकर काम कर रहे हैं जो AHWIN के समान आयुष्मान भारत के सपने को साकार करने में मदद करेंगे।
- निवंश और ODA: भारत पिछले कुछ दशकों से जापान से आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता रहा है। दिल्ली मेट्रो, ODA के उपयोग के माध्यम से जापान के सहयोग के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है।
 - भारत की वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा आर्थिक साझेदारी (STEP) के लिये विशेष शर्तों के तहत प्रदान किये गए सॉफ्ट लोन द्वारा वित्तपोषित है।

भारत-UAE खाद्य सुरक्षा साझेदारी

चर्चा में क्यों?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE), जिसकी खाद्य सुरक्षा वैश्विक बाजारों से होने वाले आयात पर निर्भर है, अब आपूर्ति शृंखला संकट का सामना करने के लिये खाद्य पहुँच और तत्परता के दोहरे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है और खाद्य सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करने की संयुक्त अरब अमीरात की महत्त्वाकांक्षा के लिये एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है।
- भारत-UAE खाद्य सुरक्षा साझेदारी अभिसरण के कई बिंदुओं से लाभान्वित होती है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा साझेदारी को मज़बूत करने की दिशा में भारत-संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका:

भारत की क्षमताः

कृषि-निर्यात पर मज़बूत पकड़:

प्रचुर कृषि योग्य भूमि, अनुकूल जलवायु और बढ़ता खाद्य उत्पादन तथा प्रसंस्करण क्षेत्र के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर कृषि-निर्यात के प्रमुखतम स्रोत के रूप में भारत की स्थिति मजबत है।

मानवीय सहायताः

भारत क्षेत्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए विकासशील देशों को मानवीय खाद्य सहायता प्रदान करने में भी शामिल रहा है।

💠 फूड पार्क और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन:

भारत ने द्विपक्षीय व्यापार समझौतों से लाभान्वित होने के लिये फूड पार्क और आधुनिक आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है, जो वैश्विक खाद्य बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने इरादे को प्रदर्शित करता है।

सरकारी पहल:

- भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सिब्सिडी कार्यक्रम-सार्वजिनक वितरण प्रणाली चलाता है, लगभग 800 मिलियन नागरिकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराता है, दैनिक भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
- भारत का पोषण अभियान बच्चों और महिलाओं के लिये विश्व का सबसे बड़ा पोषण कार्यक्रम है, जो खाद्य सुरक्षा में पोषण के महत्त्व पर जोर देता है।

⊃ UAE's का योगदानः

निवंश:

■ UAE ने I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान भारत में फूड पार्कों के निर्माण के लिये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर:

संयुक्त अरब अमीरात ने वैश्विक खाद्य मूल्य शृंखला में भारत की उपस्थिति को और अधिक बढ़ाते हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के साथ-साथ एक खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किये हैं।

💠 एग्रीओटा:

प्र दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर ने कृषि-व्यापार और कमोडिटी प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है, जो भारतीय किसानों को UAE के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ता है तथा अमीरात के बाजारों तक सीधी पहुँच में सक्षम बनाता है।

🔾 महत्त्वः

भारत के लिये नए बाज़ारों का प्रवेश द्वार:

- एशिया और यूरोप के बीच संयुक्त अरब अमीरात का रणनीतिक स्थान पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के लिये भारत के खाद्य निर्यात प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है, जो अपने खाद्य भंडार को बनाए रखने तथा उसमें विविधता लाकर लाभ प्रदान कर सकता है।
- भारत, संयुक्त अरब अमीरात की निजी क्षेत्र की परियोजनाओं, गैर-कृषि-रोजगार पैदा करने और किसानों के उत्पादों का बेहतर मूल्य प्रदान कर लाभान्वित होने के लिये तत्पर है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा भागीदारी के लिये संरचनाः

- भारत की G-20 अध्यक्षता ग्लोबल साउथ में खाद्य सुरक्षा के लिये सफल रणनीतियों और रूपरेखाओं को प्रदर्शित करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करती है।
- भारत खाद्यान्न के एक स्थायी, समावेशी, कुशल और लचीले भविष्य के निर्माण के लिये UAE के साथ समुद्री व्यापार मार्गों का लाभ उठा सकता है और स्थित को मजबूत कर सकता है क्योंकि यह वैश्विक विकास एजेंडा निर्धारित करता है।

3. भारत-उत्तरी अमेरिका संबंध

भारत-अमेरिका संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सामयिक मुद्दों के बावजूद, भारत और अमेरिका संबंध सकारात्मक पथ पर हैं।

प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय हित से प्रेरित गहन साझेदारी, समझ तथा मित्रता पर जोर दिया।

अमेरिका के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं?

⊃ परिचय:

- अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता तथा नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को बनाए रखने सहित साझा मुल्यों पर आधारित है।
- व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में दोनों देशों के साझा हित हैं।



आर्थिक संबंध:

- दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर सामने आया है।
- भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022-23 में 7.65% बढ़कर 128.55 अमेरिकी डॉलर हो गया, जबिक वर्ष 2021-22 में यह 119.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
 - चर्ष 2022-23 में अमेरिका के साथ निर्यात 2.81% बढ़कर 78.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबिक वर्ष 2021-22 में यह 76.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा आयात लगभग 16% बढ़कर 50.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

🔾 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, G-20, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन (ASEAN), क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय संगठनों में निकटता से सहयोग करते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2021 में दो वर्ष के कार्यकाल के लिये भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने का स्वागत किया तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन किया जिसमें भारत को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
- भारत, हिंद-प्रशांत आर्थिक संरचना (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity-IPEF) पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी करने वाले बारह देशों में से एक है।
- भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) का सदस्य है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवाद भागीदार है।
- वर्ष 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया और वर्ष 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) में शामिल हो गया।

रक्षा सहयोगः

- भारत ने अब अमेरिका के साथ सभी चार मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
 - वर्ष 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA),
 - प्र वर्ष 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA),

- वर्ष 2020 में भू-स्थानिक सहयोग हेतु बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA)
- जबिक सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (GSOMIA) पर बहुत समय पहले हस्ताक्षर किये गए थे, इसके विस्तार औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (ISA) पर वर्ष 2019 में हस्ताक्षर किये गए थे।
- भारत, जिसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियार उपलब्ध नहीं हो सके, ने पिछले दो दशकों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे हैं।
 - हालाँकि अमेरिका के प्रोत्साहन से भारत को अपनी सैन्य आपूर्ति के लिये रूस पर ऐतिहासिक निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है।
- भारत और अमेरिका की सशस्त्र सेनाएँ क्वाड फोरम (मालाबार) में चार भागीदारों के साथ व्यापक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास (युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार) तथा लघुपक्षीय अभ्यास में संलग्न हैं।
- मध्य पूर्व में एक और समूह I2U2 जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, को नया क्वाड कहा जा रहा है।

अंतिरक्ष और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

- NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडिमिनिस्ट्रेशन (NASA) पृथ्वी अवलोकन के लिये एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह, NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) विकसित कर रहे हैं।
- जून 2023 में ISRO ने बाह्य अंतिरक्ष के शांतिपूर्ण एवं संधारणीय नागरिक अन्वेषण में भाग लेने के लिये NASA के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- iCET AI, क्वांटम, टेलीकॉम, अंतरिक्ष, बायोटेक, सेमीकंडक्टर और रक्षा जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी डोमेन में सहयोग एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिये अमेरिका व भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक संयुक्त पहल है। इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था।

INDUS-X शिखर सम्मेलन 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग (Department of Defense- DoD) और भारतीय रक्षा मंत्रालय (Ministry

of Defense- MoD) ने नई दिल्ली, भारत में दूसरे भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (India-US Defense Acceleration Ecosystem- INDUS-X) शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX), MoD और DoD द्वारा किया गया था तथा अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (US-India Business Council- USIBC) एवं सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) द्वारा समन्वियत किया गया था। दूसरे INDUS-X शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

🗅 इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पर फोकस:

शिखर सम्मेलन में स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने में प्रमुख साझेदार के रूप में भारत तथा अमेरिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया।

🗅 नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना:

भारतीय और अमेरिकी उद्योगों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी:

शिखर सम्मेलन में भारत और अमेरिका के बीच मज़बूत रक्षा साझेदारी पर प्रकाश डाला गया, जिसमें रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET) जैसी पहल का हवाला दिया गया।

तकनीकी नवाचार पर जोरः

शिखर सम्मेलन ने अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी के व्यापक संदर्भ में रक्षा में तकनीकी नवाचार की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जिससे सीमाओं के पार रक्षा उद्योगों के लिये सामूहिक प्रगति को बढ़ावा मिला।

⊃ संयुक्त IMPACT चुनौतियाँ:

शिखर सम्मेलन ने संयुक्त IMPACT चुनौतियों (Joint IMPACT Challenges) की शुरुआत को रेखांकित किया, जिसका लक्ष्य रक्षा और एयरोस्पेस सह-विकास एवं सह-उत्पादन को सहयोगात्मक रूप से आगे बढ़ाना है, जिसमें अग्रणी समाधानों में स्टार्टअप शामिल हैं।

रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार:

वर्ष 2018 में लॉन्च की गई iDEX रक्षा मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इसे डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (DIO) द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 'गैर-लाभकारी' कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।

- iDEX का उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढावा देना है।
 - यह भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस आवश्यकताओं के लिये भविष्य में प्रयोगात्मक क्षमता के साथ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अनुदान, धन और अन्य सहायता प्रदान करता है।
- यह वर्तमान में लगभग 400+ स्टार्टअप और MSME के साथ मुख्य रूप से कार्यरत है। रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में गेम-चेंजर के रूप में पहचाने जाने वाले iDEX को रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिये PM पुरस्कार मिला है।

यूएस-इंडिया बिज़नेस काउंसिल:

इसका उद्देश्य भारत व अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक वाणिज्यिक साझेदारी, रोजगार सृजन और वैश्विक आर्थिक विकास के लिये उद्योग तथा सरकार को जोड़ना है।

भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी:

SIDM भारत का अग्रणी रक्षा उद्योग संघ है, जो नीतिगत सुधारों का समर्थन कर सरकार और सशस्त्र बलों के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा, सेमीकंडक्टर, उभरती प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य आदि सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर प्रकाश डाला।

 वर्ष 2018 से अमेरिकी नेताओं के साथ प्रत्येक वर्ष 2+2 बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

2+2 बैठक क्या है ?

- 🗅 परिचय:
 - 2+2 बैठकें दोनों देशों में से प्रत्येक के दो उच्च-स्तरीय प्रतिनिधयों, विदेश एवं रक्षा विभागों के मंत्रियों की भागीदारी का संकेत देती हैं, जिनका उद्देश्य उनके बीच बातचीत के दायरे को बढाना है।
 - इस तरह के तंत्र से साझेदार दोनों पक्षों के राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे की रणनीतिक चिंताओं एवं संवेदनशीलताओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और महत्त्व देने में सक्षम बनाया जा सकता है। इससे बदलते वैश्विक परिवेश में मजबूत, अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध बनाने में मदद मिलती है।



भारत के 2+2 भागीदार:

- अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख 2+2 वार्ता
- 💠 इसके अतिरिक्त भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस के मंत्रियों के साथ 2+2 बैठकें की हैं।

भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- रक्षा सौदेः
 - दोनों देशों का लक्ष्य रक्षा प्रौद्योगिकियों में गहरी साझेदारी को बढ़ावा देते हुए सहयोगात्मक रूप से रक्षा प्रणालियों का सह-विकास एवं सह-उत्पादन करना है।

- भारत तथा अमेरिका वर्तमान में MQ-9B मानव रहित हवाई वाहनों की खरीद और भारत में जनरल इलेक्ट्रिक के F-414 जेट इंजन के लाइसेंस प्राप्त निर्माता के लिये सौदे पर बातचीत कर रहे हैं।
 - ये सौदे भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप हैं।
- दोनों देशों के मंत्री आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा (Security of Supply Arrangement- SOSA) को अंतिम रूप देने के लिये तत्पर देखे गए, जो रोडमैप में एक प्रमुख प्राथमिकता है तथा यह आपूर्ति शृंखला की अनुकूलता को मजबूत करते हुए दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करेगा।

इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और भविष्य की योजनाएँ:

- दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग सहयोग रोडमैप के हिस्से के रूप में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स/पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों, विशेष रूप से स्ट्राइकर (Stryker) पर चर्चा की।
- भारतीय सेना की जरूरतों को निर्धारित किये जाने तथा भारतीय व अमेरिकी उद्योग तथा सैन्य टीमों के बीच सहयोग के माध्यम से एक ठोस उत्पादन योजना स्थापित होने के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट प्रणालियों के बीच सहयोग को औपचारिक रूप दिया जाएगा।

रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में प्रगितः

दोनों पक्षों ने जून 2023 में लॉन्च िकये गए भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र, INDUS-X की प्रगति की समीक्षा की, जिसका उद्देश्य रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना है।

⇒ संयुक्त समुद्री बलों में सदस्यताः

- बहरीन में मुख्यालय वाली बहुपक्षीय संरचना, संयुक्त समुद्री बलों का पूर्ण सदस्य बनने के भारत के फैसले का अमेरिका के रक्षा सचिव ने स्वागत किया।
 - यह कदम क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समुद्री सुरक्षाः

दोनों देशों ने महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के महत्त्व को स्वीकार करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।

अंतिरक्ष और सेमीकंडक्टर सहयोगः

मंत्रियों ने वाणिज्यिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में विज्ञान एवं
 प्रौद्योगिकी तथा महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी मूल्य शृंखला सहयोग

- बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकी (iCET) पर भारत-अमेरिका पहल के तहत हुई तीव्र प्रगति का स्वागत किया।
- उन्होंने संबंधित सरकारों, शैक्षणिक, अनुसंधान और कॉपोरेट क्षेत्रों से वैश्विक नवाचार में तेजी लाने तथा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुँचाने के लिये क्वांटम, दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में इन रणनीतिक साझेदारियों को सिक्रय रूप से जारी रखने का आह्वान किया।
- उन्होंने रणनीतिक व्यापार संवाद निगरानी तंत्र की शीघ्र बैठक का स्वागत किया।

🔾 चीन आक्रामकता पर चर्चा:

अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंध चीन द्वारा
 पेश की गई चुनौतियों से निपटने से परे हैं।

भारत-कनाडा विवादः

- भारत और कनाडा के बीच विवाद, विशेष रूप से अमेरिका और कनाडा में स्थित खालिस्तान अलगाववादियों से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया गया।
- भारत ने अपने साझेदारों को मुख्य सुरक्षा चिंताओं से अवगत
 कराया।

🤉 इज़रायल-हमास युद्धः

- भारत ने इजरायल-हमास संघर्ष पर अपना रुख दोहराया, टू स्टेट सॉल्यूशन (आधिकारिक तौर पर सीमांकित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दो देश) तथा बातचीत को जल्द-से-जल्द फिर से शुरू करने का समर्थन किया।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन और नागरिक हताहतों की निंदा पर जोर देते हुए मानवीय सहायता प्रदान करने की मांग की गई है।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्त्वपूर्ण यात्रा की।

इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था तथा आम चुनौतियों का समाधान करने, वैश्विक मुद्दों पर एक रुख अपनाने, महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग करने, सतत् विकास को बढ़ावा देने एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

यात्रा के दौरान चर्चा किये गए सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

- सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करना: माइक्रोन प्रौद्योगिकी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सहयोग से एक नई सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा में निवेश करेगी।
 - सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला में विविधीकरण को बढ़ाने के लिये एप्लाइड मैटेरियल्स भारत में व्यावसायीकरण और नवाचार के लिये एक सेमीकंडक्टर केंद्र स्थापित करेगा।
 - लैम रिसर्च का "सेमीवर्स सॉल्यूशन" सेमीकंडक्टर उद्योग में कार्यबल और शैक्षिक विकास के देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 60,000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा।
- उन्नत दूरसंचार अनुसंधान: ओपन RAN प्रणाली के विकास और उसके उपयोग के साथ-साथ अत्याधुनिक दूरसंचार अनुसंधान तथा विकास हेतु भारत और अमेरिका द्वारा सार्वजनिक-निजी संयुक्त कार्य बल की स्थापना की गई है।
 - भारत और अमेरिका भारत 6G नेक्स्ट जी एलायंस सार्वजनिक-निजी अनुसंधान का सह-नेतृत्व करेंगे, जिसका लक्ष्य लागत कम करना, सुरक्षा बढ़ाना और दूरसंचार नेटवर्क के लचीलेपन में सुधार करना शामिल है।

नोट:

ओपन RAN, जिसे ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है, दूरसंचार में रेडियो एक्सेस नेटवर्क को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने की एक अवधारणा व दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर घटकों को अलग करके और बहु-विक्रेता एकीकरण को बढावा देकर पारंपरिक RAN आर्किटेक्चर में अधिक खुलापन, लचीलापन और अंतर-संचालनीयता लाना है।

- अंतरिक्ष के क्षेत्र में NASA-ISRO सहयोग: भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिये शांतिपूर्ण, टिकाऊ और पारदर्शी सहयोग हेतु प्रतिबद्ध 26 अन्य देशों में शामिल होकर आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
 - 💠 नासा वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त प्रयास के लक्ष्य के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
 - नासा और इसरो के बीच मानव अंतरिक्ष उडान सहयोग के लिये एक रणनीतिक रूपरेखा वर्ष 2023 के अंत तक विकसित किये जाने की संभावना है।
- क्वांटम, उन्नत कंप्युटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ताः क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और उन्नत वायरलेस प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान की सुविधा के लिये भारत-अमेरिका संयुक्त क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की गई है।

- ♦ यह जेनरेटिव AI सिहत भरोसेमंद और रिस्पॉन्सिबल AI पर संयुक्त सहयोग, AI शिक्षा, कार्यबल हेतु पहल और वाणिज्यिक अवसरों को बढावा देगा।
- ♦ AI पर वैश्विक साझेदारी के अध्यक्ष के रूप में भारत के नेतृत्व की सराहना की गई और भारतीय स्टार्टअप तथा AI अनुसंधान केंद्र में Google के निवेश की सराहना की गई।
- फाइबर ऑप्टिक्स निवेश: भारत के स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने कोलंबिया, दक्षिण कैरोलिना के पास ऑप्टिकल फाइबर केबल विनिर्माण इकाई की स्थापना हेतु 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जो भारत से ऑप्टिकल फाइबर के 150 मिलियन डॉलर के वार्षिक निर्यात को संभव बनाएगी।
- अत्याधुनिक अनुसंधानः यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन का भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ संयुक्त अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग है तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक नई सहयोगात्मक व्यवस्था के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- इनोवेशन हैंडशेक: युएस-इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) का समर्थन करने हेतु यूएस-इंडिया कमर्शियल डायलॉग दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों को जोडने के लिये एक नया "इनोवेशन हैंडशेक" लॉन्च करेगा।
- महत्त्वपूर्ण खनिज साझेदारी: भारत, अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) का नया भागीदार बन गया है, जो वैश्विक स्तर पर विविध और टिकाऊ महत्त्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति शृंखला विकसित करने पर केंद्रित है।
 - भारतीय कंपनी एप्सिलॉन कार्बन लिमिटेड अमेरिका में एक ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी कंपोनेंट फैक्ट्री में निवेश करेगी।
- रक्षा साझेदारी: भारत में GE के F414 लड़ाकू विमान इंजनों के सह-उत्पादन के प्रस्ताव को मंज़्री दी गई है जिससे अमेरिकी जेट इंजन प्रौद्योगिकी के और अधिक हस्तांतरण की सुविधा प्राप्त होगी।
 - खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं में वृद्धि करने के लिये भारत जनरल एटॉमिक्स से सशस्त्र MQ-9B सी-गार्जियन UAV खरीदना चाहता है।
 - भारतीय शिपयार्डों में अमेरिकी नौसेना के जहाजों की देखभाल और मरम्मत के लिये दोनों देशों के बीच हुए समझौते से घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
 - भारतीय शिपयार्डों के साथ मास्टर शिप मरम्मत समझौते से यात्रा के दौरान और आकस्मिक मरम्मत के लिये अनुबंध प्रक्रियाओं में तेज़ी आएगी।

- रक्षा प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त नवाचार को बढ़ावा देने के लिये भारत-अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (India-US Defence Acceleration Ecosystem-INDUS-X) की शुरुआत की गई है, यह भारत के निजी क्षेत्र के रक्षा उद्योग को अमेरिकी रक्षा क्षेत्र के साथ एकीकृत करता है।
- रक्षा उद्योगों को नीतिगत दिशा देने के लिये रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप को अपनाने से काफी मदद मिलेगी।
 - इस रोडमैप का उद्देश्य उन्नत रक्षा प्रणालियों के सह-उत्पादन और सहयोगात्मक अनुसंधान, परीक्षण तथा प्रोटोटाइप निर्माण करना है।

नोट:

- 🗅 भारत और अमेरिका के बीच हुए चार रक्षा समझौते इस प्रकार हैं:
 - भू-स्थानिक जानकारी के लिये बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA)।
 - ♦ सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता (GSOMIA)।
 - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)।
 - संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता (Communication Compatibility and Security Agreement-COMCASA)।
- आतंकवाद और नशीली दवाओं की समस्या के विरुद्ध लड़ाई: अमेरिका और भारत आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं और वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एकजुट हैं।
- दोनों देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई है और पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि वह अपने क्षेत्र को आतंकवादी गतिविधियों के लिये इस्तेमाल करना बंद करे।
 - सिंथेटिक दवाओं सिंहत अवैध दवाओं के उत्पादन और तस्करी को रोकने के लिये एक मादक द्रव्य निरोधक ढाँचा विकसित किया जाएगा।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग: सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर समुद्री क्षेत्र तथा क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिये अमेरिका हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होगा।
 - पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक में भारत की भूमिका एक पर्यवेक्षक के रूप में बनी रहेगी।
 - क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ाने के लिये विशेषज्ञों और हितधारकों को मंच प्रदान करने हेतु एक हिंद महासागर वार्ता का आयोजन किया जाएगा।

- बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और इसे मजबूत करना: दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यता का विस्तार वाले व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधार एजेंडे का समर्थन किया है।
 - अमेरिका ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिये एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी को लेकर समर्थन जताया है।
- स्वास्थ्य सेवाओं की पहल: कैंसर के लिये AI-सक्षम डिजिटल पैथोलॉजी प्लेटफॉर्म और AI-आधारित स्वचालित रेडियोथेरेपी उपचार विकसित करने के लिये अनुदान के माध्यम से अमेरिका तथा भारत के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
 - मधुमेह संबंधी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिये समझौते किये जाएंगे और कैंसर के खिलाफ प्रगति में तेज़ी लाने के लिये अमेरिका-भारत कैंसर वार्ता की मेज़बानी की जाएगी।
- समावेशी विकास के लिये डिजिटल सार्वजिनक अवसंरचना
 (DPI):
 - DPI दृष्टिकोण की क्षमता को पहचानते हुए दोनों देशों का लक्ष्य समावेशी विकास, प्रतिस्पर्द्धी बाजारों को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है।
 - गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और बौद्धिक संपदा के सुरक्षा उपायों के साथ मज्जबूत DPI के विकास और तैनाती के लिये सहयोग किया जाएगा।
 - विकासशील देशों में DPI विकास और तैनाती को सक्षम करने के लिये भारत-अमेरिका वैश्विक डिजिटल विकास साझेदारी के गठन को लेकर संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं।
- भारत-अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत बनाना:
 - उभरती प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स में बढ़ती भागीदारी तथा तकनीकी सहयोग पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022 में 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।
 - मानकों एवं विनियमों में सामंजस्य स्थापित करना, व्यापार एवं निवेश में बाधाओं को कम करना और अत्याधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करना शामिल है।
 - भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच के माध्यम से आगे की भागीदारी के साथ शेष विश्व व्यापार संगठन विवादों और बाजार पहुँच के मुद्दों का समाधान करना।

- अमेरिका के प्राथमिकता प्रणाली कार्यक्रम के तहत भारत की स्थिति की बहाली और एक व्यापार समझौते अधिनियम के रूप में मान्यता देना।
- सतत् विकासः भारत और अमेरिका के बीच राष्ट्रीय जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सहयोगात्मक प्रयास जारी रहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन ब्रेकथ्र एजेंडा का सह-नेतृत्व भी शामिल है।
 - भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी भंडारण और उभरती हरित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय निजी वित्त को आकर्षित करने हेतु नवीन निवेश मंच विकसित किये जाएंगे।
 - 🗷 अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमेरिकी एजेंसी वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को "शुद्ध-शुन्य" कार्बन उत्सर्जक बनाने का प्रयास करेगी।
 - 💠 परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने और जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिये पहल की जा रही है।

जन-केंदित प्रयासः

- याचिका-आधारित अस्थायी कार्य वीजा के लिये वीजा नवीनीकरण को सरल बनाने की पहल की गई है जिससे भारतीय नागरिकों को लाभ होगा तथा नवीनीकरण के लिये देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
- घनिष्ठ राजनियक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु बंगलूरू और अहमदाबाद में नए वाणिज्य दुतावास खोलने की योजना पर विचार चल रहा है।
- भारतीय छात्रों के लिये रिकॉर्ड संख्या में वीजा जारी करने के साथ छात्र आदान-प्रदान एवं छात्रवृत्तियों की राशि बढाई गई है। इसी के साथ अमेरिकी स्नातक छात्रों के लिये भारत में अध्ययन या इंटर्निशिप के अवसरों में वृद्धि हुई है।
 - 🗷 शीर्ष नेतृत्व ने ह्युस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर की स्थापना की जो भारत के इतिहास एवं संस्कृति के अनुसंधान और शिक्षण को आगे बढ़ाएगा तथा शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर को बहाल करने का स्वागत किया गया।

भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच

हाल ही में भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत ने वाशिंगटन डी.सी. में भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (TPF) की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।

भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच:

परिचय:

भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच का उद्देश्य कृषि, गैर-कृषि वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा पर टीपीएफ के

- कार्य समूहों को सिक्रय करना तथा लाभकारी तरीके से पारस्परिक चिंता के मुद्दों का समाधान करना है।
- साथ ही अतिरिक्त बाज़ार तक पहुँच स्थापित करने जैसे मुद्दों को हल करके दोनों देशों को ठोस लाभ प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदुः

- 💠 दोनों पक्षों ने उत्पादों और सेवाओं के अपने द्विपक्षीय वाणिज्य में वृद्धि की सराहना की, जो कि वर्ष 2021 में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, दोनों राष्ट्रों ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।
- ♦ अमेरिका ने हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचे (IPEF) में भारत की भागीदारी का स्वागत किया।
 - 🗷 दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिये IPEF की प्रभावशीलता के बारे में समान राय रखते हैं।
- मंत्रियों ने टर्टल एक्सक्लुडर डिवाइस (TED) डिजाइन के पूरा होने पर राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) की तकनीकी टीम की सराहना की।
 - ▼ TED मछली पालन का समुद्री कछुओं की आबादी पर प्रभाव को कम करने में मदद करेगा।
- विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर अपने द्विपक्षीय संवादों को विकसित करने में अधिकारियों की सहायता के लिये लचीले व्यापार से संबंधित एक नया TPF कार्य समूह स्थापित किया गया था। अगली TPF मंत्रिस्तरीय बैठक तक इसके केंद्रीय बिंदु निम्नलिखित हैं:
 - 🗷 व्यापार सुगमता
 - श्रम अधिकारों और कर्मचारियों के विकास को बढावा देना
 - चक्रीय अर्थव्यवस्थाः पर्यावरण संरक्षण में व्यापार की भुमिका

अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध:

- वर्तमान में कोविड-19 महामारी से निपटने के अलावा आर्थिक सुधार, जलवायु संकट और सतत् विकास, महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ, आपूर्ति शृंखला में लचीलापन, शिक्षा, प्रवासी भारतीय तथा रक्षा एवं सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी में शामिल हैं।
- अमेरिका भारत का सबसे बडा व्यापारिक साझेदार एवं सबसे 0 महत्त्वपूर्ण निर्यात बाजार है। अमेरिका उन देशों में से एक है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 32.8 अरब डॉलर का था।

हालाँकि रूस-यूक्रेन संकट के प्रति भारत और अमेरिका की प्रतिक्रियाएँ काफी विरोधाभासी हैं, दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा है।

अमेरिका के साथ भारत का जेट इंजन समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम जनरल इलेक्ट्रिक (GE) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है। इस समझौते में महत्त्वपूर्ण जेट इंजन प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण तथा भारत के हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस Mk2 के लिये GE के F414 इंजन का निर्माण शामिल है।

 यह समझौता भारत की उन्नत लड़ाकू जेट इंजन प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।


नोट:

 प्रधानमंत्री की मौजूदा यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम (INDUS-X) भी लॉन्च किया गया। INDUS-X का उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी स्टार्ट-अप एवं तकनीकी कंपनियों के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों के सह-विकास एवं सह-उत्पादन में सहयोग करना है।

GE का F414 इंजन:

🔾 परिचयः

- GE का F414 इंजन एक टर्बोफैन इंजन है जिसका उपयोग अमेरिकी नौसेना 30 वर्षों से अधिक समय से कर रही है।
 - यह एक दोहरे चैनल फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल (FADEC), छह-चरण वाला उच्च दबाव कंप्रेसर, उन्नत उच्च दबाव टरबाइन और नोजल नियंत्रण हेतु "फ्युलडॉलिक" प्रणाली से युक्त है।
- यह असाधारण थ्रॉटल प्रतिक्रिया, उत्कृष्ट प्रकाश और स्थिरता एवं आवश्यकता पड़ने पर यह इंजन उच्च क्षमता का प्रदर्शन करता है।
- F414 इंजन आठ देशों में सैन्य विमानों को संचालित करता है, जिससे यह आधुनिक लड़ाकू जेट हेतु एक विश्वसनीय विकल्प बन गया है।



भारत की इंजन आवश्यकताएँ:

- भारत के लिये विशेषकर LCA तेजस Mk2 के संदर्भ में
 F414 इंजन बहुत महत्त्व रखता है।
 - DRDO की एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने LCA तेजस Mk2 हेतु इंजन के भारत-विशिष्ट संस्करण का चयन किया है, जिसे F414-INS6 के नाम से जाना जाता है।
- यह रणनीतिक निर्णय भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य को दर्शाता है।
 - इसके अलावा भारत के महत्त्वाकांक्षी पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) हेतु F414 इंजन का उपयोग किये जाने की संभावनाएँ हैं।

LCA तेजस Mk2:

- LCA तेजस Mk2 भारत में विकसित स्वदेशी लड़ाकू विमान का उन्नत संस्करण है।
- इसमें आठ बियॉन्ड-विज्ञुअल-रेंज (BVR) मिसाइलों को एक साथ ले जाने और अन्य देशों के स्थानीय एवं उन्नत दोनों प्रकार के हथियारों को एकीकृत करने की क्षमता है।
- LCA Mk2 अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 120 मिनट की मिशन संचालन शक्ति के साथ बेहतर रेंज प्रदान करता है, जबिक LCA तेजस Mk1 के लिये यह 57 मिनट है।
- इसका उद्देश्य जगुआर, मिग-29 और मिराज 2000 के प्रतिस्थापन के रूप में काम करना है क्योंकि वे आने वाले दशक में सेवामुक्त हो जाएंगे। विनिर्माण पहले ही शुरू हो चुका है और विमान के वर्ष 2024 तक तैयार होने की उम्मीद है।

महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका-भारत पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सामरिक साझेदारी को मजबूत करने एवं प्रौद्योगिकी तथा रक्षा सहयोग को बनाए रखने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका-भारत पहल (initiative on Critical and Emerging Technology- iCET) के तहत दोनों देशों ने उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिये एक रोडमैप पेश किया। यह पहल नियामक बाधाओं को दूर करने, निर्यात नियंत्रणों को संरेखित करने और महत्त्वपूर्ण एवं उभरते क्षेत्रों में गहन सहयोग को बढावा देने पर केंद्रित है।

महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल:

🔾 परिचयः

- iCET की घोषणा भारत और अमेरिका द्वारा मई 2022 में की गई थी और इसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका संचालन दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा है।
- iCET के अंतर्गत दोनों देशों ने सहयोग के छह क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें सह-विकास और सह-उत्पादन शामिल होगा जिसे धीरे-धीरे QUAD फिर NATO, यूरोप और शेष विश्व में विस्तारित किया जाएगा।
- iCET के अंतर्गत भारत, अमेरिका के साथ अपनी प्रमुख तकनीकों को साझा करने के लिये तैयार है और वाशिंगटन से भी ऐसा ही करने की अपेक्षा करता है।
- इसका उद्देश्य AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सिंहत महत्त्वपूर्ण तथा उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

🗅 पहल के प्रमुख क्षेत्र:

- AI अनुसंधान साझेदारी।
- रक्षा औद्योगिक सहयोग, रक्षा तकनीकी सहयोग और रक्षा स्टार्टअप।
- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र।
- सेमीकंडक्टर पारिस्थितिको तंत्र का विकास।
- 💠 मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में सहयोग।
- भारत में 5G और 6G तकनीकों में उन्नित एवं OpenRAN
 नेटवर्क प्रौद्योगिकी को अपनाना।

अब तक की प्रगतिः

- प्रमुख उपलिब्धियों में क्वांटम समन्वय तंत्र, दूरसंचार पर सार्वजिनक-निजी संवाद, AI और अंतिरक्ष के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण आदान-प्रदान, अर्द्धचालक आपूर्ति शृंखला स्थापित करने पर समझौता ज्ञापन तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिये रोडमैप का निष्कर्ष शामिल है।
- दोनों देश विशाल जेट इंजन सौदे को अंतिम रूप देने के करीब हैं और इसके साथ ही भारत-यू.एस. डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम (इंडस-एक्स) नामक एक नई पहल लॉन्च करने वाले हैं।

विनियामक बाधाओं को दूर करने और निर्यात नियंत्रण मानदंडों की समीक्षा करने के लिये सामिरक व्यापार संवाद स्थापित किया गया है।

Open-RAN (O-RAN) नेटवर्क टेक्नोलॉजी:

⊃ परिचय:

- यह रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) सिस्टम का एक गैर-स्वामित्व संस्करण है।
 - प्रAN एक वायरलेस दूरसंचार प्रणाली का प्रमुख घटक है जो व्यक्तिगत उपकरणों को एक रेडियो लिंक के माध्यम से नेटवर्क के अन्य भागों से जोडता है।
- विभिन्न विक्रेताओं के उपकरणों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमित देता है।

⊃ Open-RAN नेटवर्क प्रौद्योगिकी के लाभः

- अधिक पारदर्शी और लचीला RAN आर्किटेक्चर।
- खुले इंटरफेस और वर्चुअलाइजेशन के आधार पर।
- 💠 उद्योग-व्यापी मानकों द्वारा समर्थित।
- लागत में कमी।
- 💠 बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा।
- तेज नवाचार।

○ Open-RAN नेटवर्क प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगः

- ♦ 5G और 6G नेटवर्क को सपोर्ट करना।
- नेटवर्क के प्रदर्शन और सुरक्षा को बढ़ाना।
- नई सेवाओं और क्षमताओं को सक्षम करना।
- डिजिटल विभाजन को पाटना।

कृषि में भारत-अमेरिका सहयोग

चर्चा में क्यों?

स्वतंत्र भारत की कृषि प्रगति में संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐतिहासिक भागीदारी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका की आसन्न यात्रा काफी महत्त्व रखती है।

जैसे पूंजीगत उपकरणों और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के माध्यम से स्वतंत्र भारत के शुरुआती औद्योगीकरण में सोवियत संघ की भूमिका, संयुक्त राज्य अमेरिका (रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं) ने कृषि विश्वविद्यालयों और हरित क्रांति की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि विकास में भूमिका निभाई।

भारत के कृषि विकास में अमेरिका की भूमिकाः

🔾 विश्वविद्यालयों का विकास:

- गोविंद बल्लभ पंत ने अमेरिकी भूमि-अनुदान मॉडल के आधार पर उत्तराखंड के पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया।
- यह विश्वविद्यालय शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को एकीकृत करता है, जिसका उद्देश्य किसानों को सीखने, समस्या-समाधान अनुसंधान तथा ज्ञान प्रसार के लिये एक आदर्श वातावरण प्रदान करना है।
 - विश्वविद्यालय, जिसे जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन 17 नवंबर, 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा प्रकाशित
 हन्ना (Hannah's) के ब्लूप्रिंट ने भारत में आठ कृषि
 विश्वविद्यालयों की स्थापना की।
- अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमेरिकी एजेंसी ने इन विश्वविद्यालयों को संकाय प्रशिक्षण, उपकरण और पुस्तकों की सहायता दी। प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनुसंधान फार्म, क्षेत्रीय स्टेशन, उप-स्टेशन और बीज उत्पादन सुविधाएँ हैं।

हिरत क्रांति के बीज:

- हिरित क्रांति (अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई) में अर्द्ध-बौनी किस्मों को मजबूत तनों के साथ आनुवंशिक रूप संसोधित किया गया ताकि पौधे झुकें या गिरें नहीं। यह उच्च उर्वरक अनुप्रयोग को "सहन" कर सकते हैं। जितना अधिक निवेश (पोषक तत्त्व और जल) किया जाता उतना ही अधिक उत्पादन (अनाज) होता था।
- 'नॉरिन-10', एक छोटी (पारंपिरक लंबी किस्मों की 4.5-5 फीट ऊँचाई के मुकाबले केवल 2-2.5 फीट तक बढ़ी) गेहूँ की किस्म जो 25% अधिक अनाज की पैदावार देती है। नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में उगाई जाने वाली स्प्रिंग व्हीट के साथ इनका संकरण किया।
 - पारंपरिक गेहूँ और चावल की किस्में लंबी एवं पतली थीं। वे उर्वरकों एवं जल के उपयोग से लंबाई में बढ़े, जबिक "लॉजिंग" (झुकना या यहाँ तक कि गिरना) के कारण बालियाँ अच्छी तरह से अनाज से भरी थी।
- नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान- IARI के वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने मार्च 1963 में ही भारत आए बोरलॉग से मुलाकात की।

- बोरलॉग ने उन्हें मैक्सिकन गेहूँ की चार किस्मों के बीज दिये जिन्हें सबसे पहले IARI के परीक्षण क्षेत्रों और पंतनगर तथा लुधियाना के नए कृषि विश्वविद्यालयों में बोया गया था।
- वर्ष 1966-67 तक किसान बड़े पैमाने पर इनका उपयोग कर रहे थे और भारत अब एक आयातक नहीं, बल्कि गेहूँ के मामले में आत्मिनिर्भर हो गया।
 - विडंबना यह है कि इसके पहले के गेहूँ आयात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से सार्वजनिक कानून 480 खाद्य सहायता योजना के माध्यम से आता था।

व्यापार और निवेश पर छठी भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कनाडा के ओटावा में व्यापार और निवेश पर छठी भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदुः

- भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन:
 - कनाडा के मंत्री ने G20 अध्यक्ष के रूप में भारत और G20 व्यापार तथा निवेश कार्य समूह में इसकी प्राथमिकताओं पर अपना समर्थन व्यक्त किया।
 - उन्होंने अगस्त 2023 में भारत में होने वाली आगामी G20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने की इच्छा जाहिर की।

🗅 सहयोग में वृद्धिः

मंत्रियों ने बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, महत्त्वपूर्ण खनिजों, इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा/हाइड्रोजन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

🗅 महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला सुनम्यता:

- मंत्रियों ने महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला सुनम्यता को बढ़ावा
 देने के लिये सरकारों के बीच समन्वय के महत्त्व पर बल दिया।
 - उन्होंने आपसी हितों पर चर्चा करने के लिये टोरंटो में प्रॉस्पेक्टर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस (PDAC) के दौरान आधिकारिक स्तर पर एक वार्षिक संवाद के लिये प्रतिबद्धता जताई।

⊃ कनाडा-भारत CEO फोरम:

- मंत्रियों ने नए उद्देश्य और प्राथमिकताओं के साथ कनाडा-भारत
 CEO फोरम को पुनर्व्यवस्थित और फिर से शुरू करने पर
 सहमित व्यक्त की।
 - CEO फोरम व्यवसायों के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिये एक मंच के रूप में काम करेगा और इसकी घोषणा सर्वसहमत-निर्धारित तिथि पर की जा सकती है।

🔾 व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमंडल:

- कनाडा के मंत्री ने अक्तूबर 2023 में भारत में टीम कनाडा
 व्यापार मिशन के अपने नेतृत्व की घोषणा की।
 - इस मिशन का उद्देश्य एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है।



भारत और कनाडा के बीच सहयोग के क्षेत्र:

🗅 परिचय:

भारत ने वर्ष 1947 में कनाडा के साथ राजनियक संबंध स्थापित किये। भारत और कनाडा के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, दो समाजों की बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय एवं बहु-धार्मिक प्रकृति तथा लोगों के बीच संपर्क पर आधारित लंबे समय से मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं

⇒ राजनीतिकः

- भारत और कनाडा संसदीय संरचना और प्रक्रियाओं में समानताएँ साझा करते हैं।
- भारत में कनाडा का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा किया जाता है।
 - कत्ताडा में बंगलूरू, चंडीगढ़ और मुंबई में महावाणिज्य दूतावास के साथ-साथ अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद तथा कोलकाता में व्यापार कार्यालय भी हैं।

⊃ व्यापार:

- वस्तुओं में भारत-कनाडा द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022 में लगभग 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो वर्ष 2021 की तुलना में 25% की वृद्धि दर्शाता है।
 - वर्ष 2022 में लगभग 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के द्विपक्षीय सेवा व्यापार के साथ, सेवा क्षेत्र को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता के रूप में बल दिया गया था।
- कैनेडियन पेंशन फंड ने संचयी रूप से भारत में लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और भारत को तेज़ी से निवेश के लिये एक अनुकूल गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत में 600 से अधिक कनाडाई कंपनियों की उपस्थिति है और 1,000 से अधिक कंपनियाँ सिक्रिय रूप से भारतीय बाजार में कारोबार कर रही हैं।
 - कत्ताडा में भारतीय कंपिनयाँ सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर,
 स्टील, प्राकृतिक संसाधनों और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सिक्रय हैं।
- 💠 भारत-कनाडा मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत चल रही है।
 - भारत और कनाडा के बीच वर्ष 2023 में अर्ली प्रोग्नेस ट्रेड एग्रीमेंट (EPTA) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
- समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, उत्पित्त के नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार के लिये तकनीकी बाधाओं तथा विवाद निपटान सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

- भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) ने परमाणु सुरक्षा और नियामक मुद्दों के अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिये 16 सितंबर, 2015 को कनाडाई परमाणु सुरक्षा आयोग (CNSC) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भारत-कनाडा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग मुख्य रूप से औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा है जिसमें नए IP, प्रक्रियाओं, प्रोटोटाइप या उत्पादों के विकास की क्षमता विस्तार की संभावना है।
 - नवंबर 2017 में नई दिल्ली में आयोजित प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में कनाडा भागीदार देश था।
- पृथ्वी विज्ञान विभाग और ध्रुवीय कनाडा (डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस एंड पोलर कनाडा) ने शीत जलवायु (आर्कटिक) अध्ययन पर ज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आदान-प्रदान के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है।
- "मिशन इनोवेशन" कार्यक्रम के तहत भारत सतत् जैव ईंधन (IC4) के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों हेतु कनाडा के साथ सहयोग कर रहा है।
- ISRO की वाणिज्यिक शाखा ANTRIX (एंट्रिक्स) ने कनाडा से कई नैनो उपग्रह प्रक्षेपित किये हैं।
 - 12 जनवरी, 2018 को लॉन्च किये गए अपने 100वें सैटेलाइट PSLV में ISRO ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के भारतीय स्पेसपोर्ट से कनाडा का पहला LEO उपग्रह का भी प्रक्षेपण किया

शिक्षा और संस्कृतिः

- शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट (SICI) वर्ष 1968 से भारत और कनाडा के बीच शिक्षा एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अनूठा द्वि-राष्ट्रीय संगठन है।
- नवंबर 2017 में गोवा में आयोजित 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कनाडा को केंद्रीय देश के रूप में प्रदर्शित किया गया।
- कनाडा पोस्ट और इंडिया पोस्ट ने वर्ष 2017 में दिवाली के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु सहयोग किया।
 - कनाडा पोस्ट ने वर्ष 2020 और 2021 में पुन: दिवाली टिकट जारी किये।
- अक्तूबर 2020 में कनाडा ने प्राचीन अन्नपूर्णा प्रतिमा के स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन की घोषणा की, जिसे एक कनाडाई कलेक्टर द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहीत किया गया था और रेजिना विश्वविद्यालय में रखा गया था।
 - इस मूर्ति को भारत को सौंप दिया गया है और नवंबर 2021 में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर रखा गया है।

4. भारत-अफ्रीका संबंध

भारत-अफ्रीका साझेदारी: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और रोडमैप 2030

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित 20-सदस्यीय अफ्रीका विशेषज्ञ समूह (AEG) ने 'भारत-अफ्रीका साझेदारी: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और रोडमैप 2030' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

- यह रिपोर्ट अफ्रीका के साथ भारत की महत्त्वपूर्ण साझेदारी पर प्रकाश डालती है और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिये नियमित नीति समीक्षा एवं कार्यान्वयन के महत्त्व पर बल देती है।
- कुल वैश्विक आबादी की लगभग 17% जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है और वर्ष 2050 तक इसके 25% तक पहुँचने का अनुमान है, एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका इस साझेदारी में महत्त्वपूर्ण है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

अफ्रीका में परिवर्तनः

- अफ्रीका में जनसांख्यिकीय, आर्थिक, राजनीतिक और समाजिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं। यह धीरे-धीरे क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है तथा लोकतंत्र, शांति और प्रगति को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।
- हालाँकि इथियोपिया, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे कुछ देश अभी भी विद्रोह, जातीय हिंसा और आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

⇒ प्रतिस्पर्द्धा और बाह्य साझेदार:

- चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सिहत कई बाह्य साझेदार अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिये सिक्रय रूप से प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।
- उनका उद्देश्य बाजार पहुँच, ऊर्जा एवं खिनज संसाधनों को सुरक्षित करने के साथ ही क्षेत्र में अपने राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव को बढाना है।

चीन की भागीदारी:

चीन वर्ष 2000 से अफ्रीका के सबसे बड़े आर्थिक भागीदार के रूप में है। यह अफ्रीका में बुनियादी ढाँचे के विकास में सहायता करने, संसाधन प्रदाता तथा वित्तपोषक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन द्वारा वित्त, सामग्री तथा राजनियक प्रयासों में अफ्रीका का पर्याप्त सहयोग किया गया है।

भारत-अफ्रीका संबंधों को मज़बूत करने के लिये अनुशंसाएँ:

राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग को मज़बूत करनाः

- भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के माध्यम से समय-समय पर नेताओं के मध्य वार्ता हेतु सम्मेलन आयोजित करना।
 - भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन पूरी तरह से विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों को मानव संसाधन और कृषि आदि में विकास की अपनी क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान करके भारत-अफ्रीका सहयोग सुनिश्चित करना है।
- अफ्रीकी संघ (AU's) की पूर्ण सदस्यता पर G-20 सदस्यों के बीच आम सहमति बनाना।
- अफ्रीकी मामलों के लिये विदेश मंत्रालय (EEE) में एक सचिव को नियुक्त करना।

🗅 रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में वृद्धिः

- अफ्रीकी रक्षा सहयोग में वृद्धि साथ ही रक्षा संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना।
- समुद्री सहयोग को मजबूत करना तथा रक्षा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिये ऋण शृंखला का विस्तार करना।
- आतंकवाद विरोधी, साइबर सुरक्षा के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों
 में सहयोग का विस्तार करना।

महत्त्वपूर्ण आर्थिक और विकास सहयोगः

- ♦ वित्त तक पहुँच बढ़ाने के लिये अफ्रीका ग्रोथ फंड (AGF) के निर्माण के माध्यम से भारत-अफ्रीका व्यापार को बढावा देना।
- परियोजना निर्यात में सुधार और शिपिंग क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि
 करने हेतु विभिन्न उपाय लागू करना।
- त्रिपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना और विज्ञान एवं
 प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करना।

सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धिः

- भारतीय और अफ्रीकी विश्वविद्यालयों, विचारकों, नागरिक समाज और मीडिया संगठनों के बीच अधिकाधिक संवाद को सुविधाजनक बनाना।
- अफ्रीकी छात्रों के अध्ययन के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना।

- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) तथा
 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) छात्रवृत्ति का
 नामकरण प्रसिद्ध अफ्रीकी हस्तियों के नाम पर करना।
- भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अफ्रीकी छात्रों के लिये वीज्ञा नीति को उदार बनाना और अल्पकालिक कार्य वीजा प्रदान करना।

'रोडमैप 2030' का क्रियान्वयन:

- विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सिचवालय के बीच सहयोग के माध्यम से 'रोडमैप 2030' को लागू करने के लिये एक विशेष तंत्र की स्थापना।
- विदेश मंत्रालय में अफ्रीकी सचिव और एक नामित उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संयुक्त नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम का गठन।
- इस रोडमैप का पालन करके और अनुशंसित उपायों को लागू करके भारत तथा अफ्रीका के बीच साझेदारी और मज़बूत हो सकती है।

भारत-अफ्रीका संबंधों की उपलब्धियाँ:

आर्थिक सहयोगः

- कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, कार और हल्की मशीनरी जैसी वस्तुओं के भारतीय विनिर्माताओं के लिये अफ्रीका एक विशाल अप्रयुक्त बाजार है।
- वर्ष 2011-2022 तक अफ्रीका के साथ भारत का कुल व्यापार में 68.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 90.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। साथ ही वर्ष 2022 में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा।

⊃ विकास कार्य में सहयोग:

ITEC कार्यक्रम अफ्रीकी पेशेवरों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करता है। भारत ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, कृषि विकास तथा क्षमता निर्माण के लिये ऋण और अनुदान की सीमा भी बढ़ा दी है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग:

भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपिनयों द्वारा अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य देखभाल पहुँच में सुधार करने के लिये सस्ती जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। भारत ने एचआईवी/एड्स, मलेरिया और इबोला जैसी बीमारियों से निपटने हेतु चिकित्सा टीमें भेजने के साथ ही तकनीकी सहायता भी प्रदान की है।

🔾 रक्षा सहयोगः

भारत ने हिंद महासागर रिम (IOR) पर सभी अफ्रीकी देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं, यह अफ्रीकी देशों के साथ बढ़ती रक्षा भागीदारी का प्रमाण है।

- लखनऊ (वर्ष 2020) और गांधीनगर (वर्ष 2022) में डिफेंस एक्सपो के मौके पर रक्षा मंत्रियों के स्तर पर आयोजित दो भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद की मेजबानी भी भारत-अफ्रीका के बीच रक्षा क्षेत्र में बढते महत्त्व को दर्शाती है।
- वर्ष 2022 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिये तंज्ञानिया और मोज्ञाम्बिक के साथ त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण शुरू किया था।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग:

- पैन अफ्रीकन ई-नेटवर्क परियोजना (वर्ष 2009 में आरंभ) के तहत भारत ने अफ्रीका के देशों को सैटेलाइट कनेक्टिविटी, टेली-मेडिसिन और टेली-एजुकेशन प्रदान करने के लिये एक फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया है।
- वर्ष 2019 में ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती (e-VBAB) की शुरुआत की गई जो अफ्रीकी छात्रों को मुफ्त टेली-शिक्षा तथा स्वास्थ्य पेशेवरों के लिये चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित थी।

भारत के लिये अफ्रीका का महत्त्व:

- इस दशक में सबसे तेज़ी से विकसित होते खांडा, सेनेगल, तंजानिया
 आदि आधा दर्जन से अधिक देश अफ्रीका में हैं जो अफ्रीका को
 विश्व के विकास ध्रुवों में से एक बनाता है।
- पिछले दशकों में अफ्रीका और उप-सहारा अफ्रीका में वास्तिवक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1980-90 के दशक की तुलना में दोगुने भी अधिक दर से बढ़ गई है।
- अफ्रीकी महाद्वीप की जनसंख्या एक अरब से अधिक है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 2.5 ट्रिलियन डॉलर है जो इसे एक विशाल संभावित बाजार बनाता है।
- अफ्रीका एक संसाधन संपन्न देश है जहाँ कच्चे तेल, गैस, दालें, चमड़ा, सोना और अन्य धातुओं का विशाल भंडार है जिनकी भारत में पर्याप्त मात्रा में कमी है।
 - नामीबिया और नाइजर यूरेनियम के शीर्ष दस वैश्विक उत्पादकों में से हैं।
 - दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्लैटिनम और क्रोमियम का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत अपनी तेल आपूर्ति में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है जो मध्य पूर्व में दूर स्थित है तथा अफ्रीका भारत की ऊर्जा आवश्यकतओं को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

19वाँ NAM शिखर सम्मेलन और भारत-युगांडा संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कंपाला में गुटिनरपेक्ष आंदोलन (Non Aligned Movement-NAM) के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले युगांडा के राष्ट्रपित योवेरी मुसेवेनी ने 1970 के दशक में ईदी अमीन द्वारा भारतीयों के निष्कासन पर खेद व्यक्त किया।

मैंने युगांडा में भारतीय प्रवासियों की उपलिब्धियों की प्रशंसा की है
 और वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका की सराहना की है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- NAM का 19वाँ शिखर सम्मेलन "साझा वैश्विक समृद्धि के लिये सहयोग को गहरा करना" विषय पर कंपाला, युगांडा में आयोजित किया गया था।
 - अज्ञरबैजान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिये इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है।
- शिखर सम्मेलन ने कंपाला घोषणा को अपनाया, जिसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई और घिरे गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमित देने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया गया।
- भारत के विदेश मंत्री ने 19वें NAMिशखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें गाजा संकट के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने मानवीय संकट में तत्काल राहत की आवश्यकता पर बल दिया और पश्चिम एशियाई क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का आग्रह किया।
- NAM की स्थापना वर्ष 1961 में नव स्वतंत्र देशों के पाँच नेताओं— यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज टीटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णों और घाना के क्वामे नक्रुमाह- की पहल के माध्यम से बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में की गई थी।
 - इसका गठन शीत युद्ध के दौरान उन राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे बल्कि स्वतंत्र या तटस्थ रहना चाहते थे।

- वर्तमान में आंदोलन में 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक देश और
 10 पर्यवेक्षक संगठन हैं।
- NAM के पास कोई स्थायी सिचवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर, अधिनियम या संिध नहीं है।
- यह शिखर सम्मेलन आमतौर पर हर तीन साल में होता है।

पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समूह


हाल ही में बुर्किना फासो, माली और नाइजर के सैन्य शासनों ने वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (ECOWAS) से तत्काल बाहर होने की घोषणा की।

ECOWAS क्या है?

- परिचयः ECOWAS एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य पश्चिम अफ्रीकी उप-क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण और साझा विकास को बढ़ावा देना है।
 - इसकी स्थापना मई 1975 में 15 पश्चिम अफ्रीकी देशों द्वारा
 नाइजीरिया के लागोस में की गई थी।
- संस्थापक सदस्य राष्ट्रः बेनिन, बुर्किना फासो, कोटे डी'आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सियेरा लियोन, सेनेगल और टोगो।
- मुख्यालयः अबुजा, नाइजीरिया
- प्रमुख पहलः ECOWAS ने वर्ष 1990 में अपना मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया और जनवरी 2015 में एक सामान्य बाह्य/विदेशी टैरिफ अपनाया।
 - इसने क्षेत्र में संघर्षों को नियंत्रित करने के लिये शांति सैन्य व्यवस्था विकसित करके कुछ सुरक्षा मुद्दों का हल करने के लिये भी कार्य किया है।
 - प्रारंभ में वर्ष 1990 में गृह युद्ध के दौरान लाइबेरिया और वर्ष 1997 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्ताहीन करने के बाद सैनिकों को सियेरा लियोन भेजा गया था।

> भारत-ECOWAS संबंध:

- भारत का ECOWAS के साथ दीर्घकालिक संबंध है और वर्ष 2004 में इसे निकाय के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।
 - प वर्ष 2006 में, भारत ने समूह को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रेडिट लाइन (LoC) प्रदान की।
- ECOWAS ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट के लिये भारत की दावेदारी का भी समर्थन किया है।



नोट:

हाल ही में साहेल क्षेत्र से फ्राँसीसी सेना की वापसी ने घाना, टोगो, बेनिन और आइवरी कोस्ट जैसे गिनी की खाड़ी के राज्यों में संघर्ष के संभावित प्रसार के बारे में चिंता बढ़ा दी है।

साहेल क्षेत्र के बारे में मुख्य बातें:

- साहेल पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र
 (Semiarid Region) है जो पूर्व सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है।
- यह उत्तर में शुष्क सहाराई रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र का निर्माण करता है।
- ⇒ It is one of the world's richest, gifted with vast energy and mineral resources such as oil, gold and uranium.
- यह तेल, सोना और यूरेनियम जैसे विशाल ऊर्जा तथा खिनज संसाधनों से संपन्न दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है।

- हालाँिक राजनीतिक अस्थिरता विकास की प्रगति में बाधा डालती है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) ने साहेल को दस (10) देशों तक सीमित कर दिया है: बुर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड।

अफ्रीका की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत की रुचि

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) ने रवांडा सरकार के सहयोग से किगाली, रवांडा में अपनी 5वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की। ISA ने युगांडा गणराज्य, कोमोरोस संघ और माली गणराज्य में नौ सौर ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाओं

का उद्घाटन किया। इनमें से 4 परियोजनाएँ युगांडा में हैं तथा 2 कोमोरोस में एवं 3 माली में हैं।

- बैठक के दौरान "सार्वभौमिक ऊर्जा पहुँच के लिये सौर ऊर्जा का रोडमैप" नामक एक रिपोर्ट का अनावरण किया गया। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
- रिपोर्ट सौर-संचालित समाधानों का उपयोग कर वैश्विक ऊर्जा पहुँच चुनौती से प्रभावी और आर्थिक रूप से निपटने के लिये एक रणनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है। इसमें केस स्टडीज, वास्तविक जीवन के उदाहरण और नवीन नीतियाँ शामिल हैं जिनका उद्देश्य सौर मिनी-ग्रिड के कार्यान्वयन में परिवर्तनकारी बदलाव लाना है।
- रिपोर्ट के निष्कर्ष अफ्रीका, विशेषकर उप-सहारा क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण प्रासंगिकता रखते हैं। यह सौर ऊर्जा पर केंद्रित विद्युतीकरण रणनीतियों की एक शृंखला की पहचान, विशेष

रूप से सौर मिनी-ग्रिड और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- यह दृष्टिकोण विविध ऊर्जा पहुँच चुनौतियों का समाधान करने के लिये प्रभावी समाधान प्रदान करता है।
- इन समाधानों को बढावा देने से स्थानीय नवाचारों और व्यापार मॉडल के उद्भव को बढावा मिल सकता है, जिससे देश के भीतर सौर ऊर्जा उत्पादन अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

नोट:

- एक विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणाली की विशेषता ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं को ऊर्जा खपत के स्थल के करीब स्थित करना है।
 - यह नवीकरणीय ऊर्जा (RE) के साथ-साथ संयुक्त ऊष्मा और बिजली के अधिक-से-अधिक उपयोग की अनुमति देती है. जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करती है और पर्यावरण-दक्षता को बढाती है।



वैश्विक RE संक्रमण में अफ्रीका की क्षमता:

- अफ्रीका वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और नवाचार में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने की क्षमता रखता है।
- विभिन्न बाधाओं का सामना करने के बावजूद यह महाद्वीप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की एक समृद्ध शृंखला से संपन्न है, जिसमें पर्याप्त सौर क्षमता, पवन संसाधन, भू-तापीय क्षेत्र, जल ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसी संभावनाएँ शामिल हैं।
- इसके अलावा अफ्रीका के पास विश्व के 40% से अधिक महत्त्वपूर्ण खिनज भंडार हैं जो नवीकरणीय और निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- इन संसाधनों का लाभ उठाने से अफ्रीका को न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिलता है, बल्कि विश्व में RE उत्पादन और प्रगित में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करने का भी अवसर मिलता है।
 - हालाँकि पूरे महाद्वीप में सौर ऊर्जा की क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिये सरकारों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

भारत-मिस्त्र संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिये वर्ष 1997 के बाद पहली बार मिस्र का दौरा किया है।

 मिस्र की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च सम्मान-ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया।

नोट:

वर्ष 1915 में स्थापित 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' मिस्र अथवा मानवता के लिये अमूल्य सेवाएँ प्रदान करने वाले राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों (Princes) और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है।

भारत-मिस्र संबंधः

⊃ इतिहासः

- विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं, यथा- भारत और मिस्र के बीच संपर्क का इतिहास काफी पुराना है और इसका पता सम्राट अशोक के समय से लगाया जा सकता है।
 - अशोक के अभिलेखों में टॉलेमी-द्वितीय के तहत मिस्र के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है।
- आधुनिक काल में महात्मा गांधी और मिस्र के क्रांतिकारी साद जगलुल का साझा लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना था।

- 18 अगस्त, 1947 को राजदूत स्तर पर राजनियक संबंधों की स्थापना की संयुक्त रूप से घोषणा की गई थी।
- वर्ष 1955 में भारत और मिस्र ने एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किये। वर्ष 1961 में भारत और मिस्र ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एवं घाना के साथ गुटिनरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement- NAM) की स्थापना की।
- वर्ष 2016 में भारत और मिस्र ने राजनीतिक-सुरक्षा सहयोग, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक सहयोग तथा लोगों के बीच संबंधों के सिद्धांतों पर एक नए युग के लिये नई साझेदारी बनाने के अपने इरादे को रेखांकित करते हुए एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया।

🗅 द्विपक्षीय व्यापार:

- वर्ष 2022-23 में मिस्र के साथ भारत का व्यापार 6,061 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% कम है।
 - प्र इस व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पेट्रोलियम से संबंधित था।
- वर्ष 2022-23 में भारत मिस्र का छठा सबसे बड़ा
 व्यापारिक भागीदार है, जबिक मिस्र भारत का 38वाँ
 व्यापारिक भागीदार है।
- भारत ने मिस्र में 50 परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसका कुल मूल्य 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मिस्र ने भारत में 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।

🔾 रक्षा सहयोग:

- दोनों देशों की वायु सेनाओं ने 1960 के दशक में लड़ाकू विमानों के विकास पर सहयोग किया और भारतीय पायलटों ने 1960 के दशक से 1980 के दशक के मध्य तक मिस्र के अपने समकक्षों को प्रशिक्षित किया।
 - भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) और मिस्र की वायु सेना दोनों ही फ्राँसीसी राफेल लड़ाकू जेट से युक्त हैं।
- वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जिसके तहत सैन्य अभ्यास में भाग लेने और प्रशिक्षण में सहयोग करने का निर्णय लिया गया है।
- भारतीय सेना और मिस्र की सेना के बीच पहला संयुक्त विशेष बल अभ्यास, "अभ्यास चक्रवात- I" 14 जनवरी, 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ।

🗅 सांस्कृतिक संबंध:

वर्ष 1992 में काहिरा में मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर (MACIC) की स्थापना हुई। यह केंद्र दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता रहा है।

भारत के लिये अवसर और चुनौतियाँ:

⇒ अवसरः

- धार्मिक उग्रवाद का मुकाबला: भारत का लक्ष्य क्षेत्र में उदारवादी देशों का समर्थन करके और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देकर धार्मिक उग्रवाद का मुकाबला करना है।
 - भारत ने इसे खाड़ी क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी (Key Player) के रूप में पहचाना है क्योंकि यह धर्म पर उदार रुख रखता है, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब (जिन्होंने मिस्र में पर्याप्त निवेश किया है) के साथ मजबूत संबंध रखता है।
- रणनीतिक रूप से स्थित: मिस्र स्वेज नहर के साथ रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके माध्यम से वैश्विक व्यापार के 12% का परिचालन किया जाता है।
 - मिस्त्र के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर भारत इस क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद करता है।
- भारतीय निवेश: मिस्र काहिरा और अलेक्जेंड्रिया में बुनियादी ढाँचा मेट्रो परियोजनाओं, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र, स्वेज नहर के दूसरे चैनल तथा काहिरा उपनगर में एक नई प्रशासिनक राजधानी में भारत द्वारा निवेश किये जाने की अपेक्षा करता है।
- समान सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ: मिस्र एक बड़ा देश (जनसंख्या 105 मिलियन) और अर्थव्यवस्था (378 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। यह राजनीतिक रूप से स्थिर है और इसकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ काफी हद तक भारत के समान हैं।
 - मिस्र का सबसे बड़ा आयात परिष्कृत पेट्रोलियम, गेहूँ (दुनिया का सबसे बड़ा आयातक), कार, मक्का और फार्मास्यूटिकल्स हैं जिनकी आपूर्ति करने में भारत सक्षम है।
- बुनियादी ढाँचा विकास: इसके अलावा मिस्र सरकार का एक महत्त्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा विकास एजेंडा है, जिसमें 49 मेगा परियोजनाएँ शामिल हैं जिनमें न्यू काहिरा (58 बिलियन अमेरिकी डॉलर), 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र और 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का निर्माण शामिल है।
 - 2015-19 के दौरान मिस्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक था। यह भारत के लिये एक अवसर के रूप में है।

) चुनौतियाँ:

- मिस्र में आर्थिक संकट: मिस्र की अर्थव्यवस्था की विशाल वित्तीय प्रतिबद्धताएँ एक स्थिर अर्थव्यवस्था, महामारी, वैश्विक मंदी और यूक्रेन संघर्ष के साथ मेल खाती हैं।
 - इसके परिणामस्वरूप पर्यटन में गिरावट आई है और अनाज जैसे आयात महँगे हो गए हैं। वार्षिक मुद्रास्फीति 30% से ऊपर है तथा फरवरी 2022 से मुद्रा ने अपना आधे से अधिक मृल्य खो दिया है।
- भीषण ऋण और विदेशी मुद्रा: मिस्र का विदेशी ऋण 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 43%) से अधिक है तथा इसकी शुद्ध विदेशी परिसंपत्ति -24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
 - गंभीर विदेशी मुद्रा स्थिति ने सरकार को जनवरी 2023 में बड़ी विदेशी मुद्रा घटक वाली परियोजनाओं को स्थिगित करने तथा गैर-आवश्यक खर्चों में कटौती का आदेश जारी करने के लिये मजबूर कर दिया था।
- चीन का बढ़ता प्रभाव: चीन के संबंध में मिस्र को लेकर भारत की चिंताएँ चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव, रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ती उपस्थिति, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के इर्द-गिर्द घूमती हैं जिनका भारत के क्षेत्रीय हितों एवं सुरक्षा पर संभावित प्रभाव हो सकता है।
 - मिस्र के साथ चीन का द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है जो वर्ष 2021-22 के भारत के 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना है।
 - मिस्र के राष्ट्रपित चीनी निवेश को लुभाने के लिये विगत आठ वर्षों के दौरान सात बार चीन की यात्रा कर चुके हैं।

भारत-मिस्त्र संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सिसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह पहली बार है जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया है।

🔾 इस अवसर पर परेड में मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी ने भी भाग लिया।

नोट:

मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रण महत्त्वपूर्ण सम्मान है, इसका प्रतीकात्मक महत्त्व बहुत अधिक है। प्रत्येक वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली की पसंद कई कारणों- रणनीतिक और कूटनीतिक, व्यावसायिक हित तथा भू-राजनीति से तय होती है।

भारत-मिस्र संबंधः

⊃ इतिहासः

- विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं, यथा- भारत और मिस्र के बीच संपर्क का इतिहास काफी पुराना है और इसका पता सम्राट अशोक के समय से लगाया जा सकता है।
 - अशोक के अभिलेखों में टॉलेमी-द्वितीय के तहत मिस्र के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है।
- आधुनिक काल में महात्मा गांधी और मिस्र के क्रांतिकारी साद जगलुल का साझा लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
 - 18 अगस्त, 1947 को राजदूत स्तर पर राजनियक संबंधों की स्थापना की संयुक्त रूप से घोषणा की गई थी।
- वर्ष 1955 में भारत और मिस्र ने एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किये। वर्ष 1961 में भारत और मिस्र ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एवं घाना के साथ गुटिनरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement- NAM) की स्थापना की।
- वर्ष 2016 में भारत और मिस्र ने राजनीतिक-सुरक्षा सहयो<mark>ग,</mark> आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक सहयोग तथा लोगों के बीच संबंधों के सिद्धांतों पर एक नए युग के लिये नई साझेदारी बनाने के अपने इरादे को रेखांकित करते हुए एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया।

वर्तमान परिदृश्यः

- इस वर्ष की बैठक के दौरान भारत और मिस्र दोनों द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" के रूप में बेहतर बनाने पर सहमत हुए।
 - प्रणनीतिक साझेदारी के मोटे तौर पर चार तत्त्व होंगे: राजनीतिक; रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक सहयोग, सांस्कृतिक एवं लोगों बीच संपर्क।
- भारत एवं मिस्र ने प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच विषय-सामग्री विनिमय, क्षमता निर्माण तथा सह-निर्माण की सुविधा हेतु तीन वर्ष के लिये समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding -MoU) पर हस्ताक्षर किये।
 - इस समझौते के तहत दोनों प्रसारक द्विपक्षीय आधार पर खेल, समाचार, संस्कृति, मनोरंजन जैसी विभिन्न शैलियों के अपने कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

○ OIC में भागीदार:

भारत, मिस्र को मुस्लिम-बहुल देशों के बीच एक उदार इस्लामी देश के रूप में और इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization for Islamic Cooperation -OIC) में एक भागीदार के रूप में देखता है।

आतंकवाद और सुरक्षाः

- इस गणतंत्र दिवस की बैठक के दौरान भारत और मिस्र ने विश्व भर में फैल रहे आतंकवाद को लेकर चिंता व्यक्त की क्योंकि यह मानवता के लिये सबसे गंभीर खतरा है। नतीजतन, दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिये ठोस कार्रवाई की जानी आवश्यक है।
- दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों की वायु सेनाओं ने 1960 के दशक में लड़ाकू विमानों के विकास पर सहयोग किया तथा भारतीय पायलटों ने 1960 के दशक से 1980 के दशक के मध्य तक मिस्र के समकक्ष पायलटों को प्रशिक्षित किया।
 - भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) और मिस्र की वायु सेना दोनों ही फ्राँसीसी राफेल लड़ाकू जेट का उपयोग करते हैं।
- वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे जिसमें अभ्यास में भाग लेने और प्रशिक्षण में सहयोग करने का भी फैसला किया गया है।
- भारतीय सेना और मिस्र की सेना के बीच पहला संयुक्त विशेष बल अभ्यास, "अभ्यास चक्रवात- I" 14 जनवरी, 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा है।

🔾 सांस्कृतिक संबंध:

वर्ष 1992 में काहिरा में मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर (MACIC) की स्थापना हुई। यह केंद्र दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढावा देता रहा है।

मिस्र के समक्ष चुनौतियाँ:

- मिस्र की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण संकटपूर्ण रही है, जिसने मिस्र द्वारा रूस एवं यूक्रेन से आयात किये जाने वाले लगभग 80% खाद्यान्न की आपूर्ति और मिस्र के विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित किया।
 - वर्ष 2022 में गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद भारत ने मिस्र को 61,500 मीट्रिक टन के शिपमेंट की अनुमति दी।
- मिस्र द्वारा भारत से मेट्रो पिरयोजनाओं, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र, स्वेज नहर में दूसरा चैनल और मिस्र में एक नई प्रशासिनक राजधानी सिहत बुनियादी ढाँचे में निवेश हेतु सहयोग की मांग की जा रही है है।
 - 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र में 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

🔾 भू-सामरिक चिंताएँ:

- मिस्र के साथ चीन का द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो वर्ष 2021-22 में भारत के 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना है। पिछले आठ वर्षों के दौरान चीनी निवेश को लुभाने के लिये मिस्र के राष्ट्रपति ने सात बार चीन की यात्रा की है।
- पश्चिम एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश मिस्र, एक महत्त्वपूर्ण भू-रणनीतिक स्थान पर है क्योंिक वैश्विक व्यापार का 12% स्वेज नहर से होकर गुजरता है जो कि मिस्र का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।
 - यह भारत के लिये एक प्रमुख बाजार है और यूरोप तथा अफ्रीका दोनों के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। हालाँकि इसके महत्त्वपूर्ण पश्चिम- एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते भी हैं जो भारत के लिये चिंता का विषय है।

भारत द्वारा केन्या को कृषि ऋण की पेशकश

भारत ने केन्या के राष्ट्रपति की हालिया भारत <mark>यात्रा के दौ</mark>रान <mark>अपने</mark> कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिये केन्या को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है।

- क्रेडिट लाइन (LOC) एक पूर्व निर्धारित उधार सीमा है जो आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होती है। इसमें उधारकर्त्ता स्थापित सीमा तक पहुँचने तक आवश्यकतानुसार धनराशि की निकासी कर सकता है और एक बार चुकता करने के बाद क्रेडिट की मुक्त ऋण सुविधा के मामले में धनराशि फिर से उधार ली जा सकती है। केन्या के राष्ट्रपति की हालिया यात्रा के मुख्य तथ्य क्या हैं?
- भारत और केन्या ने खेल, शिक्षा और डिजिटल समाधान सिंहत कई क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने वाले पाँच समझौतों पर हस्ताक्षर किये और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री जुड़ाव को बढ़ाने के लिये एक संयुक्त दृष्टि दस्तावेज का अनावरण किया।
- भारत ने दो भारतीय नागरिकों का मुद्दा भी उठाया जो गत वर्ष पूर्वी
 अफ्रीकी देश में लापता हो गए थे।
- दोनों राष्ट्रों ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल सार्वजिनक बुनियादी ढाँचा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है।
- दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग पर विचार-विमर्श किया और सैन्य अभ्यास, क्षमता निर्माण के साथ-साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को जोड़ने पर जोर दिया।

- भारतीय कंपनियों को केन्या में निवेश करने के लिये विशेष रूप से कृषि, विनिर्माण, फार्मास्युटिकल, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और हरित गतिशीलता क्षेत्रों में केन्या ने अनुकूल एवं आकर्षक वातावरण का लाभ उठाने के लिये आमंत्रित किया।
- आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती पर दोनों पक्षों ने आतंकवाद-रोधी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। केन्या से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?
- केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, इसका भू-भाग हिंद महासागर के निम्न तटीय मैदान से लेकर इसके मध्य में पहाड़ों और पठारों तक विस्तृत है।
- हिंद महासागर तथा विक्टोरिया झील के बीच केन्या की अवस्थित का अर्थ यह है कि संपूर्ण अफ्रीका एवं मध्य पूर्व के लोग सिदयों से इस पार यात्रा और व्यापार करते रहे हैं।
 - इसने कई जातीय समूहों एवं भाषाओं के साथ एक विविध संस्कृति का निर्माण किया है।
- अब तक पाए गए सबसे प्राचीनतम मानव में से एक की अस्थियाँ केन्या की तुर्काना द्रोणी/बेसिन में खोजी गई थीं।
 - विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील, तुर्काना झील, ओमो-तुर्काना द्रोणी का हिस्सा है, जो चार देशों, इथियोपिया, केन्या, दक्षिण सूडान और युगांडा में फैली हुई है।
- संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा (UN-Habitat) का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्थित है।

सिएरा लियोन में तख्तापलट का प्रयास

सिएरा लियोन में तख्तापलट का असफल प्रयास किया गया जिससे पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल तथा आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

- सिएरा लियोन, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ECOWAS) का एक सदस्य देश है तथा इसलिये यदि भविष्य में कोई सुरक्षा चिंता उत्पन्न होती है तो ECOWAS एवं सदस्य देशों द्वारा सांविधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये कदम उठाए जाएँगे।
 - सिएरा लियोन की शांति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?
- राजनीतिक अस्थिरताः जून 2023 में राष्ट्रपित के पुनः चुनाव से राजनीतिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हुई। विरोधी दल ने छलसाधन/हेरफेर का आरोप लगाते हुए नतीजों पर आपत्ति जताई। विपक्ष के विरोध के कारण अक्टूबर 2023 तक संसदीय बहिष्कार हुआ।
- आर्थिक अस्थिरताः जीवन निर्वाह की उच्च लागत तथा अत्यधिक निर्धनता इस संकट को बढ़ाने में योगदान देती है।



- राष्ट्रपित की आर्थिक नीतियों ने स्थित को और भी खराब कर दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपित के इस्तीफे की मांग की गई।
- पुलिस आक्रामकता: विरोध प्रदर्शनों और जेल दंगों से निपटने के लिये सरकार द्वारा गोला-बारूद सिहत बल के प्रयोग ने आक्रोश को बढावा दिया है।

सिएरा लियोन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- सिएरा लियोन लाइबेरिया और गिनी के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। यह देश पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित है।
- ⊃ राज<mark>धानी</mark>: फ्रीटाउन
- भाषाएँ: अंग्रेजी, क्रियो।

- माउंट बिंटुमनी (जिसे लोमा मनसा के नाम से भी जाना जाता है)
 सिएरा लियोन की सबसे ऊँची चोटी है।
- सिएरा लियोन में उष्णकिटबंधीय जलवायु पाई जाती है।
- सिएरा लियोन के इलाके की विशेषता पूर्वी क्षेत्र में पहाड़, एक ऊँचा पठार, एक जंगली पहाड़ी देश और मैंग्रोव दलदलों का एक तटीय क्षेत्र है।
- सिएरा लियोन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्यों में से एक है।
- भारत 4,000 मजबूत भारतीय सैन्य दल की तैनाती के साथ सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNAMSIL) में योगदान देने वाले पहले देशों में से एक था। अफ्रीका में अन्य हालिया उथल-पुथल: नाइजर में तख्जापलट (2023)। सुडान में संकट (2023 और 2021)।



बुर्किना फासो तख्जापलट (2022)। माली में सैन्य तख्जापलट (2021, 2020)।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में विस्थापन

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में आंतरिक विस्थापन में वृद्धि की सूचना दी, जो आश्चर्यजनक रूप से 6.9 मिलियन तक पहुँच गई।

 उत्तरी किवु के पूर्वी प्रांत में विद्रोही समूह मौवेमेंट डू 23 मार्स (M23) के साथ चल रहे संघर्ष के कारण लगभग दस लाख लोग विस्थापित हो गए हैं।

कांगो में व्यापक विस्थापन में योगदान कारक कौन-से हैं?

⇒ DRC में संघर्षः

1990 के दशक में वर्ष 1996 और वर्ष 1998 में गृह युद्धों के साथ शुरू हुआ DRC संघर्ष 1994 के रवांडा नरसंहार के बाद और बढ़ गया था, जहाँ जातीय हुतु (Hutu) चरमपंथियों ने लगभग दस लाख अल्पसंख्यक जातीय तुत्सी और गैर-चरमपंथी हुतु लोगों को मार डाला था।

- रवांडा की सीमा से लगे पूर्वी DRC को तब से 120 से अधिक विद्रोही समूहों (संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार) के विद्रोह का सामना करना पड़ा है, जिससे तनाव और हिंसा बढ़ गई है।
 - क्षेत्रीय विवाद और संसाधन प्रतिस्पर्द्धा संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं।
- नवंबर 2021 से तुत्सी के नेतृत्व वाले M23 विद्रोही अभियान के हालिया पुनरुत्थान ने सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, M23 आंदोलन ने जनवरी 2023 से अब तक उल्लेखनीय प्रगति की है।

🔾 संघर्ष में प्रमुख हितधारक:

- उल्लेखनीय विद्रोही समूहों में M23 के अलावा एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस (ADF) और कोऑपरेटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कांगो (CODECO) शामिल हैं।
 - ADF, 1999 से युगांडा में एक विद्रोही समूह, ने वर्ष 2019 में इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा ली।

CODECO हेमास और कांगो सेना के विरुद्ध जातीय लेंडु (Lendu) के हितों की रक्षा करने के अपने मिशन पर जोर देता है।

विस्थापन का कारणः

- जातीय असिहष्णुता और विद्रोह: रवांडा नरसंहार के बाद दो मिलियन हुतु शरणार्थी उत्तर और दक्षिण किवु में विस्थापित हो गए, जिससे जातीय मिलिशिया भड़क उठी तथा तनाव बढ़ गया।
- राजनीतिक अनिश्चितता और शासन संबंधी मुद्देः DRC के वर्तमान अध्यक्ष को चल रही असुरक्षा के बीच चुनावी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे "स्वतंत्र, लोकतांत्रिक व पारदर्शी" वोट की अखंडता खतरे में है।
- क्षेत्रीय तनाव: रवांडा, युगांडा तथा बुरुंडी द्वारा समर्थित सशस्त्र समूह, प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं, जिससे संघर्ष की गतिशीलता एवं क्षेत्रीय अस्थिरता बढ जाती है।
- मानवीय संकट: किवु सिक्योरिटी ट्रैक्टर ने वर्ष 2023 में 1,400
 मौतों तथा 600 से अधिक हमलों की रिपोर्ट दी है।

उत्तरी किन्नु, इतुरी तथा दक्षिण किन्नु में 1.1 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, विशेष रूप से वित्तपोषण की अपर्याप्त स्थिति है।


DRC से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

अवस्थितिः

- DRC अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तथा विश्व का 11वाँ सबसे बड़ा देश है।
- इसकी 37 किलोमीटर लंबी तटरेखा है तथा देश का आधे से अधिक भाग घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन से ढका हुआ है।

🔾 राजधानीः

- ♦ किन्शासा DRC की राजधानी है जो कांगो नदी के समीप स्थित है।
- सीमावर्ती देश:



भाषाएँ:

♦ इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन अन्य बोली जाने वाली भाषाओं में कितुबा, लिंगाला, स्वाहिली तथा शिलुबा शामिल हैं।

मुद्रा:

♦ कांगोलीज फ्रैंक (CDF)।

प्राकृतिक संसाधनः

♦ यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इसमें लकड़ी, तेल तथा गैस, सोना एवं हीरे, साथ ही कोबाल्ट व तांबा जैसे ऊर्जा संक्रमण के लिये महत्त्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।

प्रमुख प्रजातियाँ:


💠 बोनोबोस एवं पूर्वी निम्न भूमि गोरिल्ला जैसे अनोखे वानर केवल कांगो में पाए जाते हैं।

नाइजर में तख्तापलट

08 Aug 2023 3 min read टैग्स: प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन-II

नाइजर इस समय राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुज़र रहा है क्योंकि वहाँ हुए सैन्य-तख्तापलट में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति को हटाकर सेना ने सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

- नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, माली, मॉरिटानिया और सेनेगल का गढ़ साहेल क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता के चलते जातीय संघर्ष हुए हैं।
 - 💠 कमज़ोर शासन, भ्रष्टाचार और जातीय संघर्षों के कारण क्षेत्र में शांति व स्थिरता बहाल करने के बहाने यह सैन्य हस्तक्षेप किया गया है।



भारत-इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-इथियोपिया संयुक्त व्यापार सिमित (JTC) का छठा सत्र अदीस अबाबा (इथियोपिया) में आयोजित किया गया। इसमें आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिये दोनों देशों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

भारत-इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति (JTC):

- भारत-इथियोपिया JTC एक द्विपक्षीय मंच है जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा तथा उन्हें बढ़ाने के लिये समय-समय पर बैठक करता है।
- JTC की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा इथियोपिया के व्यापार एवं क्षेत्रीय एकीकरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।
- JTC व्यापार, निवेश, सहयोग एवं नीतिगत मामलों से संबंधित विषयों तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती है।

JTC बैठक के प्रमुख बिंदुः

भारत ने इथियोपिया के एथिस्विच के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को एकीकृत करने पर सहयोग के लिये इथियोपिया को आमंत्रित किया।

- 🗅 एथस्विच इथियोपिया में एक भुगतान प्लेटफॉर्म बुनियादी ढाँचा है।
- भारतीय पक्ष ने इथियोपिया से स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक लेन-देन के निपटान की संभावना का पता लगाने का भी आग्रह किया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों तथा विदेशी मुद्रा के संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, कपड़ा, बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ, खाद्य तथा कृषि प्रसंस्करण इत्यादि शामिल हैं।
- दोनों पक्षों ने मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन तथा सीमा शुल्क प्रक्रिया के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (MoU) को लेकर जारी चर्चाओं की प्रगति की भी समीक्षा की तथा उन्हें शीघ्रता से पूरा करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-इथियोपिया व्यापार संबंध कैसे रहे हैं?

- भारत इथियोपिया के लिये दीर्घकालिक रियायती ऋण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण, चीनी उद्योग और रेलवे जैसे क्षेत्रों के लिये 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऋण शामिल है।
- भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022-23 में
 642.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
 - वर्ष 2021-22 में इथियोपिया की अर्थव्यवस्था अनुमानित
 6.4% बढ़ी।



- भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- भारतीय कंपनियाँ इथियोपिया में शीर्ष तीन विदेशी निवेशकों में शामिल हैं, जिनका मौजूदा निवेश कुल 5 अरब अमेरिकी डॉलर है।
- इथियोपिया और भारत के बीच कई उच्च-स्तरीय यात्राएँ हुई हैं, जिनमें मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की यात्राएँ शामिल हैं। इथियोपिया के संबंध में मुख्य तथ्य:
- यह अफ्रीका के हॉर्न में स्थित स्थल-रुद्ध देश है, जिसे आधिकारिक तौर पर इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है।
 - 💠 इसकी राजधानी अदीस अबाबा है।
- इथियोपिया के दक्षिण-पूर्व में सूडान, दक्षिण में इरिट्रिया, पश्चिम में जिब्ती और सोमालिया, उत्तर में केन्या तथा पूर्व में दक्षिण सुडान में स्थित है।
- इसके बावजूद कि यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के 90% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, इथियोपिया विश्व के सबसे पुराने उन देशों में से एक है जो उपनिवेश होने से बच गए।
- इथियोपियाई कैलेंडर में 30 दिनों के 12 महीने होते हैं, साथ ही पाँच या छह अतिरिक्त दिन (कभी-कभी इसे 13वें महीने के रूप में भी जाना जाता है)।
- रास डेजेन (या डैशेन), इथियोपिया की सबसे ऊँची चोटी है।
- इथियोपिया की सबसे बड़ी झील ताना झील है और यह ब्लू नील नदी (Blue Nile River) का स्रोत है।

गिनी की खाड़ी में दूसरा समुद्री डकैती रोधी गश्ती दल

चर्चा में क्यों?


भारतीय नौसेना ने हाल ही में अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी (GoG) में अपनी दूसरी समुद्री डकैती रोधी गश्त पूरी की, इस मिशन में अपतटीय गश्ती पोत INS सुमेधा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सितंबर/अक्तूबर 2022 में INS तरकश द्वारा पहली GoG समुद्री डकैती रोधी गश्त शुरू की गई थी।

GoG में दूसरी समुद्री डकैती रोधी गश्त की मुख्य विशेषताएँ क्या है

INS सुमेधा ने GoG में 31-दिवसीय समुद्री डकैती रोधी गश्त का संचालन किया, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ अटलांटिक महासागर में एक विस्तारित-रेंज परिचालन तैनाती पर है।

- 💠 सुमेधा की तैनाती ने यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय नौसेना के संबंध सेनेगल, घाना, टोगो, नाइजीरिया, अंगोला तथा नामीबिया जैसी क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ मज़बूत हों।
- INS सुमेधा की तैनाती का उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्रीय भागीदारों की क्षमताओं को बढ़ाना है, जो 'वसुधैव कुटुंबकम' यानी पृथ्वी एक परिवार है, के दर्शन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर ज़ोर देता है।
- गश्ती दल का लक्ष्य भारतीय और विदेशी व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा व स्थिरता में सुधार करना तथा समुद्री डकैती एवं हिंसक डकैती को हतोत्साहित करना एवं रोकना था। गिनी की खाडी (GoG) के विषय में मुख्य तथ्य क्या हैं?
- GoG पश्चिमी अफ्रीकी तट पर अटलांटिक महासागर का प्रवेश द्वार है. जो गैबॉन में केप लोपेज़ से लाइबेरिया में केप पालमास तक पश्चिम की ओर फैला हुआ है।
 - खाडी को समुद्र के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके इर्द-गिर्द भूमि का घेरा हो। इनका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स के परिणामस्वरूप होता है और अक्सर जलडमरूमध्य के रूप में संकीर्ण जल मार्गों द्वारा समुद्र से जुडे होते हैं।
- यह प्रमुख याम्योत्तर (Prime Meridian) तथा भूमध्य रेखा के जंक्शन पर 000'N एवं 000'E पर स्थित है।
- गिनी की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख निदयों में वोल्टा एवं नाइजर शामिल हैं।
- व्यापक समुद्री डकैती के कारण GoG विश्व की सबसे खतरनाक खाड़ियों में से एक है, जिसने अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों सहित पश्चिम अफ्रीका के कई देशों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
 - ♦ इस खाड़ी में प्रत्येक वर्ष समुद्री डाकुओं द्वारा लगभग 100 जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है।
- GoG क्षेत्र में विश्व के कुल पेट्रोलियम भंडार का 35% से अधिक हिस्सा है।
- 💠 यहाँ हीरा, यूरेनियम, तांबा आदि सहित कई खनिज पाए जाते हैं। गिनी की खाडी क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में पेट्रोलियम अन्वेषण, खनन एवं गैस फ्लेरिंग, बंदरगाह संचालन तथा मत्स्यपालन शामिल हैं।
- गिनी की खाड़ी के किनारे स्थित 16 तटीय देश- अंगोला, बेनिन, कैमरून, कोटे डी' आइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी-बिसाऊ, गैबॉन, नाइजीरिया, घाना, साओ टोमे और प्रिंसिपे, टोगो एवं सिएरा लियोन हैं।



गिनी की खाड़ी भारत के लिये रणनीतिक रूप से कैसे महत्त्वपूर्ण है?

- गिनी की खाड़ी देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक प्रमुख स्रोत होने के कारण भारत के राष्ट्रीय हितों के लिये अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व रखती है।
 - हाल के वर्षों में नाइजीरिया, भारत के लिये कच्चे तेल के मुख्य स्रोतों में से एक रहा है, वर्ष 2020 में यह भारत को कच्चे तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता था।
- GoG भारत के लिये सुरक्षा चिंता का क्षेत्र भी रहा है, क्योंकि यह समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती, आतंकवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध की चुनौतियों का सामना करता है।
 - भारत GoG में समुद्री डकैती की घटनाओं का शिकार होता रहा है, क्योंकि अतीत में कई भारतीय नागरिकों को समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बना लिया जाता था।

INS सुमेधाः

INS सुमेधा सरयू वर्ग के स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना अपतटीय गश्ती जहाज (NOPV) में से तीसरा है, जिसे स्वतंत्र रूप से और बेड़े के संचालन हेतु कई भूमिकाओं के लिये तैनात किया गया है।

- यह जहाज कई हथियार प्रणालियों, सेंसर, अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणालियों एवं एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से सुसज्जित है।
- INS सुमेधा का उद्देश्य भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री निगरानी और गश्त आवश्यकताओं को पूरा करना है।
 - इस जहाज की प्राथमिक भूमिका विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी, समुद्री डकैती रोधी गश्त, बेड़े के संचालन, अपतटीय संपत्तियों को समुद्री सुरक्षा प्रदान करना और उच्च मूल्य वाली संपत्तियों का अनुरक्षण करना है।
- समुद्री सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करते हुए इसने गिनी की खाड़ी में पहले भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया।
- इसने ऑपरेशन कावेरी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और अप्रैल 2023 में युद्ध प्रभावित सूडान से भारतीय प्रवासियों को निकालने में योगदान दिया।

समुद्री सुरक्षा से संबंधित भारत की पहल क्या हैं?

- सागर नीति
- भारत ने सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)
 के लिये अपना समर्थन दोहराया
- ⇒ इंटरनेशनल फ्यूज़न सेंटर (IFC)

सूडान संकट और ऑपरेशन कावेरी

चर्चा में क्यों?

सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिये 'ऑपरेशन कावेरी' शुरू किया है।

- लगभग 3,000 भारतीय सूडान के विभिन्न हिस्सों में फँसे हुए हैं, जिनमें राजधानी खार्तूम और दारफुर जैसे दूरस्थ प्रांत भी शामिल हैं। ऑपरेशन कावेरी:
- 'ऑपरेशन कावेरी' सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंद्वी अर्द्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहाँ फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत के निकासी प्रयास का एक कोडनेम है।
- इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के INS सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत और जेद्दा में स्टैंडबाय पर दो भारतीय वायु सेना C-130] के विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल है।
- सूडान में लगभग 2,800 भारतीय नागरिक हैं जिनमें से लगभग
 1,200 भारतीयों का समुदाय वहाँ पर बसा हुआ है।

सूडान में वर्तमान संकट:

🔾 पृष्ठभूमि:

- व्यापक विरोध के बाद अप्रैल 2019 में सैन्य जनरलों द्वारा लंबे समय से राष्ट्रपति पद पर काबिज उमर अल-बशीर को उखाड़ फेंकना सूडान में संघर्ष का कारण है।
- इसके कारण सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत वर्ष 2023 के अंत में सूडान में चुनावों का नेतृत्व करने के लिये संप्रभुता परिषद नामक एक शक्ति-साझाकरण निकाय की स्थापना की गई।
- हालाँिक सेना ने अक्तूबर 2021 में अब्दुल्ला हमदोक के नेतृत्त्व वाली संक्रमणकालीन सरकार को उखाड़ फेंका, बुरहान देश के वास्तिवक नेता बन गए और दगालो उनके सेकंड-इन-कमांड बन गए।

🗅 सेना और RSF के बीच तनाव:

- वर्ष 2021 के तख्तापलट के तुरंत बाद दो सैन्य (SAF) और अर्द्धसैनिक (RSF) जनरलों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया, जिससे चुनावों में संक्रमण की योजना बाधित हो गई।
 - इस राजनीतिक परिवर्तन के लिये दिसंबर 2021 में एक प्रारंभिक सौदा किया गया था लेकिन समय सारिणी और सुरक्षा क्षेत्र के सुधारों पर असहमित के कारण सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) के साथ अर्द्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के एकीकरण पर बातचीत में बाधा उत्पन्न हुई।
- संसाधनों के नियंत्रण और RSF के एकीकरण को लेकर तनाव बढ़ गया, जिसके कारण झड़पें हुईं।

- इस बात पर असहमित थी कि 10,000 सैनिकों की मजबूत RSF को सेना में कैसे एकीकृत किया जाए और किस प्राधिकरण को उस प्रक्रिया की देख-रेख की जिम्मेदारी दी जानी चाहिये।
- इसके अलावा दगालो (RSF जनरल) एकीकरण में 10 वर्ष की देरी करना चाहते थे, लेकिन सेना का दावा था कि यह अगले दो वर्षों में होना चाहिये।

भारत-सूडान संबंध:

सूडान का सामिरक महत्त्वः

- सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है और तीसरा सबसे बड़ा अफ्रीकी राष्ट्र है।
- लाल सागर पर अपनी रणनीतिक अवस्थिति, नील नदी तक पहुँच, सोने के विशाल भंडार और कृषि क्षमता के कारण अपने पड़ोसी देशों, खाड़ी देशों, रूस तथा पश्चिमी देशों सहित बाहरी शक्तियों के लिये आकर्षण का केंद्र रहा है।

्र द्विपक्षीय परियोजनाएँ:

इसने वर्ष 2021 में सूडान में ऊर्जा, परिवहन और कृषि व्यवसाय उद्योग जैसे क्षेत्रों में 612 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण के माध्यम से 49 द्विपक्षीय परियोजनाओं को पहले ही लागू कर दिया था।

जुबा शांति समझौते का समर्थनः

- भारत ने एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने के सूडान के प्रयासों का समर्थन किया और अक्तूबर 2020 में सरकार द्वारा हस्ताक्षरित जुबा शांति समझौते का भी समर्थन किया।
- चाड, संयुक्त अरब अमीरात और विकास पर अंतर-सरकारी प्राधिकरण (IGAD) इसके समर्थक थे, जबिक मिस्र तथा कतर शांति समझौते के साक्षी थे।
- इस समझौते में शासन, सुरक्षा और न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया था तथा यह भविष्य की संवैधानिक वार्ताओं के लिये महत्त्वपूर्ण था।
- भारत ने वार्ता प्रक्रिया के तहत बाह्य रूप से सशस्त्र सहायता प्रदान कर और 1,200 किमयों के साथ नागरिक सुरक्षा के लिये एक राष्ट्रीय योजना का भी समर्थन किया।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग:

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) के तहत भारत ने क्षमता निर्माण के लिये सूडान को 290 छात्रवृत्ति/अनुदान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2020 में सूडान को खाद्य आपूर्ति सहित मानवीय सहायता भी प्रदान की थी।

द्विपक्षीय व्यापारः

- इन वर्षों में भारत और सूडान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2005-06 के 327.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1663.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- सूडान और दक्षिण सूडान में भारत का निवेश मोटे तौर पर 3 अरब अमेरिकी डॉलर का था जिसमें से 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर पेट्रोलियम क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ONGC विदेश) में निवेश किया गया था।

		भारत द्वारा चलाए गए निकासी अभियान
ऑपरेशन गंगा (2022)	Э	यह वर्तमान में यूक्रेन में फँसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये एक निकासी मिशन है।
	Э	रूसी सेना द्वारा हमलों की शृंखला शुरू करने के बाद यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के साथ ही वर्तमान में रूस
		और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है।
ऑपरेशन देवी शक्ति (2021)	Э	ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान द्वारा तेजी से कब्जे के बाद काबुल से अपने नागरिकों और अफगान
		भागीदारों को निकालने के लिये भारत का जटिल मिशन था।
वंदे भारत (2020)	Э	कोरोनावायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण विदेश में फँसे भारतीय नागरिकों को
		वापस लाने हेतु 'वंदे भारत मिशन' चलाया गया।
	2	इस मिशन के तहत कई चरणों में 30 अप्रैल, 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया।
ऑपरेशन समुद्र सेतु (2020)	Э	यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था।
	Э	इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते मातृभूमि में सफलतापूर्वक वापस लाया गया।
	2	भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व (लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक), ऐरावत, शार्दुल तथा मगर (लैंडिंग शिप
		टैंक) ने इस ऑपरेशन में भाग लिया, जो 55 दिनों तक चला और इसमें समुद्र द्वारा 23,000 किमी. से
		अधिक की यात्रा शामिल थी।
ब्रुसेल्स से निकासी (2016)	Э	मार्च 2016 में बेल्जियम जेवेंटेम में ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रुसेल्स में मालबीक मेट्रो स्टेशन
		पर एक आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया था।
	2	इसके तहत जेट एयरवेज़ की फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर्स समेत कुल 242 भारतीयों को भारत लाया गया।
ऑपरेशन राहत (2015)	Э	वर्ष 2015 में यमन सरकार और हौथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष छिड़ गया।
	Э	सऊदी अरब द्वारा घोषित नो-फ्लाई जोन के कारण हजारों भारतीय फँसे हुए थे और यमन हवाई मार्ग सुलभ
		नहीं था।
)	ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने यमन से लगभग 5,600 लोगों को निकाला।
ऑपरेशन मैत्री (2015)	Э	वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन
		भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था।
	Э	सेना-वायु सेना के संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल से वायु सेना और नागरिक विमानों द्वारा 5,000 से अधिक
		भारतीयों को वापस लाया गया। भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी से 170 विदेशी
		नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला।
ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी	2	संघर्षग्रस्त लीबिया में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये भारत ने 'ऑपरेशन घर वापसी' शुरू
(2011)		की।
	2	ऑपरेशन के तहत भारत ने 15,400 भारतीय नागरिकों को निकाला।
	5	इस ऑपरेशन में लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया गया था।
	2	एयर-सी ऑपरेशन भारतीय नौसेना और एयर इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था।

ऑपरेशन सुकून (2006)	0 0	जुलाई 2006 में जैसे ही इज़रायल और लेबनान में सैन्य संघर्ष शुरू हुआ, भारत ने ऑपरेशन सुकून शुरू कर वहाँ फँसे अपने नागरिकों को बचाया, जिसे अब 'बेरूत सीलिफ्ट' के नाम से जाना जाता है। यह 'डनकर्क' निकासी के बाद से सबसे बड़ा नौसैनिक बचाव अभियान था। टास्क फोर्स ने 19 जुलाई और 1 अगस्त, 2006 के बीच कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों सिहत लगभग 2,280 लोगों को निकाला था।
कुवैत एयरलिफ्ट (1990)	0 0 0 0	वर्ष 1990 में जब 700 टैंकों से लैस 1,00,000 इराकी सैनिकों ने कुवैत पर हमला किया, तब शाही और अति विशिष्ट व्यक्ति सऊदी अरब भाग गए थे। वहीं आम जनता के जीवन को जोखिम में डाला दिया गया। कुवैत में फँसे लोगों में 1,70,000 से अधिक भारतीय थे। भारत ने निकासी अभियान शुरू किया, जिसमें 1,70,000 से अधिक भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया और भारत वापस लाया गया।

5.भारत-दक्षिण अमेरिका संबंध

भारत और अर्जेंटीना के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में एक 'सामाजिक सुरक्षा समझौते (Social Security Agreement- SSA)' पर हस्ताक्षर किये हैं जिसका उद्देश्य दोनों देशों में पेशेवरों के विधिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। इस समझौते से दोनों देशों के पेशेवरों के लिये जोखिम मुक्त अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता मिलना अपेक्षित है।

सामाजिक सुरक्षा समझौताः

🗅 परिचय:

 यह दोनों देशों में श्रमिकों और पेशेवरों के अधिकारों तथा सामाजिक लाभ की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

आवश्यकताः

अर्जेंटीना में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों और भारत में रोजगार की इच्छा रखने वाले अर्जेंटीना के नागरिकों की बढ़ती संख्या इस कानूनी ढाँचे की आवश्यकता का प्रमुख आधार है।

प्रमुख बिंदुः

- SSA भारत और अर्जेंटीना दोनों में सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कानून पर लागू होता है, जिसमें वृद्धावस्था, उत्तरजीवियों के लिये पेंशन तथा नियोजित व्यक्तियों के लिये पूर्ण विकलांगता पेंशन शामिल है।
- यह समझौता अस्थायी आधार पर दूसरे देश में काम करने वाले कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न अधिकार और लाभ प्रदान करता है।

- इन लाभों में सेवानिवृत्ति या पेंशन के लिये नकद भत्ते, किराया, सिब्सिडी, या एकमुश्त भुगतान, सभी स्थानीय कानून के अनुसार, बिना किसी कटौती, संशोधन, निलंबन, दमन या प्रतिधारण के शामिल हैं।
- SSA बीमा अवधि को विनियमित करने के लिये कानूनी ढाँचा स्थापित करता है, जिसमें योगदान, अंशदायी लाभ तथा दूसरे देश में काम करने वाले कामगारों के लिये उनके निर्यात के साथ जमा की गई सेवाओं की अवधि शामिल है।
 - इस ढाँचे में एयरलाइंस और जहाजों के चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं।
- यह समझौता अर्जेंटीना में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंशदायी लाभों से संबंधित कानून का उल्लेख करता है।
- यह समझौता दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा के लिये किये गए लाभ या योगदान के नुकसान के खिलाफ पेशेवरों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा तथा इस प्रकार पेशेवरों एवं श्रम बल को अधिक से अधिक गतिविधि करने की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत-अर्जेंटीना संबंध:

राजनीतिक संबंधः

- फरवरी 2019 में भारत-अर्जेंटीना संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक विस्तारित कर दिया गया।
- भारत ने वर्ष 1943 में ब्यूनस आयर्स में एक व्यापार आयोग की शुरुआत की, जिसे बाद में वर्ष 1949 में दक्षिण अमेरिका में भारत के पहले दूतावासों में से एक में बदल दिया गया।
- अर्जेंटीना ने वर्ष 1920 के दशक में कलकत्ता में एक वाणिज्य दूतावास की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में दूतावास के रूप में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था।

आर्थिक संबंध:

- भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022 में 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक स्तर तक पहुँच गया, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज़ की गई।
- अर्जेंटीना को भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम तेल, कृषि रसायन, यार्न-कपड़े से बने उत्पाद, कार्बनिक रसायन, थोक दवाएँ और दोपहिया वाहन शामिल हैं।
- अर्जेंटीना से भारत के आयात की प्रमुख वस्तुओं में वनस्पित तेल
 (सोयाबीन एवं सूरजमुखी), चमड़ा, अनाज, अविशिष्ट रसायन
 और संबद्ध उत्पाद तथा दालें शामिल हैं।

🗅 सांस्कृतिक संबंध:

भारत और अर्जेंटीना के बीच ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संबंध भी हैं, जैसे वर्ष 1924 में रवींद्रनाथ टैगोर की अर्जेंटीना यात्रा तथा वर्ष 1968 में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा विक्टोरिया ओकाम्पो को 'मानद डॉक्टरेट' का पुरस्कार देना।

🗅 आतंकवाद से बचाव (Counter-Terrorism):

- भारत और अर्जेंटीना ने आतंकवाद से लड़ने के लिये एक अलग संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया।
- अर्जेंटीना ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की कडे शब्दों में निंदा की।
- दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा आह्वान किया कि किसी भी देश को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरे देशों पर आतंकवादी हमले करने के लिये नहीं करने देना चाहिये।

अर्जेंटीनाः

- राजधानीः ब्यूनस आयर्स।
- राजभाषाः स्पेनिश।
- 🔾 अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का आठवाँ सबसे बड़ा देश है।
 - यह देश दक्षिण एवं पश्चिम में चिली, उत्तर में बोलीविया एवं पैराग्वे और पूर्व में ब्राजील, उरुग्वे तथा अटलांटिक महासागर से घिरा है।
- 🗅 एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊँचा पर्वत सेरो एकांकागुआ है।
- अर्जेंटीना संसाधनों से समृद्ध है, इसके पास सुशिक्षित कार्यबल है और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- देश को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: एंडीज, उत्तर, पम्पास और पेटागोनिया। पम्पास कृषि प्रधान क्षेत्र है।

सूरीनाम में भारतीय औषधकोश मान्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय औषधकोश आयोग (IPC) और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जिसका उद्देश्य सूरीनाम में दवाओं के लिये एक मानक के रूप में भारतीय औषधकोश (IP) को मान्यता देना है।

- हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन चिकित्सा विनियमन के क्षेत्र में निकट सहयोग के लिये भारत और सूरीनाम की पारस्परिक प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
- यह सहयोग दोनों देशों में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते समय संबंधित कानूनों और विनियमों के पालन के महत्त्व की मान्यता में निहित है।

भारतीय औषधकोश आयोग (IPC):

- ⇒ IPC स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है।
- ⇒ IPC भारत में दवाओं के मानक तय करने के लिये बनाया गया है। इसका मूल कार्य इस क्षेत्र में प्रचलित रोगों के इलाज के लिये आमतौर पर आवश्यक दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करना है।
- यह भारतीय औषधकोश आयोग (IPC) के रूप में जोड़ने और मौजूदा मोनोग्राफ को अद्यतन करने के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित करता है।
- यह नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को प्रकाशित करके जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढावा देता है।
- भारतीय औषधकोश आयोग मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण से आवश्यक दवाओं की पहचान, शुद्धता और शक्ति के लिये मानक निर्धारित करता है।
- IPC, IP संदर्भ पदार्थ (IP Reference Substances-IPRS) भी प्रदान करता है जो परीक्षण के तहत किसी वस्तु की पहचान और IP में निर्धारित उसकी शुद्धता के लिये फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है।

समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएँ:

- 🗅 भारतीय औषधकोश (IP) की स्वीकृति:
 - समझौता ज्ञापन सूरीनाम में दवाओं के लिये मानकों की एक व्यापक पुस्तक के रूप में IP की स्वीकृति को मजबूत करता है।

⇒ सुव्यवस्थित गुणवत्ता नियंत्रणः

- IP मानकों का पालन करने वाले भारतीय निर्माताओं द्वारा जारी किये गए विश्लेषण प्रमाणपत्र की स्वीकृति के माध्यम से सूरीनाम में दवाओं के दोहरे परीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- यह व्यवस्था अतिरेक को कम करती है, समय और संसाधनों की बचत करती है।

लागत प्रभावी मानकः

- समझौता ज्ञापन उचित लागत पर IPC से IP संदर्भ पदार्थों (IP Reference Substances- IPRS) और अशुद्धता मानकों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।
- यह प्रावधान सूरीनाम की गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषण प्रक्रियाओं को बढाकर लाभान्वित करता है।

समझौता ज्ञापन का महत्त्वः

सस्ती दवाइयाँ:

IP की मान्यता सूरीनाम में जेनेरिक दवाओं के विकास को संभव बनाती है। इससे सूरीनाम के नागरिकों के लिये लागत प्रभावी दवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लक्ष्य के अनुरूप है।

आर्थिक लाभ:

भारत के लिये सूरीनाम में भारतीय फार्माकोपिया/औषधकोश की मान्यता 'आत्मिनर्भर भारत (Self-Reliant India)' की दिशा में एक कदम है। यह मान्यता भारतीय चिकित्सा उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाती है, विदेशी मुद्रा अर्जित करती है तथा वैश्विक मंच पर भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत करती है।

भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात को बढ़ावा देनाः

सूरीनाम द्वारा IP की मान्यता से दोहरा परीक्षण और जाँच की आवश्यकता दूर हो जाती है, जिससे भारतीय दवा निर्यातकों को प्रतिस्पर्द्धा में बढ़त मिलती है। नियामक बाधाओं में कमी से भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिये व्यापार अधिक लाभकारी होगा।

🔾 🛮 व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यताः

भारतीय औषधकोश की आधिकारिक मान्यता पहले ही अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरीशस और सूरीनाम तक विस्तृत है। यह विस्तार वैश्विक फार्मास्यूटिकल परिदृश्य में अपने प्रभाव एवं सहयोग को बढ़ाने के भारत के प्रयासों को दर्शाता है।

सूरीनाम के विषय में मुख्य तथ्य:

🗅 परिचय:

- सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राज़ील और पश्चिम में गुयाना से लगती है।
- सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है, जो सूरीनाम नदी के तट पर
 स्थित है।
- सूरीनाम एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें राज्य और सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है।



) राजभाषाः

- 25 नवंबर, 1975 को सूरीनाम, जिसे पहले डच गुयाना के नाम से जाना जाता था, ने नीदरलैंड से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
- इसकी राजभाषा डच है, जो देश के औपनिवेशिक इतिहास को दर्शाती है। हालाँकि कई अन्य भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें स्नानन टोंगो (सूरीनाम क्रियोल), हिंदुस्तानी, जावानीज और अंग्रेजी शामिल हैं।

🗅 अर्थव्यवस्थाः

- सूरीनाम की अर्थव्यवस्था विविध है, जिसमें खनन (सोना, बॉक्साइट, तेल), कृषि (चावल, केले, लकड़ी) और सेवाएँ शामिल हैं।
- सूरीनाम प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से सोना, बॉक्साइट और हाल ही में खोजे गए तेल भंडार से समृद्ध है।

6. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ

नई दिल्ली में 18वाँ G20 शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

नई दिल्ली, भारत में 9 और 10 सितंबर, 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की।

- इस शिखर सम्मेलन का विषय "वसुधैव कुटुंबकम" था, जिसका अर्थ है "विश्व एक परिवार है"।
- G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा में रूस-यूक्रेन तनाव से लेकर धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मत सहमति बनी। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष:

⇒ अफ्रीकी संघ को स्वीकृति (अब G21):

- इस मंच में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में G20 देशों ने अफ्रीकी संघ (African Union- AU) को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया।
- ♦ अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किये जाने का प्रभाव:
 - प G20 में AU की सदस्यता वैश्विक व्यापार, वित्त और निवेश को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करती है तथा G20 के भीतर ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने में अहम भूमिका अदा करेगी।
 - इससे G20 के भीतर अफ्रीकी संघ के हितों और दृष्टिकोणों पर विचार करना और उन पर ध्यान देना संभव हो सकेगा।

⇒ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (Global Biofuels Alliance- GBA):

♦ परिचय:

- यह भारत के नेतृत्व में एक पहल है जिसका उद्देश्य जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देने के लिये सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा उद्योगों का गठबंधन सुनिश्चित करना है।
- इस पहल का लक्ष्य जैव ईंधन को ऊर्जा संक्रमण के एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करना तथा रोजगार सृजन व आर्थिक विकास में योगदान देना है।

- यह भारत के मौजूदा PM-JIWAN योजना, SATAT और GOBAR DHAN योजना जैसे जैव ईंधन कार्यक्रमों को गित देने में मदद करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, शुद्ध शून्य लक्ष्य के परिणामस्वरूप वर्ष 2050 तक जैव ईंधन क्षमता में साढ़े तीन से पाँच गुना वृद्धि की जाएगी।

गठन और संस्थापक सदस्यः

- इस गठबंधन की शुरुआत नौ आरंभिक सदस्य देशों; भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ की गई थी।
- GBA के सदस्य देश जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता हैं। इथेनॉल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 52%, ब्राजील द्वारा 30% एवं भारत द्वारा 3% के साथ लगभग 85% के योगदान के साथ ही इन्हीं देशों में इसकी लगभग 81% खपत होती है।
 - इसमें शामिल होने के लिये 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय
 संगठन पहले ही सहमित व्यक्त कर चुके हैं।
 - प्र वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का समर्थन करने वाले देश
- 💠 बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात।
 - वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के गैर-समर्थक देश:
- आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पैराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा
 और फिनलैंड।
 - 🛚 अंतर्राष्ट्रीय संगठन:
- विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलपीजी संगठन, संयुक्त राष्ट्र-सभी के लिये ऊर्जा, UNIDO, बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बायोगैस एसोसिएशन।

🗅 भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC):

- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) की स्थापना के लिये भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्राँस, जर्मनी और इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- IMEC वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिये साझेदारी (Partnership for Global Infrastructure Investment- PGII) नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है।

- PGII को सबसे पहले जून 2021 में ब्रिटेन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था।
- इसका लक्ष्य सार्वजिनक और निजी निवेश के संयोजन के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचा पिरयोजनाओं को वित्तपोषित करना है।
- IMEC भारत, मध्य-पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाली एक महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजना है।
- इस परियोजना का लक्ष्य रेलवे और समुद्री मार्गों सिहत परिवहन गिलयारों का एक नेटवर्क स्थापित करना है।
- इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, यह एक वैकल्पिक बुनियादी ढाँचा नेटवर्क प्रदान करता है।

⊃ वित्तीय समावेशन दस्तावेज़ के लिये G20 ग्लोबल पार्टनरिशपः

- विश्व बैंक द्वारा तैयार वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिये G20 ग्लोबल पार्टनरिशप ने केंद्र सरकार के तहत पिछले एक दशक में भारत के डिजिटल पिब्लक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है।
- यह दस्तावेज निम्नलिखित पहलों पर बल देता है जिन्हों DPI परिदृश्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई:
 - तीव्र वित्तीय समावेशन:
- भारत के DPI दृष्टिकोण ने केवल 6 वर्षों में 47 वर्षों की वित्तीय समावेशन प्रगति हासिल की।
- जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी की सहायता से वित्तीय समावेशन दर को वर्ष 2008 में 25% से बढ़ाकर 6 वर्षों के भीतर 80% से अधिक किया गया।
- विभिन्न विनियामक ढाँचे, राष्ट्रीय नीतियों और आधार-आधारित सत्यापन ने DPI की स्थापना में अहम योदगान दिया।
 - 🗷 प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की सफलता:
- ♦ PMJDY खातों की संख्या 147.2 मिलियन (मार्च 2015) से तीन गुना बढ़कर 462 मिलियन (जून 2022) हो गई।
- इनमें से 56% खाताधारक महिलाएँ हैं, अर्थात् इनकी संख्या
 260 मिलियन से अधिक है।
- अप्रैल 2023 तक 12 मिलियन से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करते हुए PMJDY ने कम आय वाली महिलाओं की बचत को बढ़ावा दिया।
- भारत के डिजिटल G2P आर्किटेक्चर ने 53 मंत्रालयों के 312 योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतरण की सुविधा प्रदान की।

- इसके माध्यम से मार्च 2022 तक 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल बचत की गई, जो GDP के 1.14% के बराबर है।
 - एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धिः
- मई 2023 में 9.41 बिलियन से अधिक UPI लेन-देन हुए, जिनकी कीमत 14.89 ट्रिलियन रुपए थी।
- वित्त वर्ष 2022-23 में UPI लेन-देन भारत की नॉमिनल
 GDP के 50% के करीब पहुँच गया।
 - निजी क्षेत्र की दक्षता:
- DPI ने जटिलता, लागत और समय को कम करते हुए निजी संगठनों के संचालन को सुव्यवस्थित किया।
- कुछ NBFCs ने 8% अधिक SME ऋण रूपांतरण दर, मूल्यहास लागत में 65% बचत और धोखाधड़ी का पता लगाने में 66% लागत की कमी हासिल की।
- DPI उपयोग के साथ भारत में बैंकों की ग्राहक ऑनबोर्डिंग लागत 23 अमेरिकी डॉलर से घटकर 0.1 अमेरिकी डॉलर हो गई।
 - KYC की अनुपालन लागत में कमी:
- अनुपालन लागत को 0.12 अमेरिकी डॉलर से घटाकर 0.06 अमेरिकी डॉलर किये जाने से कम आय वाले ग्राहक अधिक आकर्षित हुए।
 - म सीमा पार भुगतान:
- UPI-PayNow लिंकेज के कारण सिंगापुर के साथ सीमा
 पार से त्वरित और सस्ते भुगतान सुनिश्चित हुए।
 - 🗷 अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क:
- 13.46 मिलियन सहमित के साथ डेटा साझा करने के लिये
 1.13 बिलियन खातों को सक्षम किया गया।
 - 🕱 डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA):
- यह व्यक्तियों को उनके डेटा पर नियंत्रण प्रदान करता है, नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है।

G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अन्य मुख्य विशेषताएँ:

- वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करनाः
 - G20 देशों ने वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
 को तीन गुना करने की दिशा में काम करने का वादा किया।
 - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के एक आकलन के अनुसार, यदि इस लक्ष्य को पूरा किया जाता है तो वर्ष 2030 तक सात अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जा सकता है।

- यह ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है।
- यह जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर एक महत्त्वपूर्ण संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह घोषणा स्वीकार करती है कि वर्तमान जलवायु कार्रवाई अपर्याप्त है और पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये खरबों डॉलर के वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- निर्दिष्ट पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने से वर्ष 2023 और वर्ष 2030 के बीच लगभग 7 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन से बचा जा सकता है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रित प्रितबद्धताः

- वैश्विक चुनौतियाँ कमजोर समूहों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, इसलिये उनका लक्ष्य भुखमरी और कुपोषण का उन्मूलन करना है।
- G20 घोषणापत्र में मानवीय पीड़ा और यूक्रेन युद्ध के चलते
 वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला, मुद्रास्फीति तथा
 आर्थिक स्थिरता पर पडने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।
- G20 देशों ने ब्लैक सी ग्रेन पहल के समयबद्ध और पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया।
- G20 की अध्यक्षता के दौरान कृषि कार्य समूह ने दो पहलुओं
 पर ऐतिहासिक सहमित प्राप्त की: खाद्य सुरक्षा और पोषण पर
 दक्कन G20 उच्च-स्तरीय सिद्धांत और महर्षि
 (MAHARISHI) नामक कदन्न पहल।
 - खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च-स्तरीय सिद्धांतों के तहत सात सिद्धांतों के अंतर्गत मानवीय सहायता, खाद्य उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा नेट कार्यक्रम, जलवायु-स्मार्ट दृष्टिकोण, कृषि खाद्य प्रणालियों की समावेशिता, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण तथा कृषि में जिम्मेदार सार्वजनिक व निजी निवेश को बढ़ाना शामिल हैं।
 - महर्षि (कदन्न और अन्य प्राचीन अनाज पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल) का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष 2023 और उसके बाद के वर्षों के दौरान अनुसंधान सहयोग को बढ़ाना तथा कदन्न एवं अन्य प्राचीन अनाज के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना है।

- G20 कृषि, खाद्य और उर्वरक में पारदर्शी, निष्पक्ष और नियम-आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने, बाजार की विकृतियों को कम करने और WTO नियमों के साथ तालमेल बिठाने की प्रतिज्ञा की।
- G20 देशों ने पारदर्शिता में वृद्धि करने के लिये कृषि कदन्न
 सूचना प्रणाली (AMIS) और पृथ्वी अवलोकन वैश्विक
 कृषि निगरानी समूह (GEOGLAM) को मजबूत करने के
 महत्त्व पर जोर दिया।
 - इसके अंतर्गत वनस्पित तेलों को शामिल करने के लिये AMIS का विस्तार करना और खाद्य कीमतों में अस्थिरता से बचने हेतु प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के साथ सहयोग बढाना शामिल है।

नोट:

- AMIS खाद्य बाजार पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा के लिये
 नीति प्रतिक्रिया को बढ़ाने हेतु एक अंतर-एजेंसी मंच है।
 - प्र इसकी शुरुआत वर्ष 2007-08 और 2010 में वैश्विक खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद G20 के कृषि मंत्रियों द्वारा वर्ष 2011 में की गई थी।
- GEOGLAM पूरे विश्व में समय पर कृषि संबंधी सूचना प्रदान करके बाजार पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता है।
 - प्रवर्ष 2011 में फ्राँसीसी G20 अध्यक्षता के दौरान बीस (G20) कृषि मंत्रियों ने GEOGLAM नीति अधिदेश का समर्थन किया था।

🔾 छोटे हथियार और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने:

- → वर्ष 2023 की नई दिल्ली घोषणा पिछली G20 घोषणाओं, विशेष रूप से वर्ष 2015 के तुर्किये घोषणा, पर आधारित है, जिसमें आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई थी। वर्ष 2022 के G20 बाली नेतृत्वकर्ताओं की घोषणा (जो मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) को मजबूत करने पर केंद्रित थी) के विपरीत नई दिल्ली घोषणा में आतंकवाद से संबंधित विभिन्न चिंताएँ शामिल हैं।
- नई दिल्ली घोषणा में G20 देशों ने स्पष्ट रूप से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है।
- यह घोषणापत्र वैश्विक पिरसंपित पुनर्प्राप्ति नेटवर्क को बढ़ाने और आपराधिक गितविधियों से अर्जित धन की रिकवरी के लिये FATF के प्रयासों का समर्थन करता है।

स्वास्थ्य देखभाल में लचीलापन और अनुसंधानः

- G20 नई दिल्ली नेतृत्वकर्ताओं की घोषणा में स्वास्थ्य देखभाल
 पर काफी बल दिया गया है और एक लचीली स्वास्थ्य देखभाल
 प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई है।
- यह अधिक लचीला, न्यायसंगत, सतत् और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिये वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की केंद्रीय भूमिका है।
- इसका लक्ष्य आगामी दो से तीन वर्षों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यबल और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को महामारी से पहले के स्तर से बेहतर स्तर तक बढाना है।
- तपेदिक और AIDS जैसी मौजूदा महामारियों का समाधान करने के अतिरिक्त G20 विस्तारित कोविड पर शोध के महत्त्व को रेखांकित करता है।
- भारत की G20 अध्यक्षता ने आधुनिक चिकित्सा के साथ साक्ष्य-आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धितयों के एकीकरण पर भी जोर दिया।
- इसमें वन हेल्थ दृष्टिकोण (जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने पर विशेष ध्यान देने के साथ एक ही तंत्र के अंदर पशुओं, पादपों और मनुष्यों में बीमारियों को ट्रैक करता है) अपनाने पर जोर दिया गया है।

⊃ वित्त ट्रैक (Finance Track) समझौतेः

- भारत की G-20 की अध्यक्षता ने क्रिप्टोकरेंसी के लिये एक समन्वित और व्यापक नीति एवं नियामक ढाँचे की नींव रखी है।
- इसमें क्रिप्टो पिरसंपत्ति विनियमन हेतु वैश्विक सहमित पर जोर दिया गया।
- G-20 देशों ने विश्व स्तर पर उच्च विकासात्मक मांगों को पूरा करने के लिये अधिक मजबूत और प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।
- वित्तीय समावेशन के लिये डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के इंडिया स्टैक मॉडल को एक आशाजनक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया गया है।
- G-20 देशों की नई दिल्ली घोषणा क्रिप्टो-पिरसंपित पारिस्थितिकी तंत्र के तेज़ी से विकास से जुड़े जोखिमों की निगरानी पर जोर देती है।

> भारत-मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement):

- भारत और ब्राजील ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिये भारत-मर्कोसुर PTA के विस्तार हेतु मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई है।
 - मकोंसुर लैटिन अमेरिका में एक व्यापारिक समूह है, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे शामिल हैं।
- भारत-मर्कोसुर PTA 1 जून, 2009 को प्रभाव में आया, इसका उद्देश्य उन चुनिंदा वस्तुओं पर सीमा शुल्क को खत्म करना था जिन पर भारत और मर्कोसुर ब्लॉक के बीच सहमित बनी थी।

जलवायु वित्तपोषण प्रतिबद्धताः

- इस घोषणापत्र में जलवायु वित्तपोषण में पर्याप्त वृद्धि पर जोर दिया गया है, जिसमें बिलियन डॉलर से ट्रिलियन डॉलर के "क्वांटम जंप" अर्थात् काफी बड़े बदलाव का आह्वान किया गया है।
- यह विकासशील देशों के लिये वर्ष 2030 से पहले की अविध में 5.8-5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये प्रतिवर्ष 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शनः

- भारत मंडपम (अनुभव मंडपम से प्रेरित)।
- 💠 भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा (चोल शैली)।
- ओडिशा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र और नालंदा विश्वविद्यालय की छवि (प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के रूप में प्रयुक्त)।
- 💠 तंजावुर पेंटिंग और ढोकरा कला।
- 💠 बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति।
- विविध संगीत विरासत (हिंदुस्तानी, लोक संगीत, कर्नाटक, भक्ति)।

⊃ G20 अध्यक्षता में परिवर्तन:

- भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपित लुइज इंसियो लूला दा सिल्वा को G20 अध्यक्ष का पारंपिरक उपहार सौंपा, जिन्हें 1 दिसंबर, 2023 को आधिकारिक तौर पर इसकी अध्यक्षता प्राप्त हो जाएगी।
- G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नवीनतम भारत-अमेरिका सहयोग: लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला और दूरसंचार बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी प्रौद्योगिकी साझेदारी को मज़बूत कर रहे हैं।

- भारत चीनी दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को कम करने की प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाते हुए अमेरिका के 'रिप एंड रिप्लेस' पायलट प्रोजेक्ट का समर्थन करता है।
- भारत और अमेरिका ने अंतिरक्ष एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे नए तथा उभरते क्षेत्र में विस्तारित सहयोग के माध्यम से भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी को मज्जबूत और विविधतापूर्ण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

⇒ GE F-414 जेट इंजन समझौताः

- अमेरिका ने हाल ही में भारत में GE F-414 जेट इंजन निर्माण के लिये जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच एक वाणिज्यिक समझौते हेतु अधिसूचना प्रक्रिया पूरी की।
- यह समझौता अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम है, जो अपनी घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।



G20 देशों की तुलना में भारत का सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' विषय के तहत नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

- भारत ने वर्ष 2024 की G20 अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी है, इसलिये अन्य G20 सदस्यों की तुलना में ब्राजील के सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करना महत्त्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से, हाल ही में कई सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में भारत ने अपने G20 प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है।
 - G20 सदस्यों की तुलना में विभिन्न मैट्रिक्स पर भारत की प्रगति: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP):
 - प्रित व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की अर्थव्यवस्था में यहाँ के उत्पादकों द्वारा जोड़े गए सकल मूल्य को मिड-इयर जनसंख्या से भाग दिये जाने के बाद प्राप्त मान को कहा जाता है।
 - वर्ष 1970 में प्रित व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 111.97 अमेरिकी डॉलर के साथ, विश्लेषण किये गए 19 देशों में से भारत 18वें स्थान पर था (रूस को छोड़कर)।
 - प्रवर्ष 2022 तक भारत की प्रति व्यक्ति GDP बढ़कर 2,388.62 अमेरिकी डॉलर हो गई, लेकिन यह 19 देशों में सबसे निम्न स्थान पर रही।

⇒ मानव विकास सूचकांक (HDI):

- HDI एक समग्र सूचकांक है जो चार संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है:
 - 🗷 जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (सतत् विकास लक्ष्य 3)
 - 🗷 स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (सतत् विकास लक्ष्य 4.3)
 - 🗷 स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (सतत् विकास लक्ष्य 4.4)
- HDI को 0 (सबसे खराब) से 1 (सर्वोत्तम) के पैमाने पर मापा जाता है। वर्ष 1990 और वर्ष 2021 के दौरान 19 देशों (यूरोपीय संघ (EU) को छोड़कर) के HDI की तुलना की गई जिसमें भारत का HDI वर्ष 1990 के 0.43 से बढ़कर वर्ष 2021 में 0.63 हो गया है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा जीवन स्तर में प्रगति को दर्शाता है।
 - हालाँकि पूर्ण रूप से प्रगति के बावजूद भारत इस सूची में सबसे निम्न स्तर पर है।

🔾 स्वास्थ्य मैट्रिक्स:

- जीवन प्रत्याशाः
 - भारत की औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष 1990 के 45.22 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2021 में 67.24 वर्ष हो गई है, जिसने दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़ दिया है लेकिन अभी भी चीन से पीछे है।

- शिशु मृत्यु दर:
 - प्रवर्ष 1990 में भारत 88.8 की शिशु मृत्यु दर के साथ सबसे अंतिम स्थान पर था। वर्ष 2021 तक यह दर सुधरकर 25.5 हो गई, लेकिन भारत 20 अन्य क्षेत्रों में 19वें स्थान पर रहा।
- ⇒ श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate- LFPR):
 - 20 क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के LFPR की तुलना वर्ष 1990 और 2021-22 के बीच की गई।
 - □ वर्ष 1990 में 54.2% के LFPR के साथ भारत इटली
 (49.7%) और सऊदी अरब (53.3%) से ऊपर 18वें
 स्थान पर था।
 - प्र हालाँकि 2021-22 तक भारत 49.5% LFPR के साथ केवल इटली से आगे रहते हुए गिरकर 19वें स्थान पर पहुँच गया।
- संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी:
 - वर्ष 1998 और 2022 के बीच 19 देशों(सऊदी अरब को छोड़कर) की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी की तुलना की गई।

- भारत की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 1998 के 8.1% से बढ़कर 2022 में 14.9% हो गई।
- हालाँकि अन्य G20 देशों और EU की तुलना में भारत की रैंक वर्ष 1998 में 15वें स्थान से घटकर वर्ष 2022 में 18वें स्थान पर आ गई, जो जापान से थोड़ा आगे है।

पर्यावरणीय प्रदर्शन:

- भारत ने पिछले तीन दशकों में कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया है और लगातार 20 देशों में सबसे कम उत्सर्जक के रूप में रैंकिंग प्रदान की गई है।
 - हालाँकि पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में भारत की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है, वर्ष 2015 में नवीकरणीय ऊर्जा से केवल 5.36% विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया, जिससे भारत 20 देशों में 13वें स्थान पर है।



G20 देश एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में प्रथम G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण वर्किंग ग्रुप (DRR-WG) की बैठक हुई जिसमें भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के महत्त्व पर जोर दिया।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण वर्किंग ग्रुप ने सरकारों से आपदा जोखिम वित्तपोषण के लिये प्रभावी और पसंदीदा साधन के साथ एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने का आग्रह किया है।
 - इसने एक नए युग की सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर दिया जो आपदाओं तथा उनके स्थानीय प्रभावों को कम करते हैं।

इसने पाँच प्राथिमकताओं को रेखांकित किया है:

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की वैश्विक बहाली
- अवसंरचना प्रणालियों को आपदा प्रतिरोधी बनाने की दिशा में बढ़ी हुई प्रतिबद्धता
- ♦ DRR के लिये मज़बूत राष्ट्रीय वित्तीय ढाँचा
- 💠 मज़बूत राष्ट्रीय एवं वैश्विक आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली
- DRR के लिये पारिस्थितिक तंत्र-आधारित दृष्टिकोण का बढ़ता अनुप्रयोग
- G20 में DRR-WG का उद्देश्य सेंदाई फ्रेमवर्क की मध्याविध समीक्षा के लिये विचारों को शामिल करना, सभी स्तरों पर बहुपक्षीय सहयोग को नवीनीकृत करना और भिवष्य की वैश्विक नीतियों एवं DRR से संबंधित पहलों को सूचित करना है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एक सामूहिक G-20 रूपरेखा की आवश्यकताः

- 4.7 बिलियन की आबादी वाले G-20 देशों में संपत्ति संकेंद्रण से जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता देखी गई है।
- वर्तमान विश्व जोखिम सूचकांक में शीर्ष 10 कमजोर देशों में से चार, G-20 देश हैं।
- अकेले G-20 देशों में संयुक्त अनुमानित औसत वार्षिक हानि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो उनके द्वारा किये गए बुनियादी ढाँचे में औसत वार्षिक निवेश के 9% के बराबर है।
- आपदा जोखिम कम करने के उपाय इस तरह की हानि को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आपदा जोखिम को कम करने के लिये प्रमुख रणनीतियाँ:

⇒ बेहतर आर्थिक और शहरी विकास:

- बेहतर आर्थिक और शहरी विकास विकल्पों के साथ प्रथाओं, पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबी तथा असमानता में कमी आदि जैसे उपायों के माध्यम से संवेदनशीलता और जोखिम को कम किया जा सकता है।
 - उदाहरण के लिये भारत में बाढ़ जोखिम प्रबंधन रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन से चरम मौसम स्थितियों को कम करने और प्रबंधित करने में सहायता मिल सकती है।

⇒ वित्तपोषणः

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्तपोषण पर पुनर्विचार करने की अवश्यकता है। किसी देश में सरकारी बजट के माध्यम से पूरी की जाने वाली वित्तीय आवश्यकताएँ उस देश की राजकोषीय स्थिति से स्वतंत्र नहीं होती हैं और सीमित हो सकती हैं।
- उन्नत वित्तपोषण उपायों की खोज की जानी चाहिये, जिनमें आरक्षित निधि का सृजन, डेडिकेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट तथा विश्व स्तर पर संसाधनों का दोहन शामिल है।

🔾 आधारभूत संरचनाः

- सार्वजिनक राजस्व के माध्यम से बनाई गई सड़कें, रेल, हवाई अड्डे तथा बिजली की लाइन जैसी अवसंरचनाओं को आपदाओं के प्रति लचीला होने की आवश्यकता है और इसके लिये अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है।
- इस तरह की आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचनाओं के सामाजिक लाभों को प्रतिबिंबित करने वाले विकल्पों का उपयोग करके इस अतिरिक्त आवश्यकता को वित्तपोषित करने की आवश्यकता है।

व्यापक और तीव्र जोखिम का निपटान:

- व्यापक जोखिम (लगातार लेकिन मध्यम प्रभावों से नुकसान का जोखिम) तथा तीव्र जोखिम (कम आवृत्ति और उच्च प्रभाव वाली घटनाओं से) के निपटान के लिये अलग-अलग रणनीतियों पर काम किया जाना चाहिये।
- नुकसान का एक बड़ा हिस्सा व्यापक घटनाओं के कारण होता है।
- संचयी रूप से वितिरत घटनाएँ जैसे- ग्रीष्म लहर (हीटवेव), बिजली, स्थानीय बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण अत्यधिक नुकसान होता है। व्यापक जोखिम वाली घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिये लक्षित दृष्टिकोणों को लागू करने से अल्पाविध से मध्यम अविध के परिदृश्य पर प्रभाव पड़ सकता है।

⊃ बहु-स्तरीय, बहु-क्षेत्रीय प्रयास:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बहु-स्तरीय, बहु-क्षेत्रीय प्रयास के रूप में देखने की आवश्यकता है।
- यदि प्रयासों को स्थानीय से उप-राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय से राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से वैश्विक और क्षैतिज रूप से सभी क्षेत्रों में एकीकृत किया जाता है, तो अज्ञात जोखिमों को प्रबंधित करने के लिये तत्परता का स्तर बढ़ाया जा सकता है।
- ♦ विश्व आपस में जुड़ा एवं अन्योन्याश्रित है और G20 ऐसी रणनीतियों को विकसित करने में मदद कर सकता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पहलः

🗅 वैश्विकः

- 💠 आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क 2015-2030
- ♦ जलवायु जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली (CREWS)
- 💠 अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस- 13 अक्तूबर
- जलवायु सूचना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर हरित जलवायु कोष के क्षेत्रीय दिशा-निर्देश

भारत की पहल:

- ♦ आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRIS)
- ♦ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)

10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की मीटिंग-प्लस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की 10वीं मीटिंग- प्लस (ADMM-Plus) में भाग लिया।

ADMM-प्लस बैठक में भारतीय संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?

आसियान केंद्रीयताः

भारत ने आसियान की केंद्रीय भूमिका के महत्त्व की पुष्टि की और क्षेत्र में बातचीत तथा आम सहमित को बढ़ावा देने में उसके प्रयासों की सराहना की।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धताः

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विशेष रूप से सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) 1982 के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय जल में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और वैध वाणिज्य की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

क्षेत्रीय सुरक्षा पहलः

भारत ने परामर्शी और विकास-उन्मुख सुरक्षा पहल का समर्थन किया, जो क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिये ADMM-प्लस के भीतर व्यावहारिक, दूरदर्शी सहयोग के लक्ष्य के साथ हितधारकों के बीच सहमित को प्रतिबिंबित करता है।

🗅 संवाद और कूटनीति:

भारत ने स्थायी शांति और वैश्विक स्थिरता के लिये बातचीत एवं कूटनीति के महत्त्व पर जोर दिया, "हम बनाम वे" की मानसिकता को त्यागने पर जोर दिया और कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है।

सहयोगात्मक पहलः

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिलाओं के लिये पहल, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिये पहल, आसियान-भारत समुद्री अभ्यास तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) कार्यों पर विशेषज्ञ कार्य समूह (EWG) जैसी संयुक्त पहल में आसियान सदस्य देशों की भागीदारी की सराहना की।
- भारत ने आतंकवाद से निपटने पर EWG की सह-अध्यक्षता करने का प्रस्ताव रखा, जो आसियान क्षेत्र में आतंकवाद के गंभीर खतरे के कारण ADMM-प्लस द्वारा समर्थित चिंता का विषय है।
- वर्तमान 2021-2024 चक्र में भारत इंडोनेशिया के साथ HADR पर EWG की सह-अध्यक्षता कर रहा है।

ADMM-प्लस क्या है?

⊃ परिचय:

- ♦ ADMM-प्लस आसियान (ASEAN) (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम) एवं इसके आठ संवाद साझेदार देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका (सामूहिक रूप से "प्लस देश/Plus Countries" के रूप में संदर्भित) का एक मंच है। जिसका उद्देश्य संबद्ध क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा विकास के लिये सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को सशक्त करना है।
 - ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार व सहकारी तंत्र के रूप में कार्य करता है।

🔾 स्थापनाः

 वर्ष 2010 में हनोई, वियतनाम में प्रथम ADMM-प्लस का आयोजन हुआ। वर्ष 2017 के बाद से ADMM-प्लस की वार्षिक बैठक होती है, ताकि तेज़ी से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल के बीच आसियान तथा प्लस देशों के बीच बातचीत एवं सहयोग बढ़ाया जा सके।

그 उद्देश्य:


- आसियान सदस्य देशों की विभिन्न क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए क्षमता निर्माण में साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में आसियान सदस्य देशों को सहयोग करना।
- अधिक संवाद तथा पारदर्शिता के माध्यम से रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच परस्पर विश्वास को प्रोत्साहन देना
- संबद्ध क्षेत्र के समक्ष मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ाना;
- वियनतियाने एक्शन प्रोग्राम के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना, जो आसियान को एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध आसियान बनाने एवं हमारे मित्र देशों और संवाद भागीदारों के

साथ अधिक दूरदर्शी बाहरी संबंध रणनीतियों को अपनाने का आह्वान करता है।

🗅 उपलब्धियाँ:

- ADMM-प्लस, भागीदार देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच
 व्यावहारिक सहयोग के लिये एक प्रभावी मंच बन गया है।
- ADMM-प्लस वर्तमान में व्यावहारिक सहयोग के सात क्षेत्रों अर्थात् समुद्री सुरक्षा (MS), आतंकवाद-रोधी (CT), मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन (HADR), शांतिरक्षा अभियान (PKO), सैन्य चिकित्सा (MM), मानवीय खदान कार्रवाई (Humanitarian Mine Action- HMA) और साइबर सुरक्षा (CS) पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इन क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये विशेषज्ञों
 के कार्य समूह (EWG) की स्थापना की गई है।

EWG की सह-अध्यक्षता एक आसियान सदस्य देश और एक प्लस देश द्वारा की जाती है, जो तीन वर्ष के चक्र में संचालित होती है।



20वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित 20वें दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN)-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में भाग लिया।

दोनों शिखर सम्मेलन भारत के लिये आसियान (ASEAN) देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और स्वतंत्र, खुले एवं नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के अवसर थे।

20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत के प्रधानमंत्री ने भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिये 12-सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, जन-जन के बीच संपर्क तथा रणनीतिक जुड़ाव को मजबूत करना शामिल है।
- 12 सूत्रीय प्रस्ताव में निम्निलिखित को शामिल किया गया है:
 - मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा स्थापित करना जो दक्षिण-पूर्व एशिया-भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप को जोड़ता है।
 - भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को आसियान साझेदारों के साथ साझा करने की पेशकश की गई।
 - हमारी सहभागिता को बढ़ाने के लिये एक ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने तथा आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान (ERIA) को समर्थन के नवीनीकरण की घोषणा की गई।
 - बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के समक्ष आने वाले मुद्दों को सामृहिक रूप से उठाने का आह्वान किया गया।
 - WHO द्वारा भारत में स्थापित किये जा रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने के लिये आसियान देशों को आमंत्रित करना।
 - मिशन LiFE (पर्यावरण के लिये जीवनशैली) पर एक साथ कार्य करने का आह्वान किया गया।
 - जन-औषधि केंद्रों के माध्यम से व्यक्तियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध कराने में भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश की।

- आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण और साइबर-दुष्प्रचार के खिलाफ सामृहिक लड़ाई का आह्वान किया गया।
- आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे हेतु गठबंधन में शामिल होने के लिये आसियान देशों को आमंत्रित कर आपदा प्रबंधन में सहयोग का आह्वान किया गया।
- समुद्री सुरक्षा, रक्षा और डोमेन जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघः

🔾 परिचयः

- आसियान (ASEAN) की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापक सदस्यों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- संगठन का लक्ष्य इन देशों में स्थिरता और आर्थिक विकास को बढावा देना है।
- सदस्य राज्यों के अंग्रेज़ी नामों के वर्णमाला क्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती रहती है।
- यह क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2050 तक यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

⊃ सदस्यः

आसियान दस दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, ये राष्ट्र हैं- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।

आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडोनेशिया के सेमारंग में आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक आयोजित की गई, यह भारत तथा आसियान सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

बैठक के प्रमुख बिंदुः

- 🔾 आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करना:
 - इस बैठक में आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, दोनों पक्षों के लिये पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

- मंत्रियों ने महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
 - भारत और आसियान के बीच वर्ष 2022-23 में 131.5 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। वर्ष 2022-23 में भारत के कुल वैश्विक व्यापार में आसियान के साथ हुए व्यापार की हिस्सेदारी 11.3% थी।

⇒ आसियान-भारत व्यापार परिषद (AIBC):

- इन मंत्रियों ने आसियान-भारत व्यापार परिषद के साथ भी संवाद किया और वर्ष 2023 में AIBC द्वारा आयोजित की गई समस्त गतिविधियों को ध्यान में रखा जिनमें 6 मार्च, 2023 को कुआलालंपुर में आयोजित किया गया 5वाँ आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन भी शामिल था।
 - AIBC वर्ष 2005 में आसियान और भारत की सरकारों द्वारा गठित एक संगठन है, जिसका उद्देश्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना तथा आसियान व भारत के बीच आर्थिक संबंधों को व्यापक एवं गहरा करने के लिये एक औद्योगिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना है।
- इसके तहत नॉन-टैरिफ बैरियर (NTB) के संबंध में विभिन्न व्यवसायों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बात की गई, जिसमें दोनों पक्षों के हितधारकों के बीच बढ़ते आदान-प्रदान और संबंधों पर प्रकाश डाला गया।
 - NTB से आशय किसी भी प्रकार की ऐसी बाधा अथवा प्रतिबंध से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यवधान उत्पन्न करता है लेकिन इसमें आयातित वस्तुओं पर प्रत्यक्ष टैरिफ या सीमा शुल्क लगाना शामिल नहीं है। सामान्य या उत्पाद-विशिष्ट कोटा, आयातक देश द्वारा निर्यातक देशों पर लगाई गई गुणवत्ता शर्तें, अनुचित स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (Phyto-Sanitary) स्थितियाँ आदि NTB के कुछ उदाहरण हैं।

🔾 क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान:

- क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के जिटल पिरदृश्य के बीच मंत्रियों द्वारा कोविड-19 महामारी, जलवायु पिरवर्तन, वित्तीय बाजार की अस्थिरता, मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक तनाव के बहुआयामी प्रभावों पर चर्चा की गई।
- साथ ही सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई जिनमें मजबूत आपूर्ति शृंखला, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता आदि शामिल हैं।

⇒ AITIGA समीक्षा - एक प्रमुख एजेंडा:

इस वर्ष की बैठक का एक महत्त्वपूर्ण बिंदु आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (AITIGA) की गहन समीक्षा था, जिस पर मूल रूप से वर्ष 2009 में हस्ताक्षर किये गए थे।

- चर्चा से पहले AITIGA संयुक्त सिमित की बैठक हुई,
 जिसमें समीक्षा के रोडमैप पर विचार-विमर्श किया गया।
- इस प्रक्रिया के दौरान AITIGA समीक्षा वार्ता के लिये संदर्भ की शर्तों और कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया।

🗅 अनुमोदन और समीक्षा की शुरुआत:

- मंत्रियों ने आधिकारिक तौर पर AITIGA के लिये समीक्षा दस्तावेजों का समर्थन किया, जिससे पूर्व-निर्धारित तौर-तरीकों के साथ बातचीत की औपचारिक पहल का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- AITIGA समीक्षा की शुरुआत भारतीय व्यवसायों की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करती है और मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को व्यापार के लिये अधिक अनुकूल और पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने हेतु प्रतिबद्ध है।
- वर्ष 2025 तक AITIGA समीक्षा को पूरा करने के उद्देश्य
 से वार्ता के त्रैमासिक कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की गई।
 - इस समीक्षा प्रक्रिया से मौजूदा व्यापार असंतुलन को दूर करने के साथ-साथ व्यापार विविधीकरण में वृद्धि लाने की उम्मीद है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान):

⊃ परिचयः

- यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
- इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापक सदस्यों अर्थात् इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- इसके सदस्य राज्यों के नामों (अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम) के आधार पर इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है।
- आसियान देशों में अनुमानित 666.19 मिलियन लोग रहते हैं तथा इनका समग्र सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- अप्रैल 2021-फरवरी 2022 की अवधि में भारत तथा आसियान देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 98.39 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। भारत के मुख्य व्यापारिक संबंध वाले देशों में इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड शामिल हैं।

🔾 सदस्यः

आसियान दस दक्षिण-पूर्व एशियाई राज्यों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) का संगठन है।



SCO शिखर सम्मेलन 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, नेताओं ने वैश्विक हित में "अधिक प्रतिनिधिक" और बहुधुवीय विश्व व्यवस्था के गठन का आह्वान किया है।

- 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसके
 9वें सदस्य देश के रूप में SCO की सदस्यता प्राप्त की।
- SCO की भारत की अध्यक्षता की थीम- 'सुरिक्षत संघाई सहयोग संगठन की ओर (Towards a SECURE SCO)' है। यहाँ SECURE शब्द वर्ष 2018 में आयोजित SCO के किंगदाओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है।
 - इसका अर्थ है: S: सुरक्षा, E: आर्थिक विकास, C: कनेक्टिविटी, U: एकता, R: संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिये सम्मान, E: पर्यावरण संरक्षण।

नोट:

भारत, जिसने वर्ष 2017 में अस्ताना शिखर सम्मलेन के दौरान इसकी पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर ली थी, इस समूह की क्रमिक अध्यक्षता के नियम के अनुसार, वर्ष 2023 में पहली बार SCO की अध्यक्षता की है। SCO समूह में अब चीन, भारत, ईरान, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

23वें SCO शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

नई दिल्ली घोषणा:

नई दिल्ली घोषणा पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को "आतंकवादी, अलगाववादी एवं चरमपंथी समूहों की गतिविधियों का मुकाबला करने तथा धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, जातीय एवं नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष, फासीवाद और अंधराष्ट्रवाद के विचार के प्रसार को रोकने पर विशेष ध्यान देने" हेतु एक साथ आना चाहिये।

🔾 संयुक्त वक्तव्यः

नेताओं ने दो विषयगत संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया- पहला अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने हेतु सहयोग तथा दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग।

सहयोग के नए स्तंभः

- भारत ने SCO में सहयोग के लिये पाँच नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - स्टार्टअप और इनोवेशन
 - पारंपरिक औषधि
 - 💢 युवा सशक्तीकरण
 - इडिजिटल समावेशन
 - 🗷 साझा बौद्ध विरासत

BRI पर भारत की आपत्तियाँ:

- भारत ने SCO सदस्यों के आर्थिक-रणनीति वक्तव्य में "इच्छुक सदस्य देशों" का उल्लेख करते हुए BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) का भाग बनना अस्वीकार कर दिया।
- BRI को लेकर भारत का विरोध पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर (POK) में परियोजनाओं को शामिल करने से उत्पन्न हुआ है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।

भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधनः

- भारतीय प्रधानमंत्री ने SCO के सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और विश्वास बढ़ाने के लिये कनेक्टिविटी के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
- हालाँकि उन्होंने SCO चार्टर के मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया लेकिन साथ ही विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की सुरक्षा पर भी जोर दिया।

अन्य परिप्रेक्ष्यः

भारतीय प्रधानमंत्री ने उन देशों की आलोचना की जो सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के रूप में नियोजित करते हैं और आतंकवादियों को आश्रय प्रदान करते हैं, उन्होंने SCO से ऐसे देशों की निंदा करने में संकोच न करने का आग्रह किया और इन महत्त्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में निरंतरता के महत्त्व पर बल दिया।

- चीनी राष्ट्रपित ने BRI की दसवीं वर्षगाँठ मनाते हुए अपनी नई वैश्विक सुरक्षा योजना (GSI) का उल्लेख किया, जिसमें क्षेत्र में एक ठोस सुरक्षा कवच स्थापित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संघर्षों के राजनीतिक समाधान का आह्वान किया गया।
 - उन्होंने SCO सदस्यों से स्वतंत्र रूप से विदेशी नीतियाँ बनाने और नए शीत युद्ध या शिविर-आधारित टकराव को भड़काने के बाहरी प्रयासों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया।
- वैगनर समूह के विफल विद्रोह के बाद अपनी पहली बहुपक्षीय सभा में भाग लेते हुए रूसी राष्ट्रपित ने परोक्ष रूप से देश में हथियारों की आपूर्ति करने वाली बाहरी शक्तियों को यूक्रेन की रूस विरोधी भावना के लिये जिम्मेदार ठहराया।
 - उन्होंने सशस्त्र विद्रोह के प्रयासों के खिलाफ रूसी राजनीतिक समूहों और समाज की एकता का पक्ष लेते हुए बाह्य दबावों, प्रतिबंधों तथा उकसावे के विरुद्ध रूस के लचीलेपन पर जोर दिया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO):

🗅 परिचय:

- ♦ SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है।
- 💠 इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था।
- SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए और वर्ष 2003 में इसे लागू किया गया।

🔾 उद्देश्य:

- सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना।
- राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी
 एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
- शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।
- 💠 संबद्ध क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना।
- एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

🔾 संरचनाः

 राज्य परिषद का प्रमुख: यह सर्वोच्च SCO निकाय है जो अपने आंतरिक कामकाज और अन्य राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों

- के साथ संबंधों पर निर्णय लेता है एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करता है।
- सरकारी परिषद का प्रमुख: यह बजट को मंज़ूरी देता है और SCO के भीतर आर्थिक संबंधों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करता है।
- विदेश मंत्रियों की परिषद: यह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
- क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS): आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिये स्थापित।

⇒ SCO सचिवालयः

इसका सिचवालय बीजिंग में है, यही से सूचनात्मक,
 विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जाती है।

आधिकारिक भाषाः


♦ SCO सचिवालय की आधिकारिक कामकाजी भाषा रूसी और चीनी है।

IBSA और डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म

चर्चा में क्यों?

जिनेवा स्थित डिप्लो फाउंडेशन के अनुसार, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर त्रिपक्षीय IBSA फोरम का गठन किया है, जो डिजिटल गवर्नेंस में सुधार की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

IBSA क्या है?



> परिचय:

ऐ IBSA दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विनिमय को बढ़ावा देने के लिये भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय, विकासात्मक पहल है।

⊃ संघटनः

जब 6 जून, 2003 को ब्रासीलिया (ब्राजील) में तीन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और ब्रासीलिया घोषणापत्र जारी किया गया, तब इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया तथा इसका नाम IBSA डायलॉग फोरम रखा गया।

सहयोगः

- संयुक्त नौसेना अभ्यास:
 - □ IBSAMAR (IBSA समुद्री अभ्यास) IBSA
 □ त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- ♦ IBSA कोषः
 - 2004 में स्थापित IBSA कोष (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में गरीबी एवं भूख के उन्मूलन के लिये सुविधा) एक अनूठा कोष है जिसके माध्यम से सहयोगी विकासशील देशों में IBSA निधिकरण के साथ विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है।

IBSA वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस में कैसे योगदान दे सकता है?

⇒ IBSA की क्षमताः

- डिजिटल समावेशन:
 - इंडिजिटलीकरण IBSA अर्थव्यवस्थाओं में विकास को गित दे रहा है।
 - तीनों देशों ने नागरिकों तक सस्ती पहुँच को प्राथमिकता देकर, डिजिटल कौशल के लिये प्रशिक्षण का समर्थन करके और छोटे डिजिटल उद्यमों के विकास के लिये एक कानूनी ढाँचा बनाकर डिजिटल समावेशन का नेतृत्व किया है। जीवंत डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ भारत सबसे आगे है।

डेटा गवर्नेंस:

- भारत की G-20 अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक पहलों जैसे कि राष्ट्रों के डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर का स्व-मूल्यांकन, नागरिकों की आवाज और वरीयताओं को नियमित रूप से शामिल करने के लिये राष्ट्रीय डेटा सिस्टम का आधुनिकीकरण तथा डेटा को नियंत्रित करने हेतु पारदर्शिता के साथ सिद्धांतों का रणनीतिक नेतृत्व करना है।
- IBSA राष्ट्र जिनकी आबादी काफी अधिक है, वे भी डेटा को एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखते हैं।

🗅 मुद्दे :

- भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताः
 - उपग्रह टकराव, साइबर सुरक्षा, और अंतिरक्ष सेवाओं की सुरक्षा के साथ-साथ अंतिरिक्ष संसाधनों की खोज ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता एवं अंतिरक्ष शस्त्रीकरण की संभावना को बढा दिया है।
- इसके अतिरिक्त अर्द्धचालक के रूप में यूएस-चीन के मध्य वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्ष केंद्रित है।
- संप्रभुता बनाम एकता:
 - बुनियादी तौर पर यह माना जाता है कि कई देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में डेटा संप्रभुता और उसके एकीकरण को संतुलित करना होगा।
 - म छोटे और निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं के लिये डेटा का मुक्त प्रवाह आवश्यक होगा।

डिजिटल गवर्नैंस में भारत की प्रगति:

- आधार: भारत के आधार कार्यक्रम द्वारा उपयोग की जाने वाली बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली को व्यापक रूप से डिजिटल पहचान बनाने में एक अग्रणी प्रयास माना जाता है जो अन्य देशों की प्रणालियों के समान है।
- MyGov प्लेटफॉर्म: इसने एक साझा डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान कर देश में नागरिक संलग्नता एवं भागीदारी शासन की सुदृढ़ नींव रखी है, जहाँ नागरिक सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में अपने विचार साझा कर सकते हैं।
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI): यूपीआई एक रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली है जिसे वर्ष 2016 में पेश किया गया, यह मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- UPI ने भारत में भुगतान के तरीके को बदल कर इसे तीव्र, अधिक सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित बना दिया है। UPI की सफलता ने अन्य देशों को भारत के साथ गठजोड़ करने तथा समान भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिये प्रेरित किया है।
- डिजिटल इंडिया अधिनियम: भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के मामले में भारतीय नागरिकों की रक्षा करते हुए अधिक नवाचार एवं स्टार्टअप को सक्षम कर भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।

IPEF मंत्रिस्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) मंत्रिस्तरीय की दूसरी बैठक हुई, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भागीदार देशों के बीच आर्थिक सहयोग में महत्त्वपूर्ण योगदान को दर्शाया गया।

इस आभासी सभा में उच्च-स्तरीय अधिकारियों को ढाँचे के चार स्तंभों में से प्रत्येक स्तंभ से संबंधित वार्ता के विषय में चर्चा करने हेतु आमंत्रित किया गया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया था।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- इस बैठक में स्तंभ II के तहत अपनी तरह के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय IPEF आपूर्ति शृंखला समझौते की वार्ता के समापन की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य लचीलापन, दक्षता, उत्पादकता, स्थिरता, पारदर्शिता, विविधीकरण, सुरक्षा, निष्पक्षता और आपूर्ति शृंखलाओं के समावेश को बढाना है।
- इस बैठक में अन्य IPEF स्तंभों अर्थात् निष्पक्ष और लचीला व्यापार (स्तंभ I), अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा एवं डीकार्बोनाइजेशन (स्तंभ III) तथा कर एवं भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र (स्तंभ IV) के तहत प्रगति की जानकारी प्राप्त हुई।
- इस बैठक में कुछ IPEF भागीदारों द्वारा स्तंभ III के अंतर्गत क्षेत्र में नवीकरणीय और निम्न-कार्बन हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव की व्यापक तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिये एक क्षेत्रीय हाइड्रोजन पहल की शुरुआत की गई।

IPEF के विषय में:

🗅 परिचयः

- यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य भागीदार देशों के मध्य आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है ताकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेश, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
- IPEF को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत-प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से 23 मई, 2022 को टोक्यो में शुरू किया गया था।

⊃ सदस्य:

ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।

> स्तंभ:

- व्यापार (स्तंभ I):

 - इसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना है।
 - भारत, IPEF के स्तंभ II से IV में शामिल हो गया, जबिक स्तंभ- I में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- आपूर्ति-शृंखला में लचीलापन (स्तंभ II):
 - यह आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक लचीला, मज़बूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने का प्रयास करता है।
 - संकट प्रतिक्रिया उपायों और व्यवधानों को कम करने के लिये सहयोग पर बल देता है।
 - महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे- रसद, संयोजकता और निवेश में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - कौशल उन्नयन और पुनर्कोशल पहलों के माध्यम से कार्यकर्त्ता भूमिकाओं को बढ़ाने का लक्ष्य है।
- - स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को आगे बढ़ाना।
 - परिनियोजन पर ध्यान केंद्रित करना।
 - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जलवायु संबंधी परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- ♦ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV):
 - यह भ्रष्टाचार विरोधी और प्रभावी कर उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - प्रष्टाचार से निपटने के लिये विधायी और प्रशासनिक ढाँचे में सुधार हेतु भारत के मज्जबूत कदमों पर प्रकाश डाला गया।
 - UNCAC (भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) और FATF (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) मानकों को लागू करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

UNSC और ब्रेटन वुड्स में सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान के हिरोशिमा में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) और ब्रेटन वुड्स संस्थानों में सुधारों का आह्वान किया है जिसमें कहा गया है कि वर्तमान आदेश पुराना, बेकार और अनुचित है। कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष की वजह से आर्थिक अस्थिरता के कारण उक्त संस्थान वैश्विक सुरक्षा तंत्र के रूप में अपने मृल कार्य को पुरा करने में विफल रहे हैं।

ब्रेटन वुड्स प्रणाली:

⊃ परिचय:

- श्रेटन वुड्स प्रणाली वर्ष 1944 में न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया एक मौद्रिक ढाँचा था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में स्थिरता और सहयोग स्थापित करना था।
- ब्रेटन वुड्स समझौते ने दो महत्त्वपूर्ण संगठन बनाए- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक।
 - वर्ष 1970 के दशक में ब्रेटन वुड्स प्रणाली को भंग कर दिया गया था। इसके बाद IMF और विश्व बैंक (ब्रेटन वुड्स संस्थान) दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के आदान-प्रदान के लिये सुदृढ़ स्तंभ बने हुए हैं।

ब्रेटन-वुड्स संस्थानों में सुधार की आवश्यकताः

- इन संस्थानों ने अपने पहले 50 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जबिक हाल के दिनों में वे बढ़ती समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं
- असमानता, वित्तीय अस्थिरता और संरक्षणवाद के मामले फिर से उभर कर सामने आए हैं।
- जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तनाव, बढ़ती आपदाएँ और साइबर सुरक्षा तथा महामारी जैसे नए खतरों के बीच विश्व को एक नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढाँचे की आवश्यकता है।
- निधि आवंटन और अनियमित विशेष आहरण अधिकार (SDR) में पक्षपात किया गया, IMF ने महामारी के दौरान SDR में 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये।
 - 77.2 करोड़ लोगों की आबादी वाले G-7 देशों को 280 अरब डॉलर, जबिक 1.3 अरब लोगों की आबादी वाले अफ्रीकी महाद्वीप को केवल 34 अरब डॉलर दिये गए।

इन मुद्दों के समाधान के उपाय:

🔾 ब्रेटन वुड्सः

तीन वैश्विक संस्थानों- IMF, WBG और विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) को फिर से आकार देने एवं पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है जहाँ:

- IMF उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की सख्त निगरानी और वैश्विक संकटों पर उनके प्रभाव के साथ व्यापक आर्थिक नीति और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- प्रनर्गिठत विश्व बैंक समूह स्थिरता, साझा समृद्धि और प्रभावी रूप से निजी पूंजी से लाभ की प्राप्ति को प्राथमिकता देगा। वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने एवं वित्त के वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिये इसे मिलकर कार्य करने की आवश्यकता।
- निष्पक्ष व्यापार, त्वरित विवाद समाधान और आपात स्थिति में तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता के लिये एक सशक्त WTO की आवश्यकता है।
- व्यवधानों और राजनीतिक प्रभावों से बचने के लिये प्रणाली में अधिक स्वचालित और नियम-आधारित वित्तपोषण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- SDR, वैश्विक प्रदूषण करों और वित्तीय लेन-देन आधारित करों से संबंधित मुद्दों का नियमित आकलन करने की आवश्यकता है।
 - यह उचित रूप से संरचित G-20 ब्रेटन वुड्स प्रणाली और अन्य संस्थानों के साथ इसके संबंधों को व्यापक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):

- शक्ति और अधिकार के विकेंद्रीकरण के साथ-साथ अफ्रीका सिंहत सभी क्षेत्रों के लिये समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है,यह सभी राष्ट्रों को अपने देशों में शांति एवं लोकतंत्र से संबंधित मुद्दों को उठाने की अनुमित देगा जो कि निर्णयन को अधिक भागीदारीपूर्ण और लोकतांत्रिक बनाएगा।
- P5 देशों के विशेषाधिकारों को संरक्षित करने के बजाय वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये UNSC के अधिक लोकतांत्रिक एवं वैध शासन को सुनिश्चित करने हेतु P5 तथा शेष विश्व के मध्य शक्ति को संतुलित करने के लिये तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
- अंतर-सरकारी वार्ता (Intergovernmental Negotiation- IGN) प्रक्रिया, जो UNSC में सुधार पर चर्चा करती है, को संशोधित किया जाना चाहिये और प्रगति में बाधा डालने वाली प्रक्रियात्मक रणनीति से बचना चाहिये।

तीसरा FIPIC शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

तीसरा भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC) शिखर सम्मेलन 22 मई, 2023 को पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इसकी सह-अध्यक्षता की और इसमें 14 प्रशांत द्वीपीय देशों (PIC) ने भाग लिया।

 भारत के प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार- ग्रैंड कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू (GCL) से सम्मानित किया गया।

तीसरे FIPIC शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएँ:

⇒ प्रशांत द्वीपीय देशों (PICs) को भारत का समर्थनः

- भारत सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करता है और ग्लोबल साउथ के स्तर को विस्तृत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की साझा प्राथमिकता पर जोर देता है।
 - प्रधानमंत्री ने भारत-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ चर्चा का उल्लेख किया।
- इसी के साथ क्वाड राष्ट्रों के नेताओं ने प्रशांत क्षेत्र में पलाऊ से शुरू होने वाले ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) को लागू करने की योजना की घोषणा की है।
- पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भारत से G-7 और G-20
 शिखर सम्मेलन में PIC का समर्थन करने का आग्रह किया।

12-पॉइंट फॉर्मूलाः

- भारत ने PIC में स्वास्थ्य सेवा, साइबर स्पेस, स्वच्छ ऊर्जा, जल और छोटे एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्रों में 12-पॉइंट विकास कार्यक्रम का भी अनावरण किया, जिसके अनुसार:
- भारत, फिजी में एक सुपर-स्पेशियिलटी कार्डियोलॉजी अस्पताल स्थापित करेगा। सभी 14 PIC में डायिलिसिस यूनिट एवं समुद्री एम्बुलेंस शुरू करेगा और सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराने हेतु जन औषधि केंद्र भी स्थापित करेगा।
- भारत प्रत्येक प्रशांत द्वीपीय देश में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम क्षेत्र के विकास का समर्थन करेगा।
 - भारत ने जल की कमी के मुद्दों को दूर करने हेतु अलवणीकरण इकाइयाँ प्रदान करने का भी संकल्प लिया है।

🗅 'थिरुक्कुरल पुस्तक:

इसके अतिरिक्त भारतीय प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के अपने समकक्ष के साथ टोक पिसिन (पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक भाषा) में तिमल क्लासिक 'थिरुक्कुरल' भी जारी किया तािक भारतीय विचार एवं संस्कृति को दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत राष्ट्र के लोगों के निकट लाया जा सके।

फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आईलैंड कोऑपरेशन (FIPIC):

🔾 परिचय:

- PIC के साथ भारत का जुड़ाव 'इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का हिस्सा है।
 - 'फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC)' PIC के लिये एक्ट ईस्ट पॉलिसी शीर्षक के अंतर्गत शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।
- FIPIC भारत और 14 PIC अर्थात् कुक-आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल-आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, निउ, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु के मध्य सहयोग के लिये विकसित एक बहुराष्ट्रीय समूह है।
- इसकी स्थापना नवंबर 2014 में की गई थी तथा प्रथम FIPIC
 शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में सुवा, फिजी में और द्वितीय वर्ष
 2015 में जयपुर, भारत में आयोजित किया गया था।

⊃ उद्देश्यः

- व्यापार, निवेश, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अक्षय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में PICs के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना।
- FIPIC पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर संवाद एवं परामर्श के लिये मंच भी प्रदान करता है।

G7 सम्मेलनः जलवायु लक्ष्य, गांधी प्रतिमा और क्वाड जलवायु पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 49वें G7 सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने वर्तमान में चल रहे अध्ययनों और रिपोर्टों के उत्तर में अपनी जलवायु संबंधी कार्य सूची के प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया है। ये जलवायु परिवर्तन की बिगड़ती स्थिति के बारे में चेतावनी देने तथा तत्काल कार्यवाही का आग्रह करते हैं।

- इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा
 में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया।
- इसके अतिरिक्त G7 सम्मेलन के मौके पर क्वाड लीडर्स सिमट का आयोजन भी किया गया जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक हितों और पहलों पर महत्त्वपूर्ण चर्चा की गई है।

G7 की प्रमुख जलवायु संबंधी कार्य सूची:

- वर्ष 2025 तक उत्सर्जन का वैश्विक स्तर:
 - G7 ने वर्ष 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया है।
 - जबिक यह पेरिस समझौते के तहत अनिवार्य नहीं है और इसे प्राप्त करना संभव है।
 - हालाँकि विकसित देशों के उत्सर्जन में गिरावट देखी जा रही है लेकिन यह कमी आवश्यक गति के साथ नहीं हो रही है, जबिक विकासशील देशों का उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है।
 - यदि सभी देश केवल अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं, तो वर्ष 2030 में उत्सर्जन वर्ष 2010 के स्तर से लगभग 11 प्रतिशत अधिक होगा।

जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करना:

- इनका लक्ष्य "अपर्याप्त सिब्सिडी" की परिभाषा निर्दिष्ट किये बिना वर्ष 2025 या उससे पहले "अपर्याप्त जीवाश्म ईंधन सिब्सिडी" को समाप्त करना है।

🗅 नेट-ज़ीरो लक्ष्य:

- G-7 ने वर्ष 2050 तक नेट-जीरो स्थिति प्राप्त करने की अपनी
 प्रतिबद्धता को दोहराया और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से भी
 ऐसा करने का आग्रह किया।
- 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सदी के मध्य तक संपूर्ण विश्व को नेट-ज़ीरो स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिये।
- चीन का लक्ष्य वर्ष 2060 तक नेट-जीरो स्थिति प्राप्त करना है, जबिक भारत ने वर्ष 2070 को अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है।

प्रमुख विकासशील देश वर्ष 2050 के बाद विकसित प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा अपने लक्ष्यों में परिवर्तन कर सकते है।

भारत के प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया:

- महात्मा गांधी बीसवीं सदी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे जिन्होंने अहिंसा, शांति, न्याय और मानव गरिमा के सिद्धांतों का समर्थन किया। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण उनकी विरासत को श्रद्धांजलि और वर्तमान में दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की याद दिलाने के रूप में किया गया।
- यह सांकेतिक रूप से एक और परमाणु तबाही को रोकने तथा परमाणु निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार की दिशा में आगे बढ़ने की G-7 और उसके भागीदारों की साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
- साथ ही वर्ष 1945 में हिरोशिमा (Hiroshima) और नागासाकी (Nagasaki) में हुए परमाणु बम विस्फोटों में जीवित बचे हिबाकुशा (Hibakusha) की पीड़ा को महसूस करते हुए उनके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करना था।
- इस प्रतिमा को वैश्विक शांति और सुरक्षा में भारत की भूमिका और योगदान के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन सिंहत विभिन्न मुद्दों पर जापान के साथ साझेदारी के रूप में भी देखा गया।
- अनावरण समारोह में G7 नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के अन्य नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

क्वाड लीडर्स समिट के परिणाम:

- क्वाड लीडर्स सिमट को 23 मई, 2023 को G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित किया गया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपित जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शामिल हुए।
- क्वाड चार लोकतंत्रों के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक संवाद है
 जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में समान हितों और मूल्यों को साझा करता है।
- क्वाड सदस्यों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक जलवायु परिवर्तन है। नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें पेरिस समझौते और इसके पूर्ण कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
- उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा पिरवर्तन, नवाचार, अनुकूलन और लचीलापन पर सहयोग बढ़ाने के लिये कई पहलों की भी घोषणा की। इनमें से कुछ पहलें हैं:

- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों पर अपने प्रयासों का समन्वय करने के लिये एक नया क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप लॉन्च करना।
- तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से हिंद-प्रशांत देशों में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के परिनियोजन का समर्थन करने के लिये क्वाड क्लीन एनर्जी पार्टनरिशप की स्थापना करना।
- सूचना साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों के विकास के माध्यम से समुद्री परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने हेतु क्वाड ग्रीन शिपिंग नेटवर्क का समर्थन करना।
- संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और सूचना साझा करने के माध्यम
 से आपदा जोखिम में कमी तथा प्रबंधन पर सहयोग का विस्तार करना।
- वनों, आर्द्रभूमियों तथा मैंग्रोव जैसे पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और बहाली के माध्यम से जलवायु शमन एवं अनुकूलन के लिये प्रकृति-आधारित समाधानों का समर्थन करना।

G7:

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये समूह की वार्षिक बैठक होती है।
- G-7 देश यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं।
- ⇒ सभी G-7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
- G-7 का कोई औपचारिक चार्टर या सिचवालय नहीं है। प्रेसीडेंसी जो प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों के बीच आवंटित होती है, एजेंडा तय करने हेतु प्रभारी होती है। शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा, मंत्री और दूत नीतिगत पहल करते हैं।
- 49वाँ G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया।

रश्त-अस्तारा रेलवे एवं INSTC

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (International North–South Transport Corridor- INSTC) के हिस्से के रूप में ईरानी रेलवे लाइन रश्त-अस्तारा रेलवे के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। रश्त-अस्तारा रेलवे को गिलयार में महत्त्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, जिसका उद्देश्य रूस, ईरान, अजरबैजान, भारत और अन्य देशों को रेल एवं जल मार्ग से जोड़ना है। रूस के अनुसार, यह मार्ग स्वेज नहर के साथ महत्त्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मार्ग के रूप में प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है।

रश्त-अस्तारा रेलवे:

- यह 162 किलोमीटर का रेलवे मार्ग है जो कैस्पियन सागर के पास रश्त (ईरान) शहर को अज्ञरबैजान की सीमा पर अस्तारा (अज्ञरबैजान) से जोड़ेगा। इसके कारण यात्रा समय-सीमा में पूर्व की तुलना में चार दिन का कम समय लगेगा।
- रश्त-अस्तारा रेलवे विशेष उत्तर-दक्षिण परिवहन गिलयारा/कॉरिडोर का एक घटक होगा, जो विश्व के ट्रैफिक प्रतिरूप में काफी विविधता लाएगा। नए कॉरिडोर के साथ यात्रा करने से लागत एवं समय की काफी बचत होगी, जो नई लॉजिस्टिक चेन के निर्माण में भी योगदान देगा।
- यह रेलवे कैस्पियन सागर तट के साथ बाल्टिक सागर पर रूसी बंदरगाहों को हिंद महासागर एवं खाड़ी में ईरानी बंदरगाहों से जोड़ने में मदद करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियाराः

⊃ परिचय:

- यह 7,200 किलोमीटर का मल्टी-मोड ट्रांजिट सिस्टम है जो भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच कार्गों ले जाने के लिये नौवहन, रेलवे और सड़क मार्गों को जोड़ता है।
- इसे सदस्य देशों के बीच पिरवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर, 2000 को शुरू किया गया था।
- तब से INSTC सदस्यता का विस्तार 10 और देशों-अज्ञरबैजान, आर्मेनिया, कजाखस्तान, किर्गिज्ञस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान को शामिल करने के लिये किया गया है।
 - बुल्गारिया को एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल किया गया है। लातिवया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देशों ने भी इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है।

🗅 मार्ग और साधन:

केंद्रीय गिलयारा: यह मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू होता है और होर्मुज जलडमरूमध्य पर बंदर अब्बास बंदरगाह (ईरान) से जुड़ता है। इसके बाद यह नौशहर,

- अमीराबाद और बंदर-ए-अंज्ञाली के माध्यम से ईरानी क्षेत्र से गुजरता है, रूस में ओयला और अस्त्रखान बंदरगाहों तक पहुँचने के लिये कैस्पियन सागर से होकर गुजरता है।
- पश्चिमी गलियारा: यह अजरबैजान के रेलवे नेटवर्क को समुद्री मार्ग से ईरान के अस्तारा (अजरबैजान) एवं अस्तारा (ईरान) के क्रॉस-बॉर्डर नोडल बिंदुओं तथा भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जोडता है।
- पूर्वी गलियारा: यह कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के मध्य एशियाई देशों के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है।

छठा हिंद महासागर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

छठे हिंद महासागर सम्मेलन, जो कि ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया, के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार एवं विस्तार प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है।

सम्मेलन में "शांति समृद्धि और लचीले भिवष्य हेतु साझेदारी" थीम के साथ क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिये 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- कनेक्टिविटी: भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता होने के नाते बेहतर कनेक्टिविटी हासिल करने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है।
 - दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भूमि संपर्क स्थापित करना भारत के लिये बड़ी कठिनाइयाँ हैं। चुनौतियों के बावजूद बाधाओं को दूर करने एवं कनेक्टिविटी में सुधार हेतु सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया गया है।
 - भारतीय विदेश मंत्री ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के साथ एक प्रभावी और कुशल कनेक्टिविटी स्थापित करने के संभावित क्रांतिकारी प्रभाव पर जोर दिया।
 - भारत की खाड़ी और मध्य एशिया में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने इच्छा है।
 - कनेक्टिविटी चुनौतियों से निपटने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिये हिंद- महासागरीय क्षेत्र के देशों को सहयोग की सराहना करने और दीर्घकालिक परिणामों की ओर देखने आवश्यकता है:

- बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) जैसे उदाहरण मजबूत सहयोग और साझा प्रयासों के महत्त्व को प्रदर्शित करते हैं।
- कानूनी दायित्त्वों और समझौतों को बनाए रखनाः कानूनी दायित्त्वों की अवहेलना करने अथवा लंबे समय से चले आ रहे समझौतों का उल्लंघन करने से सदस्य देशों के बीच विश्वास और भरोसे में कमी आ सकती है। निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिये सहयोग का दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है।
 - स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिये अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानदंडों और नियमों का पालन महत्त्वपूर्ण है।
- धारणीय परियोजनाएँ और ऋणः अव्यवहार्य परियोजनाओं द्वारा सृजित अवहनीय ऋण इस क्षेत्र के देशों के लिये एक चिंता का विषय है (उदाहरण-श्रीलंका)।
 - आने वाले समय में जिटलताओं से बचने के लिये पारदर्शी ऋण प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और बाजार की वास्तविकताओं पर विचार करना आवश्यक है।
- साझा जिम्मेदारी और विषयः हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये साझा जिम्मेदारी और केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है।
 - समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत प्रभुत्त्व के लिये इससे समझौता नहीं किया जाना चाहिये। साथ ही कई व्यावहारिक कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।
 - इस सम्मेलन में जलवायु कार्रवाई और आतंकवाद विरोधी पहल के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया। देशों को अपने सामाजिक संरचना की रक्षा करते हुए उग्रवाद और कट्टरवाद से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिये आवश्यक समाधान सुनिश्चित करना चाहिये।

हिंद महासागर सम्मेलनः

- हिंद महासागर सम्मेलन, क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (सागर) हेतु क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिये हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख परामर्शी मंच है। यह प्रक्रिया वर्ष 2016 में शुरू हुई थी।
- हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण वर्ष 2016 में सिंगापुर में और पाँचवाँ वर्ष 2021 में अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2023

हाल ही में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (Asia-Pacific Economic Cooperation- APEC) देशों का शिखर सम्मेलन 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्राँसिस्को में हुआ।

APEC देशों के शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग क्या है? विशेषताएँ क्या हैं?

- APEC 2023 शिखर सम्मेलन का विषय "सभी के लिये एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना" है।
- APEC ने मुक्त, निष्पक्ष और खुले व्यापार और निवेश तथा क्षेत्र में समावेशी एवं सतत् विकास को बढावा देने के लिये अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- शिखर सम्मेलन गोल्डन गेट घोषणा (Golden Gate Declaration) को अपनाने के साथ संपन्न हुआ।
- घोषणा सभी सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- APEC नेताओं ने जलवाय परिवर्तन और ऊर्जा सरक्षा पर APEC एक्शन एजेंडा का समर्थन किया, जिसमें जलवायु संकट को संबोधित करने तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेत् सहयोग एवं समन्वय बढाने के लिये ठोस कार्यों व लक्ष्यों की एक रूपरेखा तैयार की गई।

परिचय:

- ♦ APEC एशिया-प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिये वर्ष 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है।
- ♦ APEC का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, टिकाऊ, नवीन और सुरक्षित विकास को बढावा देकर तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेज़ी लाकर क्षेत्र के लोगों को अधिक समृद्ध बनाना है।
- ♦ APEC प्रक्रिया सिंगापर स्थित एक स्थायी सिचवालय द्वारा समर्थित है।

सदस्य:

- ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हॉन्गकॉन्ग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्य गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापर, चीनी ताइपे, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- भारत को फिलहाल 'पर्यवेक्षक' का दर्जा हासिल है।



महत्त्व:

- चर्ष 2021 में APEC की हिस्सेदारी विश्व सकल घरेल उत्पाद में लगभग 62% और विश्व व्यापार में 48% रही है।
 - 🗷 यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों में से एक है।
- ♦ APEC का संचालन बिना किसी बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं या संधि दायित्वों के आधार पर होता है। प्रतिबद्धताएँ स्वेच्छा से की जाती हैं और क्षमता-निर्माण परियोजनाएँ सदस्यों को APEC पहलों को लागू करने में सहायता करती हैं।
- ♦ APEC का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास और समृद्धि का समर्थन करना, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढाना, मानव

सुरक्षा को मजबूत करना तथा जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान करना है।

⇒ भारत- APEC:

- भारत वर्ष 1991 में APEC में शामिल होना चाहता था, यह वही वर्ष था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लागू किया गया था, जिसने भारत के साथ अन्य देशों को व्यापार करने में सक्षम बनाया।
 - कुछ APEC सदस्यों ने भारत को इस समूह में शामिल करने का समर्थन किया, वहीं कुछ APEC सदस्य इसके खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगा कि भारत में अभी भी बहुत सारे नियम और प्रतिबंध हैं जिससे उनके लिये भारत के साथ व्यापार करना कठिन होगा।
- भारत के APEC में शामिल न हो पाने का एक अन्य कारण यह था कि इस समूह ने वर्ष 1997 में नए सदस्यों को शामिल न करने का निर्णय लिया, तािक वर्तमान सदस्यों के बीच मौजूदा सहयोग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
 - यह निर्णय वर्ष 2012 तक ही जारी रहना था लेकिन उसके बाद इसे नहीं बदला गया, इसिलये भारत अभी भी APEC में शामिल नहीं हो सका।

छठी भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता

चर्चा में क्यों?

भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC) के बीच ऊर्जा वार्ता के तहत छठी उच्च-स्तरीय बैठक 9 नवंबर, 2023 को ऑस्ट्रिया के वियना में OPEC के सिचवालय में आयोजित की गई।

🗅 बैठक में तेल और ऊर्जा बाजारों के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई।

भारत-OPEC ऊर्जा वार्ता की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- बैठक में तेल और ऊर्जा बाजारों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें उपलब्धता, सामर्थ्य तथा स्थिरता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया, जो कि ऊर्जा बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं।
- बैठक दोनों पक्षों द्वारा OPEC और भारत के बीच बढ़ते सहयोग को बढ़ावा देने के महत्त्व को रेखांकित करने के साथ संपन्न हुई।
- वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2023 का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022-2045 के बीच 6.1 प्रतिशत की औसत दीर्घकालिक वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था होगी और उसी दौरान वृद्धिशील वैश्विक ऊर्जा मांग 28 प्रतिशत से अधिक होगी।

- दोनों पक्षों ने वैश्विक आर्थिक विकास तथा ऊर्जा मांग में तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता, कच्चे तेल के आयातक एवं चौथे सबसे बड़े वैश्विक तेल शोधक के रूप में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।
- बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था तथा जलवायु परिवर्तन शमन के क्षेत्र में भारत की उपलिब्धियों एवं पहलों को भी स्वीकार किया गया।
- भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता के तहत अगली उच्च स्तरीय बैठक वर्ष 2024 में भारत में आयोजित करने पर सहमति बनी।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) क्या है ?

) पारिचयः

- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC) एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एवं वेनेज़ुएला द्वारा किया गया था।
 - 💢 इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।

⊃ उद्देश्यः

OPEC का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण करना है, तािक पेट्रोलियम उत्पादकों के लिये उचित व स्थिर कीमतें सुनिश्चित की जा सकें; उपभोक्ता देशों को पेट्रोलियम की आर्थिक रूप से उचित तथा नियमित आपूर्ति की जा सके जिससे संबद्ध उद्योग में निवेश करने वालों को पुंजी पर उचित लाभ मिलेगा।

🔾 सदस्य देश:

- अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेज़ुएला इसके सदस्य हैं।
- OPEC के सदस्य देश विश्व के लगभग 30% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं।
 - संगठन के अंतर्गत सऊदी अरब सबसे बड़ा एकल तेल आपूर्तिकर्त्ता है, जो प्रतिदिन 10 मिलियन बैरल से अधिक तेल का उत्पादन करता है।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन

11 अक्तूबर, 2023 को कोलंबो, श्रीलंका में होने वाली 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान श्रीलंका, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की अध्यक्षता संभालने के लिये तैयार है। यह वर्ष 2023 से 2025 तक इस एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा।

 बांग्लादेश ने नवंबर 2021 से नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता की।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन:

⊃ परिचय:

- IORA का दृष्टिकोण वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान प्रकाश में आया, जहाँ उन्होंने कहा, "इतिहास और भूगोल के तथ्यों की प्राकृतिक प्रेरणा की अवधारणा के आलोक में सामाजिक-आर्थिक सहयोग हेतु हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को खुद को मजबूत बनाना चाहिये।"
- इससे मार्च 1995 में हिंद महासागर रिम इनीशिएटिव और मार्च 1997 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (तब इसे क्षेत्रीय सहयोग के लिये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था) का मार्ग प्रशस्त हुआ।

> सदस्यः

- ♦ वर्तमान में IORA के 23 सदस्य देश और 11 संवाद भागीदार हैं।
 - म सदस्यः ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्राँस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयक्त अरब अमीरात. यमन।
 - संवाद भागीदार: चीन, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका।
- सचिवालय: मॉरीशस
- 6 प्राथिमकता वाले तथा 2 फोकस क्षेत्र:



हिंद महासागर:

व्यापार मार्गों से जुड़े तीसरे सबसे बड़े महासागर के रूप में यह विश्व के आधे कंटेनर जहाजों के साथ एक-तिहाई थोक कार्गो यातायात तथा दो-तिहाई तेल शिपमेंट को ले जाने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिये हिंद महासागर एक महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा बना हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा SCO सदस्य देशों से न्यायिक सहयोग के लिये प्रयास करने का आह्वान

चर्चा में क्यों ?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों/अध्यक्षों की 18वीं बैठक को संबोधित किया।

इस बैठक में सदस्य और पर्यवेक्षक राज्यों को उन चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान किया गया जो उनके अधिकार क्षेत्र के लिये साधारण हैं, इसके साथ ही आपसी सहयोग, अनुभव और ज्ञान को साझा करने पर बल दिया गया।

बैठक के प्रमुख बिंदुः

स्मार्ट और अभिगम्य न्यायपालिकाः

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आम लोगों के लिये अधिक स्मार्ट एवं अभिगम्य बनाने के लिये न्यायिक सहयोग तथा नए तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

🔾 न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का महत्त्व:

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नागरिकों और न्याय प्रणाली के बीच की खाई को पाटने में प्रौद्योगिकी के महत्त्व पर भी बल दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गए हाल के प्रयासों को साझा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का ई-संस्करण लॉन्च करना, न्यायिक कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और कई क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद आदि शामिल हैं।

🔾 प्रमुख मुद्देः

इसके अलावा जेलों में कैदियों की अत्यधिक संख्या, गुणवत्तापूर्ण कानूनी प्रतिनिधित्त्व तक पहुँच, आधुनिक सार्वजनिक न्यायिक सेवाओं, न्यायिक कार्यवाही का बोझ, सीमित न्यायिक संसाधन, लंबित मामलों की अधिकता और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO):

🗅 परिचय:

SCO एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

⊃ उत्पत्तिः

- वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कजाखस्तान, चीन, किर्गिज्ञस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव के सदस्य थे।
 - वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया।
- भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके सदस्य बने।
- पर्यवेक्षक देश: ईरान और बेलारूस
 - ईरान सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठन SCO का सबसे नवीनतम सदस्य होगा, जब वह अप्रैल 2023 में भारत की अध्यक्षता में फोरम में शामिल होगा।

संरचनाः

- राज्य परिषद के प्रमुख: यह सर्वोच्च SCO निकाय जो आंतरिक संचालन और अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करता है।
- सरकारी परिषद के प्रमुख: यह बजट को मंज़ूरी देता है और SCO के आर्थिक क्षेत्रों की बातचीत से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है एवं निर्णय लेता है।
- विदेश मामलों के मंत्रियों की परिषद: दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।

♦ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure- RATS): आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने हेतु स्थापित।

> राजभाषाः

 SCO सिचवालय की आधिकारिक कामकाजी भाषाएँ रूसी और चीनी हैं।

G20 संस्कृति मंत्री स्तरीय बैठक और B20 शिखर सम्मेलन 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 संस्कृति मंत्री स्तरीय बैठक का समापन किया, जिसमें सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, प्रत्यावर्तन पर प्रकाश डालने और संपत्तियों पर खतरों को संबोधित करने पर सहमति बनी।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बिजनेस 20 (B20) इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया।

G20 संस्कृति सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

🗅 सांस्कृतिक विरासत पर संकट:

"काशी कल्चर पाथवे" दस्तावेज ने सांस्कृतिक विरासत के लिये विभिन्न खतरों की पहचान की, जिसमें लूटपाट, सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी, सांस्कृतिक स्थलों का विनाश, अवशेषों का अपमान आदि शामिल हैं।

सांस्कृतिक खतरों का प्रभाव:

इन खतरों से सांस्कृतिक संपत्तियों की अपरिवर्तनीय हानि हो सकती है, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं में बाधा आ सकती है और लोगों तथा समुदायों के सांस्कृतिक, मानवीय, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है।

🗅 अवैध ऑनलाइन व्यापार पर चिंता:

G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों ने सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध
 तस्करी को सक्षम करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के उदय के
 बारे में चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे के समाधान के लिये नियमों
 की आवश्यकता पर जोर दिया।

सांस्कृतिक संपत्ति और संगठित अपराध के बीच संबंधः

मंत्रियों ने सांस्कृतिक संपत्ति के विनाश और तस्करी तथा विशेष रूप से युद्ध की स्थितियों में धनशोधन, भ्रष्टाचार, कर चोरी एवं आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे संगठित अपराधों के बीच संबंध पर प्रकाश डाला।

सांस्कृतिक विनाश के विरुद्ध एकता:

सभी प्रतिभागी राष्ट्रों ने विशेष रूप से युद्ध परिदृश्यों में सांस्कृतिक विरासत के जान-बूझकर या संपार्श्विक विनाश के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित की, जो शांति और सतत् विकास में बाधा डालते हैं।

विकास के लिये जीवंत विरासत के प्रति प्रतिबद्धता:

G20 देशों ने सतत् विकास के लिये जीवंत विरासत (पूर्वजों से विरासत में मिली और हमारे वंशजों को हस्तांतरित) का दोहन करने के लिये संस्थागत और नीतिगत ढाँचे को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

प्रधानमंत्री का संग्रहालयः

भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में "प्रधानमंत्री संग्रहालय" पर प्रकाश डाला, जो भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करता है और "युग-युगीन भारत" राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास पर जोर दिया, जो भारत के 5,000 साल से अधिक के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।

बिज़नेस 20 (B20):

⊃ परिचयः

- ♦ B20 वैश्विक व्यापार समुदाय को शामिल करने वाला आधिकारिक G20 संवाद मंच है।
- B20, वैश्विक आर्थिक एवं व्यापार नियंत्रण पर वैश्विक व्यापार नेताओं के दृष्टिकोण को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है।
 - प्र यह संपूर्ण G20 व्यापारिक समुदाय की एकीकृत आवाज का प्रतिनिधित्व करता है।
- प्रत्येक वर्ष G20 प्रेसीडेंसी द्वारा एक B20 अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है जिसे B20 शेरपा (प्रतिनिधि) और सिचवालय द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है।
- B20 का लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये आवर्ती राष्ट्रपित पद की प्राथिमकताओं के अनुरूप कार्रवाई योग्य नीति हेतु सिफारिशें प्रदान करना है।
- B20 सर्वसम्मित-आधारित नीति अनुशंसाओं के लिये जिम्मेदार टास्क फोर्स (TFs) और एक्शन काउंसिल (ACs) के माध्यम से संचालित होता है।
- ये सिफारिशें G20 एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिये निर्देशित होती हैं।

⊃ B20 इंडिया 2023 की थीम:

- ♦ B20 इंडिया की थीम 'R.A.I.S.E' है यानी जिम्मेदार (Responsible), त्वरित (Accelerated), नवोन्मेषी (Innovative), टिकाऊ (Sustainable), न्यायसंगत व्यवसाय (Equitable Businesses)।
 - इसका उद्देश्य समावेशी वैश्विक मूल्य शृंखला (GVCs), ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन तथा आगामी रोजगार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग करना है।

B20 इंडिया के सदस्यः

इसके सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज्ञील, कनाडा, चीन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस और मैक्सिको हैं।

B20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- राष्ट्रों को बाजार के रूप में देखने के प्रति सावधानी:
 - भारत के प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यवसायों में शामिल देशों
 को मात्र बाजार मानने के संबंध में आगाह किया।
 - लाभदायक बाजार की स्थिति बनाए रखने के लिये उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को संतुलित करने के महत्त्व पर बल दिया।
- वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधान और भारत का समाधान:
 - इसमें कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपरिवर्तनीय व्यवधानों की ओर इशारा किया गया।
 - संकट के समय ऐसी आपूर्ति शृंखलाओं की दक्षता पर सवाल उठाया।
 - वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधानों को संबोधित करने हेतु भारत को एक भरोसेमंद समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- भारत की तकनीकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया जिससे आपूर्ति शृंखलाओं को प्रबंधित और अनुकूलित करने के लिये नवीन समाधान तथा डिजिटल उपकरण अपनाने की क्षमता का संकेत मिलता है।
- व्यावसायिक दृष्टिकोण पर पुनर्विचार:
 - पारंपरिक "ब्रांड और बिक्री" दृष्टिकोण को पुन: शुरू करने का समर्थन किया गया।

- लोगों की क्रय-शक्ति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया।
 - पाँच वर्षों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने एवं एक नया उपभोक्ता आधार तैयार करने में भारत की सफलता पर प्रकाश डाला गया।
- अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा दिवस:
 - उत्पादकों एवं खरीदारों के मध्य विश्वास बढ़ाने के लिये एक वार्षिक "अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा दिवस" का सुझाव दिया गया।
- वैश्विक स्तर पर प्रस्तावित व्यवसायों को उपभोक्ताओं की भलाई और बाजार की अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने हेतु एकजुट होने पर बल दिया गया।
- ♦ क्रिप्टोकरेंसी और AI नैतिक विचार:
 - फ्रिप्टोकरेंसी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा उत्पन्न उभरती चुनौतियों का समाधान किया गया।
- सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिये एक एकीकृत वैश्विक ढाँचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
 - एल्गोरिदम पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रभाव सहित AI से जुड़े नैतिक विचारों पर चर्चा की गई।
 - म नैतिक रूप से AI का विस्तार सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक व्यापार समुदायों और सरकारों के बीच सहयोग का समर्थन किया गया।
- चुनौतियाँ और अवसर:
 - व्यवसायों और समाज से ग्रह (Planet) पर निर्णयों के प्रभाव का विश्लेषण करने का आग्रह किया।
 - इस बात पर बल दिया गया कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, खाद्य आपूर्ति शृंखला असंतुलन और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों का जवाब व्यापार एवं मानवता के भविष्य को आकार देगा।
- ♦ B20 टास्क फोर्स की सिफारिशें:
 - टास्क फोर्स ने चार प्रमुख सिफारिशें की हैं:
- ♦ वैश्विक सतत् विकास लक्ष्य (SDG) त्वरण।
- 'वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं' के वित्तपोषण के लिये फंड (जलवायु, ऊर्जा, जैव विविधता और महासागर प्रदूषण में भौगोलिक रूप से परिवर्तनीय SDG परियोजनाओं पर प्रारंभिक बल के साथ)।
- SDG वित्तपोषण के लिये घरेलू वित्तीय क्षेत्रों का क्षमता निर्माण।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये वित्त तक MSME
 की पहुँच में सुधार और पूंजी की लागत को कम करना।

 स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढाँचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।

नैतिक AI:

AI जो मौलिक मूल्यों के संबंध में अच्छी तरह से परिभाषित नैतिक दिशा-निर्देशों का पालन करता है, में व्यक्तिगत अधिकार, गोपनीयता, गैर-भेदभाव और गैर-हेरफेर जैसे घटक शामिल हैं।

नाटो ने CFE संधि निलंबित की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) ने रूस के समझौते से बाहर निकलने के जवाब में यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि (CFE) के औपचारिक निलंबन की घोषणा की है, जो एक प्रमुख शीत युद्ध-युग सुरक्षा संधि है।

CFE से रूस के हटने की पृष्ठभूमि क्या है?

- CFE संधि के विषय में:
 - CFE संधि, वर्ष 1990 में हस्ताक्षरित और वर्ष 1992 में पूरी तरह से अनुसमर्थित, का उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान आपसी सीमाओं के पास NATO और वारसा संधि में शामिल देशों द्वारा पारंपरिक सशस्त्र बलों के जमाव को रोकना था।
 - इसने यूरोप में पारंपरिक सैन्य बलों की तैनाती पर सीमाएँ लगा दीं और क्षेत्र में तनाव तथा हथियारों के निर्माण को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - यह संधि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े शीत युद्ध-युग के कई समझौतों में से एक थी।

🔾 संधि से रूस का अलग होना:

- वर्ष 2007 में रूस ने CFE संधि में अपनी भागीदारी को निलंबत कर दिया था और वर्ष 2015 में औपचारिक रूप से इससे अलग होने के आशय की घोषणा की थी।
- मई 2023 में रूसी राष्ट्रपित द्वारा संधि की निंदा करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद वापसी को अंतिम रूप देने का हालिया कदम आया।
- रूस ने संधि पर उनकी "विनाशकारी स्थिति" का हवाला देते हुए, वापसी के लिये अमेरिका और उसके सहयोगियों को दोषी ठहराया है।

यूक्रेन संघर्ष का प्रभावः

फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण, जिसके कारण यूक्रेन में महत्त्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति देखी गई, ने संधि से हटने के उसके निर्णय को प्रभावित किया। इस संघर्ष का सीधा प्रभाव NATO के उन सदस्य देशों पर पड़ता है जिनकी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है, जैसे पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी।

रूस की चिंताएँ और NATO की स्थित क्या है?

- रूस का दावा है कि CFE अब उसके हितों की पूर्ति नहीं करती है क्योंकि इस पर हस्ताक्षर अन्य उन्नत हथियारों के लिये नहीं बल्कि पारंपरिक हथियारों और उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिये किये गए थे।
- रूस ने यूक्रेन में विकास और NATO के विस्तार का हवाला देते हुए कहा कि CFE संधि को बनाए रखना उसके मौलिक सुरक्षा हितों के दृष्टिकोण से अस्वीकार्य हो गया है।
- NATO सैन्य जोखिम को कम करने, गलत धारणाओं को रोकने और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

- CFE संधि का निलंबन रूस और NATO के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करता है, जिसका वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता, खासकर पूर्वी यूरोप में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शीत युद्ध क्या है?
- शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और उस पर आश्रित देशों (पूर्वी यूरोपीय देश) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों (पश्चिमी यूरोपीय देश) के बीच भू-राजनीतिक तनाव की अविध (1945-1991) थी।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों- सोवियत संघ और अमेरिका के प्रभुत्व वाले दो शक्ति गुटों में विभाजित हो गया।
 - यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ दो महाशक्तियाँ के बीच वैचारिक युद्ध था
 - "शीत" शब्द का प्रयोग इसलिये किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी।



⇒ इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल (INF) संधि (1987):

- 8 दिसंबर, 1987 को अमेरिकी राष्ट्रपित और सोवियत महासचिव द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये गए, INF संधि ने यूरोप से मध्यवर्ती दूरी की परमाणु मिसाइलों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त कर दिया।
- यह संधि शीत युद्ध के तनाव और परमाणु हथियारों को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

सामिरक शस्त्र सीमा वार्ता (SALT) और START मंधियाँ.

- SALT संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की एक शंखला थी।
- इन संधियों का लक्ष्य लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों (रणनीतिक हथियार) जो प्रत्येक पक्ष के पास हो और निर्माण कर सके, की संख्या को कम करना था।
- पहली संधि, जिसे SALT I के नाम से जाना जाता है, पर वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किये गए थे।
 - SALT I पर हस्ताक्षर कर अमेरिका और USSR सीमित संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ सीमित संख्या में मिसाइल तैनाती स्थलों पर सहमत हए।

नोट:

फरवरी 2023 में, रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम शेष प्रमुख सैन्य समझौते, नई START संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित करने की घोषणा की थी।

- रणनीतिक आक्रामक हथियारों की और कमी तथा सीमा के उपायों पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूसी संघ के बीच फरवरी, 2011 में नई START संधि लागू हुई।
- हेलिसंकी समझौता (1975):
 - अगस्त 1975 में हेलसिंकी में हस्ताक्षरित अंतिम समझौता एक संधि नहीं थी, बल्कि नाटो सदस्यों और वारसॉ संधि में शामिल देशों सहित 35 देशों द्वारा सहमत सिद्धांतों की घोषणा थी।
 - इसका उद्देश्य पूर्व और पश्चिम के बीच संबंधों में सुधार करना था और इसमें मानवाधिकारों तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की प्रतिबद्धताएँ शामिल थीं।

नाटो (NATO) क्या है ?

🗅 परिचय:

 नाटो अथवा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, एक राजनीतिक तथा सैन्य गठबंधन है जिसमें 31 सदस्य देश शामिल हैं। इसका गठन वर्ष 1949 में संबद्ध सदस्यों के बीच आपसी रक्षा एवं सामृहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये किया गया था।

🔾 सदस्य देश:

- वर्ष 1949 में इस गठबंधन के 12 संस्थापक सदस्य थे: बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्राँस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका।
- वर्तमान में 19 और देश गठबंधन में शामिल हो गए हैं: ग्रीस तथा तुर्की (1952); जर्मनी (1955); स्पेन (1982); चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड (1999); बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातिवया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवािकया और स्लोवेिनया (2004); अल्बािनया तथा क्रोएिशया (2009); मोंटेनेग्रो (2017); उत्तर मैसेडोिनया (2020); फिनलैंड (2023)।



मुख्यालयः ब्रुसेल्स, बेल्जियमः

मित्र देशों की कमान संचालन मुख्यालय: मॉन्स, बेल्जियम।

विशेष प्रावधानः

- अनुच्छेद 5: नाटो संधि का अनुच्छेद 5 एक प्रमुख प्रावधान है जिसके अनुसार एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा।
 - यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद केवल एक बार लागू किया गया है।
- हालाँकि नाटो की सुरक्षा दायरे में सदस्य दशों के गृह युद्धों
 अथवा आंतरिक तख्तापलट को शामिल नहीं किया गया है।

नाटो के सहयोगीः

⇒ यूरो-अटलांटिक पार्टनरिशप काउंसिल (EAPC)

- 🔾 भूमध्यसागरीय संवाद
- 🗅 इस्तांबुल सहयोग पहल (ICI)

NATO में शामिल हुआ फिनलैंड

सदस्यता संबंधी आवेदन की पुष्टि के कुछ ही समय बाद फिनलैंड ने आधिकारिक तौर पर नाटो (NATO) की सदस्यता प्राप्त कर ली है। नाटो के अधिकांश सदस्यों ने इसका समर्थन किया, उनका मानना था कि फिनलैंड की सदस्यता बाल्टिक क्षेत्र में गठबंधन की ताकत को बढाएगी।

 तुर्किये और हंगरी के कारण स्वीडन के लिये नाटो की सदस्यता प्राप्त करना काफी कठिन है।

फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की पृष्ठभूमि और प्रभाव:

🗅 पृष्ठभूमि:

- फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का कारण रूस-यूक्रेन संघर्ष है, जिस कारण रूस के पड़ोसी छोटे देशों को नाटो द्वारा प्रदान किये जाने वाले शक्तिशाली सैन्य समर्थन की आवश्यकता महसूस हुई। इस आक्रमण के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिये आवेदन किया था।
- ♦ फिनलैंड जो रूस के साथ 1,340 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ने 70 से अधिक वर्ष पुरानी अपनी सैन्य गुटिनरपेक्षता की नीति को समाप्त कर दिया है, वास्तव में शीत युद्ध के वर्षों में सोवियत संघ और पश्चिम के बीच तटस्थता की नीति को 'फिनलैंडाईजेशन' के रूप में जाना जाता था तथा रूस द्वारा आक्रमण करने से पहले यूक्रेन का फिनलैंडाईजेशन (Finlandisation) चर्चा में शामिल विकल्पों में से एक था।

🗅 प्रभाव:

- फिनलैंड ने बेहतर सुरक्षा प्राप्त की है, लेकिन यह रूस के साथ महत्त्वपूर्ण व्यापार और पर्यटन राजस्व से वंचित हो सकता है तथा बाल्टिक सागर एवं यूरोप में बड़े पैमाने पर विश्वास-निर्माण तथा उपस्थिति के रूप में इसकी स्थिति खतरे में पड रही है।
- फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस को कमज़ोर करने हेतु नाटो की प्रशिक्षित सेना एवं हथियारों को रूस के निकट तैनात कर नाटो की स्थिति और मज़बूत होगी।
 - हालाँकि रूस इसे खतरनाक ऐतिहासिक गलती के रूप में देखता है जो यूक्रेन संघर्ष को बढ़ा सकता है, साथ ही रूस अपने पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम में सैन्य क्षमता को और मजबूत करेगा।

NATO/नाटोः

🔾 परिचयः

- नाटो अथवा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जिसमें 31 सदस्य देश शामिल हैं।
- इसका गठन वर्ष 1949 में सदस्यों के बीच पारस्परिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ किया गया था।

⊃ सदस्यः

- वर्ष 1949 में गठबंधन के 12 संस्थापक सदस्य थे: बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्राँस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- तब से 19 और देश गठबंधन में शामिल हुए हैं: ग्रीस एवं तुर्की (1952); जर्मनी (1955); स्पेन (1982); चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड (1999); बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातिवया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवािकया एवं स्लोवेिनया (2004); अल्बािनया और क्रोएशिया (2009); मोंटेनेग्रो (2017); उत्तर मैसेडोनिया (2020) तथा फिनलैंड (2023)।



- मुख्यालयः ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
 - 💠 एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय: मॉन्स, बेल्जियम

विशेष प्रावधानः

💠 अनुच्छेद 5: नाटो संधि का अनुच्छेद 5 एक प्रमुख प्रावधान है

जो बताता है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला मन जाएगा।

- 🗷 संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद इस प्रावधान को केवल एक बार लागू किया गया है।
- 💠 हालाँकि नाटो की सुरक्षा सदस्य देशों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट के संदर्भ में नहीं लागू होती है

नाटो के गठबंधनः

- ♦ यूरो-अटलांटिक साझेदारी परिषद (Euro-Atlantic Partnership Council-EAPC)
- 💠 भूमध्य संवाद
- ♦ इस्तांबुल सहयोग पहल (Istanbul Cooperation Initiative-ICI)

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के आधार पर जलवायू परिवर्तन के प्रति देशों के दायित्त्वों पर एक प्रस्ताव पारित करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से अपनी राय देने का निर्देश दिया है।

इस प्रस्ताव को विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक, प्रशांत के वानुअतु द्वीप द्वारा आगे बढ़ाया गया था, एक द्वीप जो वर्ष 2015 में चक्रवात पाम के प्रभाव से तबाह हो गया था, माना जाता है कि यह जलवायु परिवर्तन से प्रेरित था जिसने इसकी 95% फसलों को नष्ट दिया और इसकी दो-तिहाई आबादी को प्रभावित किया।



प्रस्ताव:

- ⊃ UNGA ने ICJ से दो प्रश्नों के उत्तर पूछे:
 - वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिये जलवायु प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्यों के क्या दायित्व हैं?
 - राज्यों के लिये इन दायित्त्वों के अंतर्गत कानूनी कर्तव्य क्या हैं, जहाँ उन्होंने अपने कृत्यों और लापरवाहियों से जलवायु प्रणाली को महत्त्वपूर्ण नुकसान पहुँचाया है, विशेष रूप से छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों (SIDS) और उन लोगों के लिये जिन्हें क्षति हुई है।
- यह प्रस्ताव पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को संदर्भित करता है।
- ICJ को अपनी राय देने में करीब 18 महीने लगेंगे।

भारत की स्थिति:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है, लेकिन यह सामान्यत: जलवायु न्याय और ग्लोबल वार्मिंग के लिये जवाबदेही का समर्थन करता है।
- भारत सरकार ने इसके निहितार्थ और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का आकलन करने के लिये कानूनी अधिकारियों को संकल्प भेजा है।
- भारत ने अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रतिबद्धताओं को अद्यतन किया है और 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी आधी बिजली प्राप्त करने की योजना बनाई है, लेकिन इसने मसौदा प्रस्ताव को सह-प्रायोजित नहीं किया।
- भारत संकल्प के प्रति अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों की प्रतिक्रिया को अद्यतन संसूचित रूप से देख रहा है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिये उनका समर्थन महत्त्वपूर्ण है।
- भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि ICJ प्रक्रिया केवल जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित कर सकती है और किसी एक देश को लक्षित नहीं कर सकती है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि "टॉप-टू-बॉटम" आधार पर राय थोपने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा।

क्या ICJ की राय बाध्यकारी है?

- ICJ की सलाह निर्णय के रूप में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन यह कानूनी महत्त्व और नैतिक अधिकार रखती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों पर महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है, साथ ही COP प्रक्रिया में जलवायु वित्त, जलवायु न्याय, नुकसान तथा क्षित निधि से संबंधित मुद्दों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है।

अतीत में ICJ की सलाहकारी राय का फिलीस्तीनी संघर्ष और चागोस द्वीपों पर यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरीशस के बीच विवाद जैसे मामलों में पालन किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमयः

- वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय' पर हस्ताक्षर किये गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit), रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
 - भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिसने जलवायु परिवर्तन (UNFCCC), जैविविधता (जैविक विविधता पर सम्मेलन) और भूमि (संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय) पर तीनों रियो सम्मेलनों की मेजबानी की है।
- UNFCCC 21 मार्च, 1994 से लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।
- चह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि (Parent Treaty) है। UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) की मूल संधि भी है।
- UNFCCC सिचवालय (यूएन क्लाइमेट चेंज) संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। यह बॉन (जर्मनी) में स्थित है।
- इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है, जिससे एक समय-सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके तािक पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

OPEC+ द्वारा अतिरिक्त उत्पादन कटौती की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC/ ओपेक) और उसके सहयोगियों, जिन्हें सामूहिक रूप से OPEC+ के रूप में जाना जाता है, ने बाजार में स्थिरता का समर्थन करने हेतु अपने तेल उत्पादन में 1.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन (Barrels Per Day-BPD) की कमी की घोषणा की है।

तेल उत्पादन में स्वैच्छिक कटौती की पृष्ठभूमि:

⊃ पृष्ठभूमि:

रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद तेल की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई हैं और वैश्विक बैंकिंग संकट की चिंताओं के कारण मार्च 2023 में 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की गिरावट के साथ कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है, जिससे मांग प्रभावित हो सकती है।

⊃ शामिल देश:

- अभी तक सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, अल्जीरिया, कजाखस्तान, रूस और गैबॉन ने स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती की घोषणा की है।
- कुछ OPEC+ सदस्य पहले से ही उत्पादन क्षमता की कमी के परिणामस्वरूप सहमत मात्रा से काफी कम निकासी कर रहे हैं, इस कारण वे सभी सदस्य स्वैच्छिक कटौती में भाग नहीं ले रहे हैं।

तेल उत्पादन में स्वैच्छिक कटौती के प्रमुख संभावित प्रभावः

- अमेरिका पर प्रभाव: यह कदम अमेरिका के लिये काफी हानिकारक होने की संभावना है क्योंकि अमेरिका निरंतर ही इस संगठन से तेल उत्पादन में वृद्धि करने की मांग करता रहा है।
- गैर-ओपेक देशों पर प्रभाव: उत्पादन में कटौती का तेल के निर्यात पर निर्भर रहने वाले गैर-ओपेक देशों पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उन्हें बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ सकता है।
- भारत पर प्रभाव: भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है, उत्पादन घटने के कारण कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप तेल आयात बिल में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
 - आयात बिलों में वृद्धि से न केवल मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी बिल्क डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने के साथ शेयर बाजार भी काफी प्रभावित हो सकता है।
 - निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) के अनुसार, कच्चे तेल की कीमत में प्रत्येक 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि पर चालू खाता घाटा 14 से 15 अरब डॉलर या GDP के 0.4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन प्लस (OPEC+):

OPEC: वर्ष 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे संस्थापक सदस्यों द्वारा स्थापित ओपेक का वर्तमान में विस्तार हुआ है तथा अब 13 देश इसके सदस्य हैं।

- ये सदस्य देश हैं: अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला।
 - 🗷 मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया।
- OPEC विश्व के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है और इसके सदस्यों का निर्यात वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 60% है।
- OPEC+: वर्ष 2016 में अन्य 10 संबद्ध प्रमुख तेल उत्पादक देशों को शामिल करने के साथ OPEC को OPEC+ के रूप में जाना जाता है।
 - OPEC+ देशों में 13 ओपेक सदस्य देश तथा अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाखस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं।

⊃ उद्देश्यः

इस संगठन का उद्देश्य "अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है तथा उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक एवं नियमित आपूर्ति, उत्पादकों को स्थिर आय और पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वालों के लिये पूंजी पर उचित रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।

15वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, भू-राजनीतिक परिवर्तनों और वैश्विक आर्थिक गतिशीलता की पृष्ठभूमि में इस सम्मेलन का काफी महत्त्व है।

- विशेष रूप से यह शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में कोविड -19
 महामारी के बाद पहली व्यक्तिगत बैठक है।
- ⇒ 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय "ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्पिरक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिये साझेदारी (BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism)" है।

15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु:

) ब्रिक्स का विस्तार:

 ब्रिक्स में शामिल देशों की सदस्य संख्या पाँच से बढ़कर ग्यारह होने के उपलक्ष्य में 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, यह इसकी वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास को दर्शाता है।

- 🗷 मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना के ब्रिक्स में शामिल होने से मध्य-पूर्व, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में इस समूह का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है।
- इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।
- प्रारंभिक ब्रिक्स सदस्य देशों में दो प्रमुखताएँ समान थीं: बड़ी अर्थव्यवस्था और उच्च संभावित विकास दर।
 - 🗷 विस्तारित ब्रिक्स-11 एक कम सुसंगत समूह है; कुछ देश संकट के दौर से गुज़र रहे हैं, जबिक अन्य फल-फूल रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक अलग एजेंडे के विस्तार का संकेत दे सकता है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भारत के लिये महत्त्व:

- वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत-चीन सैन्य गतिरोध के बाद आयोजित यह पहली व्यक्तिगत बैठक भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
 - भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपित के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देश सैनिकों को एक दुसरे की सीमा को पार न करने और LAC पर तनाव को कम करने के प्रयास किये जाने पर सहमत हुए हैं।
- भारत ने सदस्यता मानदंडों का मसौदा तैयार करने और नए प्रवेशकों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - 🗷 भारत अपने सहयोगियों के नेटवर्क का विस्तार करने और अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिये ब्रिक्स का लाभ उठाता है।
- भारत ब्रिक्स को "पश्चिम-विरोधी" समूह के बजाय "गैर-पश्चिमी" समूह के रूप में देखता है, जो इस मंच के दृष्टिकोण की विविधता पर ज़ोर देता है।
 - 💢 नेतृत्व की उद्घोषणा के लिये भारत चीन और रूस के साथ संबंधों को मज़बूत करने की उम्मीद करता है।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढाने के लिये ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
- भारत ने लुप्तप्राय बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के तहत ब्रिक्स के देशों के सहयोग का आह्वान किया।

भू-राजनीतिक संदर्भ और महत्त्व:

- इस शिखर सम्मेलन का काफी महत्त्व है क्योंकि वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा प्रभावित हुई है।
- 💠 ऐसा माना जाता है कि ब्रिक्स में होने वाली चर्चाएँ "पश्चिमी विरोधी" दृष्टिकोण रखती हैं।
- ♦ युक्रेन संघर्ष पर रूस को "अलग-थलग" करने के प्रयासों के बीच ब्रिक्स के विचार-विमर्श का महत्त्व बढ़ गया है।

संयुक्त राष्ट्र सुधारः

💠 भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सुधार को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और कुशल बनाने के लिये सरक्षा परिषद सहित इसका समर्थन करते हैं।

जलवायु परिवर्तनः

- ब्रिक्स सदस्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ कम कार्बन और कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था के लिये उचित, किफायती एवं टिकाऊ संक्रमण सुनिश्चित करने पर सहमत हुए।
 - 💢 पाँचों देशों ने विकसित देशों से उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने और ऐसे बदलावों के लिये विकासशील देशों का समर्थन करने का आह्वान किया।
 - ब्रिक्स देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के बहाने कुछ विकसित देशों द्वारा लगाई गई व्यापार बाधाओं का विरोध किया।

ब्रिक्स

परिचय:

- ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के समृह का संक्षिप्त रूप है।
- वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिये BRIC शब्द गढा।
- ♦ वर्ष 2006 में BRIC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया था।
- दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद इस समूह ने संक्षिप्त नाम BRICS अपनाया।

ब्रिक्स का हिस्सा:

ब्रिक्स विश्व के पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% तथा वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करते हैं।

🗅 अध्यक्षताः

- फोरम की अध्यक्षता B-R-I-C-S के अनुसार, सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष परिवर्तित की जाती है।
 - भारत ने वर्ष 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की मेजबानी की।

ब्रिक्स की पहल:

- न्यू डेवलपमेंट बैंक:
 - वर्ष 2014 में फोर्टालेजा (ब्राजील) में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB -शंघाई, चीन) की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किये।
 - इसने अब तक 70 बुनियादी ढाँचे और सतत् विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement):
 - वर्ष 2014 में ब्रिक्स देशों की सरकारों ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की स्थापना पर एक संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
 - इस व्यवस्था का उद्देश्य अल्पकालिक भुगतान संतुलन के दबाव को रोकना, पारस्परिक समर्थन प्रदान करना तथा ब्रिक्स देशों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है।
- सीमा शुल्क समझौते:
 - म ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार परिवहन के समन्वय तथा सुगमता के लिये सीमा शुल्क समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।
- रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण:
 - अगस्त 2021 में पाँच अंतिरक्ष एजेंसियों ने ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तारामंडल के सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- यह तारामंडल छह मौजूदा उपग्रहों से बना है: गाओफेन-6 और जियुआन III 02, दोनों चीन द्वारा विकसित; CBERS-4, ब्राजील एवं चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित; कानोपस-V टाइप, रूस द्वारा विकसित तथा रिसोर्ससैट-2 व 2A, दोनों भारत द्वारा विकसित किये गए।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि

रूस ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty- CTBT) के अपने अनुसमर्थन को रद्द करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT):

CTBT की उत्पत्तिः

- CTBT एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है, भले ही वे सैन्य अथवा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये हों।
- CTBT की जड़ें शीत युद्ध के युग में निहित हैं जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों को प्राप्त करने में लगे थे तथा कई परमाणु परीक्षण कर रहे थे।
 - वर्ष 1945 से लेकर वर्ष 1996 तक विश्व स्तर पर 2,000
 से अधिक परमाणु परीक्षण हुए, जिनमें से अमेरिका ने
 1,032 परीक्षण और सोवियत संघ ने 715 परीक्षण किये।
- परमाणु परीक्षणों के पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों के विषय में चिंताओं के जवाब में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने परीक्षण को सीमित करने के प्रयास किये।
- वर्ष 1963 की सीमित परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Limited Nuclear Test-Ban Treaty-LTBT) ने वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी लेकिन भूमिगत परीक्षणों को अनुमति दी।
- वर्ष 1974 की थ्रेसहोल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि (TTBT), 150 किलोटन से अधिक की क्षमता वाले परीक्षणों पर रोक लगाकर एक परमाणु "सीमा" स्थापित करती है, फिर भी यह सभी परमाणु परीक्षणों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने में विफल रही है।

○ CTBT के साथ सफलता:

- शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन ने व्यापक हथियार नियंत्रण उपायों के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया।
- CTBT पर वर्ष 1994 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में वार्त्ता की गई थी।
- वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने CTBT को अपनाया, जिसने पिछली संधियों द्वारा रिक्त अंतराल को समाप्त करते हुए परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
- CTBT सितंबर 1996 में हस्ताक्षर के लिये उपलब्ध हो गया, जो विश्व में परमाणु परीक्षण को रोकने के वैश्विक प्रयास में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है।
 - इसके अनुसार, संधि के अनुलग्नक 2 में सूचीबद्ध सभी 44 देशों द्वारा अनुसमर्थन किये जाने के 180 दिन बाद CTBT लागू हो जाएगा, ये ऐसे राज्य हैं जिनके पास इसे अपनाते समय परमाणु या अनुसंधान रियेक्टर थे।

वर्तमान स्थितिः

- 💠 इस पर 187 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं और 178 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालाँकि यह संधि तब तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती जब तक कि इसे 44 विशिष्ट देशों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। इनमें से आठ देशों ने अभी तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है, ये हैं:
 - 🗷 चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र व संयुक्त राज्य अमेरिका।

इंटरपोल के नोटिस

हाल ही में इंटरपोल की नोटिस प्रणाली के दुरुपयोग, विशेष रूप से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गई हैं, जिनकी रेड कॉर्नर नोटिस की तुलना में कम जाँच की जाती है।

- पिछले दस वर्षों में नीले नोटिसों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।
- आलोचकों ने तर्क दिया है कि देश अक्सर राजनीतिक शरणार्थियों और असंतुष्टों को लक्षित करने के लिये मौजूदा प्रोटोकॉल का फायदा उठाते हैं।



परमाणु हथियारों के खिलाफ संधियाँ

भाग- 1

परमाणु हथियार

- पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार; एक ऐसा बम या मिसाइल जिसमें विस्फोट के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है।
- परमाणु हथियार या तो परमाणु विखंडन (परमाणु बम) या परमाणु संलयन (हाइड्रोजन बम) द्वारा ऊर्जा निर्मक्त जारी करते हैं।
- केवल एक परमाणु हथियार भी इतना शक्तिशाली होता है कि वह एक पूरे शहर को नष्ट करने, संभावित रूप से लाखों लोगों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डालने की
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में अमेरिका द्वारा पहली और आखिरी बार इनका इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था।

परमाणु हथियार अप्रसार संधि (NPT 1970)

- - परमाणु हथियारों और इसकी तकनीक के प्रसार को रोकना
 - परमाणु ऊर्जा के शाँतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना
 - परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने
- - सदस्यों की संख्या 191 जिसमें **पाँच परमाणु हथियार संपन्न देश** (NWS)- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन भी शामिल है
- परमाणु हथियार संपन्न देश
 - ♦ जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और
- परमाणु संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिये एकमात्र बाध्यकारी संधि
- भारत और परमाणु अप्रसार संधि
 - भारत (पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान के साथ) सदस्य नहीं है
 - भारत एक भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण नीति के रूप में इसका विरोध करता है
 - भारत की नीति- परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ पहले उपयोग नहीं और गैर-परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ कोई उपयोग नहीं (No First Use against NWS and no use against non-NWS)
- ♦ NPT समीक्षा सम्मेलन
 - संधि के कार्यान्वयन की पंचवर्षीय समीक्षा करता है

इंटरपोल नोटिस सिस्टम क्या है?

परिचय:

- 💠 इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिये राष्ट्रीय पुलिस बलों के लिये एक महत्त्वपूर्ण सूचना-साझाकरण नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।
- इंटरपोल (सामान्य सिचवालय) लापता या वांछित व्यक्तियों के लिये सदस्य राज्यों को नोटिस जारी करता है, जिसका पालन करना राज्यों हेत् अनिवार्य नहीं है, लेकिन अक्सर गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिये वारंट के रूप में माना जाता है।
- अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी: नोटिस निम्नलिखित के अनुरोध पर जारी किये जाते हैं:
 - 💠 एक सदस्य देश का इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो
 - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरणों तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अनुरोध पर उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध, विशेष रूप से नरसंहार, युद्ध अपराध एवं मानवता के विरुद्ध अपराध करने के लिये वांछित व्यक्तियों की खोज करना।
 - संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को लागू करने के संबंध में।

नोटिस के प्रकार:



इंटरपोल नोटिस

- क नाम: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization-ICPO: INTERPOL)
- स्थापनाः वर्ष 1923
- सदस्य राज्यः 195
- भारत वर्ष 1956 से इसका सदस्य है।
- यः लियॉन, फ्राँस
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है।

- यह विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की
 - इसके पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं।

- क्ष (इंटरपोल का प्रमुख)- 4 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- चिव (दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है) 5 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- तस्करी आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित है।
- स्भाः सर्वोच्च शासी निकाय (वर्ष में एक बार बैठक)।
- भारत ने वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी की।

इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

रपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB)

- NCB, इंटरपोल के लिये नामित संपर्क बिंदु होते हैं।
- भारत का इंटरपोल NCB केंद्रीय अन्वेषण जाँच ब्यूरो (CBI)

तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन और 77 देशों के समूह (G77) के सदस्य तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन (South Summit) के लिये कंपाला, युगांडा में एकत्रित हुए।

व्यापार, निवंश, सतत् विकास, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और डिजिटल अर्थव्यवस्था सिंहत अन्य विषयों पर दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के लिये, तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में चीन तथा G77 के 134 सदस्यों को एक साथ लाया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम, "लीविंग नो वन बिहाइंड" थी।

G77 क्या है ?

स्थापनाः

- 15 जून 1964 को 77 देशों का समूह (G-77) तब अस्तित्व में आया जब इन देशों ने जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) के पहले सत्र के दौरान एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये।
 - □ G77 समूह में चीन को छोड़कर 134 सदस्य हैं क्योंकि चीनी सरकार खुद को सदस्य नहीं मानती है, बिल्क एक भागीदार मानती है जो समूह को राजनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालाँकि समूह (G 77) चीन को अपना सदस्य बताता है।

⊃ उद्देश्य:

- G77 विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसे विकासशील देशों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी क्षमता में सुधार करने के लिये बनाया गया था।

🗅 संरचनाः

- एक अध्यक्ष, जो इसके प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, प्रत्येक चैप्टर में समूह की कार्रवाई का समन्वय करता है।
- इसकी अध्यक्षता, जो समूह 77 की संगठनात्मक संरचना के भीतर सर्वोच्च राजनीतिक निकाय है, क्षेत्रीय आधार पर (अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के बीच) घूमती (rotate) है और चैप्टर द्वारा एक वर्ष के लिये आयोजित की जाती है।

- चैप्टर, जो क्षेत्रीय प्रभागों को संदर्भित करते हैं, वर्तमान में, युगांडा अध्यक्ष है, प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है और अफ्रीकी सम्मलेन के भीतर सदस्य देशों की ओर से जी77 के कार्यों का समन्वय करता है।
- प्रतित्र में चैप्टर विभिन्न स्थानों पर समूह के कार्यालय हैं जहाँ वे अपनी गितविधियों का समन्वय करते हैं और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- प्रतितृत के चैप्टर जिनेवा (UN), रोम (FAO), वियना (UNIDO), पेरिस (यूनेस्को), नैरोबी (UNEP) और 24 के समूह में वाशिंगटन, DC (IMF और विश्व बैंक) में हैं।
- चर्ष 2024 के लिये युगांडा गणराज्य के पास G77 की अध्यक्षता है।

🗅 दक्षिण शिखर सम्मेलन:

- दक्षिण शिखर सम्मेलन 77 के समृह का सर्वोच्च निर्णय लेने
 वाला निकाय है।
 - पहला और दूसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन क्रमश: वर्ष 2000 में हवाना, क्यूबा में और वर्ष 2005 में दोहा, कतर में आयोजित किया गया था।



तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन के आउटकम डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

🗅 🛮 इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वानः

सदस्य देशों ने इस तथ्य पर बल दिया गया कि "शांति के बिना सतत् विकास असंभव हैं तथा सतत् विकास के बिना शांति स्थापना असंभव हैं" एवं "इज्ञरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के न्यायसंगत व शांतिपूर्ण समाधान" का आह्वान किया।

🔾 विभिन्न एजेंडा का सार्वभौमिक कार्यान्वयन:

आउटकम डॉक्यूमेंट ने सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा,
 अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (AAAA), जलवायु परिवर्तन

पर पेरिस समझौता, न्यू अर्बन एजेंडा (NUA) तथा आपदा के जोखिम में कमी (DRR) के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction- DRR) सिहत विभिन्न वैश्विक एजेंडा को लागू करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

निर्धनता उन्मूलनः

- सदस्य देशों ने गरीबी उन्मूलन को सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती तथा सतत विकास के लिये एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रदर्शित कर इसकी दिशा में प्रगति करने पर बल दिया।
- कार्यान्वयन हेत् पर्याप्त साधनों के महत्त्व पर जोर देते हए नेताओं ने विकसित देशों से विकास के लिये एक सुदृढ़ तथा विस्तारित वैश्विक साझेदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नए चरण के लिये प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया।

बहुपक्षीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनानाः

- शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार हेत् संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly-UNGA) और आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic Social Counciland ECOSOC) की भूमिका को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली विकासशील देशों के लिये वैश्विक सुरक्षा तंत्र प्रदान करने में विफल रही। व्यापक सुधार प्रस्तावित किये गए जिनमें वार्षिक रूप से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का SDG प्रोत्साहन. MDB का पर्याप्त वित्तपोषण तथा जरूरतमंद देशों के लिये आकस्मिक वित्तपोषण के विस्तार की सुविधा शामिल है।
- जलवायु वित्त में सार्थक योगदान के लिये आह्वान किया गया, जिसमें प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आबंटन तथा वर्ष 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करना, वर्ष 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP 29) में एक नए महत्त्वाकांक्षी वित्त लक्ष्य को प्रोत्साहित करना शामिल है।

वित्त पोषण संबंधी आवश्यकताएँ और ऋण समाधान:

सदस्य देशों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों (Multilateral Development Banks- MDB) से रियायती वित्त तथा अनुदान के माध्यम से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों सहित सभी विकासशील देशों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने का आग्रह किया।

♦ नेताओं ने जलवायु तथा प्रकृति के लिये स्वैप सहित सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDG) के लिये ऋण स्वैप (Debt Swap) को बढ़ाने का आह्वान किया।

समावेशन और समानता हेतु तत्काल सुधार:

शिखर सम्मेलन में नेताओं ने समावेशन तथा समानता पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र की आवश्यकता पर बल देते हए ग्लोबल साउथ के महत्त्व को पहचानने एवं उसका लाभ उठाने के लिये बहुपक्षीय संगठनों में तत्काल सुधार का आह्वान किया।

ग्लोबल साउथ क्या है?

परिचय:

- ग्लोबल साउथ, जिसे अमूमन पूर्णत: भौगोलिक अवधारणा के रूप में गलत समझा जाता है, भू-राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा विकासात्मक कारकों पर आधारित विविध देशों को संदर्भित करता है।
 - 🗷 हालाँकि यह मात्र अवस्थिति द्वारा परिभाषित नहीं है, यह मुख्य तौर पर विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता है।
 - <mark>ग्लो</mark>बल साउथ में शामिल कई देश उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित हैं, जैसे- भारत, चीन तथा अफ्रीका के अर्द्ध उत्तरी हिस्से में स्थित सभी देश।
- हालाँकि ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित हैं किंत ये ग्लोबल साउथ में शामिल नहीं हैं।

ऐतिहासिक संदर्भः

- 💠 ब्रांट लाइन: यह रेखा वर्ष 1980 के दशक में पूर्व जर्मन चांसलर विली ब्रांट द्वारा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर उत्तर-दक्षिण विभाजन के दृश्य चित्रण के रूप में प्रस्तावित की गई थी।
 - यह रेखा वैश्विक आर्थिक विभाजन का प्रतीक है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को छोड़कर, अफ्रीका, मध्य पूर्व, भारत तथा चीन के कुछ हिस्सों को कवर करते हए महाद्वीपों में ज़िगजैग बनाती हुई अर्थात् टेढ़ी-मेढ़ी रेखा बनाती हुई गुज़रती है।



कार्बन मुक्त विद्युत उत्पादन के प्रति G7 की प्रतिबद्धता

चर्चा में क्यों ?

सात देशों के समूह (Group of Seven- G7) के जलवायु और ऊर्जा मंत्रियों तथा दुतों ने वर्ष 2035 तक कार्बन मुक्त विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने एवं कोयले की चरणबद्ध समाप्ति/ फेज-आउट की दिशा में तेज़ी लाने हेत् प्रतिबद्धता जताई है। मई 2023 में हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से पहले यह समझौता साप्पोरो. जापान में किया गया था।

- G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में भारत को शिखर सम्मेलन में 'अतिथि' के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। प्रमुख बिंदु
- मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए इस समझौते में वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse Gas- GHG) उत्सर्जन हेतु स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में तेज़ी लाने का आह्वान किया गया है।
 - ♦ G7 देशों ने वर्ष 2030 तक GHG उत्सर्जन को लगभग 43% और वर्ष 2035 तक 60% कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।
- IPCC की AR6 रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने की आवश्यकता को इंगित किया गया है, प्रतिभागी देशों ने अपतटीय प्लेटफॉर्मों से 1.000 गीगावाट सौर ऊर्जा और 150 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिये सौर एवं पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में तेज़ी लाने पर सहमति व्यक्त की।
- इसमें पुष्टि की गई है कि जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साथ असंगत है और वे वर्ष 2025 तक अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- वे प्रमुख मुद्दे जिन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई:
 - 💠 अन्य देशों को उनके ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में मदद करने के लिये और अधिक सहायता दिये जाने के संबंध में।
 - □ UNFCCC COP 27 में प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की प्रतिबद्धता जताई गई थी. परंतु विकसित देशों द्वारा किये जाने वाले वित्तीय योगदान में कमी आई है।

ब्रिटेन और कनाडा द्वारा वर्ष 2030 तक कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव।

G7:

परिचय:

- ♦ सात देशों का समृह (G7) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें सात प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ- कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं।
- ♦ G7, मूल रूप से G8 (जब इसमें शामिल होने के लिये रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था), को वर्ष 1975 में विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्वकर्त्ताओं के एक अनौपचारिक मंच के रूप में स्थापित किया गया था।

उद्देश्य:

- ♦ G7 का प्राथमिक उद्देश्य इसके सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और स्थिरता को बढावा देना है।
- यह व्यापार, आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित पारस्परिक चिंतनीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- जलवायु परिवर्तन, गरीबी में कमी लाना और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देता है।

बैठकें:

- G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है जिसमें सदस्य देश विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान करने के लिये एकत्रित होते हैं।
 - 🗷 इस शिखर सम्मेलन का आयोजन क्रमिक रूप से इसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।

महत्त्व:

- ♦ आर्थिक शक्तियाँ: G7 देश विश्व की कुछ सबसे बड़ी और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो दुनिया की 40 प्रतिशत आर्थिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्त्व करती हैं।
 - 🗷 ये वैश्विक व्यापार नीतियों और विनियमों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव के साथ विश्व के अग्रणी व्यापारिक राष्ट्रों में भी शामिल हैं।
- ♦ वैश्विक शासन: G7 वैश्विक शासन की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, जिसका संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव है।
 - 🗷 इसकी नीतियों और निर्णयों का वैश्विक आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड सकता है।


आलोचनाएँ:

- ♦ G7, जिसमें विश्व की कुछ सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग एक-चौथाई हिस्से के लिये जिम्मेदार है।
 - प्र यह आश्चर्यचिकत कर देने वाला आँकडा है जो जलवाय परिवर्तन के कार्यक्रम चलाने में इन देशों की महत्त्वपूर्ण भमिका को रेखांकित करता है।
- G7 को विश्व की आबादी का विशिष्ट और अप्रतिनिधि होने के कारण आलोचना का सामना करना पडा है, क्योंकि यह वैश्विक आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्त्व करता है एवं भारत तथा चीन जैसे देश इससे बाहर हैं, जो कि प्रमुख आर्थिक शक्तियाँ हैं।
- ♦ आलोचकों ने यह भी तर्क दिया है कि हाल के वर्षों में G7 के प्रभाव में कमी आई है क्योंकि उभरती अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई हैं।

कार्बन मुक्त विद्युत के संबंध में भारत की पहल:

- प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (सौभाग्य): विश्वसनीय और सस्ती बिजली तक पहुँच के माध्यम से ग्रामीण और शहरी परिवारों को सशक्त बनाना।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC): भारत के राष्ट्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा को सिंक्रोनाइज करना।
- नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) और स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम (SMNP): भारत के विद्युत क्षेत्र को सुरक्षित, अनुकली, टिकाऊ व डिजिटल रूप से सक्षम आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT): ऊर्जा प्रभावशीलता में सुधार करना और उन औद्योगिक क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करना जिन्हें विनियमित करना मुश्किल है।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs): अद्यतन NDC के अनुसार, भारत अब वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।

UN हाई सी ट्रीटी




संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ-FAO, UNIDO तथा ICAO




बिम्सटेक (BIMSTEC)



सार्क



संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ- (भाग III - ILO, WHO and ITU)



संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ (भाग IV - WIPO, WMO and IMO)

युक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ

UNSAs संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने वाले 15 स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं

भाग IV WIPO. **WMO** और **IMO**



- स्थापना- 1967 (1974 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ) मुख्यालय- जिनेवा, स्विट्जरलैंड
 - विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल
- - » रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करना, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा (IP) के संरक्षण को बढावा देना
 - » अंतर्राष्ट्रीय IP नियमों के प्रारूप को बनाए रखना
- 🛊 सदस्य- 193 (भारत 1975 में शामिल हुआ)

- 🕴 WIPO संधियाँ ∕ अभिसमय जिन्हें भारत ने अनुसमर्थित ⁄स्वीकार किया है -
 - » औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये पेरिस अभिसमय
 - » विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हेतु अभिसमय
 - » साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु <mark>बर्न अभिसमय</mark>
 - » पेटेंट सहयोग संधि
 - » एकीकृत सर्किट के संबंध में बौद्धिक संपदा पर संधि
 - » ओलंपिक प्रतीक के संरक्षण पर नैरोबी संधि
- 부 प्रकाशन- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स

WMO

- 🛓 स्थापना- 1873 (अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से उत्पत्ति हुई- वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस)
 - » WMO अभिसमय 1950 द्वारा UNSA बन गया

WMO मौसम विज्ञान, परिचालन जल विज्ञान और भूभौतिकीय विज्ञान के लिये UNSA है

🖕 मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड

- » सदस्य राज्यों में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान/जल विज्ञान सेवाओं से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना
- » टिड्डियों के झुंड, प्रदूषकों के वाहकों (परमाणु, विषाक्त पदार्थ, ज्वालामुखीय राख) से संबंधित भविष्यवाणियाँ
- सदस्य- 193 (भारत सहित)

विश्व मौसम विज्ञान दिवस - 23 मार्च

IMO 🐠

- स्थापना . 1948 (जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पर अभिसमय)
- मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम
 - - अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग संबंधी सुरक्षा में सुधार।
 - अजहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकना।
 - » कानुनी मामलों में भी शामिल (देयता, मुआवज़े संबंधी मुद्दे)

- सदस्य राज्य- 174 (भारत 1959 में शामिल हुआ)
- महत्वपूर्ण संधियाँ जिन्हें भारत ने अनुसमर्थित किया है:
 - » MARPOL (1973) और इसके प्रोटोकॉल
 - жसमुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (SOLAS, 1974)

IMO ने भारत को उन 10 राज्यों में सूचीबद्ध किया है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि है।



वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023



वियना अभिसमय

खालिस्तान समर्थकों द्वारा लंदन स्थित उच्चायोग में भारतीय ध्वज को उतारने के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन के "विरिष्ठतम" राजनियक, उप-उच्चायुक्त को तलब किया और उन्हें वियना अभिसमय के तहत यूनाइटेड किंगडम की सरकार को बुनियादी दायित्वों की याद दिलाई।

राजनियक संबंधों पर वियना अभिसमय

- 14 अप्रैल, 1961 को वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित राजनियक समागम और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अभिसमय को स्वीकृत किया गया था। भारत ने अभिसमय की पृष्टि कर दी है।
- यह 24 अप्रैल, 1964 को लागू हुआ और लगभग सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित है, लेकिन पलाऊ और दक्षिण सूडान इसके अपवाद हैं।
- यह विशेष नियम विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा निर्धारित करता है, जो राजनियक मिशनों को स्थानीय कानूनों के प्रवर्तन के माध्यम से जबरदस्ती या उत्पीड़न के भय के बिना कार्य करने और उन्हें भेजने वाली सरकारों के साथ सुरक्षित रूप से संवाद करने में सक्षम बनाता है।
- यह किसी अभियान की वापसी के संदर्भ में प्रावधान करता है, जो आर्थिक या भौतिक सुरक्षा के आधार पर हो सकता है, यह राजनियक संबंधों के उल्लंघन के संदर्भ में जो प्रतिरक्षा के दुरुपयोग या राज्यों के मध्य संबंधों में गंभीर गिरावट के प्रत्युत्तर में हो सकता है।
 - "रिसीविंग राज्य" उस मेजबान देश को संदर्भित करता है जहाँ राजनियक मिशन स्थित है।
- इनमें से किसी भी मामले में या जहाँ स्थायी मिशन स्थापित नहीं किये गए हैं, प्रत्येक भेजने वाले राज्य के हितों के लिये एक रूपरेखा प्रदान की जाती है ताकि किसी तीसरे राज्य से प्राप्तकर्त्ता राज्य को संरक्षित किया जा सके।
- यह एक राजनियक मिशन की "अनुल्लंघनीयता" की अवधारणा की पुष्टि करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की स्थायी आधारशिलाओं में से एक रहा है।
- मूल रूप से किसी भी उच्चायोग या दूतावास की सुरक्षा मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है। अत: मेजबान देश सुरक्षा हेतु जवाबदेह होता है। हालाँकि राजनियक मिशन भी अपनी स्वयं की सुरक्षा को नियोजित कर सकते हैं।
 - उच्चायोग और दूतावास के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे कहाँ स्थित हैं। राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों को उच्चायोग द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जबिक शेष विश्व को दूतावास द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

भारत आर्टेमिस समझौते में शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की।

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडिमिनिस्ट्रेशन (NASA) और भारतीय अंतिरक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ह्यूस्टन, टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर से प्रशिक्षित भारतीय अंतिरक्ष यात्रियों को वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतिरक्ष स्टेशन (ISS) में भेजने के लिये एक साथ कार्य करेंगे।

आर्टेमिस समझौताः

⊃ परिचय:

- आर्टेमिस समझौता अमेरिकी विदेश विभाग और NASA द्वारा सात अन्य संस्थापक सदस्यों- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ वर्ष 2020 में नागरिक अन्वेषण को नियंत्रित करने तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह तथा बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिये सामान्य सिद्धांत स्थापित किये गए हैं।
- 💠 यह वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की नींव पर आधारित है।
 - बाह्य अंतिरक्ष संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतिरक्ष कानून की नींव के रूप में कार्य करती है जो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है।
 - यह संधि अंतिरक्ष को मानवता के लिये साझा संसाधन के रूप में महत्त्व देती है, राष्ट्रीय विनियोग पर रोक लगाती है और अंतिरक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

हस्ताक्षरकर्ता देश:



भारत गैर-बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला
 27वाँ देश बन गया।

समझौते के तहत प्रतिबद्धताएँ:

- शांतिपूर्ण उद्देश्यः हस्ताक्षरकर्ता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये अंतरिक्ष गतिविधियों का संचालन करने हेतु सरकारों या एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) को लागू करेंगे।
- सामान्य अवसंरचना: हस्ताक्षरकर्ता वैज्ञानिक खोज और वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिये साझा अन्वेषण बुनियादी ढाँचे के महत्त्व को स्वीकार करते हैं।
- पंजीकरण और डेटा साझाकरण: प्रासंगिक अंतिरक्ष वस्तुओं का पंजीकरण और वैज्ञानिक डेटा को समय पर साझा करना। जब तक हस्ताक्षरकर्ता की ओर से कार्य नहीं किया जाता तब तक निजी क्षेत्रों को छूट है।
- धरोहर का संरक्षण: हस्ताक्षरकर्ताओं से ऐतिहासिक लैंडिंग स्थलों, कलाकृतियों और खगोलीय पिंडों पर गतिविधि के साक्ष्य को संरक्षित करने की उम्मीद की जाती है।
- अंतिरक्ष संसाधनों का उपयोग: अंतिरक्ष संसाधनों के उपयोग से सुरक्षित और स्थायी अंतर्संचलानीयता को बढ़ावा और अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं की गितिविधियों में हस्तक्षेप न करना। हस्तक्षेप को रोकने के लिये स्थान और प्रकृति के विषय में जानकारी साझा की जानी चाहिये।
- मलबे का शमन: हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा पुराने अंतरिक्ष यान के सुरक्षित निपटान और हानिकारक मलबे के उत्पादन को सीमित करने की योजना बनाना।

आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य मिशन:

⇒ आर्टेमिस-I: चंद्रमा पर मानवरिहत मिशन:

- आर्टेमिस कार्यक्रम 16 नवंबर, 2022 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) पर "ओरियन" नामक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ प्रारंभ हुआ।
- SLS, एक सुपर हेवी-लिफ्ट लॉन्च वाहन, ओरियन को एक ही मिशन पर सीधे चंद्रमा पर ले गया।

ञार्टेमिस-II: क्रू लूनर फ्लाई-बाई मिशन:

- वर्ष 2024 के लिये निर्धारित आर्टेमिस-II, आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत पहला मानवयुक्त मिशन होगा।
- SLS में चार अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे क्योंिक यह पृथ्वी के चारों ओर विस्तारित कक्षा में कई गतिविधियाँ करता है।
 - मिशन में चंद्र उड़ान तथा पृथ्वी पर वापसी भी शामिल होगी।

आर्टेमिस-III: चंद्रमा पर मानव की वापसी:

- वर्ष 2025 के लिये निर्धारित आर्टेमिस-III मानव अंतिरक्ष अन्वेषण में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा क्योंकि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर लौटेंगे।
- यह मिशन आर्टेमिस-II के चंद्र फ्लाई-बाई से आगे जाएगा, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ चंद्रमा का अधिक व्यापक रूप से अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त होगी।
- साथ ही वर्ष 2029 के लिये लूनर गेटवे स्टेशन की स्थापना की योजना बनाई गई है। यह स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिये डॉकिंग पॉइंट के रूप में काम करेगा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ प्रयोगों की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत, अमेरिका, UAE और सऊदी अरब बुनियादी ढाँचा पहल पर चर्चा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) की एक विशेष बैठक की मेजबानी की।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- चर्चा का उद्देश्य देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करना है तािक क्षेत्र के विकास और स्थिरता में वृद्धि हो।
- 🔾 यह बैठक बुनियादी ढाँचे को लेकर क्षेत्रीय पहल पर केंद्रित थी।
- बैठक में भारत और दुनिया से जुड़ाव के साथ एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध मध्य-पूर्व क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की मांग की गई।
- परियोजनाओं पर चर्चा के दौरान खाड़ी देशों को रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने और क्षेत्र को "दो बंदरगाहों" से शिपिंग लेन द्वारा भारत से जोड़ने की योजना पर प्रकाश डाला गया है।
 - यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल तथा क्षेत्र में अन्य अतिक्रमणों
 के खिलाफ स्थिरता प्रदान करने के लिये आवश्यक है।
- इस पहल का विचार I2U2 द्वारा पिछले 18 महीनों में आयोजित वार्ता के दौरान सामने आया।
 - I2U2 क्वाड, "दक्षिण एशिया को मध्य-पूर्व से संयुक्त राज्य अमेरिका तक जोड़ने का काम करता है जो आर्थिक प्रौद्योगिकी और कूटनीति को बढ़ावा देता है"।

I2U2 क्वाड:

⊃ परिचय:

- I2U2 भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है।
- इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है।

⊃ उद्देश्य:

- यह मध्य-पूर्व और एशिया में आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है।
- इस ढाँचे का उद्देश्य अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा हेतु समर्थन एवं सहयोग को बढ़ावा देना है।

⊃ I2U2 का गठन:

- I2U2 की शुरुआत अब्राहम समझौते के बाद अक्तूबर 2021 में हुई थी।
 - अब्राहम समझौते ने इजरायल और कई अरब खाड़ी देशों
 के बीच संबंधों को सामान्य किया है।

⊃ I2U2 का पहला शिखर सम्मेलनः

- I2U2 का पहला आभासी शिखर सम्मेलन 14 जुलाई, 2022 को हुआ।
- यह शिखर सम्मेलन यूक्रेन में संघर्ष के परिणामस्वरूप वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट पर केंद्रित था।

अरब लीग

चर्चा में क्यों?

एक दशक से अधिक के निलंबन के बाद हाल ही में अरब लीग ने सीरिया को फिर से संगठन में शामिल कर लिया है।

सीरिया को अरब लीग में क्यों शामिल किया गया है ?

⊃ निलंबन:

- सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद वर्ष 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था।
- अरब लीग ने सीरिया पर शांति योजना का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, जिसमें सैन्य बलों की वापसी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और विपक्षी समूहों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान किया गया था।
- शांति वार्ता और युद्धविराम समझौते के प्रयासों के बावजूद, हिंसा जारी रही, जिसके चलते अंतत: सीरिया को संगठन से निलंबित कर दिया गया।

 इस निलंबन से सीरिया को आर्थिक एवं कूटनीतिक परिणामों को सामना करना पडा।

🗅 पुन: शामिल किया जाना:

- यह कदम सीरिया तथा अन्य अरब देशों की सरकारों के बीच संबंधों में नरमी का प्रतीक है और इसे सीरिया में जारी संकट के समाधान हेतु एक क्रमिक प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
 - सीरिया संकट के परिणामस्वरूप 21 मिलियन की युद्ध-पूर्व आबादी के लगभग आधे हिस्से का विस्थापन हुआ है और 300,000 से अधिक नागरिकों की मृत्यु हुई है।
- सीरिया को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिये एक सिमिति की स्थापना की जाएगी जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन और इराक शामिल होंगे।
 - लेकिन इस निर्णय का मतलब अरब राज्यों और सीरिया के बीच संबंधों की बहाली नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक देश पर निर्भर करता है कि वह इसे व्यक्तिगत रूप से तय करे।
- यह सीरिया में जारी गृहयुद्ध से उत्पन्न संकट के समाधान का आह्वान करता है, जिसमें शरणार्थियों के पड़ोसी देशों में प्रवास करने और पुरे क्षेत्र में नशीली द्वाओं की तस्करी शामिल है।

अरब लीग क्या है ?

⊃ परिचयः

- अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स (LAS) भी कहा जाता है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर-सरकारी समग्र-अरब संगठन (pan-Arab organisation) है।
- वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च, 1945 को काहिरा, मिस्र में इसका गठन किया गया था।

⊃ सदस्यः

वर्तमान में इसमें 22 अरब देश शामिल हैं: अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।

⊃ उद्देश्य:

इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करना तथा उन्हें समन्वयित करना और उनके बीच या उनके एवं तीसरे पक्ष के बीच विवादों की मध्यस्थता करना है। 13 अप्रैल, 1950 को संयुक्त रक्षा और आर्थिक सहयोग संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर ने भी सभी हस्ताक्षरकर्त्ताओं को सैन्य रक्षा उपायों के समन्वय के लिते प्रतिबद्ध किया।

⊃ चिंताएँ:

- अरब लीग की उन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में असमर्थता के चलते आलोचना की गई है जिन्हें संभालने के लिये इसका गठन किया गया था। इस संस्थान तथा इसके उद्देश्य वाक्य "एक अरब राष्ट्र एक शाश्वत मिशन के साथ" (one Arab nation with an eternal mission) जिसे अब अप्रचलित माना जा रहा है, की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
 - इससे ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहाँ नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को स्थिगित या रद्द कर दिया गया है।
- निर्णयों को लागू करने और अपने सदस्यों के बीच संघर्षों का समाधान करने में प्रभावशीलता की कमी के चलते लीग की आलोचना भी की गई है। इस पर एकजुटता भंग करने, खराब प्रशासन और अरब लोगों एक बजाय निरंकुश शासन का अधिक प्रतिनिधि होने का आरोप भी लगाया गया है।

भारत के लिये मध्य पूर्व/उत्तरी अफ्रीका (MENA) का महत्त्व

⊃ मध्य पूर्वः

- ईरान जैसे देशों के साथ सिदयों से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, जबिक छोटा सा गैस समृद्ध देश कतर इस क्षेत्र में भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है।
- 💠 खाड़ी के अधिकांश देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं।
- इन संबंधों के दो सबसे महत्त्वपूर्ण कारण तेल एवं गैस तथा
 व्यापार हैं।
- दो अन्य कारण खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की भारी संख्या और उनके द्वारा देश में भेजे जाने वाले प्रेषण हैं।

उत्तरी अफ्रीकाः

मोरक्को और अल्जीरिया जैसे उत्तर अफ्रीकी देश भारत के लिये महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अफ्रीका के अन्य हिस्सों हेतु प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं। भारत की फ्रैंकोफोन अफ्रीका (फ्रेंच भाषी अफ्रीकी राष्ट्र) में प्रवेश की इच्छा को देखते हुए यह क्षेत्र भारत के लिये अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

- स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के रूप में अपनी क्षमता के कारण उत्तरी अफ्रीका भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में सौर एवं पवन संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जा सकता है।
 - भारत ने महत्त्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किये हैं और उत्तरी अफ्रीका भारत को अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पुरा करने का अवसर प्रदान कर सकता है।
- इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका की रणनीतिक अवस्थिति इसे
 व्यापार एवं वाणिज्य के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है।
- उत्तरी अफ्रीका स्वेज नहर के माध्यम से होने वाले वैश्विक व्यापार के परस्पर प्रतिच्छेद मार्ग पर है। वर्ष 2022 में 22000 से अधिक जहाज पारगमन के साथ, यह नहर विश्व के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट

2023

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (US Commission on International Religious Freedom- USCIRF) की 2023 रिपोर्ट की सिफारिशों को पक्षपाती और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है।

USCIRF

- USCIRF एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है, जो विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा के लिये समर्पित है।
- ⊃ यह अमेरिकी प्रशासन के लिये एक सलाहकार निकाय है।
- USCIRF's की वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अमेरिकी सरकार के प्रचार को बढ़ाने के लिये सिफारिशें प्रदान करती है।
- 🗅 इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA), 1998 की निष्क्रियता के बाद अमेरिकी सरकार द्वारा स्थापित USCIRF की सिफारिशें राज्य विभाग पर गैर-बाध्यकारी हैं।
 - परंपरागत रूप से भारत USCIRF के दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता है।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- वर्ष 2022 में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थित के आधार पर USCIRF वर्ष 2023 के लिये अनुशंसा करता है कि राज्य विभाग:
 - CPC के रूप में पुनः नामितः बर्मा, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान।
 - अतिरिक्त सीपीसी के रूप में नामित: अफगानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम।
 - विशेष निगरानी सूची (SWL) पर बनाए रखना: अल्जीरिया
 और मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर)।
 - SWL में शामिल करना: अज्ञरबैजान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, कजाखस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, तुर्की और उज्बेकिस्तान।
 - ♦ विशेष चिंता (EPCs) की संस्थाओं के रूप में नया स्वरूप: अल-शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल-शाम (HTS), हौथिस, इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा (ISGS), इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISIS-पश्चिम अफ्रीका के रूप में संदर्भित ISWAP भी) और जमात नस्र अल-इस्लाम वाल मुस्लिमिन (JNIM)।

विभिन्न श्रेणियों में देशों के पदनाम के लिये मानदंड:

- CPCs: जब देशों की सरकार IRFA 1998 के तहत धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के "व्यवस्थित, अविरत और गंभीर उल्लंघन" में शामिल होती है या सहन करती है।
- SWL: यह धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के प्रति सरकारों के अपराध या सहनशीलता पर आधारित है।
- ⊃ EPC: व्यवस्थित, गतिमान एवं गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन हेतु।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति:

- भारत में धार्मिक स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-28
 द्वारा सुनिश्चित एक मौलिक अधिकार है।
- अनुच्छेद 25 (अंत:करण की स्वतंत्रता और आचरण का अधिकार,
 अभ्यास और धर्म का प्रचार करने का अधिकार)।
- 🔾 अनुच्छेद २६ (धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)।
- अनुच्छेद 27 (धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय से स्वतंत्रता)।
- अनुच्छेद 28 (धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता)।
- इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित हैं।

WTO को कृषि सब्सिडी पर पुनः विचार करने की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

भारत के वित्त मंत्री ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) से कृषि सिब्सडी के मुद्दे पर पुन: विचार करने का आग्रह किया है क्योंकि यह कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रभावित कर रही है।

वित्त मंत्री ने एशियाई विकास बैंक (ADB) के गवर्नर्स द्वारा आयोजित संगोष्ठी 'एशिया को समर्थन देने वाली नीतियाँ' विषय पर यह बात कही।

नोट:

- एशियाई विकास बैंक (ADB) के गवर्नर्स की संगोष्ठी एक वार्षिक कार्यक्रम है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये ADB के सदस्य देशों के सभी गवर्नर, प्रमुख नीति निर्माता, विकास विशेषज्ञ आदि को एक साथ लाती है।
 - इसका मुख्यालय मनीला (फिलीपींस) में स्थित है। ADB एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।
- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ADB का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है
 जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से एक प्रतिनिधि शामिल होता है।

WTO के तहत सब्सिडी

- 🔾 एम्बर बॉक्स:
 - एम्बर बॉक्स सिंक्सडी वह है जो अन्य देशों की तुलना में किसी देश के उत्पादों को सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है।
 - प्र उदाहरण: खाद, बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसे इनपुट के लिये सब्सिडी।
 - विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, कृषि के एम्बर बॉक्स का उपयोग उन सभी घरेलू समर्थन उपायों के लिये किया जाता है जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले माने जाते हैं।
 - परिणामस्वरूप व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स में आने वाले व्यापार-विकृत घरेलू समर्थन को कम करने के लिये प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होती है।
 - सदस्य जो इन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपने उत्पादन मूल्य के 5-10% के अंदर अपना एम्बर बॉक्स समर्थन रखना चाहिये। (डि मिनिमस क्लॉज)

- विकासशील देशों के लिये 10%
- विकसित देशों के लिये 5%

ञ्र ब्लू बॉक्सः

- यह "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स" है जो विकृति को कम करने
 के लिये डिजाइन की गई स्थितियाँ हैं।
- कोई भी समर्थन जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स में मौजूद होता है, उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है, यद्यपि इसके लिये किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है।
 - प्र इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन सीमा निर्धारित कर अथवा किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा आरिक्षत करने के लिये बाध्य कर उत्पादन को सीमित करना है।
- वर्तमान में ब्लू बॉक्स सिब्सडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है।

🗅 ग्रीन बॉक्स:

- घरेलू सहायता के वे उपाय जो व्यापार को न के बराबर अथवा न्यूनतम रूप से बाधित करते हैं, उन्हें ग्रीन बॉक्स कहा जाता है।
- ग्रीन बॉक्स सिंक्सिडी के लिये सरकारी वित्त का उपयोग किया जाता है; फसलों हेतु कोई मूल्य समर्थन नहीं होता है।
 - इनमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं।
- इसलिये "ग्रीन बॉक्स" सब्सिडी की अनुमित बिना किसी सीमा
 के दी जाती है (कुछ पिरिस्थितियों को छोडकर)।

सब्सिडी मानदंडों पर फिर से विचार करने के प्रमुख कारण:

ग्लोबल साउथ के लिये असमान अवसर:

- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से कृषि वस्तुओं के निर्यात के संबंध में सामान्य तौर पर एक शिकायत रही है कि वैश्विक दक्षिण/ग्लोबल साउथ और उभरते बाजारों के दृष्टिकोण को व्यापार चर्चाओं में विकसित देशों के समान महत्त्व नहीं दिया गया है।
- 'ग्लोबल साउथ' व्यापक रूप से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को संदर्भित करता है।
- खाद्य सिंक्सिडी सीमा के मुद्दे: विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों का खाद्य सिंक्सिडी बिल वर्ष 1986-88 के संदर्भ मूल्य के आधार पर उत्पादन मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये, यह सीमा निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमों के तहत अपनाए गए संदर्भ मूल्य के लिये एक समस्या है।

- विकासशील देशों में कृषि और गरीब किसानों के लिये सब्सिडी की गणना नहीं की जाती थी तथा विश्व व्यापार संगठन द्वारा सब्सिडी पर रोक लगा दी जाती थी।
- व्यापार समझौतों की असंतुलित प्रकृति के कारण विकासशील
 देशों की तुलना में विकसित देशों में खाद्य सुरक्षा दृढ़ है।
- बढ़ती खाद्य असुरक्षा: कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य सुरक्षा के लिये उत्पन्न चुनौतियों की वजह से सब्सिडी मानदंडों पर फिर से विचार करना आवश्यक हो गया है क्योंकि खाद्य और उर्वरक सुरक्षा अब अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है।
- भारत की मांग: स्थायी समाधान के तहत भारत ने खाद्य सिंक्सडी सीमा की गणना के फार्मूले में संशोधन और वर्ष 2013 के बाद लागू कार्यक्रमों को 'पीस क्लॉज' के दायरे में शामिल करने की मांग की है।

विश्व व्यापार संगठन का शांति समझौताः

- एक अंतरिम उपाय के रूप में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने दिसंबर 2013 में 'पीस क्लॉज/शांति समझौता' नामक एक तंत्र पर सहमित जताई और स्थायी समाधान के लिये बातचीत करने का संकल्प लिया।
- शांति उपबंध के तहत विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान फोरम में विकासशील राष्ट्रों द्वारा निर्धारित सीमा में किसी भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचने पर सहमति व्यक्त की।
- यह उपबंध तब तक बना रहेगा जब तक कि खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं हो जाता।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना हेतु भारत की प्रतिबद्धता

चर्चा में क्यों ?

भारतीय सेना ने 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के 75वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

- इस दिन का महत्त्व इसिलये भी है क्योंिक यह वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र के पहले शांति मिशन की वर्षगाँठ का प्रतीक है।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आसियान के साथ सहयोग के रूप में दो पहलों का अनावरण किया जिन्हें विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया की महिला किमयों को प्रशिक्षित करने के लिये डिजाइन किया गया है।

UNPK अभियानों में महिलाओं के लिये भारत-आसियान पहल:

- 'UNPK (United Nations Peacekeeping) अभियानों में महिलाओं के लिये भारत-आसियान पहल', संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के बीच एक सहयोगी प्रयास को संदर्भित करती है।
- यह पहल आसियान सदस्य देशों की उन महिला किर्मयों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है जो शांति सैनिकों के रूप में सेवा करने में रुचि रखती हैं।
- इसके तहत भारत ने दो विशिष्ट पहलों की घोषणा की है:
 - नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग (CUNPK) में विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करना। इस पाठ्यक्रम के तहत आसियान देशों की महिला शांति सैनिकों को शांति अभियानों हेतु लक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
 - इसका उद्देश्य उन्हें UNPK मिशनों में प्रभावी ढंग से योगदान के लिये आवश्यक कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करना है।
 - आसियान की महिला अधिकारियों के लिये टेबल टॉप एक्सरसाइज में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के समक्ष आने वाले विभिन्न परिदृश्यों और चुनौतियों के पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को UNPK संचालन हेतु अपनी समझ तथा तैयारियों को बढाने में मदद मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापनाः

⊃ परिचय:

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियोजित एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है जो देशों को संघर्ष से शांति के मार्ग पर नेविगेट करने में मदद करता है।
- इसमें संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य,
 पुलिस कर्मियों और नागरिकों की तैनाती शामिल है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों की रक्षा तथा स्थिर शासन संरचनाओं की बहाली का समर्थन करना है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संयुक्त प्रयास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सचिवालय, सेना तथा पुलिस एवं मेजबान सरकारों को एक साथ लाता है।

पहला मिशन:

पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन मई 1948 में स्थापित किया गया
 था, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजरायल और उसके

अरब पड़ोसियों के बीच युद्धविराम समझौते की निगरानी के लिये संयुक्त राष्ट्र ट्रूस सुपरविजन आर्गेनाइज्ञेशन (United Nations Truce Supervision Organization- UNTSO) बनाने हेतु मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया था।

🔾 अधिदेश:

- ऑपरेशन/अभियान के आधार पर अधिदेशों में भिन्नता होती हैं, लेकिन उनमें प्राय: निम्नलिखित तत्त्वों में से कुछ या सभी शामिल होते हैं:
 - युद्धविराम, शांति समझौते और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करना।
 - म नागरिकों की रक्षा करना, विशेष रूप से उनकी जिन्हें शारीरिक रूप से क्षित पहुँचने का जोखिम का अधिक हो।
 - प्राजनीतिक संवाद, सुलह और समर्थन एवं चुनाव की सुविधा।
 - कानून का शासन, सुरक्षा संस्थानों का निर्माण और
 मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।
 - मानवीय सहायता प्रदान करना, शरणार्थी पुन: एकीकरण का समर्थन करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना।

) सिद्धांत:

- पक्षों की सहमित:
 - शांति स्थापना कार्यों के लिये संघर्ष में शामिल मुख्य पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है।
- सहमित के बिना एक शांति स्थापना अभियान, संघर्ष का पक्ष बनने और अपनी शांति स्थापना की भूमिका से विचलित होने का जोखिम उठाता है।

निष्पक्षताः

- शांति सैनिकों को संघर्ष के पक्षकारों के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिये।
- निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है; शांति सैनिकों को अपने जनादेश को सिक्रिय रूप से निष्पादित करना चाहिये और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखना चाहिये।
- आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग न करना:
 - शांति अभियानों में बल का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि आत्मरक्षा या उनके जनादेश को बनाए रखने के लिये इसकी आवश्यकता न हो।
 - मुरक्षा परिषद के सभी पक्षकारों की सहमित और अनुमोदन एवं मेजबान देश की सहमित के पश्चात् "मजबूत" शांति व्यवस्था बल के उपयोग की अनुमित दी जाती है।

उपलब्धियाँ:

- वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बाद से इसने कई देशों में संघर्षों को समाप्त करने और सुलह को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - कंबोडिया, अल सल्वाडोर, मोजाम्बिक और नामीबिया जैसे स्थानों में सफल शांति मिशन चलाए गए हैं।
 - इन कार्रवाइयों ने स्थिरता बहाल करने, लोकतांत्रिक शासन में परिवर्तन को सक्षम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सकारात्मक प्रभाव डाला।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदानः

⊃ सेना का योगदानः

- यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग ऑपरेशंस में योगदान देने की भारत की समृद्ध विरासत रही है। यह वैश्विक स्तर पर विभिन्न शांति अभियानों के लिये सैनिकों, चिकित्सा कर्मियों और इंजीनियरों को तैनात करने के साथ सबसे बड़े सैन्य-योगदान करने वाले देशों में से एक है।
 - अब तक के शांति अभियानों में भारत के लगभग 2,75,000 सैनिकों ने योगदान दिया है।

जनहानिः

भारतीय सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा प्रदान करते हुए महत्त्वपूर्ण बलिदान दिये हैं, जिसमें 179 सैनिकों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गॅंबाई है।

प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचाः

- भारतीय सेना ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग (CUNPK) की स्थापना की है।
 - यह केंद्र शांति अभियानों में प्रतिवर्ष 12,000 से अधिक सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही संभावित शांति रक्षकों एवं प्रशिक्षकों के लिये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की मेज्ञबानी करता है।
 - CUNPK सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने एवं शांति रक्षकों की क्षमता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शांति स्थापना में महिलाएँ:

- भारत ने शांति अभियानों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये सिक्रिय कदम उठाए हैं।
 - भारत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन तथा अबेई के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में महिला दल को तैनात किया है, जो लाइबेरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महिला सैनिकों का दल है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट आब्ज्रवर फोर्स में महिला सैन्य पुलिस और विभिन्न मिशनों में महिला अधिकारियों एवं सैन्य पर्यवेक्षकों को भी तैनात किया है।

इज़रायल से इरिट्रियावासियों के निर्वासन पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता

चर्चा में क्यों?

तेल अवीव में इरिट्रिया समुदाय के प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच हिंसक झड़पों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल से इरिट्रिया में शरण चाहने वालों के संभावित बड़े पैमाने पर निर्वासन पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि पुनर्वसन का ऐसा कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा।
 संयुक्त राष्ट्र की चिंता को प्रेरित करना:
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (United Nations Refugee Agency- UNHCR) ने कहा कि वह उन झड़पों के बारे में "अत्यधिक चिंतित" है जो उस समय हुईं जब इरिट्रिया सरकार के एक कार्यक्रम के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया।
 - UNHCR ने शांति का आह्वान किया और इसमें शामिल सभी पक्षों से ऐसे कार्यों से दूर रहने का आग्रह किया जो स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR):

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) का कार्यालय वर्ष 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन लाखों यूरोपीय लोगों की सहायता के लिये बनाया गया था जो भाग गए थे या अपने घर खो चुके थे।
- वर्ष 1954 में UNHCR ने यूरोप में अपने अभूतपूर्व कार्य के लिये नोबेल शांति पुरस्कार जीता। लेकिन हमें अपनी अगली बड़ी आपात स्थिति का सामना करने में ज्यादा समय नहीं लगा।
- वर्ष 1981 में शरणार्थियों के लिये विश्वव्यापी सहायता हेतु इसे दूसरा नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

शरणस्थल और निर्वासन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं नीति:

- 🗅 इरिट्रिया निर्वासन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन:
 - गैर-वापसी का सिद्धांत:
 - गैर-वापसी का सिद्धांत (1951 शरणार्थी सम्मेलन और इसका 1967 प्रोटोकॉल) अंतर्राष्ट्रीय कानून में एवं विशेष रूप से शरणार्थी कानून के संदर्भ में एक अच्छी तरह से स्थापित अवधारणा है।

- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत, गैर-वापसी का सिद्धांत यह गारंटी देता है कि किसी को भी ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिये जहाँ उन्हें यातना, क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक स्थिति या सजा तथा अन्य अपूरणीय क्षित का सामना करना पडेगा।
 - 🗷 इजरायल इन संधियों का एक पक्षकार है और अपने क्षेत्र अथवा प्रभावी नियंत्रण के भीतर शरणार्थियों तथा शरण चाहने वालों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों को पूरा करना उसका दायित्त्व है।
- यदि इजरायल इरिट्रियावासियों को निष्कासित करता है, तो यह गैर-वापसी के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, क्योंकि इरिट्रिया को विश्व के सबसे सत्तावादी राज्यों में से एक माना जाता है, जहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन का परिणाम व्यापक और गंभीर है।
 - अपने मुल देश में वापस लौटे इरिट्रियावासियों को यातना, दुर्व्यवहार, राजनीतिक दमन और यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ सकता है।
- शरण का अधिकार:
 - शरण का अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा द्वारा मान्यता प्राप्त एक मौलिक मानव अधिकार है।
 - शरण के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्य देशों में उत्पीड़न से सुरक्षा पाने का अधिकार है।
 - इरिट्रियावासियों को सामृहिक रूप से निष्कासित करके, इजरायल शरण के अधिकार का उल्लंघन करेगा, क्योंकि ऐसे में उनका इज़रायल या अन्य सुरक्षित देशों में उत्पीड़न से सुरक्षा पाना असंभव हो जाएगा।

नोट:

- भारत, शरणार्थी कन्वेंशन- 1951 और उसके प्रोटोकॉल- 1967 जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं, का पक्षकार नहीं है।
 - इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 21 में गैर-वापसी का अधिकार शामिल है।
- हालाँकि, शरणार्थी और शरण विधेयक, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून:

- परिचय:
 - 💠 वर्ष 1780 में जेरेमी बेंथम द्वारा बनाया गया।
 - यह देशों (राष्ट्रों) के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।

- 💠 इसका उद्देश्य नागरिकों को लाभ पहुँचाना और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है।
- 💠 यह सहयोग और शांतिपूर्ण तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करता है।

लक्ष्य:

- मौलिक मानवीय अधिकारों की रक्षा करना।
- इसका उद्देश्य नागरिकों को लाभ पहुँचाना और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना।
- सहयोग और शांतिपूर्ण तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय:

- व्यक्ति: किसी भी राज्य के आम लोग।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन: उदाहरण संयुक्त राष्ट्र।
- बहराष्ट्रीय कंपनियाँ: कई देशों में कार्य करती हैं।

इरिट्टिया के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- <mark>इरिट्रिया हॉर्न ऑ</mark>फ अफ्रीका में एक देश है, जो लाल सागर के तट पर स्थित है।
- राजधानी: अस्मारा।
- यह इथियोपिया, सूडान और जिब्रूती के साथ स्थल-सीमा साझा
- सऊदी अरब और यमन के साथ यह समुद्री सीमाएँ साझा करता है।
- पूर्व में यह एक इतालवी उपनिवेश था जो वर्ष 1947 में इथियोपिया के साथ एक संघ का हिस्सा बन गया, वर्ष 1952 में इरिट्रिया को इथियोपिया ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वर्ष 1993 में यह स्वतंत्र हुआ।



भारत और उत्तरी समुद्री मार्ग

चर्चा में क्यों?

आर्कटिक क्षेत्र की राजधानी तथा उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route- NSR) का प्रारंभिक बिंदु कहे जाने वाले मूरमान्स्क (Murmansk) में कार्गो यातायात में भारतीय भागीदारी की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है।

वर्ष 2023 के पहले सात महीनों में भारत को मूरमान्स्क बंदरगाह द्वारा संभाले गए आठ मिलियन टन कार्गों का 35% हिस्सा मिला, जो मॉस्को (Moscow), रूस से लगभग 2,000 किमी. उत्तर पश्चिम में है।

भारत के लिये आर्कटिक का महत्त्व:

अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन भंडारः

- यह क्षेत्र पृथ्वी पर शेष हाइड्रोकार्बन के लिये सबसे बड़ा अज्ञात संभावित क्षेत्र है। अनुमान है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस के मौजूदा वैश्विक भंडार का 40% से अधिक हो सकता है।
- इस क्षेत्र में कोयला, जिप्सम तथा हीरे के समृद्ध भंडार हैं और जस्ता, सीसा, प्लसर सोना तथा क्वार्ट्ज के भी पर्याप्त भंडार हैं।
 - अतः आर्कटिक संभावित रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों और रणनीतिक तथा दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की कमी को संबोधित कर सकता है।
 - हालाँकि सरकार की वर्ष 2022 की आर्कटिक नीति में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये देश का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों द्वारा निर्देशित है।

भारत की ऐतिहासिक भागीदारी:

- आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव वर्ष 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर करने के समय से है।
- भारत ने इस क्षेत्र में वायुमंडलीय, जैविक, समुद्री, जल विज्ञान और हिमनद विज्ञान संबंधी अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान किये हैं।
- हिमाद्रि अनुसंधान स्टेशन, मल्टी-सेंसर मूर्ड वेधशाला और उत्तरी वायुमंडलीय प्रयोगशाला जैसी पहल आर्कटिक अनुसंधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
 - वर्ष 2013 में आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक-राज्य बनने से भारत की आर्कटिक उपस्थिति मजबूत हुई।

भौगोलिक महत्त्वः

आर्कटिक दुनिया की समुद्री धाराओं को प्रसारित करने, ठंडे
 और गर्म पानी को दुनिया भर में ले जाने में सहायता करता है।

इसके अलावा आर्कटिक समुद्री बर्फ ग्रह के शीर्ष पर एक विशाल सफेद परावर्तक के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य की कुछ किरणों को वापस अंतिरक्ष में भेजता है, जिससे पृथ्वी को एक समान तापमान पर रखने में सहायता मिलती है।

🗅 पर्यावरणीय महत्त्व:

- आर्कटिक और हिमालय हालाँकि भौगोलिक रूप से दूर हैं,
 आपस में जुड़े हुए हैं और समान चिंताएँ साझा करते हैं।
 - आर्कटिक का पिघलना वैज्ञानिक समुदाय को हिमालय में हिमनदों के पिघलने को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है, जिसे अक्सर 'तीसरा ध्रुव' कहा जाता है तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बाद इसमें सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार है।
 - इसिलये आर्कटिक का अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों के लिये महत्त्वपूर्ण है। इसी क्रम में भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया तथा स्वालबार्ड द्वीप समूह (Svalbard archipelago,Norway) में हिमाद्री अनुसंधान आधार खोला और तब से सक्रिय रूप से वहाँ अनुसंधान में प्रयासरत है।

उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR):

🔾 परिचयः

- यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच माल पिरवहन के लिये NSR सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है, जो आर्कटिक महासागर के चार समुद्रों (बैरेंट्स, कारा, लापतेव और पूर्वी साइबेरियाई सागर) तक फैला हुआ है।
- 5,600 किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ यह मार्ग बैरेंट्स और कारा समुद्र (कारा जलसंधि) के बीच की सीमा से शुरू होता है तथा बेरिंग जलसंधि (प्रोविडेनिया खाड़ी) में जा कर रुकता है।
- यह स्वेज अथवा पनामा नहरों के माध्यम से पारंपिरक मार्गों की तुलना में 50% तक की संभावित दूरी को कम करता है।
 - वर्ष 2021 में स्वेज नहर के अवरुद्ध होने की घटना ने वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में NSR के विकास के विचार को गति प्रदान की है।

NSR के विकास में रूस की भूमिका:

आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ की अधिकता के कारण NSR के साथ सुरक्षित नेविगेशन के लिये बर्फ को हटाने के कार्य में सहायता की आवश्यकता होती है। रूस का दावा है कि उसके पास विश्व भर के एकमात्र परमाणु-संचालित आइसब्रेकर बेड़े हैं, इसके सहारे वह इनका वर्ष भर संचालन सुनिश्चित करता है। NSR इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर रोसाटॉम इस बेड़े की देख-रेख का कार्य करता है।

NSR के कार्गो यातायात को बढ़ाने की रूस की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं के साथ इसका परमाणु आइसब्रेकर बेड़ा इस परियोजना के केंद्र में बना हुआ है।

भारत की NSR भागीदारी के लिये प्रेरक कारक:

- वर्ष 2018-2022 के दौरान लगभग 73% की वृद्धि दर के साथ NSR के साथ कार्गो यातायात में वृद्धि भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल और कोयले के बढ़ते आयात के अनुरूप है।
- पारगमन मार्ग के रूप में NSR की क्षमता भारत की व्यापार-केंद्रित अर्थव्यवस्था के लिये भी उपयुक्त है।
- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गिलयारा (Chennai-Vladivostok Maritime Corridor-CVMC) पिरयोजना एक लघु और कुशल व्यापार मार्ग प्रदान करती है।
- इसके अतिरिक्त भारत NSR पर चीन और रूस के संभावित सामृहिक प्रभाव को संतुलित करना चाहता है।

भविष्य में होने वाले विकास और सहयोग:

- वर्ष 2035 तक रूस के NSR पर कार्गो यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। NSR के माध्यम से भारत और रूस को जोड़ने के लिये डिजाइन की गई CVMC परियोजना, परिवहन समय को कम करने तथा व्यापार दक्षता को बढ़ाने में काफी मदद करेगी।
- दोनों देशों के बीच आगामी कार्यशाला से CVMC परियोजना
 को आगे बढ़ाने के लिये एक मंच उपलब्ध होने की उम्मीद है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, 2023

चर्चा में क्यों ?

इंग्लैंड के बैलेचले पार्क में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुरक्षा शिखर सम्मेलन, 2023, फ्रंटियर AI प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु वैश्विक दृष्टिकोण में एक प्रमुख परिवर्तन को चिह्नित करता है।

इन चुनौतियों से निपटान हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत तथा यूरोपीय संघ सहित 28 प्रमुख देशों ने इस पहले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में बैलेचले पार्क घोषणा (Bletchley Park Declaration) पर हस्ताक्षर किये। यह ऐतिहासिक घोषणा उन्नत AI सिस्टम, जिसे फ्रंटियर AI के रूप में जाना जाता है, के संभावित जोखिमों एवं लाभों को संबोधित करने के लिये एक सामूहिक समझ और समन्वित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करती है।

नोट:

फ्रंटियर AI को अत्यधिक सक्षम फाउंडेशन जेनरेटर AI मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है जो मांग के आधार पर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो जैसे यथार्थवादी एवं विश्वसनीय आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य विशेषताएँ:

बैलेचली पार्क डिक्लेरेशन:

- बैलेचली पार्क डिक्लेरेशन फ्रंटियर AI जोखिमों से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता है और यह विश्व के प्रमुख AI खिलाड़ियों के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमित तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिये AI की क्षमता को स्वीकार करता है, लेकिन AI, विशेष रूप से फ्रंटियर AI द्वारा उत्पन्न जोखिमों की भी पहचान करता है, जो विशेष रूप से साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी और दुष्प्रचार जैसे डोमेन में जान-बूझकर या अनजाने में गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।
- यह AI से संबंधित जोखिमों को संबोधित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर देता है, क्योंिक वे अंतर्निहित रूप से वैश्विक हैं और कंपिनयों, नागरिक समाज तथा शिक्षाविदों सहित सभी अभिनेताओं के बीच सहयोग का आह्वान करता है।
- इस घोषणापत्र में एक नियमित AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की स्थापना की भी घोषणा की गई है, जो फ्रंटियर AI सुरक्षा पर बातचीत और सहयोग के लिये एक मंच प्रदान करेगा।
 - अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी एक वर्ष के भीतर फ्राँस द्वारा की जाएगी और दक्षिण कोरिया अगले छह महीनों में एक मिनी वर्चुअल AI शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करेगा।

्र सम्मेलन में भारत का रुख:

भारत AI विनियमन पर विचार न करने के रुख से हटकर जोखिम-आधारित, उपयोगकर्ता-नुकसान दृष्टिकोण के आधार पर सक्रिय रूप से नियम बना रहा है।

- भारत ने जिम्मेदार AI उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए "नैतिक" AI उपकरणों के विस्तार के लिये एक वैश्विक ढाँचे का आह्वान किया।
- भारत ने AI के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नियामक निकाय स्थापित करने में रुचि दिखाई है।
- डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, में AI-आधारित प्लेटफॉर्मों सहित ऑनलाइन मध्यस्थों के लिये समस्या-विशिष्ट नियम प्रस्तुत किये जाने की उम्मीद है।

बैलेचली पार्क के बारे में मुख्य तथ्यः

- बैलेचली पार्क इंग्लैंड के बिकंघमशायर में लंदन से लगभग 80 किमी. उत्तर में स्थित है।
 - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट कोड एवं साइफर स्कूल (GC एवं CS) के लिये मुख्य स्थल के रूप में कार्य किया।
 - प्रदु के दौरान बैलेचली पार्क में दुश्मन के संदेशों को समझने पर कार्य किया गया था।
 - बैलेचली पार्क में विकसित ट्यूरिंग बॉम्बे कथित रूप से अटूट जर्मन एनिंग्मा कोड को तोड़ने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिये प्रसिद्ध है।
 - इस इलेक्ट्रो-मैकेनिकल डिवाइस ने कोड तोड़ने की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को सफलता प्राप्त हुई।
 - बैलेचली पार्क ने कोलोसस मशीन भी विकसित की, जिसे प्राय:
 विश्व का पहला प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है।
 - बैलेचली पार्क में विकसित सिद्धांत एवं नवाचार आधुनिक कंप्यूटिंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रभावित करते रहे हैं।
 - बैलेचली पार्क, अब एक संग्रहालय के साथ एक ऐतिहासिक स्थल मात्र है, जो इसके युद्धकालीन इतिहास एवं योगदान में रुचि रखने वाले आगंतुकों को आकर्षित करता है।

पेरिस क्लब

चर्चा में क्यों?

कर्जदाता (Creditor) देशों का एक अनौपचारिक समूह जिसे पेरिस क्लब के रूप में जाना जाता है, श्रीलंका को दिये जाने वाले ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) को वित्तीय गारंटी प्रदान करेगा।

वर्ष 2022 में उत्पन्न आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका को IMF से 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बेलआउट पैकेज प्राप्त करने हेतु पेरिस क्लब और अन्य कर्जदाताओं से गारंटी की आवश्यकता है।

पेरिस क्लबः

🔾 परिचयः

- पेरिस क्लब ज्यादातर पश्चिमी कर्जदाता देशों का एक समूह है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1956 में आयोजित बैठक से हुई है जिसमें अर्जेंटीना पेरिस में अपने सार्वजिनक कर्जदाताओं से मिलने हेतु सहमत हुआ था।
 - यह खुद को एक मंच के रूप में वर्णित करता है जहाँ लेनदार देशों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान कठिनाइयों को हल करने हेतु आधिकारिक कर्जदाता बैठक करते हैं।
- इसका उद्देश्य उन देशों हेतु स्थायी ऋण-राहत समाधान खोजना
 है जो देश अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।

⊃ सदस्यः

- सदस्यों में शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, आयरलैंड, इज्ञरायल, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य।
- ये सभी 22 सदस्यीय आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) नामक समृह के सदस्य हैं।

ऋण समझौतों में शामिलः

- इसकी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पेरिस क्लब ने 102 अलग-अलग देनदार देशों के साथ 478 समझौते किये हैं।
- वर्ष 1956 के बाद से पेरिस क्लब समझौता ढाँचे के तहत 614 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया गया है।

⇒ हालिया गतिविधिः

- पिछली सदी में पेरिस समूह के देशों का द्विपक्षीय ऋण पर प्रभुत्त्व था, लेकिन पिछले दो दशकों में चीन के दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरने के साथ उनका महत्त्व कम हो गया है।
- उदाहरण के लिये श्रीलंका के मामले में भारत, चीन और जापान सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार हैं।
 - श्रीलंका के द्विपक्षीय ऋणों में चीन का 52%, जापान का 19.5% तथा भारत का 12% हिस्सा है।

श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर भारत की स्थिति:

 भारत ने जनवरी 2023 में श्रीलंका के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता शुरू की।

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) को लिखित वित्त संबंधी आश्वासन भेजकर पिछले वर्ष हुए आर्थिक गिरावट के बाद इसके आवश्यक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का आधिकारिक समर्थन किया है, साथ ही अन्य देशों से इसके पालन की अपील की।
- वित्तपोषण आश्वासन का निर्णय भी "पड़ोसी पहले (Neighborhood First)" के सिद्धांत पर भारत के विश्वास का पुन: दावा था जिसमें एक पड़ोसी को अकेला नहीं छोड़ा गया।

6. भारत यूरोप संबंध

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुई।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यूरोपीय संघ के लिये दूसरा द्विपक्षीय मंच तथा भारत के लिये किसी भी साझेदार के साथ स्थापित पहला मंच है। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने जून 2021 में एक TTC का गठन किया।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- बैठक में तीन कार्यकारी समूहों के तहत भिवष्य के सहयोग के रोडमैप पर चर्चा हुई:
 - रणनीतिक प्रौद्योगिकियाँ, डिजिटल शासन और डिजिटल कनेक्टिविटी
 - 💠 हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ
 - 💠 व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य शृंखलाएँ
- बैठक का उद्देश्य दिशा प्रदान करना और दोनों पक्षों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना था:
 - 💠 आपसी बाजार अभिगम को संबोधित करना
 - ♦ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधार
 - ♦ मुक्त व्यापार संधियों (FTA) के लिये वार्ता
 - पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग
- भारत और यूरोपीय संगठन भी अपने व्यापार संबंधों में उभरते मुद्दे
 यूरोपीय संगठन की कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)
 को हल करने के लिये कार्य कर रहे हैं।

यूरोपीय संघ CBAM को एक "ऐतिहासिक उपकरण" के रूप में वर्णित करता है जो यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाली वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन को लेकर "उचित मूल्य" निर्धारित करता है और यूरोपीय संघ के बाहर औद्योगिक" उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये एक तंत्र है।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC):

⊃ परिचय:

TTC के गठन की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा 2022 में व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा गठजोड़ के साथ रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिये एक उच्च स्तरीय समन्वय मंच बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

े बैठकः

- भारत और यूरोपीय संघ के बीच नियमित उच्च स्तरीय जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिये TTC की मंत्रिस्तरीय बैठकें वार्षिक तौर पर आयोजित की जमती हैं।
 - प्रंतुिलत भागीदारी को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने हेतु ये बैठकें वैकल्पिक रूप से भारत या यूरोपीय संघ में हो रही हैं।
- कार्यकारी समूह: TTC में तीन कार्यकारी समूह (WG) शामिल
 हैं जो भविष्य के सहयोग के रोडमैप पर रिपोर्ट करते हैं:
 - सामिरक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल शासन और डिजिटल कनेक्टिविटी पर कार्यकारी समृह:
 - यह डिजिटल कनेक्टिविटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी/6जी, उच्च प्रदर्शन और क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, क्लाउड सिस्टम, साइबर सुरक्षा, डिजिटल कौशल तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर संयुक्त रूप से काम करेगा।
 - ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर कार्यकारी समृह:
 - यह अनुसंधान और नवाचार पर जोर देने के साथ निवेश तथा मानकों सिहत हरित प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
 - अनुसंधान क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, अपिशष्ट प्रबंधन, समुद्र में प्लास्टिक और अपिशष्ट, हाइड्रोजन के लिये अपिशष्ट तथा ई-वाहनों हेतु बैटरी का पुनर्चक्रण हो सकता है।
 - यह यूरोपीय संघ और भारतीय इन्क्यूबेटरों, SME और स्टार्ट-अप के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगा।

- व्यापार, निवंश और लचीली मूल्य शृंखलाओं पर कार्यकारी समृह:
 - यह आपूर्ति शृंखलाओं के लचीलेपन और महत्त्वपूर्ण घटकों, ऊर्जा तथा कच्चे माल तक पहुँच पर काम करेगा।
 - यह बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को बढ़ावा देकर चिह्नित व्यापार बाधाओं और वैश्विक व्यापार चुनौतियों को हल करने के लिये भी काम करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा देने तथा वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों को दूर करने के लिये सहयोग की दिशा में काम करेगा।

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में भारत एवं यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (European Free Trade Association- EFTA) के चार यूरोपीय देशों ने व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (Trade and Economic Partnership Agreement- TEPA) हेतु वर्ष 2018 से रुके हुए संवाद को पुन: शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है।

- ⇒ TEPA का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके बाजार पहुँच एवं निवेश प्रवाह को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है।

 यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन:
- ⇒ EFTA एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों हेतु एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ (European Union-EU) में शामिल होने में असमर्थ या इसके अनिच्छ्क थे।
 - EFTA में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड शामिल हैं, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन विभिन्न समझौतों के माध्यम से इसके एकल बाजार तक उनकी पहुँच है।
- EFTA भारत का 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो वर्ष 2020-21 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 2.5% हिस्सा है।
 - EFTA को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएँ वस्त्र, रसायन, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स हैं।
 - EFTA से भारत द्वारा आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएँ मशीनरी, रसायन, कीमती धातुएँ और चिकित्सा उपकरण हैं।



व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA):

🔾 उद्देश्य:

- TEPA का उद्देश्य उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर टैरिफ एवं गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त/कम करके भारत और EFTA के बीच व्यापार एवं निवेश के अवसरों में वृद्धि करना है।
- इसका उद्देश्य सेवा प्रदाताओं और निवेशकों के लिये निष्पक्ष एवं पारदर्शी बाजार पहुँच की स्थिति सुनिश्चित करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन पर सहयोग को बढाना है।
- TEPA का उद्देश्य विवाद समाधान के प्रभावी तंत्र के साथ-साथ व्यापार प्रक्रियाओं एवं सीमा शुल्क सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।

⊃ व्याप्तिः

TEPA एक व्यापक समझौता है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्द्धा, सरकारी खरीद, व्यापार सुगमता, व्यापार उपचार, विवाद समाधान और आपसी हित के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

इालिया घटनाक्रमः

- प्रतिभागियों ने वैश्विक आर्थिक और व्यापार वातावरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार किया।
- भागीदार देशों ने रचनात्मक और व्यावहारिक तरीके से द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी के मुद्दों को संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की।
- भारत ने TEPA वार्ताओं में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण पर वार्ता को शामिल करने का प्रस्ताव रखा।

भारत आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास को बढावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।

EFTA देशों के साथ भारत के संबंध:

भारत और स्विट्ज़रलैंड संबंध:

- तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग पर एक अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे 'भारत-स्विस संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम' (ISJRP) की शुरुआत हुई।
- भारतीय कौशल विकास पिरसर और विश्वविद्यालय, पुणे में इंडो-स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा आंध्र प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र जैसे संस्थानों के माध्यम से दोनों देशों के बीच कौशल प्रशिक्षण सहयोग की सुविधा है।
- स्विट्जरलैंडभारत में 12वाँ सबसे बड़ा निवेशक है, अप्रैल 2000 और सितंबर 2019 के बीच यह भारत में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग 1.07% था।

🗅 भारत और स्विट्ज़रलैंड संबंध:

- सतत् विकास के लिये नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स का गठन वर्ष 2020 में किया गया था।
- नार्वे की 100 से अधिक कंपनियों ने भारत में खुद को स्थापित किया है।
- नॉर्वेजियन पेंशन फंड ग्लोबल संभवत: भारत के सबसे बड़े एकल विदेशी निवेशकों में से एक है।
- नॉर्वे के संस्थानों का चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास और पवन ऊर्जा संस्थान के बीच अकादिमक सहयोग है।
- नार्वे की कंपनी पिक्ल (Piql) भारतीय स्मारकों के लिये एक डिजिटल संग्रह बनाने में शामिल थी।

भारत और आइसलैंड संबंध:

- भारत और आइसलैंड ने वर्ष 1972 में राजनियक संबंध स्थापित किये और वर्ष 2005 से उच्च स्तरीय यात्राओं और आदान-प्रदान के साथ संबंधों को मजबूत किया है।
- भारत और आइसलैंड लोकतंत्र, कानून के शासन एवं बहुपक्षवाद
 के साझा मूल्यों को साझा करते हैं।
- आइसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिये
 भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।
- भारत और आइसलैंड व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा विकास में सहयोग करते हैं।
- आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जैसे- दोहरा कराधान अपवंचन समझौता।

भारत और लिकटेंस्टीन संबंधः

- दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2016-17 में 1.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिये उच्च स्तरीय
 बैठकों का आदान-प्रदान किया है।
- दोनों देशों ने दोहरा कराधान अपवंचन समझौते जैसे आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- लिकटेंस्टीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।

भारत-फ्राँस संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फ्राँस के राष्ट्रपित ने गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर भारत का दौरा किया, जहाँ दोनों देशों ने भारत-फ्राँस संयुक्त रक्षा अभ्यास की बढ़ती "सघनता तथा पारस्परिकता" पर संतोष व्यक्त करते हुए द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

भारत-फ्राँस द्विपक्षीय बैठक से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

🗅 दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सहयोग की गहनता:

- दोनों देशों ने वर्ष 2020 तथा वर्ष 2022 में फ्राँसीसी द्वीप ला रीयूनियन (La Reunion) से संचालित संयुक्त अनुवीक्षण मिशनों का विस्तार करते हुए दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
- यह सहयोग संचार के रणनीतिक समुद्री मार्गों के प्रतिभूतिकरण में सकारात्मक योगदान देता है।

हिंद-प्रशांत साझेदारी:

- दोनों पक्षों ने अपने संप्रभु तथा रणनीतिक हितों के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्त्व पर बल दिया।
- उन्होंने अपने साझा दृष्टिकोण के आधार पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई तथा संबद्ध क्षेत्र में अपनी बढ़ती सहभागिता की प्रकृति पर संतोष व्यक्त किया।

रक्षा तथा सुरक्षा साझेदारीः

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ्राँस के बीच रक्षा तथा सुरक्षा साझेदारी को उनके सहयोग की आधारशिला के रूप में रेखांकित किया गया है।

- इस साझेदारी में विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में, द्विपक्षीय, बहुराष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा संस्थागत पहलों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है।
- नेताओं ने तीनों सेनाओं/त्रि-सेवा के संयुक्त अभ्यास तथा विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में इसकी सहभागिता बढ़ाने पर चर्चा की।

त्रिपक्षीय सहयोगः

- दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पुन: त्रिपक्षीय सहयोग शुरू करने, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ सहयोग को सघन करने तथा संबद्ध क्षेत्र में नई त्रिपक्षीय साझेदारी तलाशने के लिये प्रतिबद्धता जताई।
 - प्रजून 2023 में, भारत, फ्राँस तथा UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ।

आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी:

- दोनों देशों ने संबद्ध क्षेत्र में सतत् आर्थिक विकास, मानव कल्याण, पर्यावरणीय स्थिरता, लचीले बुनियादी ढाँचे, नवाचार और कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिये संयुक्त एवं बहुपक्षीय पहल के महत्त्व को स्वीकार किया।
- उन्होंने हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की सुविधा के लिये हिंद-प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष (Indo- Pacific Triangular Development Cooperation Fund) की शीघ्र शुरुआत करने का विचार रखा।

⇒ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गिलयारा (IMEC):

नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (India-Middle East-Europe Corridor- IMEC) के शुभारंभ को रेखांकित किया तथा इस बात पर सहमित व्यक्त की यह भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच वाणिज्य एवं ऊर्जा प्रवाह की क्षमता व लचीलेपन को बढ़ाने के लिये रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

⊃ बहुपक्षवाद तथा संयुक्त राष्ट्र सुधारः

- दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC) में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए सुधार एवं प्रभावी बहुपक्षवाद का आह्वान किया।
- फ्राँस ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के लिये पुनः अपना समर्थन व्यक्त किया।
- दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा इस संबंध में प्रभावी सुझाव देने के लिये स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह (Independent Expert Group- IEG) की रिपोर्ट की सराहना की।

उन्होंने आधिकारिक ऋण पुनर्गठन मामलों में पेरिस क्लब तथा
 भारत के बीच बढ़ते सहयोग के महत्त्व को उजागर किया।

🗅 रक्षा उद्योग सहयोग:

- दोनों पक्षों ने दोनों देशों के रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में एकीकरण को सघन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने न केवल भारत के लिये बल्कि अन्य मित्र देशों के लिये भी रक्षा आपूर्ति के सह-डिजाइन, सह-विकास एवं सह-उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की।
 - 🗷 टाटा ग्रुप तथा एयरबस समझौता:
- टाटा ग्रुप तथा एयरबस ने नागरिक हेलीकॉप्टरों के विकास तथा
 विनिर्माण के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- टाटा और एयरबस पहले से ही गुजरात में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिये सहयोग कर रहे हैं।
 - औद्योगिक साझेदारी का लक्ष्य महत्त्वपूर्ण स्वदेशी और स्थानीयकरण घटक के साथ H125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करना है।
 - शक्ति जेट इंजन सौदा:
 - शक्ति जेट इंजन सौदे को लेकर भारत और सफरान के बीच चल रहीं वार्ता पर प्रकाश डाला गया। ये वार्ताएँ भारत की भविष्य की लड़ाकू जेट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विनिर्माण प्रौद्योगिकी के सरल हस्तांतरण से परे विशिष्टताओं को विकसित करने पर केंद्रित हैं।
 - फ्राँसीसी जेट इंजन निर्माता CFM इंटरनेशनल ने भी 150 बोइंग ओपन नए टैब 737 मैक्स विमानों को बिजली देने के लिये अपने 300 से अधिक LEAP-1B इंजन खरीदने के लिये भारत की अकासा एयर के साथ एक समझौते की घोषणा की।

) अंतरिक्ष सहयोग:

- दोनों देशों ने रणनीतिक अंतिरक्ष वार्ता शुरू की, रक्षा अंतिरक्ष सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किये और उपग्रह प्रक्षेपण मिशन के लिये इसरो के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited - NSIL) तथा फ्राँस के एरियनस्पेस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- दोनों देशों ने संयुक्त उपग्रह अनुसंधान, उत्पादन और प्रक्षेपण सिंहत अंतिरिक्ष सहयोग बढ़ाने का वादा किया।



भारत और ग्रीस संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ग्रीस ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। इस साझेदारी का उद्देश्य व्यापार को दोगुना करना, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाना तथा साझा चुनौतियों का समाधान करना है।

- इस अवसर पर ग्रीस की राष्ट्रपित कतेरीना सकेलारोपोलू ने भारत के प्रधानमंत्री को "द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर" से सम्मानित किया।
- भारत के प्रधानमंत्री ने एथेंस में 'गुमनाम सैनिक के मकबरे (Tomb of Unknown Soldier)' पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

🗅 रक्षा एवं सुरक्षाः

- भारत और ग्रीस विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध, साइबर सुरक्षा तथा रक्षा उद्योग में अपने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने करने पर सहमत हुए।
- साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) के स्तर पर भारत-ग्रीस संवाद की रुपरेखा पर भी निर्णय लिया गया।

⇒ समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालनः

लंबे समय से समुद्री यात्रा में संलग्न प्राचीन तथा दीर्घकालिक समुद्री दृष्टिकोण रखने वाले दो देशों के राजनेताओं के रूप में उन्होंने समुद्र के कानून, विशेष रूप से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के प्रावधानों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा हेतु संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं आवागमन की स्वतंत्रता के पूर्ण सम्मान के साथ एक स्वतंत्र, खुले तथा नियम-आधारित भूमध्य सागर एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित दृष्टिकोण साझा किया।

🔾 संस्कृति और पर्यटन:

- दोनों नेताओं ने कला के सभी रूपों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के प्रयासों का स्वागत किया।
- दोनों देश प्राचीन स्थलों के संरक्षण और उन्हें सुरक्षित रखने के लिये संयुक्त प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमत हुए।

व्यापार और निवेश:

दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा। वे नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने पर सहमत हए।

⊃ गितशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता (MMPA):

दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि MMPA को शीघ्र अंतिम रूप देना पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगा, विशेष रूप से दोनों देशों के बीच कार्यबल की मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।

सहयोग का व्यापक स्पेक्ट्रमः

इसके तहत डिजिटल भुगतान, शिपिंग, फार्मास्यूटिकल्स और
 शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संवाद बढ़ाना है।

'गुमनाम सैनिक का मकबरा':

- 'अज्ञात सैनिक का मकबरा' ग्रीस के एथेंस में सिंटेग्मा स्क्वायर(Syntagma Square) में स्थित एक युद्ध स्मारक है।
- यह उन यूनानी सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने विभिन्न युद्धों में अपना जीवन न्योछावर कर दिया।
- यह मकबरा अज्ञात सैनिकों के बिलदान की स्मृति और सम्मान के प्रतीक के रूप में बनाया गया है।
- इसे वर्ष 1930 और 1932 के बीच मूर्तिकार फोकियन रोक द्वारा बनाया गया था।



ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर:

'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर'ग्रीस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिडीमर के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।

- यह पुरस्कार वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था और इसके सामने की ओर देवी एथेना का सिर अंकित है, साथ ही शिलालेख पर "केवल धर्मी/न्याय परायण लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिये", उत्कीर्ण है।
- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राजनीति, कूटनीति, संस्कृति, विज्ञान अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया है, साथ ही ग्रीस के हितों और मूल्यों को बढ़ावा दिया है।

ग्रीस के बारे में मुख्य तथ्य:



- ग्रीस दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर पर एक लंबी तटरेखा वाला देश है। इसकी सीमा अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की से लगती है।
- ग्रीस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसे पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यह लोकतंत्र, दर्शन, रंगमंच एवं ओलंपिक खेलों का जन्मस्थल है।
- सरकार: संसदीय गणतंत्र
- राजधानी: एथेंस, राष्ट्रीय
- 🔾 भाषाः ग्रीक
- 🔾 मुद्राः यूरो
- प्रमुख पर्वत शृंखलाएँ: पिंडस और टॉरस पर्वत।
- ⊃ ग्रीस में सबसे लंबी नदी हैलियाकमोन नदी है।
- ⊃ ग्रीस का सबसे ऊँचा पर्वत माउंट ओलम्पस है।

शेंगेन ज़ोन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शेंगेन अनुमोदन में देरी का सामना करने के बाद कोसोवो (Kosovo) ने एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसने विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा-मुक्त पहुँच सुरक्षित कर ली है।

कोसोवो इस विशेषाधिकार का आनंद लेने वाला पश्चिमी बाल्कन में अंतिम गैर-यूरोपीय यूनियन (EU) देश बन गया है।

शेंगेन ज़ोन क्या है?


परिचय:

- 💠 शेंगेन समझौता 1985 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पाँच सदस्य देशों (बेल्जियम, फ्राँस, जर्मनी, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड) द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि है।
 - 🗷 समझौते का उद्देश्य यूरोप में एक सीमा-मुक्त क्षेत्र बनाना है जो लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है जिसे शेंगेन ज्ञोन कहा जाता है, जहाँ आंतरिक सीमा जाँच को काफी हद तक समाप्त कर दिया जाता है।
- बिना ऑप्ट-आउट के सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर शेंगेन में शामिल होना होगा।

- स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे गैर-यरोपीय युनियन देश विशेष एसोसिएशन समझौतों के माध्यम से शेंगेन का हिस्सा हैं।
- ♦ समय के साथ शेंगेन ज्ञोन बढ़कर 27 देशों तक फैल गया है, जो 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है और लगभग 420 मिलियन निवासियों की मेजबानी करता है।

शेंगेन के लाभ:

- शेंगेन सीमा जाँच के बिना सदस्य राज्यों में 400 मिलियन से अधिक व्यक्तियों के लिये निर्बाध यात्रा को सक्षम बनाता है।
- पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देते हुए वार्षिक लगभग 1.25 बिलियन यात्राओं की सुविधा प्रदान करता है।
- शेंगेन आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिये पुलिस, सीमा शुल्क तथा सीमा नियंत्रण अधिकारियों के बीच सहयोग को बढावा देता है।
- शेंगेन देशों के नागरिकों के लिये वीजा मुक्त यात्रा एवं आंतरिक सीमा जाँच की अनुपस्थिति सुविधा में वृद्धि के साथ आर्थिक एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करती है।
- शेंगेन का सीमा-मुक्त शासन एकता एवं एकीकरण के यूरोपीय मुल्यों का प्रतीक है।



कोसोवो के बारे में मुख्य तथ्य:

- कोसोवो, जिसमें बहुसंख्यक अल्बानियाई आबादी एवं सर्ब अल्पसंख्यक हैं, अल्बानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से घिरा एक भृमि-रुद्ध क्षेत्र है।
- 🗅 इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर प्रिस्टिना है।
- विश्व बैंक के अनुसार कोसोवो एक संसदीय गणतंत्र तथा उच्च-मध्यम आय वाला देश है। इसने 17 फरवरी 2008 को सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की और 100 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई है।
 - भारत, ब्राजील, चीन, रूस तथा मैक्सिको ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है।
 - हालाँकि सर्बिया कोसोवो को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता है तथा कोसोवो एवं मेटोहिजा के स्वायत्त प्रांत के रूप में दावा करता रहता है।



उत्तरी आयरलैंड संघर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक आयरिश एकीकरण समर्थक नेता ने राजनीतिक गतिरोध के बावजूद, इस क्षेत्र के गहन विभाजन को दर्शाते हुए, उत्तरी आयरलैंड के पहले राष्ट्रवादी प्रथममंत्री के रूप में पद ग्रहण करके इतिहास रच दिया।

 इस निर्णय से सुलह और समावेशी प्रशासन की ओर एक बदलाव की शुरुआत की जा सकती है।



गुड फ्राइडे समझौता क्या है?

- ⊃ परिचयः
 - बेलफास्ट समझौते के रूप में प्रचलित गुड फ्राइडे समझौता उत्तरी आयरलैंड में 10 अप्रैल, 1998 को हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक शांति संधि है।
 - इसका उद्देश्य दशकों से इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हिंसा और संघर्ष को समाप्त करना था, विशेषकर उस अविध के दौरान जिसे "द टुबल" के रूप में जाना जाता था।

उत्तरी आयरलैंड के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- अवस्थिति और भूगोल: उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड द्वीप के उत्तरपूर्वी चतुर्थांश में अवस्थित है। यह दक्षिण और पश्चिम में आयरलैंड गणराज्य के साथ सीमा साझा करता है, जबिक आयरिश सागर इसे पूर्व और दक्षिण-पूर्व में इंग्लैंड तथा वेल्स से अलग करता है एवं उत्तरी चैनल इसे स्कॉटलैंड से उत्तर-पूर्व में अलग करता है।
- राजनीतिक स्थिति: उत्तरी आयरलैंड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ संयुक्त राष्ट्र (ब्रिटेन) का एक घटक देश है। यह एक संप्रभु राज्य नहीं है बल्कि संयुक्त राष्ट्र (ब्रिटेन) के ढाँचे के भीतर इसकी अपनी विकसित सरकार है।
- राजधानी और प्रमुख शहर: उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है, जो जहाज निर्माण सिहत समृद्ध औद्योगिक इतिहास रखने वाला एक आधुनिक शहर है। अन्य प्रमुख शहरों में लंदनडेरी (जिसे डेरी के नाम से भी जाना जाता है) और अर्माघ शामिल हैं।

- सांस्कृतिक योगदानः उत्तरी आयरलैंड ने विश्व संस्कृति, विशेषकर साहित्य, संगीत और कला में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उल्लेखनीय हस्तियों में कवि सीमस हेनी और संगीतकार वान मॉरिसन शामिल हैं।
- अर्थव्यवस्था: ऐतिहासिक रूप से जहाज़ निर्माण और कपडा जैसे उद्योगों पर निर्भर, उत्तरी आयरलैंड की अर्थव्यवस्था हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी. पर्यटन एवं सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विविधतापूर्ण हो गई है।
- जनसांख्यिकी: उत्तरी आयरलैंड की जनसंख्या जातीयता, धर्म और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के मिश्रण के साथ विविध है। इस क्षेत्र की जनसंख्या मुख्य रूप से ईसाई है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदाय निवास करते हैं।

भारत-इटली प्रवासन और आवाजाही समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इटली के बीच प्रवासन एवं आवाजाही समझौते को पूर्वव्यापी मंज़्री दे दी।

भारत और इटली के बीच प्रवासन तथा आवाजाही सम<mark>झौता क्या</mark> है ?

परिचय:

- यह समझौता भारत और इटली के बीच लोगों के संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मज़बूत करने के लिये तैयार है।
- यह छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यावसायियों और युवा पेशेवरों सहित विभिन्न वर्गों के लिये आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, उनके बीच विनिमय तथा सहयोग को बढ़ावा देता है।

प्रमुख प्रावधानः

- भारतीय छात्रों के लिये अस्थायी निवास: इटली में शैक्षणिक/ व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रारंभिक पेशेवर अनुभव हासिल करने के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों को 12 महीने तक के लिये अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है।
- श्रमिकों के लिये आरक्षित कोटा: समझौता गैर-मौसमी और मौसमी भारतीय श्रमिकों के लिये कोटा की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें मौजूदा फ्लो डिक्री के तहत वर्ष 2023-2025 में आरक्षित कोटा सीमा शामिल है।
 - 🗷 इतालवी सरकार की वार्षिक "फ्लो डिक्री" (डिक्रेटो फ्लुसी) गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों की अधिकतम

संख्या निर्धारित करती है जो काम और स्व-रोज़गार के लिये इटली में प्रवेश कर सकते हैं।

क्रियान्वयन:

- समझौता समाप्त होने तक स्वचालित नवीनीकरण के साथ 5 वर्षों तक लागु रहेगा।
- ♦ इसके कार्यान्वयन की देखरेख एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) द्वारा की जाएगी, जो प्रगति का आकलन करने और कुशल निष्पादन के लिये सहायक उपाय सुझाने के लिये नियमित आधार पर बैठक करेगा।

इटली के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण तथ्य:

परिचय:

♦ इटली जूते के आकार (boot-shaped) का प्रायद्वीप है जो दक्षिणी यूरोप से एड्रियाटिक सागर, टेरहेनियन सागर, भूमध्य सागर से घिरा हुआ है।

सीमावर्ती देश:

- इसकी ऑस्ट्रिया, फ्रॉन्स, होली सी (वेटिकन सिटी), सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं।
- यह अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, लीबिया, माल्टा, मोंटेनेग्रो, स्पेन और ट्यूनीशिया के साथ समुद्री सीमाएँ भी साझा करता है।
- सरकार का स्वरूप: गणतंत्र
- राजधानी: रोम 0
- मुद्राः यूरो D
- प्रमुख पर्वतः आल्प्स, एपेनाइन 0
- प्रमुख नदियाँ: पो, अदिगे, अर्नो, टाईबर 0



चीन के BRI से अलग हुआ इटली

चर्चा में क्यों?

साइन अप करने वाला एकमात्र G7 राष्ट्र बनने के चार साल से अधिक समय बाद इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया है।

चीन के BRI से इटली की संभावित वापसी आर्थिक, भू-राजनीतिक और रणनीतिक कारकों के संयोजन से उत्पन्न हुई है, जिसने देश को अपनी भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये प्रेरित किया है।

BRI से हटने के इटली के क्या कारण हैं?

आर्थिक असंतुलनः

- इटली 2019 में BRI में उस समय शामिल हुआ था जब 10 वर्षों में तीन बार मंदी से बचने के बाद वह निवेश और बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये उत्सुक था।
- हालाँकि प्रत्याशित आर्थिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि इन चार वर्षों के बाद समझौते ने इटली के लिये बहुत कुछ हासिल नहीं किया है।
 - म काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के ऑकड़ों के अनुसार, इटली में चीनी FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) 2019 के 650 मिलियन अमेरिकी डालर से घटकर वर्ष 2021 में केवल 33 मिलियन अमेरिकी डालर रह गया।
 - BRI में शामिल होने के बाद से व्यापार के संदर्भ में चीन को इटली का निर्यात 14.5 बिलियन यूरो से बढ़कर मात्र 18.5 बिलियन यूरो हो गया, जबिक इटली को चीन का निर्यात 33.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 50.9 बिलियन यूरो हो गया।

⇒ भू-राजनीतिक पुनर्सरेखणः

- इटली का पुनर्विचार यूरोपीय देशों के बीच चीन के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है।
- चीन के बढ़ते प्रभाव, भू-राजनीतिक संरेखण और रणनीतिक निहितार्थों पर चिंताओं ने, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक घटनाओं के बीच इटली को BRI के प्रति अपने रुख का पुनर्मृल्यांकन करने के लिये प्रेरित किया है।
 - अप्रैल में EU-चीन निवेश पर व्यापक समझौता (CAI) निरस्त हो गया। पिछले साल एस्टोनिया और लातविया ने मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों में चीन के कूटनीतिक दबाव 17+1 को छोड़ दिया था। लिथुआनिया 2021 में बाहर हो गया था।

पश्चिमी सहयोगियों के साथ गठबंधनः

- इटली का अपने पश्चिमी सहयोगियों, विशेष रूप से G7 के साथ अधिक निकटता से जुड़ने की ओर झुकाव, BRI के संबंध में उसके निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

नकारात्मक प्रेस एवं ऋण संबंधी चिंताएँ:

- BRI को संभावित ऋण जाल तथा वित्तीय संव्यवहार में पारदर्शिता की कमी के लिये विश्व स्तर पर आलोचना का सामना करना पडा है।
- BRI में भागीदारी के कारण अन्य देशों को भारी ऋण बोझ का सामना करने की रिपोर्टें इटली की BRI से वापसी में योगदान दे सकती हैं।

नवाचार पर भारत-जर्मनी सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की जर्मन-चांसलर के साथ हुई मुलाकात में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग बढ़ाने हेतु एक विजन दस्तावेज पर सहमति व्यक्त की गई।

इसे दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मध्य हस्ताक्षरित अब तक का
 व्यापक आर्थिक दस्तावेज माना जाता है।

विज़न दस्तावेज़ः

- यह उद्योगों के मध्य संबंधों को गहरा करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 6G जैसी उन्नत तकनीकों के विकास पर सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य मानवता को लाभ पहुँचाना है और दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सार्वभौमिक मानवाधिकारों का सम्मान करना है।
 - भारत और जर्मनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा नवाचार में सहयोग का लंबा इतिहास साझा करते हैं, जिसे मई 1974 में हस्ताक्षरित 'वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग' पर अंतर-सरकारी समझौते के ढाँचे के तहत संस्थागत रूप दिया गया था।

बैठक के प्रमुख बिंदु:

🗅 🏻 हरित और सतत् विकास साझेदारी:

 दोनों देशों ने हरित और सतत् विकास साझेदारी (Green and Sustainable Development PartnershipGSDP) की प्रगति पर चर्चा की, जिसे भारत और जर्मनी ने छठे अंतर-सरकारी परामर्श (Inter-Governmental Consultations- IGC) के लिये भारतीय प्रधानमंत्री की बर्लिन यात्रा के दौरान शुरू किया था।

- GSDP राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एक अम्ब्रेला साझेदारी है और जलवायु कार्रवाई तथा सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में विभिन्न देशों के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करती है।
- जर्मनी, भारत में अपने विकास सहयोग कार्यक्रम में अतिरिक्त
 10 बिलियन युरो का योगदान देगा।

🗅 हरित हाइड्रोजन:

- दोनों देश हरित हाइड्रोजन पर आपसी सहयोग करने पर सहमत हुए।
- भारत-जर्मन हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन सितंबर 2022 में किया गया था और जल्द ही इस संबंध में एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

🔾 त्रिकोणीय विकास सहयोग:

- छठे IGC के दौरान भारत और जर्मनी तीसरे देशों में विकास परियोजनाओं पर काम करने पर सहमत हुए।
- मई 2022 में घोषित चार पिरयोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:
 - कैमरून: रूटेड एपिकल कटिंग्स (RAC) टेक्नोलॉजी के जरिये आलू के बीज का उत्पादन।
 - मलावी: कृषि और खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के लिये कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर मॉडल।
 - घाना: घाना में सतत् आजीविका और आय सृजन के लिये बाँस आधारित उद्यमों का विकास।
 - पेरू: पेरू के विकास और सामाजिक समावेश मंत्रालय (MIDIS) के हस्तक्षेप तथा सामाजिक कार्यक्रमों की योजना, निगरानी दीद एवं मूल्यांकन के लिये एक भू-स्थानिक पोर्टल प्रोटोटाइप का विकास।

भारत-प्रशांत महासागर पहलः

 जर्मनी हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative- IPOI) में शामिल हो गया है।

🗅 पनडुब्बियाँ:

दोनों देशों ने संयुक्त रूप से भारतीय नौसेना के लिये छह
 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिये प्रस्तावित सौदे पर
 चर्चा की।

जर्मनी

- सीमावर्ती देश: जर्मनी नौ देशों फ्राँस, लक्जमबर्ग, डेनमार्क, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, नीदरलैंड और पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है।
- अवस्थितिः यह मध्य यूरोप में बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर की सीमा में स्थित है।
- निद्याँ: डेन्यूब, राइन, एम्स, वेसर, एल्ब और ओडर
- वन: ब्लैक फॉरेस्ट स्विस सीमा के पास दक्षिण पश्चिम में स्थित जर्मनी का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध जंगली क्षेत्र है। यह यूरोप की सबसे लंबी निदयों में से एक डेन्यूब नदी का स्रोत है।
- सरकार का स्वरूपः जर्मनी संघीय संसदीय गणतंत्र है जिसमें राष्ट्रपित राज्य के प्रमुख के रूप में और चांसलर सरकार के प्रमुख के रूप में होते हैं।
- मुख्य औद्योगिक क्षेत्रः रूर, हनोवर, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट एम मेन
 और स्टटगार्ट।

कोसोवो-सर्बिया संघर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्बियाई प्रदर्शनकारियों और NATO (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) शांति सैनिकों के बीच कोसोवो में संघर्ष हुआ जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हो गए। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में यह सबसे गंभीर हिंसक घटना है।

वर्तमान तनाव का कारण:

- उत्तरी कोसोवो सर्ब समुदाय और अल्बानियाई लोगों के बीच बड़े जातीय एवं राजनीतिक विभाजन से उत्पन्न तनाव का अनुभव करता है।
- उत्तरी कोसोवो में बहुमत बनाने हेतु सर्ब समुदाय ने अल्बानियाई महापौरों को स्थानीय परिषदों में प्रभार लेने से रोकने का प्रयास किया।
- सर्ब समुदाय ने अप्रैल 2023 में स्थानीय चुनावों का बहिष्कार किया जिसके परिणामस्वरूप 3.5% से कम मतदान हुआ। सर्ब समुदाय ने चुनाव परिणामों को नाजायज के रूप में खारिज कर दिया था। कोसोवो-सर्बिया संघर्ष के विषय में:

भूगोलः

सर्बिया: सर्बिया पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है जो हंगरी,
 रोमानिया और बुल्गारिया के साथ सीमा साझा करता है।

- कोसोवो: कोसोवो एक छोटा लैंडलॉक क्षेत्र है जो सर्बिया के दिक्षण-पश्चिम में स्थित है जो उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो के साथ सीमा साझा करता है। सर्ब समुदाय के अनेक लोग कोसोवो को अपने राष्ट्र का जन्मस्थान मानते हैं।
 - कोसोवो ने वर्ष 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी लेकिन सर्बिया कोसोवो को राज्य के दर्जे को मान्यता नहीं देता है।

⊃ पृष्ठभूमि:

- कोसोवो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विभिन्न जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्ब समुदाय के लोग और अल्बानियाई सदियों से रह रहे हैं।
 - कोसोवो में रहने वाले 1.8 मिलियन लोगों में से 92% अल्बानियाई और केवल 6% सर्बियाई हैं। बाकी बोस्नियाक्स, गोरान, तुर्क तथा रोमा हैं।
- सर्ब मुख्य रूप से पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई हैं, जबिक कोसोवो में अल्बानियाई मुख्य रूप से मुस्लिम हैं। अन्य अल्पसंख्यक समूहों में बोस्त्रियाई और तुर्क शामिल हैं। सर्ब सर्बिया में बहुसंख्यक हैं, जबिक कोसोवो में अल्बानियाई बहुसंख्यक हैं।

कोसोवो की लडाई:

- सर्बियाई राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रीय संघर्ष में एक निर्णायक क्षण के रूप में सर्बियाई राजकुमार लजार हरेबेलजानोविक और ओटोमन सुल्तान मुराद हुडवेंडिगर के बीच कोसोवो की वर्ष 1389 की लड़ाई को देखते हैं।
- दूसरी ओर, कोसोवो के बहुसंख्यक जातीय अल्बानियाई कोसोवो को अपना मानते हैं और सर्बिया पर कब्ज़े एवं दमन का आरोप लगाते हैं।

यूगोस्लाविया का विघटनः

- वर्ष 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 तक बाल्कन में वर्तमान बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया व स्लोवेनिया का क्षेत्र एक देश था, जिसे आधिकारिक तौर पर यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य (SFRY) के रूप में जाना जाता है, जिसकी राजधानी बेलग्रेड हैं। सर्बिया में कोसोवो और वोज्वोडिना के स्वायत्त प्रांत शामिल थे।
- सोवियत संघ के पतन के बाद यूगोस्लाविया बिखर गया, प्रत्येक गणराज्य एक स्वतंत्र देश बन गया।
 - 🗷 स्लोवेनिया सबसे पहले वर्ष 1991 में अलग हुआ था।
- 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में यूगोस्लाविया में केंद्र सरकार के कमज़ोर होने के साथ-साथ पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद भी था।

- प्राजनेताओं ने राष्ट्रवादी बयानबाजी का फायदा उठाया, आम यूगोस्लाव पहचान को मिटा दिया और जातीय समूहों के बीच भय एवं अविश्वास पैदा किया।
- वर्ष 1998 में जातीय अल्बानियाई विद्रोहियों ने सर्बियाई शासन को चुनौती देने के लिये कोसोवो लिबरेशन आर्मी (KLA) का गठन किया।

नाटो का हस्तक्षेपः

- नाटो ने वर्ष 1999 में सर्बिया की क्रूर प्रतिक्रिया के बाद हस्तक्षेप किया, जिससे कोसोवो और सर्बिया के खिलाफ 78 दिनों का हवाई अभियान चलाया गया।
- सर्बिया ने कोसोवो से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया, जिसके कारण अल्बानियाई शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन हुआ और कई सर्बों को बेदखल कर दिया गया, जिन्हें प्रतिशोध की आशंका थी।
- जून 1999 में कोसोवो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन आ गया, हालाँकि इसकी अंतिम स्थिति अनसुलझी रही। राष्ट्रपति मिलोसेविक सहित कई सर्बियाई नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के न्यायाधिकरण द्वारा युद्ध अपराधों हेतु आरोपित किया गया था।

कोसोवो की वर्तमान स्थिति:

- कोसोवो ने वर्ष 2008 में स्वतंत्रता की घोषणा की, जबिक सिर्बिया अभी भी इसे सिर्बियाई क्षेत्र का एक अभिन्न अंग मानता है।
- भारत, चीन और रूस जैसे देश कोसोवो को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, जबिक अमेरिका, यूरोपीय संघ के अधिकांश देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसे अलग देश के रूप में मान्यता देते हैं।
 - संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) के 193 देशों
 में से कुल 99 अब कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं।

भारत डेनमार्क सहयोग

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि भारत और डेनमार्क संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 'इंडिया-डेनमार्क: पार्टनर्स फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्नेस कॉन्फ्रेंस' के दौरान महत्त्वाकांक्षी जलवायु एवं सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यवहार्यता प्रदर्शित कर सकते हैं।

वर्ष 2020 में ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरिशप के शुभारंभ के बाद से द्विपक्षीय सहयोग हरित और सतत् विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप:

- ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरिशप एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता है जिसका उद्देश्य राजनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना, आर्थिक संबंधों और हिरत विकास का विस्तार करना, रोजगार सृजित करना एवं पेरिस समझौते तथा संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों के महत्त्वाकांक्षी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वैश्विक चुनौतियों व अवसरों को संबोधित करने में सहयोग को मजबूत करना है।
- विशिष्ट तकनीकों और विशेषज्ञता वाली डेनमार्क की कंपिनयों ने प्रमुख रूप से पराली जलाने की समस्या से निपटने सिंहत वायु प्रदूषण नियंत्रण लक्ष्यों को पूरा करने में भारत की मदद करने की पेशकश की है।
- साझेदारी के तहत अन्य प्रमुख बिंदुओं में कोविड-19 महामारी से निपटना और जल दक्षता तथा जल संकट की स्थिति में सहयोग करना शामिल है।
- बड़ी संख्या में डेनिश फर्मों वाले क्षेत्रों में भारत-डेनमार्क ऊर्जा पार्कों का निर्माण और भारतीय जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिये एक 'भारत-डेनमार्क कौशल संस्थान' का प्रस्ताव किया गया है।
- हरित रणनीतिक साझेदारी का गठन (The Green Strategic Partnership) मौजूदा संयुक्त आयोग और संयुक्त कार्य समूहों के सहयोग के लिये किया जाएगा। भारत-डेनमार्क सहयोग की स्थिति

पृष्ठभूमिः

- सितंबर 1949 में स्थापित भारत और डेनमार्क के बीच राजनियक संबंधों को नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान द्वारा चिह्नित किया गया है।
- दोनों देशों का उद्देश्य ऐतिहासिक संबंध, आम लोकतांत्रिक परंपराएँ, क्षेत्रीय, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थायित्व के लिये साझेदार के रूप में काम करना है।
- वर्ष 2020 में आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को "हरित रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक उन्नत किया गया।

🔾 वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध:

- भारत और डेनमार्क के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 78% बढ़कर वर्ष 2016 के 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2021 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- भारत से डेनमार्क को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में वस्त्र, पिरधान एवं सूत से संबंधित, वाहन एवं पुर्जे, धात्विक वस्तुएँ, लौह-इस्पात, जूते एवं यात्रा की वस्तुएँ शामिल हैं।

भारत में डेनमार्क से होने वाले प्रमुख आयात में औषधीय/दवा संबंधी वस्तुएँ, विद्युत उत्पन्न करने वाली मशीनरी, औद्योगिक मशीनरी, धातु अपशिष्ट एवं अयस्क तथा जैविक रसायन शामिल हैं।

🗅 सांस्कृतिक आदान-प्रदान:

- भारत का 75वाँ स्वतंत्रता दिवस कोपेनहेगन में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों ने ध्वजारोहण समारोह तथा आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित रंगारंग कार्यक्रमों में भाग लिया।
- इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का नाम भारतीय नेताओं के नाम पर रखा गया है, जिनमें आर्हस में आरहु विश्वविद्यालय के पास एक नेहरू रोड और कोपेनहेगन का गांधी पार्क शामिल हैं।

बौद्धिक संपदा सहयोगः

- वर्ष 2020 में हस्ताक्षर किये गए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग बढ़ाना, पेटेंट के लिये आवेदन निपटान हेतु प्रक्रियाओं संबंधी सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान -प्रदान, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक तथा पारंपिरक ज्ञान के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग करना है।
- यह वैश्विक नवाचार में एक प्रमुख अभिकर्त्ता बनने और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।

दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक-बाल्टिक बिज़नेस कॉन्क्लेव 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूसरा भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industries- CII) भारत नॉर्डिक-बाल्टिक बिज्ञनेस कॉन्क्लेव 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत और नॉर्डिक-बाल्टिक आठ (Nordic Baltic Eight-NB8) देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था, जो नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के लिये जाने जाते हैं।

नॉर्डिक बाल्टिक आठ (NB8) क्या है?

 NB8 एक क्षेत्रीय सहयोग प्रारूप है जो नॉर्डिक देशों और बाल्टिक राज्यों को एक साथ लाता है।

- इसमें पाँच नॉर्डिक देश शामिल हैं: डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, साथ ही तीन बाल्टिक राज्य: एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया।
- समूह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों को साझा करता है, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, सुरक्षा तथा संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता और सहयोग को बढावा देता है।
- जबिक नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप में स्थित हैं और शासन, सामाजिक प्रणालियों तथा मूल्यों में समानताएँ साझा करते हैं, बाल्टिक राज्य उत्तरपूर्वी यूरोप में स्थित हैं एवं उनकी अद्वितीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भू-राजनीतिक स्थिति है।



कॉन्क्लेव की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण एवं स्थिरताः

- चर्चाएँ मुख्य रूप से भारत और नॉर्डिक-बाल्टिक देशों के बीच अनुभवों, नवाचारों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके खाद्य प्रणालियों को स्थिरता की दिशा के परिवर्तन पर केंद्रित थीं।
- सहयोग का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय आयामों को शामिल करते हुए समग्र दृष्टिकोण के साथ वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।

ब्लू इकॉनमी एवं समुद्री सहयोगः

वैश्विक आपूर्ति शृंखला लचीलेपन को बढ़ाने, टिकाऊ समुद्री प्रथाओं को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने एवं भारत और नॉर्डिक-बाल्टिक देशों के बीच अधिक समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिये ब्लू इकॉनमी के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया गया।

नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरणः

विचार-विमर्श नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, संसाधनों की पहचान, नीति समर्थन, ऊर्जा भंडारण और उन्नत प्रौद्योगिकी पहल के लिये भारत के दबाव पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और उन्हें लागू करने में नवीन नॉर्डिक-बाल्टिक अर्थव्यवस्थाओं से समर्थन प्राप्त करना था।

उद्योग 5.0 में संक्रमणः

- सहयोग चर्चा विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता एवं दक्षता बढ़ाने के लिये AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), IoT तथा स्मार्ट विनिर्माण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि भारत और नॉर्डिक-बाल्टिक देशों के बीच सहयोग वर्ष 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में कैसे योगदान दे सकता है।

जलवायु कार्रवाई के लिये हरित वित्तपोषणः

कॉन्क्लेव ने हिरत और टिकाऊ पिरवर्तन में जलवायु वित्त के महत्त्व पर प्रकाश डाला। चर्चा का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने में भारत और नॉर्डिक-बाल्टिक देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तपोषण एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिये रणनीतियों और समाधानों की खोज करना था।

सचना प्रौद्योगिकी और AI सहयोग:

जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिये IT और AI का लाभ उठाने में भारत एवं नॉर्डिक-बाल्टिक देशों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों की खोज पर जोर दिया गया। समावेशी AI और IT विकास को सक्षम करने के लिये कौशल विकास पहल पर भी चर्चा की गई।

लचीली आपूर्ति शृंखला और रसदः

चर्चाएँ भारत की लॉजिस्टिक्स नीति के अनुरूप कुशल और लचीली आपूर्ति शृंखला बनाने की आवश्यकता के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। सम्मेलन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि भारत और नॉर्डिक-बाल्टिक देश तकनीकी प्रगति करके वैश्विक मूल्य शृंखला को मज़बूत करने के लिये कैसे सहयोग कर सकते हैं।

वैश्विक DPI शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

G20 डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) की तीसरी बैठक पुणे, महाराष्ट्र में ग्लोबल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure- DPI) शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ शुरू हुई।

 सत्र में DPI के सामान्य सिद्धांतों और डिजाइन पहलुओं पर विचार किया गया, जिसमें पारदर्शी मानक, साझेदारी, अंतर-क्षमता और सामर्थ्य शामिल हैं। भारत ने वन फ्यूचर अलायंस नामक देशों का एक गठबंधन बनाने का भी प्रस्ताव रखा, जो समान विचारधारा वाले देशों को लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की अनुमति देगा।

नोट:

DEWG, जिसे मूल रूप से DETF कहा जाता था, वर्ष 2017 में जर्मन G20 प्रेसीडेंसी के हिस्से के रूप में एक सुरक्षित, परस्पर और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन को बढावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था।

वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है और वर्ष 2025 तक इसके 23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, DEWG डिजिटल स्पेस में वैश्विक नीति संवाद को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भुमिका निभाता है।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- DPI एडवांसमेंट के लिये चरण निर्धारित करना:
 - ♦ सफल DPI कार्यान्वयन और डिजिटल परिवर्तन के लिये एक परीक्षण मामले के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया गया।
 - भारत ने इंडिया स्टैक के माध्यम से बडे पैमाने पर कार्यान्वित अपने सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिये आर्मेनिया, सिएरा लियोन और सूरीनाम के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।

े लोगों को सशक्त बनाने हेतु डिजिटल पहचान:

- 💠 यह सत्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सामाजिक सामंजस्य की नींव के रूप में डिजिटल पहचान की भूमिका पर केंद्रित था।
- इस सत्र में कार्यान्वयन के विभिन्न मॉडलों जैसे केंद्रीकृत, संघीकृत और विकेंद्रीकृत पर चर्चा की गई।
- उल्लेखनीय उदाहरणों के रूप में भारत के आधार (Aadhaar) और फिलीपींस फिलसिस (PhilSys) को रेखांकित किया गया था।

ंडिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन:

- 💠 इस सत्र में तेज और समावेशी डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिये DPI की भूमिका का उल्लेख किया गया।
- इस चर्चा में निपटान के प्रकार, जोखिम प्रबंधन, उपयोगकर्त्ता ऑनबोर्डिंग लागत और DPI के माध्यम से वित्तीय विभाजन को शामिल करना था।

- न्यायिक प्रणालियों और विनियमों के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):
 - ♦ इस सत्र में न्यायिक प्रणालियों में DPI के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।
 - ♦ इस सत्र में कवर किये गए विषयों में ई-कोर्ट प्रणाली, ई-फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और DPI संचालित न्यायपालिका प्रणाली में विश्वास जगाने के लिये उपयुक्त संस्थानों एवं विनियमों की आवश्यकता शामिल है।

PKI म्यूचुअल रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क का प्रारूप:

♦ पिंबलक की इन्फ्रास्ट्रक्चर (PKI) म्यूचुअल रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क के प्रारूप को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश की सीमाओं से परे भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के कार्यान्वयन तथा इसे अपनाने के विषय पर नेतृत्व करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

वन फ्यूचर गठबंधनः

- यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिये समान विचारधारा वाले देशों का गठबंधन है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं सतत् विकास के संचालन में एक समान विचारधारा वाले देशों को सहयोग करने तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाना है।
- यह गठबंधन पहले से उपलब्ध ओपन-सोर्स कस्टमाइज़ेबल स्टैक पर निर्माण करना चाहता है तथा देशों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये समाधानों के नवीनीकरण और अनुकूलित करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- यह गठबंधन साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) को लागू करने तथा बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रौद्योगिकी की गतिशील प्रकृति, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बहुभाषावाद की शक्ति को स्वीकार करता है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्क्चरः

- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) से तात्पर्य डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे प्लेटफॉर्म से है जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त बनाने तथा डिजिटल समावेशन को सक्षम कर जीवन में सुधार करने में मदद करता है।
- DPIs लोगों, धन और सूचना के प्रवाह में मध्यस्थता करता है। पहले एक डिजिटल ID प्रणाली के माध्यम से लोगों का प्रवाह।

दूसरा रियल-टाइम त्वरित भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह और तीसरा DPI के लाभों को प्राप्त करने एवं डेटा को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिये सहमति आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह।

- ये तीन सेट एक प्रभावी DPI पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के आधार हैं।
- प्रत्येक DPI स्तर एक स्पष्ट आवश्यकता को पूरा करती है और विभिन्न क्षेत्रों में लिये बहुत उपयोगी है।
- इंडिया स्टैक के माध्यम से सभी तीन मूलभूत DPI- डिजिटल पहचान (आधार), रीयल-टाइम फास्ट पेमेंट (UPI) और डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA) पर निर्मित अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला भारत पहला देश बन गया।
 - DEPA एक डिजिटल ढाँचा का निर्माण करता है जो उपयोगकर्ताओं को तृतीय-पक्ष इकाई के माध्यम से अपने डेटा को शर्तों पर साझा करने की अनुमित देता है, जिन्हें कंसेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है।

बाह्य अंतरिक्ष हेतु एक नई संधि का आह्वान

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने हाल ही में "फॉर ऑल ह्यूमैनिटी- द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस" शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है, जिसमें शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिये एक नई संधि की सिफारिश की गई है।

यह सिफारिश सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में होने वाले UN सिमट ऑफ द फ्यूचर से पहले की गई है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बहुपक्षीय समाधानों को सुविधाजनक बनाना और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिये वैश्विक शासन को मजबूत करना है।

प्रमुख बिंदु

उपग्रह प्रक्षेपण में वृद्धिः

- पिछले दशक में उपग्रह प्रक्षेपणों में तेजी से वृद्धि हुई है, जो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी से प्रेरित है।
 - वर्ष 2013 में 210 नए उपग्रह लॉन्च हुए, जिनकी संख्या वर्ष 2019 में बढ़कर 600 और वर्ष 2020 में 1,200 तथा वर्ष 2022 में 2.470 हो गई।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और जापान जैसे देश अंतरिक्ष गतिविधियों में अग्रणी हैं, जिनमें मानव मिशन, चंद्र अन्वेषण तथा संसाधन दोहन शामिल हैं।
 - प्र राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतिरक्ष प्रशासन (NASA) अपने आर्टेमिस मिशन के माध्यम से प्रथम महिला और द्वितीय पुरुष को चंद्रमा पर उतारने की योजना बना रहा है।
 - चंद्रमा पर खनिज (हीलियम 3 का समृद्ध भंडार है, जो पृथ्वी पर दुर्लभ है), क्षुद्रग्रह (प्लैटिनम, निकल और कोबाल्ट सहित मूल्यवान धातुओं का प्रचुर भंडार) और ग्रह के लिये आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे का अभाव:

- अंतिरक्ष संसाधन अन्वेषण, दोहन और उपयोग पर एक सहमत अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे का अभाव है।
- पर्यावरण प्रदूषण के लिये क्षेत्राधिकार, नियंत्रण, दायित्व और जिम्मेदारी के मुद्दों को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष संसाधन गतिविधियों के कार्यान्वयन के समर्थन हेतु संक्षिप्त नीति के निर्माण पर बल देता है।

समन्वय और अंतिरक्ष यातायात प्रबंधनः

- वर्तमान में अंतिरक्ष यातायात का समन्वय का अभाव है जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाएँ अलग-अलग मानकों और प्रथाओं को नियोजित करती हैं।
- समन्वय की कमी सीमित अंतिरक्ष क्षमता वाले देशों के लिये चुनौतियाँ पेश करती है।

🔾 अंतरिक्ष मलबा और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:

- अंतरिक्ष मलबे के प्रसार को एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे के रूप में रेखांकित किया जाता है जिसमें हजारों वस्तुएँ अंतरिक्ष में संचालित यानों के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र अंतिरक्ष मलबे के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के लिये क्षेत्राधिकार, नियंत्रण, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी से संबंधित कानून की मांग करता है। अंतिरक्ष से मलबा हटाने की तकनीक विकसित की जा रही है लेकिन कानूनी पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

सिफारिशें:

शांति और सुरक्षा के लिये नई संधिः

संयुक्त राष्ट्र ने शांति, सुरक्षा तथा बाह्य अंतिरक्ष में हथियारों की होड़ को प्रतिबंधित करने के लिये संवाद और एक नई संधि के विकास की सिफारिश की है। यह संधि उभरते खतरों को दूर करने और उत्तरदायी अंतिरक्ष गितविधियों को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानदंड, नियम और सिद्धांत की स्थापना करेगी।

समन्वित अंतिरक्ष स्थितिजन्य जागरूकताः

सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे अंतिरक्ष स्थितिजन्य जागरूकता और अंतिरक्ष घटनाओं के समन्वय के लिये एक प्रभावी ढाँचे की स्थापना करें। यह समन्वय अंतिरक्ष संचालन की सुरक्षा और संरक्षा में वृद्धि करेगा।

अंतिरक्ष मलबे को हटाने हेतु रूपरेखाः

- संयुक्त राष्ट्र ने विधिक और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिये मानदंडों एवं सिद्धांतों के विकास की मांग की है।
- इसके तहत विशेष रूप से चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर अंतिरक्ष संसाधनों के सतत् अन्वेषण, दोहन एवं उपयोग के लिये एक प्रभावी रूपरेखा की सिफारिश की गई है।

बाह्य अंतरिक्षः

🔾 परिचय:

बाह्य अंतिरक्ष, जिसे अंतिरक्ष अथवा आकाशीय अंतिरक्ष के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल से परे और आकाशीय पिंडों के बीच विशाल विस्तार को संदर्भित करता है। यह एक निर्वात है जो पृथ्वी के वायुमंडल से परे मौजूद है तथा पूरे ब्रह्मांड में अनिश्चित काल तक के लिये फैला हुआ है। बेहद कम घनत्त्व और दबाव के साथ-साथ वायु एवं अन्य वायुमंडलीय तत्त्वों की अनुपस्थिति बाह्य अंतिरक्ष की विशेषता है।

⇒ संयुक्त राष्ट्र संधियाँ:

- इन संधियों को आमतौर पर "बाह्य अंतरिक्ष पर पाँच संयुक्त राष्ट्र संधियाँ" के रूप में संदर्भित किया जाता है:
- बाह्य अंतिरक्ष संधि 1967: चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सिंहत बाह्य अंतिरिक्ष की खोज और उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि।
- बचाव समझौता 1968: अंतिरक्ष यात्रियों के बचाव, अंतिरक्ष यात्रियों की वापसी और बाह्य अंतिरक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की वापसी पर समझौता।
- दायित्व अभिसमय 1972: अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण होने वाली क्षित हेतु अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व पर अभिसमय।
- पंजीकरण अभिसमय 1976: बाह्य अंतरिक्ष में लॉन्च की गई वस्तुओं के पंजीकरण पर अभिसमय।

- द मून एग्रीमेंट 1979: चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर देशों
 की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला समझौता।
- भारत इन सभी पाँच संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन उसने केवल चार का अनुसमर्थन किया है। भारत ने मून एग्रीमेंट की पुष्टि नहीं की है।

भारत-रोमानिया रक्षा समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और रोमानिया ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की स्थापना और उसका विस्तार करना है।

समझौते के बारे में:

- यह समझौता सैन्य उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन सिहत पारस्परिक हित के विषयों पर विशेषज्ञता एवं ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भविष्य के सहयोग हेतु कानूनी ढाँचा प्रदान करेगा।
- यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा तथा रक्षा चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में भारी अवसर प्रदान करेगा।

समझौते का महत्त्वः

- हिंद-प्रशांत में सहयोग हेतु यूरोपीय संघ (EU) की रणनीति इस क्षेत्र में यूरोपीय संघ-भारत के बीच सहयोग को मजबूत करने का एक अवसर है। रोमानिया इस रणनीतिक ढाँचे के भीतर हिंद-प्रशांत में सक्रिय भागीदारी के लिये प्रतिबद्ध है।
- मई 2021 में यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक साझेदारी रोडमैप और यूरोपीय संघ-भारत के नेताओं की बैठक की प्रतिबद्धताएँ भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक अच्छा आधार प्रदान करती हैं।
- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने एवं नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने हेतु हिंद-प्रशांत भागीदारों के साथ संबंधों को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है।

नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक में, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से 'नेट जीरो' इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना की घोषणा की।

नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर क्या है?

- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिये भारत और यूके की एक संयुक्त पहल है।
- यह दोनों देशों के हितधारकों को एक साथ लाने के लिये एक फोरम प्रदान करेगा ताकि कुछ फोकस क्षेत्रों जैसे निर्माण प्रक्रिया और परिवहन प्रणालियों के डीकार्बोनाइजेशन तथा नवीकरणीय स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जा सके।
- यह उत्सर्जित और वातावरण से रिमूव किये गए ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को संतुलित करते हुए शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य का समर्थन करेगा।
- यह दोनों देशों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार, अनुसंधान और विकास, क्षमता निर्माण तथा नीतिगत संवाद की सुविधा भी प्रदान करेगा।

बैठक के मुख्य हाइलाइट्स:

- भारत-युके विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोगः
 - यूके भारत के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार भागीदार के रूप में उभरा है।
 - भारत और यूके के बीच संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम लगभग शून्य से बढ़कर 300-400 मिलियन पाउंड के करीब पहुँच गया है।

भारत की आर्थिक और तकनीकी क्षमताएँ:

- भारत अपनी असाधारण तकनीकी और नवीन क्षमताओं से संचालित एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से कोविड वैक्सीन की सफलता के बाद।
- ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रीय स्तंभ है जहाँ भारत सौर गठबंधन और स्वच्छ ऊर्जा मिशन जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से पहले ही नेतृत्व कर चुका है।
- भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये पर्यावरण प्रदूषण और तकनीकी-आधारित मार्गों के समाधान तथा निगरानी समाधान विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासों के माध्यम से महत्वाकांक्षी शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।

🔾 उद्योग-अकादमिक सहयोग:

यह सहयोग दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिये एक साथ नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिये भारतीय और युके शिक्षा तथा उद्योग के लिये एक अवसर प्रदान करेगा।

रोज़गार कार्य समूह की तीसरी बैठक

चर्चा में क्यों?

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization- ILO) मुख्यालय में रोजगार कार्य समूह (Employment Working Group- EWG) की तीसरी बैठक आयोजित की जा रही है।

यह बैठक, जो कि ILO के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के साथ संरेखित है, G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD), अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (International Social Security Association- ISSA), विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है।

प्रमुख बिंदु

- 🔾 प्राथमिक क्षेत्रः
 - भारत की प्रेसीडेंसी में वर्ष 2023 में EWG के लिये तीन
 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है:
 - वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना: यह क्षेत्र वैश्विक कार्यबल में प्रचलित कौशल अंतराल की पूर्ति करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने की रणनीति विकसित करने पर केंद्रित है।
 - मिगा, प्लेटफॉर्म इकॉनमी और सामाजिक सुरक्षा: कार्य की विकसित प्रकृति को देखते हुए गिग और प्लेटफॉर्म इकॉनमी कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
 - गिग और प्लेटफॉर्म इकॉनमी एक आधुनिक कार्य व्यवस्था को संदर्भित करती है, जहाँ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म या एप के माध्यम से अल्पकालिक, स्वतंत्र या मांग आधारित (ऑन-डिमांड) कार्य करते हैं।
 - इसकी विशेषता कार्य का अस्थायी और लचीलापन है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधा प्रदान करता है और ग्राहकों को सेवा प्रदाताओं (गिग कामगारों के रूप में) को जोड़ता है।
 - सामाजिक सुरक्षा का स्थायी वित्तपोषण: यह क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा पहलों का समर्थन करने और श्रिमिकों के लिये सुरक्षा जाल प्रदान करने हेतु स्थायी वित्तपोषण मॉडल के महत्त्व पर बल देता है

बैठक के चरणः

- EWG बैठक भारत के विभिन्न शहरों में चार अलग-अलग चरणों में आयोजित की गई।
 - प्रहला चरण फरवरी 2023 में जोधपुर, राजस्थान में आयोजित किया गया था।
 - दूसरा चरण अप्रैल 2023 में गुवाहाटी, असम में आयोजित
 किया गया।
 - तीसरा चरण जिनेवा में 31 मई से 2 जून 2023 तक आयोजित किया जा रहा है।
 - चौथा और अंतिम चरण जुलाई 2023 में इंदौर, मध्य प्रदेश
 में आयोजित किया जाएगा।

रोज़गार कार्य समूहः

⊃ परिचयः

- रोजगार कार्य समूह (EWG) G20 ढाँचे के भीतर स्थापित एक फोरम है जो रोजगार, श्रम बाजारों और सामाजिक नीतियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है।
- यह चर्चाओं में शामिल होने, अनुभव साझा करने और रोजगार संबंधी मामलों पर नीतिगत सिफारिशों के लिये G20 सदस्य देशों तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।

🗅 उद्देश्यः

EWG का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर श्रम बाजार के परिणामों में सुधार करना तथा श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करके समावेशी और सतत् आर्थिक विकास को बढावा देना है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनः

🔾 परिचय:

- ILO श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भागीदारों में से एक है जो EWG को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- ILO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढाना है।
- राष्ट्र संघ के तहत अक्तूबर 1919 (वर्साय की संधि) में स्थापित यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है।

🔾 सदस्यः

- ILO की एक त्रिपक्षीय संरचना है जो अपने 187 सदस्य राज्यों से सरकारों, नियोक्ताओं और श्रिमकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है।
 - भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनः

- ILO जिनेवा में एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन भी आयोजित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है।
 - इसे अक्सर श्रम की अंतर्राष्ट्रीय संसद के रूप में जाना जाता है।

कार्रवार्ड के साधन:

- ILO में कार्रवाई का प्रमुख साधन सम्मेलनों और सिफारिशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना की गई है।
 - सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं और वे उपकरण हैं, जो उन देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाते हैं जो उनकी पुष्टि करते हैं।
 - इनकी सिफारिशें गैर-बाध्यकारी हैं और राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यों हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करती हैं।

⇒ उपलब्धियाँ ⁄कार्यः

- 💠 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया।
 - 🗷 वर्गों के बीच शांति में सुधार के लिये कार्य।
 - 💢 श्र<mark>िमकों</mark> के लिये सभ्य काम और न्याय सुनिश्चित करना।
 - अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

⇒ ILO द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्टः

- 💠 विश्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक
- विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट
- वैश्विक मज़दूरी रिपोर्ट

अटलांटिक घोषणा

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने इक्कीसवीं सदी की यूएस-यूके आर्थिक साझेदारी के लिये अटलांटिक घोषणा की सूचना दी है।

- इस घोषणा का उद्देश्य वर्तमान युग की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये दोनों देशों के मध्य लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन को अनुकूलित, सुदृढ़ और पुनर्किल्पत करना है।
- इस नई घोषणा के साथ दोनों राष्ट्र रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी
 और आर्थिक क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करना चाहते हैं।

अटलांटिक घोषणापत्र की प्रमुख विशेषताएँ:

🔾 परिचय:

अटलांटिक घोषणा लचीली, विविध और सुरक्षित आपूर्ति शृंखला बनाने पर केंद्रित है, जो रणनीतिक निर्भरता को कम करती है। इस साझेदारी का उद्देश्य साझा विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और समुदायों के उत्थान हेतु ऊर्जा परिवर्तन एवं तकनीकी सफलताओं का लाभ उठाना है।

⊃ अटलांटिक घोषणा कार्य योजना (Atlantic Declaration Action Plan- ADAPT):

- ADAPT श्रमिकों, व्यवसायों, जलवायु और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं लचीलापन बढाने हेतु व्यापक रणनीति तैयार करता है।
- इस योजना में पाँच प्रमुख स्तंभ शामिल हैं, साथ ही प्रगति एवं समय के साथ महत्त्वाकांक्षा बढ़ाने हेतु नियमित उच्च-स्तरीय बैठकें शामिल हैं।

पाँच स्तंभः

महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में नेतृत्व: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी तथा उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।

- आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी संरक्षण पर सहयोग: इसमें साइबर सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला लचीलापन एवं प्रौद्योगिकी शासन पर जानकारी साझा करना तथा सर्वोत्तम अभ्यास को शामिल किया जाएगा।
- एक समावेशी और जिम्मेदार डिजिटल परिवर्तन हेतु साझेदारी: डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिये व्यक्तियों की तैयारी सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल कौशल प्रशिक्षण और कार्यबल विकास पर सहयोग करना।
- 💠 भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था का निर्माण।
- 💠 रक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतरिक्ष गठबंधन को मज़बूत करना।

भारत-रूस द्विपक्षीय बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय बैठक के लिये रूस का दौरा किया जहाँ दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा व दवाओं, फार्मास्युटिकल पदार्थों व चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किये।



भारत-रूस द्विपक्षीय बैठक के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

आर्थिक सहयोगः

- 💠 रक्षा, अंतरिक्ष अन्वेषण, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी साझाकरण में रणनीतिक सहयोग पर जोर, लंबे समय से चली आ रही साझेदारी की दृढ़ता को दर्शाता है तथा गहरे सहयोग के रास्ते तलाशता है।
- दोनों देश भारतीय बाजार में रूसी हाइड्रोकार्बन के निर्यात के विस्तार के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर सहमत हुए।
- दोनों पक्षों ने सुदूर पूर्व में सहयोग के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया और EaEU-India FTA वार्ता की शीघ्र बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

्परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर समझौताः

- भारत और रूस ने तिमलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना की भविष्य की इकाइयों को आगे बढ़ाने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भारत पहले से ही दो रूस निर्मित परमाणु संयंत्रों का संचालन कर रहा है जबकि अन्य चार तिमलनाडु के कुडनकुलम में निर्माणाधीन हैं।
 - 🗷 भारत का सबसे बड़ा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जी संयंत्र रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। निर्माण मार्च 2002 में शुरू हुआ। फरवरी 2016 से, कुडनकुलम NPP की पहली ऊर्जा इकाई 1,000 मेगावाट की अपनी डिज़ाइन क्षमता पर लगातार काम कर रही है।
 - 🗷 रूसी मीडिया के अनुसार संयंत्र के वर्ष 2027, में पूरी क्षमता से काम शुरू करने की उम्मीद है।

कूटनीतिक पहल:

बहुपक्षीय मंचों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर चर्चा जहाँ भारत तथा रूस ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एवं संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों सहित सहयोग करते हैं या साझा हित रखते हैं।

रूस में वैगनर विद्रोह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस की वैगनर प्राइवेट मिलिट्टी कंपनी के प्रमुख ने देश के रक्षा प्रतिष्ठान के खिलाफ एक अल्पकालिक विद्रोह किया, जिसने रूस के समक्ष एक अभूतपूर्व आंतरिक सुरक्षा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी।

पृष्ठभूमि:

MoD पर आरोप:

- 💠 वैगनर ग्रुप (प्रिगोझिन) के प्रमुख ने भ्रष्टाचार और अक्षमता का दावा करते हुए रूस के रक्षा मंत्रालय (MoD) के नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए।
- वैगनर ग्रुप ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें रक्षा नेतृत्व ने वैगनर प्रमुख पर हवाई हमले का आदेश देने और रोस्तोव-ऑन-डॉन में दक्षिणी सैन्य जिला मुख्यालय पर नियंत्रण करने का आरोप लगाया गया।
- उनकी शिकायतों को दूर करने के प्रयास में वैगनर बलों (Wagner Forces) ने मॉस्को की ओर "न्याय मार्च" शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप झड़पें हुईं और महत्त्वपूर्ण क्षति हुई।

राजद्रोह करार:

- रूसी राष्ट्रपति ने विद्रोह की निंदा करते हुए इसे "देशद्रोह" करार दिया।
- उन्होंने सुरक्षा बलों को विद्रोह को दबाने का आदेश दिया। हालाँकि वैगनर के पिछले गठबंधन और उसकी प्रभावशीलता के कारण उन्हें दुविधा का सामना करना पड़ा।


समझौता वार्ताः

♦ रूसी राष्ट्रपति ने बेलारूस के राष्ट्रपति की मदद से प्रिगोझिन के साथ बातचीत की। बातचीत के अनुसार, प्रिगोझिन पीछे हटने और बेलारूस में स्थानांतरित होने पर सहमत हो गया।

वैगनर समूहः

वैगनर समूह को PMC वैगनर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक रूसी अर्द्धसैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी।

- वैगनर के पास अपने लगभग 50,000 भाडे के सैनिक थे जिनमें से कई पूर्व कैदी थे और यूक्रेन में लड़ रहे थे।
- समृह ने वर्षों से मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के युद्ध क्षेत्रों में कार्य किया है।



रूस-भारत द्विपक्षीय व्यापार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस के उप प्रधानमंत्री ने भारत में 24वें रूस-भारत अंतर-सरकारी आयोग (IGC) की बैठक में भाग लिया।

रूस ने पश्चिमी निर्मित विनिर्माण उपकरणों को बदलने के लिये
 भारत से मशीनरी खरीदने में रुचि दिखाई है।

प्रमुख बिंदु

- यूक्रेन में चल रहे यद्ध के कारण डिलीवरी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों का सामना करने हेतु दोनों देशों ने भारत-रूस के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की है।
- दोनों देशों ने रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र के लिये भारत की योजनाओं पर चर्चा की जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रूस की रणनीति का एक अनिवार्य अंग है।
- उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार को और गित प्रदान करने हेतु द्विपक्षीय व्यापार प्रयासों एवं नए औद्योगिक बिंदुओं की पहचान करने के संबंध में चर्चा की।
 - वर्तमान में व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में है, इसिलये दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों में अधिक संतुलन बनाने के तरीकों पर चर्चा की है।
- दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक और मानवीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की।
 - इन चर्चाओं में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा
 से संबंधित पारस्परिक हित के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया।

भारत-रूस व्यापार संबंधों की स्थिति:

- रूस के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2020-21 में 8.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- रूस पिछले वर्ष अपने 25वें स्थान से बढ़कर अब भारत का सातवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
 - अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया ऐसे छह देश थे जिन्होंने वर्ष 2022-23 के पहले पाँच महीनों के दौरान भारत के साथ व्यापार की उच्च मात्रा दर्ज की।

रूस के साथ प्रमुख रक्षा समझौतों में चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों ?

भारत और रूस के बीच प्रमुख रक्षा समझौते, विशेषकर S-400 डील, को यूक्रेन में चल रहे युद्ध और भुगतान चुनौतियों सहित विभिन्न कारकों के कारण अनिश्चितताओं का सामना करना पड रहा है।

S-400 डील में रूस से उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों (Advanced Air Defense Systems) की खरीद शामिल है। अनुबंधित पाँच S-400 मिसाइल प्रणाली में से तीन को वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित समझौते के हिस्से के रूप में भारत लाया गया है।



रक्षा समझौते के समक्ष चुनौतियाँ:

- ⊃ S-400 डील की जटिलताएँ:
 - ♦ S-400 डील को जटिलताओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-CAATSA) और चरणबद्ध भुगतान में विलंब की चिंताएँ शामिल हैं।
 - यूक्रेन में युद्ध के कारण समझौते को क्रियान्वित करने में चुनौतियाँ बढ़ गई हैं।

भुगतान संकटः

- भुगतान चुनौतियों के कारण वर्तमान में अनुमानित 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान बकाया है। व्यापार असंतुलन के कारण रुपया-रूबल व्यवस्था (Rupee-Rouble Arrangement) के माध्यम से इस संकट को हल करने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं।
 - स्रोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (SWIFT) प्रणाली से रूस के बहिष्कार के कारण भारत और रूस ने रक्षा लेन-देन के भुगतान के निपटान हेतु रुपया-रूबल भुगतान तंत्र अपनाया था।

हालाँिक छोटे भुगतान फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन बड़े भुगतान अटके हुए हैं, जिससे जारी और भविष्य के सौदों को पूरा करने में चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।

S-400 डिलीवरी और फ्रिगेट्स में विलंब:

- जबिक तीन मिसाइल प्रणालियों की डिलीवरी हो चुकी है, शेष दो मिसाइल प्रणालियों की डिलीवरी में देरी हो रही है। भुगतान संबंधी मुद्दे हल न होने के कारण संशोधित कार्यक्रमों की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
 - भारतीय नौसेना के लिये रूस में निर्माणाधीन दो क्रिवाक-क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स की डिलीवरी में भी देरी हो रही है।

भारत और रूस के बीच रक्षा व्यापार की गतिशीलता:

संयुक्त अनुसंधान के लिये क्रेता-विक्रेता रूपरेखाः

भारत-रूस सैन्य-तकनीकी सहयोग क्रेता-विक्रेता ढाँचे से विकसित होकर उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान, विकास एवं उत्पादन तक विस्तृत हो गया है।

🗅 संयुक्त सैन्य कार्यक्रमः

- ब्रह्मोस क्रुज मिसाइल कार्यक्रम
- 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम
- ♦ सुखोई Su-30MKI कार्यक्रम
- ♦ इलुशिन/HAL सामरिक परिवहन विमान
- ♦ KA-226T जुड़वाँ इंजन उपयोगिता हेलीकॉप्टर
- 💠 कुछ फ्रिगेट्स

⇒ सैन्य हार्डवेयरः

- भारत द्वारा रूस से खरीदे/पट्टे पर लिये गए सैन्य हार्डवेयर में शामिल हैं:
 - ¤ एस-400 ट्रायम्फ
 - कामोव का-226 200 को मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में बनाया जाएगा

 - INS विक्रमादित्य विमान वाहक कार्यक्रम

पनडुब्बी कार्यक्रमः

- रूस अपने पनडुब्बी कार्यक्रमों द्वारा भारतीय नौसेना की सहायता करने में भी बहुत महत्तवपूर्ण भूमिका निभाता है:
 - भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी 'फॉक्सट्रॉट क्लास' रूस से प्राप्त हुई थी।
 - भारत द्वारा संचालित एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य रूसी मूल का है।
 - भारत रूस से प्राप्त 14 पारंपिरक पनडुब्बियों में से 9 का संचालन करता है।

हाल में हुई प्रगतिः

- वर्ष 2018 और 2021 के बीच भारत एवं रूस के मध्य रक्षा व्यापार लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें S-400, फ्रिगेट्स, AK-203 असॉल्ट राइफल और आपातकालीन खरीद सहित महत्तवपूर्ण सौदे शामिल थे।
- रक्षा व्यापार संबंध भू-राजनीतिक गतिशीलता से प्रभावित हुआ है, जिसमें वर्ष 2019 में बालाकोट हवाई हमला और वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध शामिल है।

S-400 सौदाः

🗅 परिचय:

- ♦ S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिजाइन की गई एक गितशील (Mobile) और सतह से हवा में मार करने वाली (Surface-to-Air Missile System- SAM) मिसाइल प्रणाली है, S-400 सौदे से आशय भारत द्वारा S-400 की खरीद से है।
- अमेरिका की आपित्तयों और काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज श्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA) के तहत प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली के लिये अक्तूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किये।

विशेषताः

- यह 30 किमी. तक की ऊँचाई पर 400 किमी. के दायरे में विमान, मानव रहित हवाई वाहन और बैलिस्टिक तथा क्रूज़ मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है।
- यह प्रणाली एक साथ 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से छह को एक साथ लिक्षत कर सकती है।

रूस द्वारा न्यू स्टार्ट (START) का निलंबन

हाल ही में रूस ने अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौते न्यू स्टार्ट संधि से हटने के अपने इरादे की घोषणा की है।



न्यू स्टार्ट संधिः

⊃ पृष्ठभूमि:

- "नई सामिरक शस्त्र न्यूनीकरण संधि" (New START), जिसे START-I के नाम से जाना जाता है, को वर्ष 1991 में अमेरिका एवं तत्कालीन USSR के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था और यह संधि वर्ष 1994 में लागू हुई।
- START-I संधि जिसने परमाणु वारहेड्स और अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBMs) की संख्या को प्रत्येक पक्ष के लिये क्रमश: 6,000 एवं 1,600 की सीमा तक सीमित कर दिया, वर्ष 2009 में समाप्त हो गई और इसे पहले SORT द्वारा (जिसे मॉस्को की संधि के रूप में भी जाना जाता है) तथा बाद में न्यू स्टार्ट संधि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

🔾 न्यू स्टार्टः

न्यू स्टार्ट संधि "रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों को और कम करने एवं सीमित करने के उपायों पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच 5 फरवरी, 2011 से प्रभावी हुई। इस संधि ने अंतर-

- महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु हथियारों पर नई सत्यापन संबंधी सीमाएँ निर्धारित कीं।
- दोनों देशों को फरवरी 2018 तक रणनीतिक आक्रामक हथियारों पर संधि की केंद्रीय सीमाओं के अनुरूप होना था और फिर संधि लागू रहने की अवधि तक उन सीमाओं के अंदर रहना था। अमेरिका तथा रूसी संघ बाद में फरवरी 2026 तक इस संधि का विस्तार करने पर सहमत हुए थे।

ब्लैक सी ग्रेन डील को पुनः शुरू करने पर वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तुर्किये के राष्ट्रपति ने ब्लैक सी ग्रेन डील पर पुन: चर्चा करने के लिये रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, यह जानना जरुरी है कि रूस ने जुलाई 2023 में खुद को इस समझौते से बाहर कर लिया था।



ब्लैक सी ग्रेन पहल:

परिचय:

- ब्लैक सी ग्रेन पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर 'ब्रेडबास्केट' में रूसी कार्रवाइयों के कारण आपूर्ति शृंखला में होने वाले व्यवधानों से उत्पन्न खाद्य कीमतों में वृद्धि से निपटने का प्रयास करना है।
- ♦ संयुक्त राष्ट्र और तुर्किये की मध्यस्थता में इस्तांबुल ने इस समझौते पर जुलाई 2022 में हस्ताक्षर किये थे।
- यह पहल विशेषत: काला सागर में तीन प्रमुख यूक्रेनी पत्तनों-ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क, युजनी/पिवडेनी से वाणिज्यिक खाद्य और उर्वरक (अमोनिया सहित) निर्यात की अनुमति देती है।

उद्देश्य:

- 💠 यह समझौता, जिसे शुरू में 120 दिनों की अवधि के लिये स्थापित किया गया था, का उद्देश्य यूक्रेनी निर्यात (विशेष रूप से खाद्यान्न) को एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान करना था।
- इसका मुख्य लक्ष्य अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए खाद्य कीमतों में वृद्धि को रोककर बाजार की अस्थिरता को नियंत्रित करना था।

संयुक्त समन्वय केंद्र (JCC) की भूमिका:

- ♦ ICC की स्थापना काला सागर अनाज पहल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये की गई थी।
- JCC की मेजबानी इस्तांबुल में की गई है और इसमें रूस, तुर्किये, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र केंद्र के लिये सिचवालय के रूप में भी कार्य करता है।
- 💠 उचित निगरानी, निरीक्षण और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिये सभी वाणिज्यिक जहाजों को सीधे JCC के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। आने वाले और बाहर जाने वाले जहाज (निर्दिष्ट गलियारे तक) निरीक्षण के बाद ICC द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार पारगमन करते हैं।
 - ऐसा इसलिये किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहाज पर कोई अनिधकृत कार्गो या कर्मी न रहे।
 - 🙎 इसके बाद उन्हें निर्दिष्ट गलियारे के माध्यम से लोडिंग के लिये यूक्रेनी बंदरगाहों तक जाने की अनुमति दी जाती है।

भारत-लिथुआनिया संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री और लिथुआनिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय में उप मंत्री ने भारत व लिथुआनिया के बीच समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिये नई दिल्ली में बैठक की।

बैठक के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- विनियस में रेजिडेंट मिशन का उद्घाटन: विनियस में भारत के रेजिडेंट मिशन के उद्घाटन की सराहना की गई, इसे लिथुआनिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिये भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया गया।
- द्विपक्षीय व्यापार वृद्धिः भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 472 0 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निरंतर वृद्धि का हवाला देते हुए द्विपक्षीय व्यापार के सकारात्मक प्रक्षेपवक्र पर जोर दिया, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में निरंतर वृद्धि का संकेत है।
- पोर्ट इंफ्रास्टक्चर पर सहयोग और क्लेपेडा पोर्ट के लाभ: चर्चा सहयोग के अवसरों की खोज, बंदरगाह बुनियादी ढाँचे के विकास में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर केंद्रित थी।
 - इस सहयोग का उद्देश्य पूर्वी यूरोप में महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के प्रवेश द्वार के रूप में लिथुआनिया की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना है।
 - चर्चा का केंद्र बिंदु क्लेपेडा बंदरगाह के विशिष्ट फायदों पर आधारित था, विशेष रूप से इसकी वर्ष भर बर्फ मुक्त स्थिति पर।
 - म कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के लिये अग्रणी बाल्टिक बंदरगाह के रूप में यह पूर्वी यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिये लाभप्रद भूमि संपर्क का दावा करते हुए व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
 - विविध निवेश अवसर: भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोर्ट आधुनिकीकरण (PPP), पोर्ट कनेक्टिविटी, तटीय शिपिंग, समुद्री प्रौद्योगिकी, सागरमाला परियोजना और डीकार्बोनाइजेशन पहल सहित विभिन्न क्षेत्रों में लिथुआनिया के लिये निवेश के अवसरों की एक शृंखला प्रस्तुत की।



7. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई, जहाँ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों तथा रक्षा मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया।



वार्ता की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

बेहतर सहयोगः

- दोनों देशों ने अपने रणनीतिक संबंधों को सशक्त करने में इन पहलुओं के महत्त्व को रेखांकित करते हुए सूचना के आदान-प्रदान तथा इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) में अधिक सहयोग पर जोर दिया।
- क्वाड का इंडो-पैसिफिक MDA कार्यान्वयन चरण में है, जिसे भारत द्वारा आयोजित आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख एजेंडा के रूप में माना जाएगा।

कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्थाएँ:

दोनों पक्षों ने हाइड्रोग्राफी सहयोग तथा हवा-से-हवा में ईंधन भरने में सहयोग को लेकर क्रियान्वयन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा की, जो रक्षा क्षेत्र में ठोस सहयोग की दिशा में कदम का संकेत है।

गहन प्रशिक्षण क्षेत्रः

कृत्रिम बुद्धिमता (AI), पनडुब्बी रोधी, ड्रोन रोधी युद्ध तथा साइबर जैसे विशेष प्रशिक्षण क्षेत्रों में सहयोग का साझा दृष्टिकोण उन्नत रक्षा क्षमताओं को विकसित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

रक्षा उद्योग सहयोगः

- दोनों देशों ने माना कि रक्षा उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सहयोग पहले से मजबूत संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा।
- उन्होंने पोत निर्माण, मरम्मत और रखरखाव तथा एयरक्राफ्ट के रखरखाव, मरम्मत तथा कायाकल्प सिंहत सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान की।

🔾 अंडरवाटर टेक्नोलॉजी में अनुसंधान:

पानी के भीतर प्रौद्योगिकियों के मामले में संयुक्त अनुसंधान में सहयोग तथा रक्षा स्टार्ट-अप्स के क्षेत्र में गठबंधन पर चर्चा की गई जो रक्षा रणनीतियों में नवाचार एवं तकनीकी प्रगति का प्रतीक है।

⊃ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की पुनः पुष्टिः

दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई तथा रक्षा क्षेत्र में संयुक्त युद्धाभ्यास, आदान-प्रदान और संस्थागत बातचीत सिंहत दोंनों देशों के बीच सैन्य क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध अब तक कैसे रहे हैं?

🔾 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः

- ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता से पूर्व राजनियक संबंध स्थापित किये, जब भारत के वाणिज्य दूतावास को पहली बार वर्ष 1941 में सिडनी में एक व्यापार कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध उस समय ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुँच गए जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों की निंदा की थी।
- वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किये, जो भारत के "त्रुटिहीन" (Impeccable) अप्रसार रिकॉर्ड को मान्यता देते हुए परमाणु अप्रसार संधि के गैर-हस्ताक्षरकर्त्ता देश के साथ अपनी तरह का पहला समझौता था।

सामिरक संबंधः

- वर्ष 2020 में भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी से व्यापक सामरिक साझेदारी में परिवर्तित किया।
- वर्ष 2021 में ग्लासगो में COP26 के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई।

- वर्ष 2022 और 2023 में भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन तथा विदेश मंत्रियों की बैठक सहित उच्च स्तरीय वार्ताओं तथा मंत्रिस्तरीय यात्राओं की एक शृंखला हुई है। दूसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख घोषणाएँ की गईं, जिनमें शामिल हैं:
 - कौशल के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिये प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था पर आशय पत्र।

🗅 रक्षा सहयोग:

- 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता सितंबर 2021 में हुई और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ने जून 2022 में भारत का दौरा किया।
- रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिये जून 2020 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (MLSA) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- संयुक्त सैन्य अभ्यासः
 - ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त 2023 में "मालाबार" अभ्यास की मेजबानी की, जिसमें भारत, जापान और अमेरिका ने भागीदारी की।
 - भारत को 2023 में टैलिसमैन सेबर अभ्यास में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया है।

⊃ चीन कारक:

- ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंध कई कारणों से तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया द्वारा 5G नेटवर्क से हुआवेई पर प्रतिबंध लगाना, कोविड-19 की उत्पत्ति की जाँच के लिये कॉल करना और शिनजियांग तथा हॉन्गकॉन्ग, चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करना शामिल है।
 - इसके प्रत्युत्तर में चीन ने ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर व्यापार बाधाएँ आरोपित कीं और सभी मंत्रिस्तरीय संपर्क निरस्त कर दिये।
- भारत को सीमा पर चीनी आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा
 है जो गलवान घाटी झड़प जैसी घटनाओं से उजागर हुआ है।
- ऑस्ट्रेलिया-भारत दोनों नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं और वे इंडो-पैिसिफिक में क्षेत्रीय संस्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो समावेशी हों तथा जिससे आर्थिक एकीकरण को बढावा मिले।
 - म क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान) में देशों की भागीदारी साझा चिंताओं के आधार पर उनके हितों के अभिसरण का एक उदाहरण है।

🔾 बहुपक्षीय सहयोग:

- दोनों क्वाड, कॉमनवेल्थ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), आसियान क्षेत्रीय फोरम, जलवायु और स्वच्छ विकास पर एशिया-प्रशांत साझेदारी के सदस्य हैं तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग ले चुके हैं।
- दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में पाँच इच्छुक पार्टियों
 (FIP) के सदस्यों के रूप में भी सहयोग कर रहे हैं।
- ऑस्ट्रेलिया एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) में एक महत्त्वपूर्ण सदस्य है और संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है।

🔾 आर्थिक सहयोग:

- आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (Economic Cooperation Trade Agreement-ECTA):
 - यह एक दशक में किसी विकसित देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला मुक्त व्यापार समझौता है जो दिसंबर 2022 में लागू हुआ।
 - इसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया को होने वाले 96% भारतीय निर्यात (जो कि टैरिफ लाइनों का 98% है) पर
 तत्काल शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है और भारत को होने वाले ऑस्ट्रेलिया के 85% निर्यात (मूल्य में) पर शुल्क शुन्य कर दिया गया है।
- ♦ सप्लाई चेन रेज्ञीलिएंस इनीशिएटिव (SCRI):
 - भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ त्रिपक्षीय व्यवस्था में भागीदार हैं जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति शृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाना चाहता है।

द्विपक्षीय व्यापार:

- ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अगले पाँच वर्षों में इसके लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।

🔾 स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग:

फरवरी 2022 में देशों ने बेहद कम लागत वाले सौर और स्वच्छ हाइड्रोजन सिहत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने हेतु सहयोग के लिये नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किये।

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के तहत प्रशांत द्वीपीय देशों के लिये 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) की घोषणा की।
- दोनों देशों ने तीन वर्ष की भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरिशप के लिये 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच विमानन सहयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और न्यूज़ीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

इसके अतिरिक्त दोनों देशों के कृषि मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने न केवल कृषि सहयोग को बढ़ावा देने के लिये अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, बिल्क भारत को वैश्विक अनुसंधान गठबंधन (GRA) में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया।



नागरिक उड्डयन पर समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएँ:

- हवाई सेवा समझौता, 2016 को आगे बढ़ाते हुए MoU का उद्देश्य भारत
 और न्यूज़ीलैंड के बीच विमानन साझेदारी को और मजबूत करना है।
- नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग में नए मार्गों का निर्धारण, कोड-शेयर सेवाएँ, यातायात अधिकार और क्षमता पात्रता शामिल है।
- भारत और न्यूज़ीलैंड दोनों को तीसरे और चौथे स्वतंत्रता यातायात अधिकारों का प्रयोग करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, जो उन्हें किसी भी प्रकार के विमान का उपयोग करके असीमित सेवाएँ संचालित करने में सक्षम बनाता है।

- न्यूजीलैंड की एयरलाइंस भारत में छह गंतव्यों के लिये उड़ान भर सकती हैं, जबिक भारतीय एयरलाइंस ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और न्यूजीलैंड में तीन अतिरिक्त बिंदुओं पर सेवा दे सकती हैं, जैसा कि भारत की सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- दोनों देशों की एयरलाइंस किसी भी प्रकार के विमान का उपयोग करके असीमित कार्गो सेवाओं को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकती हैं, मध्यवर्ती बिंदुओं पर रुकने और निर्दिष्ट मार्ग बिंदुओं द्वारा प्रतिबंधित किये बिना अपनी सेवाओं को भविष्य के लिये विस्तारित करने का अधिकार है।

विमानन में स्वतंत्रता यातायात अधिकारः

- स्वतंत्रता यातायात अधिकार देशों के बीच हवाई सेवाएँ संचालित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या संधियों द्वारा एयरलाइंस को दिये गए अधिकारों को संदर्भित करता है।
- ये अधिकार इस बात को रेखांकित करते हैं कि एयरलाइंस किस हद तक किसी देश के अंदर और बाहर उड़ान भर सकती हैं, जिसमें उड़ानों की संख्या, मार्ग और गंतव्यों की सेवा भी शामिल है।
- यातायात अधिकारों में विभिन्न स्तर अथवा "स्वतंत्रता" शामिल है, पहली स्वतंत्रता (बिना लैंडिंग के किसी देश के ऊपर से उड़ान भरने का अधिकार) से लेकर नौवीं स्वतंत्रता (कैबोटेज, जो विदेशी एयरलाइंस को दूसरे देश के भीतर घरेलू उड़ानें संचालित करने की अनुमति देती है) तक है।
- देशों के बीच द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में इन अधिकारों पर बातचीत और सहमित होती है।

वैश्विक अनुसंधान गठबंधन (GRA):

- GRA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि किये बिना अधिक खाद्यान उत्पादन के तरीके खोजने के लिये देशों को एक साथ लाता है।
- GRA को वर्ष 2009 में न्यूज़ीलैंड द्वारा लॉन्च किया गया था और तब से इसमें 67 सदस्य देश शामिल हो गए हैं।
- GRA का लक्ष्य कृषि उत्पादन प्रणालियों की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना और मृदा कार्बन पृथक्करण की उनकी क्षमता को बढ़ाना है।
- GRA तीन मुख्य कृषि उप-क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: धान-चावल, फसल भूमि और पशुधन।
 - यह इन्वेंट्री और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs), मृदा कार्बन तथा नाइट्रोजन चक्रण, एकीकृत अनुसंधान जैसी क्रॉस-कटिंग गतिविधियों का समन्वय भी करता है।



FIRST FREEDOM

A carrier of one country may fly over the territory of another country without landing.



SECOND FREEDOM

A carrier of one country may land in another country for nontraffic-related purposes.



THIRD FREEDOM

A carrier may drop off passengers or cargo from its own country in another country.



FOURTH FREEDOM

A carrier may pick up passengers or cargo in another country and carry them back to its own country.



FIFTH FREEDOM

A carrier may transport passengers or cargo between foreign countries as part of service that originates in the carrier's home country.



SIXTH FREEDOM

A carrier may pick up passengers or cargo originating in one country and carry them to a third country via its homeland. Sixth freedom can be viewed as a combination of third and fourth freedoms.



SEVENTH FREEDOM

A carrier may pick up passengers or cargo from a country other than its own and deliver them to a third country, also not its own, on flights that do not connect to its home country.



EIGHTH FREEDOM

A carrier may transport passengers or cargo between two domestic points in a foreign country on a flight that either originated in or is destined for the carrier's home country. Also referred to as "consecutive cabotage."



NINTH FREEDOM

A carrier may transport passengers or cargo between two domestic points in a foreign country. Also referred to as "stand-alone cabotage."

भारत-न्यूज़ीलैंड गोलमेज बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई।

 इस बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सिचव और न्यूज़ीलैंड के उच्चायुक्त ने की।

प्रमुख बिंदु

- भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की साझेदारी में अपार संभावनाएँ तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।
 - साथ ही मुक्त व्यापार समझौते से परे कार्य करने और ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाने की आवश्यकता बल दिया जहाँ दोनों एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।
- यह चर्चा वर्ष 1986 के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत गठित संयुक्त व्यापार समिति (Joint Trade Committee-JTC) के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी।
- न्यूज्ञीलैंड ने निजी क्षेत्रों के साथ व्यापार और सहयोग को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया, जिसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्रणाली को बढ़ावा देना, कार्बन क्रेडिट सहयोग एवं दोनों पक्षों के व्यवसायों को द्विपक्षीय लाभ हेतु गैर-टैरिफ उपायों पर अनुरोध जैसे मुद्दों पर काम करना शामिल है।
 दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क बढाने पर भी जोर दिया गया।

न्यूज़ीलैंड:

- आधिकारिक नामः न्यूजीलैंड/आओटियरोआ (माओरी)
- सरकार का रूप: संसदीय लोकतंत्र
- राजधानी: वेलिंगटन
- आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेजी, माओरी
- मुद्राः न्यूजीलैंड डॉलर
- प्रमुख पर्वत शृंखलाएँ: दिक्षणी आल्प्स, कैकौरा पर्वतमालाएँ
- सर्वोच्च पर्वत शिखर: माउंट कुक (3,754 मीटर) माओरी लोगों द्वारा "क्लाउड पियर्सर" कहा जाता है
- प्रमुख निदयाँ: वाइकाटो, क्लुरथा, रंगितिकी, वांगानुई, मनवातु, बुलर, राकिया, वेटाकी और वायाउ
- 2 मुख्य द्वीप: उत्तर और दक्षिण द्वीप कुक स्ट्रेट द्वारा अलग किये गए

8. भारत की विदेश नीति

विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत

चर्चा में क्यों?

30 नवंबर को गुजराल सिद्धांत के अग्रदूत, भारत के 12वें प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की 11वीं पुण्य तिथि मनाई गई है।

वह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनके पास विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत दृष्टिकोण था, जिसे उनके नाम से जाना जाता है।

इंद्र कुमार गुजराल कौन थे?

- इंद्र कुमार गुजराल ने भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में अप्रैल
 1997 से मई 1998 तक कार्यभार संभाला।
- आई.के. गुजराल को भारतीय विदेश नीति में दो महत्त्वपूर्ण योगदानों
 के लिये याद किया जा सकता है:
- 1996 से 1997 तक केंद्रीय विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने 'गुजराल सिद्धांत' का प्रतिपादन किया।
- अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद गुजराल ने अक्तूबर 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

गुजराल सिद्धांत क्या है?

- गुजराल सिद्धांत ने भारत के पड़ोसियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया, जिसे बाद में गुजराल सिद्धांत के रूप में जाना गया। इसमें पाँच बुनियादी सिद्धांत शामिल थे। इसकी रूपरेखा सितंबर 1996 में लंदन के चैथम हाउस में एक भाषण में व्यक्त की गई थी।
- 🔾 गुजराल सिद्धांत के पाँच बुनियादी सिद्धांत:
 - भारत को अपने पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के साथ विश्वसनीय संबंध स्थापित करने होंगे, उनके साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना होगा तथा उन्हें दी गई किसी मदद के बदले में तुरंत कुछ हासिल करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये।
 - दक्षिण एशियाई देश क्षेत्र में किसी अन्य देश के हितों को नुकसान पहुँचाने के लिये अपने क्षेत्र का उपयोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
 - कोई भी देश किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
 - सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता
 और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिये।

- राष्ट्र अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाएंगे।
- गुजराल सिद्धांत का मानना था कि भारत का वृहत आकार और जनसंख्या स्वाभाविक रूप से इसे दक्षिण-पूर्व एशिया में एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है।
- अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये सिद्धांत में छोटे पड़ोसी देशों के प्रति एक गैर-प्रमुख दृष्टिकोण अपनाने का समर्थन किया गया। इस प्रकार यह पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण संबंधों के सर्वोच्च महत्त्व को प्रदर्शित करता है।
- इसने चल रही वार्ता को बनाए रखने और अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने जैसे अनावश्यक उकसावे के प्रयास से बचने के महत्त्व पर भी बल दिया।

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मैया इनलैंड कस्टम पोर्ट से बांग्लादेश के सुल्तानगंज पोर्ट के लिये पहले प्रायोगिक मालवाहक जहाजों (Trial Cargo Vessels) को हरी झंडी दिखाई जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इसका आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा किया गया जो भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी तथा सहयोग की एक नई शुरुआत को दर्शाता है।


अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) क्या है?

⊃ परिचय:

- IWT नौगम्य निदयों, नहरों, झीलों और अन्य अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल तथा यात्रियों के पिरवहन को संदर्भित करता है।
- इस प्रकार के परिवहन में देश के आंतरिक क्षेत्रों में माल और लोगों के यातायात, जल मार्गों के साथ विभिन्न पत्तनों तथा टर्मिनलों को जोड़ने के लिये नावों, बजरों (Barge) एवं जहाजों जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाता है।

🔾 महत्त्वः

- IWT परिवहन का, विशेष रूप से कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न और उर्वरक जैसे बड़ी मात्र के माल परिवहन के लिये एक अत्यधिक लागत प्रभावी तरीका है।
- इसके लाभों के बावजूद भारत के मॉडल मिश्रण में इसकी वर्तमान हिस्सेदारी केवल 2% है। मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV)-2030 के तहत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस हिस्सेदारी को 5% तक बढाना है।
 - इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये IWAI ने व्यवहार्यता अध्ययन के माध्यम से 25 नए राष्ट्रीय जलमार्गों (NW) की पहचान की है तािक उन्हें परिवहन के लिये नौगम्य बनाया जा सके।



NW-1	Ganga=Bhagirathi=Hooghly (Haldia-Allahabad)	1,620 km
NW-2	Brahmaputra river	891 km
NW-3	West Coast Canal – Champakara Canal – Udyogmandal Canal	205 km
NW-4	Krishna (Muktiyala-Vijayawada)	82 km
NW-10	Ambariver	45km
NW-83	Rajpuri Creek	31 km
NW-85	Revadanda Creek– Kundalika river	31 km
NW-91	Shastririver-Jaigad Creek System	52 km
NW-68	Mandovi river (Usgaon Bridge– Arabian Sea)	41km
NW-111	Zuari river (Sanvordem Bridge–Marmugao Port)	50km
NW-73	Narmada river	226 km
NW-100	Tapi river	436 km
NW-97	Sunderbans Waterways	172 km


एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है?

⊃ परिचय:

- नवंबर, 2014 में घोषित 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' 'लुक ईस्ट पॉलिसी'
 का अपग्रेड है।
- यह विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक राजनियक पहल है।
- इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कनेक्टिविटी,
 व्यापार, संस्कृति, रक्षा तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क के

क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ गहन एवं निरंतर जुड़ाव शामिल है।

🔾 उद्देश्य:



लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है?

- सोवियत संघ (USSR) के विघटन (शीत युद्ध वर्ष 1991 की समाप्ति) के साथ एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार को खो देने की भरपाई के लिये भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में उसके सहयोगी देशों के साथ संबंध निर्माण की दिशा में आगे बढा।
- इस क्रम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने वर्ष 1992 में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ भारत की संलग्नता को एक रणनीतिक बल देने के लिये 'लुक ईस्ट' नीति का शुभारंभ किया ताकि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में तथा चीन के रणनीतिक प्रभाव के प्रतिकार के लिये अपनी स्थिति सुदृढ कर सके। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने की क्या पहलें हैं?
- भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला-अखौरा रेल संपर्क।
- बांग्लादेश के माध्यम से इंटरमॉडल परिवहन संपर्क और अंतर्देशीय जलमार्ग ।
- कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और उत्तर पूर्व को म्याँमार तथा थाईलैंड से जोड़ने वाली त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना।
- भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम के तहत, सड़क और पुल तथा जल-विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं के आधुनिकीकरण जैसी परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।
 - इंडिया-जापान एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" और जापान की "मुक्त एवं खुली भारत-प्रशांत रणनीति" के तहत भारत-जापान सहयोग के लिये एक मंच प्रदान करना है।
 - फोरम भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक आधुनिकीकरण के लिये विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करेगा, जिसमें कनेक्टिविटी, विकासात्मक बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक संबंधों के साथ-साथ पर्यटन एवं संस्कृति तथा खेल-संबंधी गतिविधियों के माध्यम से लोगों से लोगों के बीच संपर्कता शामिल हैं।

अन्य पहलः

- महामारी के दौरान आसियान देशों को दवाओं के साथ-साथ चिकित्सा आपूर्ति के रूप में सहायता प्रदान की गई।
- आसियान देशों के प्रतिभागियों के लिये IIT में 1000 PhD फेलोशिप की पेशकश के साथ छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
- भारत शिक्षा, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र के मूलभूत समुदायों को विकास सहायता प्रदान करने के लिये कंबोडिया, लाओस, म्याँमार और वियतनाम में त्वरित प्रभाव से परियोजनाएँ भी लागू कर रहा है।

- त्वरित प्रभाव परियोजनाएँ (OIP) छोटे पैमाने की, कम लागत वाली परियोजनाएँ हैं जिनकी योजना बनाई जाती है और उन्हें कम समय सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जाता है।
- तटीय नौवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन के मॉडल शेयर को बढ़ाने के लिये अमृत काल विजन 2047 में 46 पहलों की पहचान की गई है।
 - प्रमुख पहलों में बंदरगाह-आधारित समूह केंद्रों का निर्माण, उत्पादन एवं मांग केंद्रों के पास तटीय घाट और सडक, रेल तथा अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिवटी में सुधार के लिये परियोजनाएँ शामिल हैं।
 - 💢 इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 50 जलमार्गों को चालु करना और साथ ही दक्षता तथा पहुँच बढाने के लिये संभावित टग-बार्ज संयोजनों के साथ कम-डाफ्ट पोत डिजाइन प्रस्तृत करना है।

रायसीना डायलॉग 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रायसीना डायलॉग (Raisina Dialogue) का 9वाँ संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 115 देशों के 2,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सो-ताकिस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रायसीना डायलॉग क्या है ?

परिचय: 0

- रायसीना डायलॉग भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर आयोजित किया जाने वाला एक एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका उद्देश्य विश्व के सम्मुख सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। इसकी प्रेरणा शांगरी-ला डायलॉग से ली गई थी।
 - 🗷 यह भारत की "आसूचना कूटनीति" का एक घटक है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं होता है किंतू राजनियक पृष्ठभूमि और सशस्त्र बलों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है और इसमें राजनीतिक, व्यावसायिक, मीडिया तथा नागरिक समाज पृष्ठभूमि के लोग भाग लेते हैं।
- इस वार्ता को एक बह-हितधारक, अंतर-क्षेत्रीय चर्चा के रूप में संरचित किया गया है जिसमें राज्य के प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकारी अधिकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र, मीडिया तथा शिक्षा जगत के विचारक शामिल होते हैं।

दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF), विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में सम्मेलन की मेजबानी करता है।

🔾 वर्ष 2024 थीम और विषयगत स्तंभ:

- 💠 चतुरंगः संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण।
- प्रतिभागियों ने छह "विषयगत स्तंभों" पर एक-दूसरे से संवाद की। इसमें शामिल हैं:
 - 🗷 टेक फ्रंटियर्स: विनियम और वास्तविकताएँ
 - 🗷 ग्रह के साथ शांति: निवेश और नवप्रवर्तन
 - 🗷 युद्ध और शांति: शस्त्रागार और विषमताएँ
 - 🗷 उपनिवेशवाद से मुक्ति बहुपक्षवाद: संस्थाएँ और समावेशन
 - 🗷 वर्ष 2030 के बाद का एजेंडा: लोग और प्रगति
 - 🗷 लोकतंत्र की रक्षाः समाज और संप्रभुता।

🗅 दुनिया भर में इसी तरह के संवाद:

- म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (MSC): जर्मनी के म्यूनिख में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला MSC अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर चर्चा के लिये सबसे प्रमुख मंचों में से एक है।
- शांगरी-ला डायलॉगः इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS) द्वारा आयोजित और सिंगापुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शांगरी-ला डायलॉग एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है।
- ओस्लो स्वतंत्रता मंच: यह मानवाधिकार, लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर केंद्रित एक वार्षिक सम्मेलन है। यह विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिये विचारों और रणनीतियों को साझा करने हेतु कार्यकर्त्ताओं, पत्रकारों तथा नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है।

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन

- यह नई दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जिसके तीन केंद्र-मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं।
- इसका उद्देश्य एक निष्पक्ष और न्यायसंगत जगत में एक सुदृढ़ एवं समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में नीतिगत सोच का नेतृत्व तथा सहायता करना है जो भारत के लिये विकल्पों को खोजने व सूचित करने में मदद करता है। यह भारतीय आह्वान और विचारों को वैश्विक संवाद को आयाम देने वाले मंचों तक लाता है।
- यह विश्व भर में सरकारों, व्यावसायिक समुदायों, शिक्षा जगत और नागरिक समाज में विविध निर्णय निर्माताओं को गैर-पक्षपातपूर्ण, स्वतंत्र, अच्छी तरह से शोधित विश्लेषण तथा इनपुट प्रदान करता है।

गोवा समुद्री सम्मेलन 2023

चर्चा में क्यों

हाल ही में गोवा समुद्री सम्मेलन (GMC) 2023 का चौथा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा नेवल वॉर कॉलेज, गोवा के तत्त्वावधान में आयोजित किया गया।

- सम्मेलन में कोमोरोस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यॉमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सिंहत बारह हिंद महासागर देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- GMC के वर्ष 2023 के संस्करण का विषय "हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा: सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक शमन ढाँचे में परिवर्तित करना" है।

सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

🔾 परिचय:

- GMC आम समुद्री चुनौतियों पर चर्चा करने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिये हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के विभिन्न देशों के नौसेना एवं रक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय सभा है।
- यह सम्मेलन भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल है। यह समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में अभ्यासकर्ताओं और शिक्षाविदों के सामूहिक ज्ञान को परिणामोन्मुख समुद्री विचार प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने के लिये एक बहुराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
- यह समसामियक और भिवष्य की समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिये नौसेना प्रमुखों/समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के साथ-साथ सहकारी रणनीतियों को प्रस्तुत करने और साझेदार समुद्री एजेंसियों के बीच अंतर-संचालनता को बढ़ाने के लिये एक मंच उपलब्ध कराता है।

🗅 रक्षा मंत्री का संबोधन:

- सम्मेलन के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने विभिन्न उद्देश्यों से कार्य करने के बजाय देशों को एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की आवश्यकता को रेखांकित करने हेतु "बंदी की दुविधा" अवधारणा का उल्लेख किया।
 - बंदी की दुविधा अवधारणा जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में लागू की जाती है, तो विभिन्न स्थितियों की व्याख्या और विश्लेषण किया जा सकता है जहाँ देशों को रणनीतिक निर्णय लेने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- 🗷 उदाहरणत: जब दो या दो से अधिक देश हथियारों की होड़ में शामिल होते हैं, तो वे प्राय आपसी भय और अविश्वास के कारण ऐसा करते हैं।
- भारतीय रक्षा मंत्री ने आम समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिये IOR में बहुराष्ट्रीय सहयोगात्मक शमन ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया।
 - 🗷 उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाने के लिये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
 - 🗷 साथ ही इस बात पर जोर दिया कि एक स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था हम सभी के लिये प्राथमिकता है। ऐसी समुद्री व्यवस्था में 'संभवत: सही है' का कोई स्थान नहीं है।
 - 🗷 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन, जैसा कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) 1982 में प्रतिपादित किया गया है, हमारा आदर्श होना चाहिये।

बंदी की द्विधा अवधारणाः

परिचय:

बंदी की दुविधा गेम थ्योरी में एक मौलिक अव<mark>धारणा है</mark>, जो गणित और सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो उन स्थितियों में रणनीतिक निर्णय लेने का विश्लेषण करती है जहाँ परिणाम कई प्रतिभागियों की पसंद पर निर्भर करता है।

बंदी की दुविधा परिदृश्य:

- 💠 बंदी की दुविधा को प्राय: ऐसे परिदृश्य का उपयोग करके चित्रित किया जाता है जहाँ दो व्यक्तियों A और B को एक अपराध के लिये गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें अलग-अलग पुछताछ कक्ष में रखा जाता है।
- पुलिस के पास ठोस सबूतों की कमी है, लेकिन वे प्रत्येक बंदी को एक विकल्प देते हैं:
 - पद दोनों बंदी चुप रहते हैं (सहयोग करते हैं), तो वे दोनों अपेक्षाकृत कम सजा पाते हैं, यदि दोनों अपराध कबूल करते हैं, तो उन दोनों को मामूली लंबी सजा मिलती है।
- दुविधा इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि प्रत्येक बंदी को दूसरे की पसंद को जाने बिना निर्णय लेना होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिये तार्किक निर्णय, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए कबूल करना है क्योंकि यह दूसरे की पसंद की परवाह किये बिना कम-से-कम गंभीर परिणाम सुनिश्चित करता है।

विदेश नीति को आकार देने में UPI

चर्चा में क्यों ?

यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (United Payments Interface- UPI) के 10 अरब लेन-देन को पार करने के साथ ही भारत की डिजिटल ताकत नई ऊँचाइयों पर पहुँच गई है, जो न केवल घरेलू सफलता बल्कि विदेश नीति में इसकी प्रमुख भूमिका को भी दर्शाता है।

UPI पर लेन-देन वर्ष-दर-वर्ष 50% से अधिक बढ़ा है। अक्तूबर 2019 में पहली बार UPI ने 1 बिलियन मासिक लेन-देन की सीमा को पार किया।

UPI का भारत की विदेश नीति में योगदान:

- डिजिटल कूटनीतिः
 - भारत का लक्ष्य डिजिटल प्रशासन को आगे बढ़ाकर ग्लोबल साउथ (Global South) में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना है।
 - भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure- DPI) पर जोर विकासशील देशों में भौतिक बुनियादी ढाँचे के विकास पर चीन के फोकस से अलग है।
 - अंतर्राष्ट्रीय विस्तार:
 - 🗷 जून 2023 से भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिये आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ और बारबुडा तथा पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये।
 - इसी तरह UPI की पहुँच फ्राँस, UAE, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों हुई है, जापान, मॉरीशस और सऊदी अरब जैसे देशों ने भुगतान प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है।
- ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोज़िटरी (GDPIR):
 - भारत वैश्विक स्तर पर DPI पद्धत्ति को साझा करने के लिये GDPIR स्थापित करने की योजना बना रहा है।
 - GDPIR का लक्ष्य G20 सदस्यों और अन्य देशों के बीच DPI से संबंधित उपकरणों तथा संसाधनों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।

आर्थिक कूटनीतिः

UPI की सफलता विदेशी निवेश और साझेदारी को आकर्षित करती है, जो भारत के आर्थिक कूटनीतिक प्रयासों तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान देती है।

इंडिया स्टैकः

- इंडिया स्टैक API (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को उपस्थिति-रिहत, कागज रिहत और कैशलेस सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं को हल करने के लिये एक अद्वितीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमित देता है।
- इंडिया स्टैक सरकार के नेतृत्व वाली एक पहल है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न डिजिटल सेवाओं को सक्षम करने के लिये एक मजबूत डिजिटल ब्नियादी ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित है।
 - इस संग्रह के घटकों का स्वामित्व और रखरखाव विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- इंडिया स्टैक का लक्ष्य पहचान सत्यापन, डेटा विनिमय और डिजिटल भुगतान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना एवं बढ़ाना है ताकि उन्हें नागरिकों के लिये अधिक सुलभ और कुशल बनाया जा सके।
- इसमें डिजिटल सार्वजनिक उत्पाद शामिल हैं, ये डिजिटल संसाधन तथा उपकरण विभिन्न डिजिटल सेवाओं और पहलों का समर्थन करने के लिये जनता को उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इंडिया स्टैक में तीन प्रमुख लेयर शामिल हैं: पहचान, भुगतान और डेटा प्रबंधन।
 - आइडेंटिटी लेयर (आधार):
 - आधार डिजिटल पहचान वाले उत्पादों की पेशकश करते हुए इंडिया स्टैक की आधारशिला के रूप में कार्य करता है।
 - यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है।
 - आधार को निवास का प्रमाण माना जाता है, न कि नागरिकता का प्रमाण और यह भारत में निवास का कोई अधिकार नहीं देता है।
 - ♦ पेमेंट्स लेयर (UPI):
 - UPI की दूसरी लेयर धन संरक्षकों, पेमेंट रेल और फ्रंट-एंड पेमेंट अनुप्रयोगों के मध्य अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करती है।

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा प्रबंधित PhonePe, Google Pay और Paytm जैसी तृतीय-पक्ष की निजी संस्थाओं को UPI का लाइसेंस दिया गया है।
- डेटा गवर्नेंस लेयर:
 - ☑ डिजिटल लॉकर, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA) पर बनाया गया है, इसमें एक सहमित प्रबंधन प्रणाली शामिल है, जो बेहतर वित्तीय, स्वास्थ्य और दूरसंचार से संबंधित उत्पादों तथा सेवाओं की जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा करने में सक्षम बनाती है।
 - इसमें आधार केंद्रित डिजिटल पहचान वाले उत्पादों का सेट शामिल है। इसका उपयोग टू-फैक्टर या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से दूरस्थ रूप से प्रमाणित करने, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक डिप्लोमा और बीमा पॉलिसियों जैसे डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड प्राप्त करने तथा सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल हस्ताक्षर सेवा का उपयोग करके दस्तावेजों या संदेशों पर हस्ताक्षर करने के लिये किया जा सकता है।
- UPI के अतिरिक्त भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटलीकरण के क्षेत्र में कई कार्य किये हैं, जिनमें CoWin, डिजिलॉकर, आरोग्य सेतु और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) शामिल हैं, ये सभी भारतीय स्टैक की तीन मूलभूत लेयर्स का उपयोग करते हैं।
- इंडिया स्टैक का विजन एक देश (भारत) तक सीमित नहीं है; इसे किसी भी राष्ट्र पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह विकसित हो या विकासशील।

9. भारतीय प्रवासी समुदाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) के अवसर पर मध्य प्रदेश में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

वर्ष 2003 में शुरू हुआ यह सम्मेलन पिछले कुछ वर्षों में आकार एवं दायरे में काफी बड़ा हो गया है, खासकर वर्ष 2015 के बाद से जब वार्षिक सम्मेलन द्विवार्षिक हो गया।

भारतीय प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा):


- 🔾 उत्पत्तिः
 - शब्द 'डायस्पोरा' ग्रीक शब्द डायस्पेयिरन से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'फैलाव'। गिरिमिटिया व्यवस्था के तहत भारतीयों के पहले जत्थे को गिरिमिटिया मजदूरों के रूप में पूर्वी

प्रशांत और कैरेबियाई द्वीपों में ले जाए जाने के बाद से भारतीय प्रवासियों की संख्या कई गुना बढ गई है।

वर्गीकरण:

- ♦ अनिवासी भारतीय (NRI): NRI वे भारतीय हैं जो विदेशों के निवासी हैं। एक व्यक्ति को NRI माना जाता है यदि:
 - 🗷 वह वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में नहीं रहा है या:
 - प्र यदि वह उस वर्ष से पहले 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों से कम और उस वर्ष में 60 दिनों से कम समय तक भारत में रहा है।
- ♦ भारतीय मूल के व्यक्ति (Persons of Indian Origin- PIO): PIO विदेशी नागरिक को संदर्भित करता है (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को छोड़कर) जो:
 - प्र वह व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो या उनके माता-पिता/दादा दादी/परदादा-दादी में से कोई भी भारत

- सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा परिभाषित भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ था और स्थायी रूप से निवास किया था या जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक या PIO से हुई है।
- ♦ PIO श्रेणी को वर्ष 2015 में समाप्त कर OCI श्रेणी के साथ विलय कर दिया गया था।
- ♦ प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas Citizens of India- OCIs): वर्ष 2005 में OCIs की एक अलग श्रेणी बनाई गई थी। विदेशी नागरिक को OCIs कार्ड दिया जाता है जो:
 - 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक होने के योग्य था।
 - 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था या 15 अगस्त. 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र से संबंधित था।
 - ऐसे व्यक्तियों के नाबालिंग बच्चे, सिवाय उनके जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं, भी OCIs कार्ड के लिये पात्र हैं।



भौगोलिक विस्तार:

- विश्व प्रवासन रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, वर्ष 2020 में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भारत में है, जो इसे विश्व स्तर पर शीर्ष मूल देश बनाती है, इसके बाद मेक्सिको, रूस और चीन का स्थान आता है।
- वर्ष 2022 में सरकार द्वारा संसद में साझा किये गए आँकड़ों से पता चला है कि भारतीय डायस्पोरा का विशाल भौगोलिक विस्तार है। 10 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी देशों में शामिल हैं:
 - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, म्यॉॅंमार, मलेशिया, कुवैत और कनाडा।

🗅 प्रेषण (रेमिटेंस):

- वर्ष 2022 में जारी वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार, पहली बार भारत वार्षिक प्रेषण के माध्यम से 100 बिलियन अमेरीकी डॉलर से अधिक प्राप्त करने की राह पर है।
- विश्व प्रवासन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र शीर्ष पाँच प्रेषण प्राप्तकर्ता देश (अवरोही क्रम में) हैं।

भारतीय डायस्पोरा का महत्त्वः

- भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना: कई विकसित देशों में भारतीय डायस्पोरा सबसे अमीर अल्पसंख्यकों में से एक है। "प्रवासी कूटनीति" के माध्यम से वे लाभ अर्जित कर रहे हैं, जिससे वे अपने गृह तथा डायस्पोरा देशों के बीच "सेतु-निर्माता" के रूप में कार्य करते हैं।
 - भारतीय प्रवासी न केवल भारत की सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा हैं, बल्कि एक पूरी तरह से हस्तांतरणीय राजनीतिक वोट बैंक भी है।
 - इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में भारतीय मूल के व्यक्ति विभिन्न देशों में प्रमुख राजनीतिक पदों पर आसीन हैं, जो संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भारत के राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करता है।
- आर्थिक योगदानः भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजे गए प्रेषण का भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो व्यापक व्यापार घाटे के अंतर को कम करने में मदद करता है।
 - कम कुशल श्रमिकों (विशेष रूप से पश्चिम एशिया में)
 के प्रवासन ने भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने
 में मदद की है।
 - इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों ने भारत में सूचना, वाणिज्यिक और व्यावसायिक विचारों तथा प्रौद्योगिकियों के प्रवाह को सुगम बनाया।

10. संक्षेप में न्यूज़

ऑर्डर ऑफ द ड़क ग्यालपो

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को भूटान की अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द डूक ग्यालपो' सम्मानित किया गया।

- 🗅 वह यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी सरकार प्रमुख हैं।
- भारत व भूटान ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतिरक्ष तथा कृषि के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया और समझौतों पर हस्ताक्षर किये एवं दोनों देशों के बीच रेल संपर्क की स्थापना पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया।



'ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो' पुरस्कार क्या है?

🔾 परिचय:

- ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो भूटान का सबसे सम्मानित नागरिक सम्मान है, जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सेवा, अखंडता और नेतृत्व के मूल्यों को अपनाते हुए समाज में असाधारण योगदान का प्रदर्शन किया है।
- इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्राप्तकर्त्ताओं का चयन उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और समाज पर सकारात्मक प्रभाव के आधार पर सावधानीपूर्वक किया जाता है।
- उनके योगदान का मूल्यांकन भूटानी मूल्यों के अनुरूप किया जाता है, जिसमें समग्र विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और क्षेत्रीय सद्भाव पर जोर दिया जाता है।

भारतीय प्रधानमंत्री का सम्मानः

- यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री का चयन दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करता है।
- यह पुरस्कार उनके नेतृत्व को रेखांकित करता है, जो प्रगित के प्रति अट्ट प्रतिबद्धता की विशेषता है, जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की भटान की राष्ट्रीय दिष्ट के साथ निकटता से मेल खाता है।
- भारतीय प्रधानमंत्री भारत की प्राचीन सभ्यता को प्रौद्योगिकी और नवाचार के एक गतिशील केंद्र में परिवर्तित करते हुए, नियति के प्रतीक के रूप में उभरे हैं।
 - 🗷 पर्यावरण की सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के पति उनकी पतिबद्धता भारत की प्रगति को वास्तव में सर्वांगीण बनाती है।



Bhutan 🔀



Order of The Druk Gyalpo PM Modi is the first foreigner to receive it (2021)

Palestine -



Grand Collar of the State of Palestine Award

Highest award for foreign dignitaries (2018)

Russia ===



Order of St. Andrew Award

Highest civilian honour of the country (2019)

Afghanistan



State Order of Ghazi Amir Amanullah Khan

Highest civilian honour (2016)

Saudi Arabia



Order of Abdulaziz Al Saud

Highest civilian honour named after the founder of the modern Saudi state (2016)

UAE ___



Order of Zayed Award

Highest decoration of the UAE awarded to kings, presidents and heads of states (2019)

Maldives



Order of the Distinguished Rule of Nishan Izzuddin

The highest honour awarded to foreign dignitaries (2019)

South Korea ::



Seoul Peace Prize

Awarded for contributions to the harmony of mankind, it honored the PM for 'Modinomics' which reduced social and economic disparity. (2018)

USA



Legion of Merit Awarded to Heads of Government.

Given in recognition of the PM's steadfast leadership and vision for India's emergence as a global power (2020)

भारत और भूटान द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते क्या हैं?

- रेल संपर्क की स्थापनाः
 - भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क की स्थापना पर एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें कोकराझार-गेलेफू रेल लिंक तथा बनारहाट-समत्से रेल लिंक शामिल हैं।

⇒ पेट्रोलियम, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स (POL):

भारत से भूटान तक POL और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति के लिये एक समझौता किया गया जिसका उद्देश्य सहमत प्रवेश/निकास बिंदुओं के माध्यम से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना है।

⊃ भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (BFDA) की मान्यता:

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा BFDA द्वारा उपयोग किये जाने वाले आधिकारिक नियंत्रण की मान्यता के लिये एक समझौता किया गया, जिससे व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा तथा अनुपालन लागत में कमी आएगी।

ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण में सहयोग:

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देने और ऊर्जा ऑडिटर्स के प्रशिक्षण को संस्थागत बनाने जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से भूटान को घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में सहायता करना है।

फार्माकोपिया, सतर्कता और औषधीय उत्पादों का परीक्षण:

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य औषिधयों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना है। यह समझौता भूटान द्वारा भारतीय फार्माकोपिया को स्वीकार करने और किफायती मूल्य पर जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति का अवसर देगा।

🔾 अंतरिक्ष सहयोग के संबंध में संयुक्त कार्य योजना (JPOA):

यह संयुक्त कार्य योजना विनिमय कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के माध्यम से अंतिरक्ष सहयोग को और विकसित करने के लिये एक सुदृढ़ रोडमैप प्रदान करती है।

डिजिटल कनेक्टिविटी:

- यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) और भूटान के ड्रुक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क के बीच समकक्ष व्यवस्था अथवा पियरिंग ओंजमेंट के नवीनीकरण के लिये है।
- यह समझौता ज्ञापन भारत और भूटान के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा तथा भूटान के विद्वानों एवं अनुसंधान संस्थानों को लाभान्वित करेगा।

सुरक्षा परिषद सुधार के लिये भारत का प्रयास: G4 मॉडल

चर्चा में क्यों?

सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर्सरकारी वार्ता में भाग लेते हुए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिये G4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया है।

- मॉडल में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नए स्थायी सदस्य शामिल हैं और वीटो मुद्दे पर लचीलापन दिखाता है।
- G4 (ब्राजील, जर्मनी, भारत तथा जापान) वर्ष 2004 में निर्मित किया गया था और सुरक्षा परिषद सुधार को बढ़ावा दे रहा है। G4 प्रस्तावित मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
- कम-प्रितिनिधित्व को संबोधित करनाः मॉडल परिषद की वर्तमान संरचना में प्रमुख क्षेत्रों के "स्पष्ट रूप से कम-प्रितिनिधित्व एवं गैर-प्रितिनिधित्व" पर प्रकाश डालता है, जो इसकी वैधता तथा प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न करता है।
- सदस्यता विस्तारः G4 मॉडल सुरक्षा परिषद की सदस्यता को मौजूदा 15 से बढ़ाकर 25-26 सदस्यों तक पहुँचाने की अनुशंसा करता है।
 - इस विस्तार में 6 स्थायी तथा 4 अथवा 5 गैर-स्थायी सदस्यों को सिम्मिलित करना शामिल है।
 - अफ्रीकी राज्यों तथा एशिया प्रशांत राज्यों से प्रत्येक में दो नए स्थायी सदस्य प्रस्तावित हैं, एक लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई राज्यों से और एक पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य राज्यों से।
- वीटो पर लचीलापनः मौजूदा ढाँचे से हटकर, जहाँ केवल पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्तियाँ होती हैं, G4 मॉडल वीटो मुद्दे पर लचीलापन प्रदान करता है।
 - नए स्थायी सदस्य रचनात्मक बातचीत में शामिल होने की इच्छा प्रदर्शित करने वाली समीक्षा प्रक्रिया के दौरान मामले पर निर्णय होने तक वीटो का प्रयोग करने से परहेज करेंगे।
- लोकतांत्रिक और समावेशी चुनाव: प्रस्ताव इस बात पर बल देता है कि कौन-से सदस्य देश नई स्थायी सीटों पर कब्जा करेंगे, इसका निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतांत्रिक और समावेशी चुनाव के माध्यम से किया जाएगा।
 - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है ?
- वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
 परिषद संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।

- इसमें 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 स्थायी सदस्य (P5) और 10 गैर-स्थायी सदस्य शामिल होते हैं जो दो साल के लिये चुने जाते हैं।
 - स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्राँस, चीन
 और युनाइटेड किंगडम हैं।
- ओपेनहेम के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार: संयुक्त राष्ट्र "द्वितीय विश्व युद्ध" के बाद उनके महत्त्व के आधार पर पाँच राज्यों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई।
- सुरक्षा परिषद में भारत की भागीदारी वर्ष 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और 2021-22 की अवधि के दौरान एक अस्थायी सदस्य के रूप में रही है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council-UNSC)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व UNSC में

परिचय

संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक; संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित

मुख्यालय

न्युवॉर्क सिटी

जाता है

पहला सत्र

17 जनवरी, 1946 को चर्च हाउस, बेस्टमिंस्टर, लंदन में

सदस्यता

- 15 सदस्य- 5 स्थायी सदस्य (P5), 10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिये चुने गए (प्रत्येक वर्ष 5 का चुनाव किया जाता है)
- □ P5- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्राँस और चीन

UNSC की अध्यवता

- 15 सदस्यों के बीच प्रत्येक माह बारी-बारी से
- वर्ष 2022 के लिये भारत की अध्यक्षता-विसंबर

"मतैक्य के लिये मिलकर काम करना" आंदोलन

(Uniting for Consensus-UfC Movement)

अनौपचारिक रूप से इसे कॉफी क्लब के रूप में जाना

देश UNSC स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करते हैं

कोरिया. अजेंटीना और पाकिस्तान

समृह के प्रमुख देश-इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण

 इटली और स्पेन जर्मनी की दावेदारी का; पाकिस्तान- भारत की दावेदारी का; अजेंटीन-ब्राजील की दावेदारी का और ऑस्टेलिया-जापान की दावेदारी का विशेध कर रहें हैं

मतदान शवितयाँ

- 1 सदस्य 1 मत/बोट
- P5 देशों को बीटो शक्ति प्राप्त है बीटो पावर है
- UN के ऐसे सदस्य जो UNSC के सदस्य नहीं हैं, मतदान के अधिकार के बिना इसके सत्र में भाग लेते हैं

UNSC समितियाँ /प्रस्ताव

- आतंकवादः
 - संकल्प 1373 (आतंकवाद रोधी समिति)
 - संकल्प 1267 (दाएश और अल कायदा समिति)
- अप्रसार समितिः
 - संकल्प 1540 (परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के विरुद्ध)

भारत और UNSC

- गैर-स्थायों सदस्य के रूप में 7 बार सेवा; 2021-22 में 8वीं बार चुना गया; स्थायी सीट की मांग
- स्वायी सीट के लिये तक:
 - 43 शांति मिशन
 - मानवाधिकार घोषणा (UDHR) को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी
 - मारत को जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली आदि।

G4- चार देशों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) का समृह जो UNSC में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं

United Nations Security Council

Composition through 2022

Ghana Africa Asia UAE: USA Latin America S Brazili Latin America Members Wastern Europe France Eastern China Europe Albania

ON | 1 until December 31, 2022 | 2 until December 31, 2023

UNSC के समब बड़ी चुनौतियाँ

- संयुक्त राष्ट्र के सामान्य नियम UNSC विचार-विमशों पर लाग्
 नहीं होते हैं; वैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है
- UNSC में पावरप्ले; PS की अराजकतावादी वीटो शक्तियाँ
- P5 के बीच गहन धुवीकरण; लगातार मतभेद प्रमुख निर्णयों को अवरुद्ध करता है
- विश्व के कई क्षेत्रों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व





संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की आवश्यकता है। अनुच्छेद 108 में निर्धारित प्रासंगिक प्रक्रिया में दो चरणों वाली प्रक्रिया शामिल है:
- पहला चरण: महासभा, जहाँ 193 सदस्य राज्यों में से प्रत्येक के पास एक वोट होता है, को कम-से-कम 128 राज्यों के बराबर, दो-तिहाई बहुमत के साथ संशोधन का समर्थन करना होगा।
- चार्टर के अनुच्छेद 27 के अनुसार, यह चरण वीटो के अधिकार के उपयोग की अनुमित नहीं देता है।
- दूसरा चरण: पहले चरण में मंज़ूरी मिलने की दशा में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है, में संशोधन किया जाता है।

- संबंधित राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अनुसमर्थन की आवश्यकता है।
- इस चरण में, अनुसमर्थन प्रक्रिया स्थायी सदस्यों की संसदों द्वारा प्रभावित हो सकती है, जो संभावित रूप से संशोधित चार्टर के लागू होने को प्रभावित कर सकती है।

नोट:

महासभा में स्थायी सदस्यों का एक नकारात्मक वोट उन्हें बाद में संशोधित चार्टर की पुष्टि करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 1963 में सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिये हुए मतदान के दौरान केवल एक स्थायी सदस्य ने पक्ष में मतदान किया।
- हालाँकि वर्ष 1965 तक 18 महीनों के भीतर, सभी पाँच स्थायी सदस्यों ने संशोधित चार्टर की पुष्टि कर दी थी। फ्राँस में सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने पर विचार फ्राँस हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में जोड़ने के बाद अब सहायता प्राप्त मृत्यु के एक रूप जिसे "मृत्यु में सहायक" कहा जाता है, को वैध बनाने पर विचार कर रहा है।
- प्रस्तावित विधेयक में सख्त शर्तें होंगी, जिससे अल्प या मध्यम अविध में मौत का कारण बनने वाली असाध्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जा सकेगी।
- 🗅 देश पहले से ही निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमित देता है।

सहायता प्राप्त मृत्यु (Assisted Dying) और निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) क्या है ?

- सहायता प्राप्त मृत्युः इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो असाध्य रूप से बीमार होते हैं और घातक दवाएँ प्राप्त करने के लिये चिकित्सा सहायता की मांग करते हैं, जिसे वे बाद में अपना जीवन समाप्त करने के लिये स्वयं लेते हैं।
 - यह आमतौर पर तब होता है जब मरीज़ किसी लाइलाज बीमारी के कारण असहनीय पीड़ा का सामना कर रहे होते हैं तथा अपनी मृत्यु के समय और तरीके पर नियंत्रण चाहते हैं।
 - सहायता प्राप्त मृत्यु का प्राथमिक अंतर यह है कि व्यक्ति चिकित्सा पेशेवरों की सहायता से अपने जीवन को समाप्त करने की प्रक्रिया में सिक्रय रूप से भाग लेते हैं।
- निष्क्रिय इच्छामृत्युः निष्क्रिय इच्छामृत्यु तब होती है जब जीवन-निर्वाह उपचार रोक दिये जाते है अथवा हटा लिये जाते है, जिससे रोगी स्वाभाविक रूप से मर जाता है।
 - इसमें वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब अथवा जीवन को बनाए रखने वाली दवाओं जैसे- चिकित्सा उपचारों को रोकने के निर्णय शामिल हो सकते हैं।

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु को प्राय: सिक्रय इच्छामृत्यु से अलग माना जाता है क्योंकि इसमें रोगी की मृत्यु सीधे तौर पर शामिल नहीं होती है, बिल्क यह प्राकृतिक तरीकों से मृत्यु की अनुमित देता है।
 - सिक्रिय इच्छामृत्यु में किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिये जानबूझकर घातक पदार्थों या कार्यों का उपयोग करना शामिल है।

🗅 🛮 कानूनी सहायता से मृत्यु अथवा इच्छामृत्यु वाले देश:

- नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, स्पेन ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिये इच्छामृत्यु एवं सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देता है जो "असहनीय पीड़ा" का सामना करते है जिसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है।
- स्विट्जरलैंड इच्छामृत्यु पर प्रतिबंध लगाता है लेकिन डॉक्टर अथवा चिकित्सक की उपस्थिति में सहायता से मृत्यु की अनुमति देता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून हैं। वाशिंगटन, ओरेगॉन एवं मोंटाना जैसे कुछ राज्यों में इच्छामृत्यु की अनुमित है।
- 💠 भारत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा रामचन्द्र शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के 2011 के मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को स्वीकार किया, जिससे उन रोगियों से जीवन-निर्वाह देखभाल वापस लेने की अनुमित प्राप्त हुई जो स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ थे। इस मामले में अरुणा शानबाग निष्क्रिय अवस्था में थीं।
 - कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, 2018 मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'लिविंग विल' के महत्त्व को उजागर करते हुए निष्क्रिय इच्छामृत्यु/सहजमृत्यु (Euthanasia) को वैध बनाया।
- यह निर्णय मानिसक रूप से सक्षम वयस्कों को नैसर्गिक मृत्यु के चयन की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए विशिष्ट परिस्थितियों में चिकित्सा उपचार की मनाही अथवा इसे प्राप्त न करने के विकल्प का प्रावधान करता है।
- न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि मरण की प्रक्रिया में गरिमा संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।
 - वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने संबद्ध प्रक्रिया में सरलता और तीव्रता हेतु निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित नियमों में संशोधन किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल हेतु नोटरी अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा इसके सत्यापन को पर्याप्त बताते हुए लिविंग विल को मान्य करने के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता को समाप्त किया।

बेल्जियम ने इकोसाइड को अपराध के रूप में मान्यता प्रदान की

चर्चा में क्यों?

बेल्जियम की संघीय संसद ने 'पारिस्थितिकी संहार/इकोसाइड' को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिसके कारण यह यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है।

यह कानून निर्णय लेने वाली शक्तियों और निगमों में बैठे व्यक्तियों को लक्षित करता है, जिसका उद्देश्य व्यापक तेल रिसाव जैसे गंभीर पर्यावरणीय क्षरण को रोकना तथा दंडित करना है।

नोट:

- बेल्जियम एक संघीय और संवैधानिक राजतंत्र है जो दो मुख्य भाषाई तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित है: फ्लेमिश (डच)-भाषी फ़्लैंडर्स एवं फ्रेंच-भाषी वालोनिया।
- बेल्जियम को 'यूरोप का कॉकिपट' कहा जाता है क्योंकि इतिहास में सबसे अधिक यूरोपीय संघर्ष यहीं पर हुए हैं।
- इसकी राजधानी, ब्रुसेल्स में स्थित है। यह यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य भी है।



इकोसाइड क्या है?

- इकोसाइड को "गैरकानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जो इस जानकारी के साथ किये गए हैं कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है।"
 - यह परिभाषा स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन द्वारा गठित इकोसाइड की कानूनी व्याख्या करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रदान की गई थी।
- पारिस्थितिकी-संहार को पर्यावरणीय अपराध का एक रूप माना जाता है और यह प्राय: जैवविविधता, पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानव कल्याण पर महत्त्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावों से संबंधित है।
 - पारिस्थितिकी-संहार को एक अपराध के रूप में मान्यता प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्तियों और निगमों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह बनाना तथा आगे के पर्यावरणीय क्षरण को रोकना है।
- 12 देशों में पारिस्थितिकी-संहार एक अपराध है, और देश ऐसे कानूनों पर विचार कर रहे हैं, जो जान-बूझकर की गई पर्यावरणीय क्षिति को अपराध की श्रेणी में रखते हैं, जो मनुष्यों, जानवरों तथा पौधों की प्रजातियों को नुकसान पहुँचाती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक AI प्रस्ताव को अपनाया

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत् विकास के लक्ष्यों के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों के सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद उपयोग को बढावा देने पर केंद्रित एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
- यह अंगीकरण पहली बार है जब असेंबली ने AI के तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्र में विनियमन को संबोधित किया है, जो वैश्विक शासन में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है।
- प्रस्ताव 17 सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति लाने के लिये AI की क्षमता को पहचानता है और सुरक्षित AI उपयोग हेत् नियामक ढाँचे तथा शासन दृष्टिकोण विकसित करने के लिये राज्यों, निजी क्षेत्रों, नागरिक समाज एवं अन्य हितधारकों के बीच सहयोग का आह्वान करता है।
- इसके अतिरिक्त असेंबली AI प्रौद्योगिकियों तक समावेशी पहुँच प्राप्त करने और डिजिटल साक्षरता बढाने में विकासशील देशों का समर्थन करके डिजिटल विभाजन को कम करने के महत्त्व पर जोर देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीकी प्रगति से सभी को समान रूप से लाभ हो।


♦ हालाँकि महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी वे वैश्विक राय के एक महत्त्वपूर्ण संकेतक के रूप में काम करते हैं।

जिब्राल्टर जलडमरूमध्य क्षेपित क्षेत्र पर चिंता

हाल ही में वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के नीचे एक क्षेपित क्षेत्र (subduction zone) की पहचान की है।

- यह यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली एक संकीर्ण खाई है। यह यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट के मिलन बिंदु को चिह्नित करता है।
- अग्निवलय (The Ring of Fire): प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के समान, जहाँ क्षेपित क्षेत्र प्रशांत महासागर को घेरे है, अटलांटिक महासागर एक नई क्षेपित प्रणाली के निर्माण के लिये अनुकूल हो सकता है।


- क्षेपण की प्रक्रिया: क्षेपित क्षेत्र वहाँ होते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें परस्पर क्रिया करती हैं, जिसमें एक प्लेट दूसरे के नीचे क्षेपित हो जाती है। इस मामले में, अफ्रीकी प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जिससे भूकंपीय गतिविधि और भूकंप का खतरा पैदा हो रहा है।
 - 💠 वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह क्षेपित क्षेत्र अगले 20 मिलियन वर्षों में पश्चिम की ओर विस्तारित होगा।
- महासागरीय बेसिन का सिकुड़नाः क्षेपण की प्रक्रिया से समुद्री बेसिन सिकुड़ सकता है और अंतत: अटलांटिक महासागर बंद हो सकता है।
- क्षेपित अतिक्रमणः इसके वर्तमान अपेक्षाकृत छोटे आकार (लगभग 125 मील लंबाई) के बावजूद, अनुमान बताते हैं कि क्षेपण क्षेत्र अगले दो दशकों के भीतर लगभग 500 मील तक विस्तारित हो सकता है।
 - ♦ इस घटना को "क्षेपित अतिक्रमण (subduction invasion)" के रूप में जाना जाता है।



JLOTS परियोजना

अमेरिका ने ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स ओवर-द-शोर प्रोजेक्ट (JLOTS) के माध्यम से समुद्र में फ्लोटिंग डॉक से गाजा को सहायता पहुँचाने की योजना बनाई है। इसका लक्ष्य गाजा को प्रतिदिन 20 लाख तक की खाद्यान सहायता पहुँचाना है।

- JLOTS क्षमताओं का उपयोग समुद्र के द्वारा कार्गो परिवहन हेतु किया जाता है जब एक या अधिक बंदरगाह संचालित नहीं किये जा सकते हैं अथवा लोडिंग या अनलोडिंग के लिये उपलब्ध नहीं हैं।
 - कुल मिलाकर, JLOTS प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया तथा मानवीय सहायता वितरण की सुविधा हेतु बुनियादी ढाँचे, रसद, सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करता है।
- इस पिरयोजना में दो मुख्य घटक शामिल होंगे, एक फ्लोटिंग डॉक एवं एक कॉजवे वाला लंबा घाट।
 - फ्लोटिंग डॉक का निर्माण रोल-ऑन, रोल-ऑफ जहाज द्वारा साइट पर पहुँचाये गए स्टील घटकों का उपयोग करके किया जाएगा, यह एक प्रकार का कार्गो जहाज है जो भारी सामान को लोड करने एवं अनलोड करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है।
 - यह तट के किनारे से जुड़ेगा, जबिक डॉक को एक किलोमीटर दूर तक स्थापित किया जा सकता है। यह सेटअप सुनिश्चित करता है, कि सहायता ले जाने वाले जहाज किनारे के पास उथले जल में फँसने के जोखिम से बच सके।




कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में संघर्ष

हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र में हुई संघर्ष की घटनाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गई हैं जिससे संबद्ध क्षेत्र में पहले से ही गंभीर मानवीय स्थिति और प्रभावित हुई है।

उत्तरी किवु प्रांत में गोमा के समीप कांगो की सेना और खांडा द्वारा समर्थित M23 समूह के बीच हुए संघर्ष के कारण कई मौतें हुईं तथा हजारों लोग विस्थापित हुए।

परिचय:

- DRC अफ्रीका का दूसरा और विश्व का 11वाँ सबसे बड़ा देश है।
- इसकी एक छोटी-सी तटरेखा अटलांटिक महासागर के साथ लगती है। DRC के उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण में सूडान स्थित है तथा साथ ही इसके पूर्व में युगांडा, खांडा, खुरुंडी एवं तंज्ञानिया व दक्षिण-पूर्व में ज्ञाम्बिया और दक्षिण पश्चिम में अंगोला स्थित है।
 - DRC की राजधानी किंशासा है जो कांगो नदी के तट पर स्थित है। यह अफ्रीका की एकमात्र नदी है जो दो बार भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है।
- इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है किंतु यहाँ अन्य भाषाएँ बोली जाती हैं जिनमें कितुबा, लिंगाला, स्वाहिली और शिलुबा (Tshiluba) शामिल हैं।
- कटंगा पठार एक समृद्ध खनन क्षेत्र है जिससे कोबाल्ट, ताँबा, टिन,
 रेडियम, यूरेनियम और हीरे की आपूर्ति की जाती है।



भारत और डोमिनिकन गणराज्य JETCO प्रोटोकॉल के साथ आर्थिक संबंधों को मज़बूत करेंगे

भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समिति (JETCO) की स्थापना के प्रोटोकॉल पर सैंटो डोमिंगो (डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी) में हस्ताक्षर किये गए।

- प्रोटोकॉल में तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के माध्यम से व्यापार, सेवाओं, औद्योगिक प्रौद्योगिकियों एवं विभिन्न अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने व विकसित करने की परिकल्पना की गई है।
- भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच राजनियक संबंध मई 1999 में स्थापित हुए थे। हालाँकि, वर्तमान में, व्यापार एवं वाणिज्य पर भारत व डोमिनिकन गणराज्य के बीच कोई द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र नहीं है।

भारत मुख्य रूप से डोमिनिकन गणराज्य से सोना आयात करता है और फार्मास्युटिकल्स, समुद्री उत्पाद, मोटर वाहन, दो व तीन पहिया वाहन आदि का निर्यात करता है।



हैती

हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने एक संक्रमणकालीन राष्ट्रपति परिषद बनने के बाद इस्तीफा देने की अपनी मंशा व्यक्त की।

परिचय:

- यह कैरेबियन सागर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है।
- यह हिस्पानियोला द्वीप के पश्चिमी एक-तिहाई हिस्से को आच्छादित करता है और पूर्वी हिस्से में डोिमिनिकन गणराज्य के साथ सीमा साझा करता है।
 - हैती, पश्चिम में जमैका और उत्तर-पश्चिम में क्यूबा से भी घिरा हआ है।
- आधिकारिक भाषाएँ: फ्रेंच, हैतीयन क्रियोल।
- प्रमुख पर्वत शृंखलाएँ: मैसिफ डे ला सेले, मैसिफ डू नॉर्ड।
- 🔾 यह विश्व का पहला स्वतंत्र अश्वेत नेतृत्व वाला गणतंत्र है।
 - राष्ट्र लगभग दो शताब्दियों तक स्पेनिश औपनिवेशिक शासन एवं एक शताब्दी से अधिक फ्राँसीसी शासन में भी रहा।

समुद्री प्रवासियों की वापसी के विरुद्ध इटली के न्यायालय का निर्णय

इटली के सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने निर्णय किया कि बचाव किये गए समुद्री प्रवासियों को पुन: लीबिया भेजना विधि-विरुद्ध है।

न्यायालय का यह निर्णय नॉन-रिफाउलमेंट के सिद्धांत पर आधारित है जो लोगों को उन देशों में जबरन भेजने से निर्बंध करता है जहाँ उनके जीवन अथवा अधिकार के संबंध में खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।



- इटली के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लीबिया प्रवासियों के लिये असुरक्षित क्षेत्र है और उन्हें पुन: लीबिया भेजने की दशा में तटरक्षकों तथा मिलिशिया के द्वारा हिरासत केंद्रों में उनके साथ "अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार" का जोख़िम उत्पन्न हो सकता है।
- इटली के सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि समुद्री प्रवासियों को पुन: लीबिया भेजना विधि-विरुद्ध है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 98 के अनुरूप है।
 - यह अनुच्छेद शिपमास्टर को अपने जहाज अथवा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समुद्र में आपात अथवा संकटपूर्ण स्थिति में फँसे लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु बाध्य करता है।



याउंडे घोषणा

हाल ही में याउंडे घोषणा ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया, क्योंकि 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया।

- वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की कुल संख्या वर्ष 2019 में 233 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2022 में 249 मिलियन हो गई।
- इस अवधि के दौरान अफ्रीका में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 233 मिलियन मामलों तक पहुँच गई। वैश्विक मलेरिया के 94% मामले और मलेरिया से संबंधित 95% मौतें अफ्रीका में होती हैं।
- जबिक WHO अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया के खिलाफ प्रगति रुकी हुई है, याउंड सम्मेलन में शामिल 11 अफ्रीकी देशों पर वैश्विक मलेरिया का भार 70% से अधिक है।
 - घोषणा का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, किमयों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ाना है। वे वित्त पोषण, अनुसंधान और नवाचार के लिये साझेदारी को बढ़ावा देना भी चाहते हैं।
- घोषणा के बावजूद विशेषज्ञ ज्ञमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की जरूरत पर बल देते हैं। वर्ष 2030 तक मलेरिया को नियंत्रित और समाप्त करने के अफ्रीकी संघ के लक्ष्य में महत्त्वपूर्ण वित्तीय अंतराल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बुनियादी मलेरिया सेवाओं को बनाए रखने के लिये 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन के लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।

ब्रिक्स प्लान से अलग हुआ अर्जेंटीना

हाल ही में राष्ट्रपित जेवियर माइली के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होने का निर्णय किया हालाँकि इस समूह में शामिल होने का निर्धारण पहले से किया जा चुका था।

- 🔾 अर्जेंटीना 1 जनवरी, 2024 को शामिल होने के लिये तैयार था।
 - अर्जेंटीना अगस्त में ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल होने के लिये आमंत्रित छह देशों में से एक था, जिसमें वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
 - ये बिंदु माइली के नेतृत्व में ब्रिक्स से दूरी बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के अर्जेंटीना के फैसले को उजागर करते हैं, जो इसकी विदेश नीति में क्षिणपंथी लोकलुभावनवाद (Right-Wing Populism) की ओर बदलाव को दर्शाता है।

- विस्तार के प्रारंभिक चरण में ब्रिक्स में शामिल होने के लिये अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को निमंत्रण देना शामिल है।
 - 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने में गहरी रुचि दिखाई है।

यूरोपीय संघ(EU) ने ऐप स्टोर में अविश्वास उल्लंघन के लिये एप्पल पर जुर्माना लगाया

प्रतिस्पर्द्धियों से निपटने और अपने एप स्टोर पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर शुल्क लगाने के संबंध में, एप्पल पर अविश्वास कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह तकनीकी दिग्गज के खिलाफ यूरोपीय संघ के हालिया 1.8 बिलियन यूरो के ज़ुर्माने से पता चलता है।


- एप्पल पर उपयोगकर्ताओं को वैकिल्पक सदस्यता विकल्पों के बारे में सूचित करने की क्षमता को सीमित करके और इन-एप खरीदारी के लिये विशेष शुल्क लगाकर स्पॉटिफाई (Spotify) जैसे प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में अपनी स्वयं की संगीत स्ट्रीमिंग सेवा, "Apple Music" का गलत तरीके से पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था।
- यूरोपीय आयोग ने पाया कि एप्पल के कार्यों ने यूरोपीय संघ के अविश्वास कानूनों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से इसकी प्रमुख बाजार स्थिति के दुरुपयोग तथा प्रतिस्पर्द्धा में बाधा डालने वाले परिचालन-विरोधी प्रावधानों के संबंध में।
- यह जुर्माना प्रतिस्पर्द्धा विरोधी प्रथाओं के खिलाफ यूरोपीय संघ के रुख को रेखांकित करता है और साथ ही भविष्य के तकनीकी अविश्वास मामलों के लिये एक मिसाल कायम करता है।
- एप्पल ने प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहार का कोई सबूत नहीं हैं यह बताते हुए अविश्वास के आरोपों से इनकार किया है और साथ ही यूरोपीय संघ के निर्णय के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है।

ब्लू लाइन

हाल ही में इजराइल और लेबनान के मध्य की सीमाओं पर हिजबुल्लाह द्वारा तीव्र हमले किये गए।

- इज़राइल और लेबनान के बीच की सीमा, जिसे "ब्लू लाइन" के रूप में जाना जाता है, वर्ष 2000 में इज़रायल द्वारा दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना की वापसी के उपरांत संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित की गई थी।
 - यह कोई आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं अपितु एक सीमांकन रेखा है।
- मूल रूप से यह 1920 के दशक में लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच ब्रिटेन तथा फ्राँस द्वारा स्थापित सीमा थी।

हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामी राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह है। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे की प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1980 में यह अस्तित्व में आया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल सिंहत कई देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में भी नामित किया गया है।



भारत-चीन सीमा मामले

हाल ही में भारतीय और चीनी राजनियकों ने बीजिंग में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श तथा समन्वय के लिये कार्य तंत्र (Working Mechanism for Consultation and Coordination- WMCC) की 29वीं बैठक बुलाई, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच एक महत्त्वपूर्ण विकास है।

- दोनों पक्ष राजनियक और सैन्य चैनलों के माध्यम से नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए।
- वे सीमा की स्थिति को नियंत्रण और प्रबंधन के सामान्यीकृत चरण
 में बदलने को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए।
- भारत-चीन सीमा का पूरी तरह से सीमांकन नहीं किया गया है, इससे देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है।
- ञास्तिवक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control-LAC) भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करने वाली सीमा के रूप में कार्य करती है।



एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्विलटी

भारत ने दावोस में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) बैठक में एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्विलटी अर्थात् "वैश्विक भलाई के लिये गठबंधन - लैंगिक समानता और समानता" (Alliance for Global Good- Gender Equity and Equality)

की स्थापना की, जिसने महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये WEF से पूर्ण समर्थन प्राप्त किया।

एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्विलटी की विशेषताएँ क्या हैं?

- यह गठबंधन जी20 शिखर सम्मेलन 2023 के लीडर्स के घोषणा-पत्र और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिये भारत की प्रतिबद्धता के अनुसरण में स्थापित किया गया है।

EMPOWER) जैसे फ्रेमवर्क का निर्माण करना है।

- महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तीकरण और प्रगति के लिये G20 गठबंधन (G20 EMPOWER) एक पहल है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व तथा सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना है।
- इस नए गठबंधन का प्राथिमक और घोषित उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उद्यम के चिह्नित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण एवं निवेश को एक साथ लाना है।
- बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित, गठबंधन को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सेंटर फॉर वीमन लीडरशिप द्वारा स्थापित तथा संचालित किया जाएगा।

